



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

का

सामान्य, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रों

पर प्रतिवेदन

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए



छत्तीसगढ़ शासन

वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या – 2

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
का
सामान्य, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रों
पर प्रतिवेदन

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए

छत्तीसगढ़ शासन

वर्ष 2017 का प्रतिवेदन क्रमांक 2

विषय सूची		
विवरण	संदर्भ	
	कंडिका क्र.	पृष्ठ
प्राककथन		vii
विहंगावलोकन		ix
अध्याय I परिचय		
बजट रूपरेखा	1.1	1
राज्य शासन के संसाधनों का उपयोग	1.2	1
अनवरत बचतें	1.3	2
भारत सरकार से सहायता अनुदान	1.4	2
योजना एवं लेखापरीक्षा का संचालन	1.5	3
निरीक्षण प्रतिवेदन पर शासन द्वारा प्रतिक्रिया का अभाव	1.6	3
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुवर्तन	1.7	4
सार्थक लेखापरीक्षा अवलोकनों (प्रारूप कंडिका / समीक्षा) पर शासन की प्रतिक्रिया	1.8	5
स्वायत्र निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करने की स्थिति	1.9	5
लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर की गई वसूलियां	1.10	6
अध्याय II		
निष्पादन लेखापरीक्षा		
जल संसाधन विभाग		
छत्तीसगढ़ में एनीकटों की आवश्यकता, निर्माण एवं उपयोगिता	2.1	7
स्कूल शिक्षा विभाग		
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई अधिनियम) का कार्यान्वयन	2.2	35
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग		
प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	2.3	65
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग		
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में ई—वर्कर्स पर सूचना प्रौद्योगिकीय लेखापरीक्षा	2.4	85

अध्याय III		
अनुपालन लेखापरीक्षा		
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
छत्तीसगढ़ में चिकित्सा शिक्षा	3.1	109
लोक निर्माण विभाग		
छत्तीसगढ़ में सेतुओं का निर्माण	3.2	125
पशुधन विकास विभाग		
पशुधन विकास विभाग द्वारा पशुधन वितरण	3.3	136
कृषि विभाग		
कृषि विभाग के अंतर्गत कृषि प्रकोष्ठ के निष्पादन लेखापरीक्षा की अनुवर्ती लेखापरीक्षा	3.4	147
लेखापरीक्षा कंडिकाएं		
पर्यटन विभाग		
निष्फल / निर्थक व्यय और आधिक्य भुगतान	3.5.1	156
गृह (पुलिस) विभाग		
निष्क्रिय निवेश	3.5.2	158
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग		
शासन को हानि	3.5.3	159
लोक निर्माण विभाग		
अनियमित और अतिरिक्त भुगतान	3.5.4	161
जल संसाधन विभाग		
निष्फल व्यय	3.5.5	163
वणिज्य और उद्योग विभाग		
शासन को हानि	3.5.6	165
उद्यानिकी विभाग		
अतिरिक्त सहायता की प्रतिपूर्ति	3.5.7	166

परिशिष्ट		संदर्भ	
परिशिष्ट क्र.	विवरण	कंडिका क्र.	पृष्ठ
1.1	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों / कंडिकाओं की स्थिति	1.6	169
1.2	निरीक्षण प्रतिवेदनों की लंबित कंडिकाओं में विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं का विवरण	1.6	170
2.1.1	कार्ययोजना में अनुमोदित एवं अतिरिक्त स्वीकृत एनीकटों का विवरण	2.1.6.2	173
2.1.2	चयनित अपूर्ण एनीकटों में से पूर्ण एनीकटों का विवरण	2.1.8.1(अ)	174
2.1.3	चयनित एनीकटों में पानी की उपलब्धता का विवरण	2.1.9.1 (अ)	176
2.1.4	चयनित 72 एनीकटों के समीप स्थित कूपों के भू-जल स्तर का विवरण	2.1.9.2	179
2.1.5	अनुपयोगी एनीकटों के निर्माण पर निष्फल व्यय का विवरण	2.1.9.3	182
2.2.1	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का विवरण	2.2.1	183
2.2.2	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन का प्रवाह चाट	2.2.2	184
2.2.3	चयनित जिलों, विकास खण्डों तथा विद्यालयों का विवरण	2.2.4	185
2.2.4	लेखापरीक्षा को जानकारी प्रदाय नहीं करने वाले विद्यालयों का विवरण	2.2.4	185
2.2.5	समस्त प्रबंधकीय विद्यालयों में नामांकनों का विवरण	2.2.7.3	186
2.2.6	निजी विद्यालयों में नामांकन का विवरण	2.2.7.3	186
2.2.7	वर्ष 2015–16 में नामांकन के लक्ष्य में कमी का विवरण	2.2.7.3(ब)	187
2.2.8	विद्यालय से बाहर के बालकों का विवरण	2.2.7.5	188
2.2.9	सीडब्ल्यूएसएन बालकों को परिवहन सुविधा का विवरण	2.2.7.6	188
2.2.10	नेत्रहीन बालकों के लिए अनुरक्षण सुविधा का विवरण	2.2.7.6	188
2.2.11	वर्ष 2001–10 के दौरान स्वीकृत कार्यों के अधोसंरचना सुविधा की 31 मार्च 2013 की स्थिति का विवरण	2.2.8.1	189
2.2.12	वर्ष 2010–16 के दौरान स्वीकृत कार्यों के अधोसंरचना सुविधा की 31 मार्च 2016 की स्थिति का विवरण	2.2.8.1	189
2.2.13	शिक्षकों की स्थिति का विवरण	2.2.8.4	190
2.2.14	निजी विद्यालयों को फीस की प्रतिपूर्ति का विवरण	2.2.8.8 (ब)	190
2.2.15	लाभ के आधार पर संचालित विद्यालयों का विवरण	2.2.8.9	190
2.2.16	गणवेश वितरण में अधिक व्यय का विवरण	2.2.10.1	191

2.2.17	गणवेश क्रय में परिहार्य व्यय का विवरण	2.2.10.1	191
2.2.18	पाठ्य पुस्तकों पर व्यय का विवरण	2.2.10.2	191
2.2.19	दस फर्मों को वैट राशि के रूप में किये गये अधिक भुगतान का विवरण	2.2.10.3	192
2.2.20	बिना आपूर्ति के फर्म को किये गये भुगतान का विवरण	2.2.10.3	192
2.3.1	लेखापरीक्षा द्वारा चयनित जिलों में चयनित पैकेजों की संख्या का विवरण	2.3.5	193
2.3.2	उन्नयन कार्य का नयी संपर्कता पर प्राथमिकता दिये जाने का विवरण	2.3.7.3	194
2.3.3	सड़कों के अधिक चौड़ाई के क्रियान्वयन के कारण ₹ 9.09 करोड़ की अतिरिक्त लागत दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.3.7.4	195
2.3.4	नवीनीकरण कार्य क्रियान्वयन में मौजूदा बीटी सतह में एमएसएस के स्थान पर ओजीपीसी और सील कोट करने पर ₹ 2.25 करोड़ का अतिरिक्त लागत दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.3.7.6	196
2.3.5	सेतुओं के अभाव के कारण सड़कों पर ₹ 23.29 करोड़ का अनुत्पादक व्यय दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.3.7.7	197
2.3.6	राज्य की अन्य एजेंसियों द्वारा सड़कों के क्रियान्वयन के कारण राज्य सरकार पर ₹ 5.16 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त भार दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.3.8.2	198
2.3.7	कार्यों के पूर्ण होने में विलंब को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.3.10.1	199
2.3.8	कार्य के क्रियान्वयन में विलंब के कारण ठेकेदारों से ₹ 4.49 करोड़ की शास्ति वसूली नहीं किये जाने का विवरण पत्रक	2.3.10.1	200
2.3.9	लागत के ₹ 21.22 करोड़ से बढ़ जाने का विवरण	2.3.10.2	201
2.3.10	ठेकेदार से वसूल नहीं की गयी परिसमापन क्षति की राशि ₹ 4.99 करोड़ का विवरण	2.3.10.4	202
2.3.11	भौतिक सत्यापन हेतु चयनित सड़कों का विवरण	2.3.10.5 (i)	203
2.3.12	कम संख्या में सीडी कार्य के क्रियान्वयन को दर्शाने वाला विवरण	2.3.10.5 (i)	204
2.3.13	कम लंबाई की सड़कों के क्रियान्वयन का विवरण	2.3.10.5 (ii)	205
2.3.14	एसक्यूएम/एनक्यूएम द्वारा निरीक्षणों के किए जाने में कमी का विवरण	2.3.11.1	206
2.4.1	नॉन-एग्रीमेंटेड देयकों के माध्यम से अनियमित भुगतान किए जाने के कारण राजस्व की हानि संबंधी विवरण	2.4.9.2	207
2.4.2	ई-वर्क्स के अन्यत्र धनादेश मुद्रण के द्वारा गबन का विवरण	2.4.9.3	209

2.4.3	समय विस्तार हेतु अर्थदण्ड गणना संबंधी विवरण	2.4.9.4	214
2.4.4	प्रणाली जनित धनादेश एवं प्रणाली जनित रोकड़बही की राशि में असमानता संबंधी विवरण	2.4.9.6	215
3.1.1	सिविल निर्माण कार्यों की स्थिति का विवरण	3.1.8.2	217
3.1.2	चिकित्सा उपकरणों की कमी का विवरण	3.1.8.3	218
3.1.3	अकार्यशील स्थिति में उपकरणों का विवरण	3.1.8.3	220
3.1.4	चार मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण संकायों की कमी का विवरण	3.1.9.1	221
3.1.5	नर्सिंग कॉलेजों में शिक्षण स्टाफ की कमी का विवरण	3.1.9.2	222
3.1.6	तीन शासकीय नर्सिंग कॉलेजों में उपकरण/प्रयोगशाला की स्थिति का विवरण	3.1.9.3	223
3.2.1	बदलाव, समय और लागत वृद्धि दर्शाने वाला विवरण	3.2.2.2	224
3.2.2	विभाग द्वारा दोषी ठेकेदारों पर कार्यवाही नहीं किये जाने/विलंब से कार्यवाही किये जाने को दर्शाने वाला विवरण	3.2.2.3	233
3.2.3	सेतु के यातायात मार्ग एवं पहुंच मार्ग के असमान मिलान का विवरण	3.2.3.3	236
3.2.4	ठेकों का अंतिमीकरण नहीं किये जाने को दर्शाने वाला विवरण	3.2.3.4	237
3.2.5	गलत गणना करने के कारण मूल्यवृद्धि के अधिक भुगतान का विवरण	3.2.3.6	238
3.2.6	प्रशासकीय स्वीकृति के 10 प्रतिशत से अधिक व्यय पर पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं करने का विवरण	3.2.3.7	239
3.2.7	लेखापरीक्षा के परिप्रेक्ष्य में वसूली का विवरण	3.2.5	240
3.3.1	राज्य पोषित डेयरी/नाबार्ड पोषित (डेयरी/बकरी/कुकुट) उद्यमिता विकास योजना में अनुदान का अधिक भुगतान	3.3.3.1	242
3.3.2	नाबार्ड एवं राज्य पोषित डेयरी योजना अंतर्गत हितग्राहियों का विवरण	3.3.3.1	245
3.3.3	सूकर त्रयी योजना में लाभ से वंचित हितग्राहियों का विवरण	3.3.3.2	248
3.3.4	नरसूकर योजना के लाभ से वंचित हुए हितग्राहियों का विवरण	3.3.3.3	249
3.4.1	नमूना जांच किये गये जिलों में विभिन्न योजनार्त्तगत आवंटन एवं व्यय को दर्शाने वाला विवरण	3.4.3	250
3.4.2	विभिन्न योजना के अंतर्गत राज्य स्तर आवंटन एवं व्यय को दर्शाने वाला विवरण	3.4.3	251

3.4.3	छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदायित जानकारी के उपरान्त नमूना जांच किये गये जिलों में विभिन्न योजनान्तर्गत आवंटन एवं व्यय को दर्शाने वाला विवरण	3.4.3	252
3.5.1	ठेकेदार को अधिक भुगतान किए गए मूल्य वृद्धि का विवरण	3.5.1	253
3.5.2	सात कार्यों में ठेकेदारों के द्वारा जमा की गई एवं उनसे वसूली योग्य राशि का विवरण पत्रक	3.5.3	254
3.5.3	अक्रियशील औद्योगिक इकाईयों से वसूले न गये अनुदानों का विवरण	3.5.6	255
3.5.4	पावर स्प्रेयर के क्रय में कृषकों को अनुदान के अधिक भुगतान का विवरण	3.5.7	256

प्राक्कथन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में सामान्य, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन के विभागों में निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं अनुपालन लेखापरीक्षाओं के महत्वपूर्ण परिणामों को सम्मिलित किया गया है।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित मामले वे हैं, जो वर्ष 2015–16 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आये, साथ ही वे भी हैं जो पूर्व वर्षों में ध्यान में आये थे परन्तु जिन्हें पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था। अवधि 2015–16 के पश्चात् के मामलों को भी, जहां आवश्यक है, सम्मिलित किया गया है।

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा का संचालन किया गया है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय सम्मिलित हैं: अध्याय I में राज्य की वित्तीय रूपरेखा, लेखापरीक्षा का नियोजन एवं संचालन तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन सम्मिलित है। इस प्रतिवेदन का अध्याय II (i) छत्तीसगढ़ में एनीकटों की आवश्यकता, निर्माण एवं उपयोगिता, (ii) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई अधिनियम) का कार्यान्वयन, (iii) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा (iv) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में “ई-वर्क्स” की सूचना प्रौद्योगिकीय लेखापरीक्षा विषय पर चार निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से संबंधित है। अध्याय III (i) छत्तीसगढ़ में चिकित्सा शिक्षा (ii) छत्तीसगढ़ में सेतुओं का निर्माण (iii) पशुधन विकास विभाग के द्वारा पशुधन का वितरण तथा (iv) कृषि विभाग (कृषि प्रकोष्ठ) के निष्पादन लेखापरीक्षा पर अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अतिरिक्त विभिन्न विभागों में सात लेखापरीक्षा कंडिकाओं से संबंधित है। इस प्रतिवेदन में सम्मिलित निष्फल व्यय, निष्क्रिय निवेश, परिहार्य अतिरिक्त व्यय, हानि, अदेय लाभ, अधिक भुगतान आदि मुद्दों से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष ₹ 2,183.27 करोड़ मूल्य के हैं।

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के लिए निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा का संचालन किया गया है। लेखापरीक्षा के नमूने सांख्यिकीय नमूना पद्धति के साथ-साथ जोखिम आधारित विवेकीय प्रतिचयन के निष्कर्ष के आधार पर लिये गये हैं। प्रत्येक निष्पादन लेखापरीक्षा में अपनाई गई विशिष्ट लेखापरीक्षा पद्धति का उल्लेख किया गया है। लेखापरीक्षा निष्कर्ष तथा अनुशंसायें शासन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए की गयी हैं। इस विहंगावलोकन में लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्षों का सार प्रस्तुत किया गया है।

1 कार्यक्रमों/क्रियाकलापों/विभागों का निष्पादन लेखापरीक्षा

(i) छत्तीसगढ़ में एनीकटों की आवश्यकता, निर्माण एवं उपयोगिता पर निष्पादन लेखापरीक्षा

जल संसाधनों का प्रबंधन छत्तीसगढ़ राज्य जल संसाधन विकास नीति 2001 का हिस्सा है और जल संसाधन विभाग इसके लिये उत्तरदायी है। एनीकट नदी अथवा जलधारा पर पेयजल, कृषि, औद्योगिक उपयोग एवं निस्तारी आदि के लिये जल के प्रदाय एवं नियंत्रण हेतु निर्मित एक बांध है। राज्य शासन ने 769 एनीकटों के क्रियान्वयन हेतु मार्च 2016 की स्थिति में राशि ₹ 2,679.92 करोड़ का व्यय किया। मार्च 2016 को स्थिति में 769 एनीकटों में से 489 एनीकट पूर्ण हुये। शेष 280 एनीकटों का निर्माण अब भी पूर्ण किया जाना शेष है। लेखापरीक्षा के दौरान 89 एनीकटों (72 पूर्ण एवं 17 अपूर्ण) से संबंधित अभिलेखों की नमूना जॉच की गई।

अवधि 2011–16 के दौरान निर्मित इन एनीकटों की आवश्यकता निर्माण एवं उपयोगिता पर निष्पादन लेखापरीक्षा में अनेक कमियां पाई गई जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं :

एनीकटों के निर्माण की योजना तैयार करते समय, खराब फसल, वर्षा, ग्रीष्म ऋतु में भूजल स्तर आदि के आंकड़ों को ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि, विभाग द्वारा वर्ष 2005 में 595 एनीकटों के निर्माण की योजना के समय इन कारकों का ध्यान नहीं रखा। परिणामस्वरूप, विभाग मात्र 231 एनीकटों का निर्माण प्रारंभ कर सका। अतः विभाग ने अवधि 2005–16 के दौरान 538 अतिरिक्त एनीकटों को स्वीकृत किया जिससे निर्माण के लिये कुल 769 एनीकट थे।

विभाग, भूमि विवाद, भूमि मुआवजों के प्रकरणों, ठेकेदारों के द्वारा कार्य की धीमी गति इत्यादि के कारण विगत एक से 10 वर्षों में राशि ₹ 1,095.74 करोड़ के व्यय के बाद भी 280 एनीकटों का निर्माण पूर्ण नहीं कर सका।

यह स्पष्ट है कि एनीकटों का चयन बिना किसी मानदण्डों के किया गया क्योंकि 72 चयनित एनीकटों में से 35 एनीकट ऐसे नालों और नदियों पर स्वीकृत किये गये जो जल के बारहमासी स्त्रोत नहीं थे जबकि 22 में मात्र छः से आठ माह जल था और केवल 10 एनीकट ही निर्दिष्ट सभी उद्देश्यों को पूर्ण कर सके।

बहत्तर नमूना जांच एनीकटों में से चार निर्माण के एक से पांच वर्षों के अंदर क्षतिग्रस्त हुये। परिणामस्वरूप, इन एनीकटों के निर्माण के मुख्य उद्देश्य, निस्तारी एंव कृषि कार्य हेतु (635 हेक्टेअर कृषि भूमि) जल के संग्रहण के साथ ही भूजल स्तर में वृद्धि की किसी भी रूप में पूर्ति नहीं हो सकी। इसके अलावा इससे शासन को राशि ₹ 3.22 करोड़ की हानि भी हुई।

एनीकटों के निर्माण के निर्दिष्ट उद्देश्य जैसे कि भू-जल संवर्धन और रबी मौसम में सिचांई की पूर्ति नहीं हुई क्योंकि 72 में से 47 पूर्ण चयनित एनीकट भू-जल स्तर बढ़ाने में सहयोग नहीं कर सके जिसे केन्द्रीय भू-जल बोर्ड (सीजीडब्लूबी) द्वारा प्रमाणित किया गया। सीजीडब्लूबी द्वारा दिए गये आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि 18 एनीकटों ने भू-जल स्तर वृद्धि में मदद की है। तथापि, सात एनीकटों से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।

(कंडिका 2.1)

(ii) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई अधिनियम) का कार्यान्वयन

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम जिसे शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, राज्य में 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। आरटीई अधिनियम छः से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बालकों को आसपास के विद्यालयों में अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्षों के भीतर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। छत्तीसगढ़ शासन ने अधिनियम की धारा 38 के अनुपालन में नियम तैयार (नवम्बर 2010) किया जिसे छत्तीसगढ़ निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (सीजीआरटीई) नियम 2010 के रूप में परिभाषित किया गया।

वर्ष 2010–16 की अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार के कार्यान्वयन के निष्पादन लेखापरीक्षा में पाया गया कि :

राज्य शासन ने डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम शिक्षा गुणवत्ता अभियान प्रारंभ किया। शासन द्वारा आयोजित सर्वेक्षण के अनुसार कुल विद्यालयों में केवल 25 प्रतिशत विद्यालयों ने ग्रेड 'ए' प्राप्त किया। शेष 75 प्रतिशत को 'बी' से 'डी' के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया गया जिसमें 12 प्रतिशत को केवल ग्रेड 'डी' में रखा गया।

राज्य में अधिनियम के कार्यान्वयन के लगभग सात वर्ष पूरा होने के बावजूद 879 बसाहटों में विद्यालय नहीं था। इसके अलावा मार्च 2016 की स्थिति में 1231 बसाहटों में उच्च प्राथमिक विद्यालय (उ.प्रा.वि.) भी नहीं था।

नई पीढ़ी का अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों के प्रति झुकाव तथा पालकों के निजी विद्यालयों को प्राथमिकता देने के कारण समस्त प्राथमिक विद्यालयों (प्रा.वि.) में बालकों के नामांकन में वर्ष 2010–11 की तुलना में 2015–16 के दौरान 11.56 प्रतिशत तक कमी आई।

सात नमूना जांच जिलों में से दो जिलों में 2010–11 तथा 2015–16 के दौरान बालकों के ड्रापआउट दर में 41 प्रतिशत से 109 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। पांच जिलों के मामलों में ड्रापआउट दरों में 2010–11 तथा 2015–16 के दौरान सात प्रतिशत से 81 प्रतिशत तक की कमी हुई। तथापि, राज्य में बालकों का ड्रापआउट दर 1.36 प्रतिशत (2011–12) से कम होकर 0.81 प्रतिशत (2015–16) रहा।

प्रशिक्षण की आवश्यकता हेतु सर्वेक्षित बालकों के विरुद्ध विद्यालय से बाहर रहे बालकों का आयु के अनुसार प्रवेश हेतु विशेष प्रशिक्षण में 60 से 83 प्रतिशत तक की कमी रही।

2011–16 के दौरान, निधि के आभाव के कारण केवल 14 से 67 प्रतिशत दिव्यांग बालकों को परिवहन सुविधाएं प्रदान नहीं की गई जबकि 36 प्रतिशत से 84 प्रतिशत नेत्रहीन बालकों को अनुरक्षण सुविधाएं प्रदान नहीं की गई।

दो सौ दस विद्यालयों के भौतिक सत्यापन में पाया गया कि 22 प्रतिशत विद्यालयों में बालक/बालिकाओं के लिए पृथक शैचालय नहीं था, 20 प्रतिशत विद्यालयों में पुस्तकालय नहीं था तथा 43 प्रतिशत विद्यालयों में खेल का मैदान नहीं था।

मार्च 2016 की स्थिति में, प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 20 प्रतिशत शिक्षक अप्रशिक्षित थे।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत मापदंड के अनुसार, भारत शासन ने प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के बालकों को पाठ्यपुस्तकों उपलब्ध कराने हेतु प्रति बालक क्रमशः ₹ 150 तथा ₹ 250 की सीमा निर्धारित की थी। तथापि, राजीव गांधी शिक्षा मिशन ने राज्य में 2012–16 के दौरान प्रति बालक ₹ 256 से ₹ 317 की दर से पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराया था।

गणवेश क्रय में संलग्न राज्य शासन की दो एजेंसियों में से एक एजेन्सी ने दूसरे अन्य एजेन्सी से उच्चतर दर में गणवेश क्रय किया जिसके फलस्वरूप अधिक भुगतान हुआ।

वित्तीय अनियमितताएं जैसे कि ₹ 9.69 करोड़ की निधि का दुरुपयोग, ₹ 166 करोड़ मूल्य के असमायोजित अग्रिम, पंचायत शिक्षकों को ₹ 5.12 करोड़ का अस्वीकार्य भत्तों का भुगतान आदि भी देखा गया था।

(कंडिका 2.2)

(iii) प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना (पीएमजीएसवाई) की निष्पादन लेखा परीक्षा

भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की पहुंच विहीन बसाहटों तक बारहमासी सङ्क संपर्क प्रदान करने के उद्देश्य से 25 दिसम्बर, 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना (पीएमजीएसवाई) की शुरुआत की गयी। वर्ष 2011–16 की अवधि के दौरान योजनांतर्गत 2,588 बसाहटों को जोड़ा गया जबकि 581 बसाहटें अभी तक (नवंबर 2016) ग्रामीण सङ्क नेटवर्क से जुड़ने से रह गयी हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना (पीएमजीएसवाई) की अवधि 2011–16 के निष्पादन लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2011–15 की अवधि के दौरान वार्षिक लक्ष्य तय नहीं किए गए थे जबकि 2011–14 की अवधि के दौरान व्यय दक्षता बहुत ही कम रही तथा 17 प्रतिशत से 55 प्रतिशत के मध्य थी। लक्ष्यों के निर्धारण का अभाव एवं इन्हन व्यय दक्षता प्रमुख कारण थे जिनके कारण अभी तक बसाहटें पहुंच विहीन रह गई हैं।

जहाँ सङ्क कार्यों का क्रियान्वयन तीन मीटर के कैरेज विड्थ के स्थान पर 3.75 मीटर के उच्चतर कैरेज विड्थ से किया गया जिसके कारण ₹ 9.09 करोड़ का अतिरिक्त व्यय

हुआ वहीं सड़कों के एलाइनमेंट में आने वाली नदियों/नालों पर सेतुओं के निर्माण के अभाव में लक्षित बसाहटों को सड़क संपर्कता प्रदान नहीं किये जाने के कारण ₹ 23.29 करोड़ का व्यय अनुत्पादक रहा।

अनुबंध प्रबंधन के कारण कार्यों की लागत का ₹ 21.22 करोड़ से बढ़ जाना, दोषपूर्ण विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार किए जाने के कारण ₹ 2.93 करोड़ की अतिरिक्त लागत, ₹ 9.48 करोड़ की परिसमापन क्षतियों का वसूल नहीं किया जाना और बढ़ हुए मापों के कारण ₹ 8.03 करोड़ का अधिक भुगतान के अतिरिक्त 82 कार्यों के क्रियान्वयन में एक से 129 महीनों तक के विलंब के दृष्टांत पाये गए। सभी स्तरों पर एक विस्तृत तंत्र निर्धारित होने के उपरांत भी अनुश्रवण प्रभावी नहीं था। राज्य गुणवत्ता मॉनिटर (एसक्यूएम) के निरीक्षणों में 203 की तथा राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनिटर (एनक्यूएम) के निरीक्षणों में 139 की कमी थी।

(कंडिका 2.3)

(iv) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में ई-वर्क्स पर सूचना प्रौद्योगिकीय लेखापरीक्षा

ई-वर्क्स, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में लागू (दिसंबर 2012) एक वेब आधारित एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उद्देश्य मैनुअल कार्य को कम करना, कार्य प्रक्रिया को कारगर बनाना और योजना एवं अनुश्रवण में दक्षता लाना तथा उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ कार्यालयीन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना था। यह एप्लीकेशन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) रायपुर द्वारा विकसित, रूपांकित एवं संधारित किया जाता है।

अप्रैल 2016 से नवम्बर 2016 के मध्य निष्पादित ई-वर्क्स की सूचना-प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभागीय आवश्यकताओं के आकलन हेतु यूजर रिकायर्मेंट स्पेसिफिकेशन बनाया नहीं गया था, जबकि एन.आई.सी द्वारा तैयार किया गया सॉफ्टवेयर रिकायर्मेंट स्पेसिफिकेशन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। तथापि प्रणाली को विभागीय आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु पॉयलेट टेस्टिंग के बिना ही दिसम्बर 2012 में लागू कर दिया गया था।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में ई-वर्क्स अनुकूलन की योजना एवं क्रियान्वयन में कमियां थीं क्योंकि 25 में से 11 मुख्य विभागीय आवश्यकताओं को प्रणाली में समाहित नहीं किया गया था जबकि 14 प्रमुख आवश्यकताएं जिन्हें समाहित किया गया था उनमें से पांच क्रियाशील नहीं थीं। शेष नौ समाहित विभागीय आवश्यकताएं यद्यपि उपयोग में लाई जा रही थीं किन्तु वे वांछित परिणाम देने में असमर्थ थीं।

प्रणाली को बाईपास कर राशि ₹ 2.22 करोड़ के गबन, प्रणाली द्वारा राशि ₹ 57.91 करोड़ के अनाधिकृत सेल्फ चेक आहरण, 'गैर-अनुबंधित बिल मोड्यूल' के द्वारा राशि ₹ 344.49 करोड़ के अनियमित भुगतान तथा नियंत्रण के अभाव के कारण डिपॉजिट कार्य पर प्राप्त राशि से ₹ 1.29 करोड़ का अधिक व्यय इत्यादि योजना एवं कार्यों के क्रियान्वयन में कमियों के परिणाम थे।

प्रचालन नियंत्रण उपयुक्त नहीं था क्योंकि प्रणाली गलत वर्क कोड उत्पन्न कर रही थी एवं लोक निर्माण विभाग के शीर्ष अब भी प्रणाली में उपलब्ध थे जबकि प्रणाली का लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी हेतु अनुकूलन चार वर्ष से अधिक समय पूर्व ही किया जा चुका था। उचित सुरक्षा नीति के अभाव तथा पहुंच नियंत्रण तंत्र जैसे एकल आई डी एवं कर्तव्यों के पृथक्करण के अभाव ने प्रणाली को अनाधिकृत पहुंच हेतु असुरक्षित बना दिया था।

प्रणाली में कमियों के कारण विभाग मासिक लेखे को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतिम उत्पाद के रूप में प्रणाली से उत्पन्न नहीं कर पाने से उसे मानवीय तरीके से तैयार किये जाने को विवश है। इस तरह प्रक्रियात्मक दक्षता बढ़ाने एवं मानव हस्तक्षेप कम करने के ई-वर्क्स लागू करने का उद्देश्य वर्तमान प्रणाली के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सका।

(कंडिका 2.4)

2. अनुपालन लेखापरीक्षा निष्कर्ष

(i) छत्तीसगढ़ में चिकित्सा शिक्षा पर लेखा परीक्षा

चिकित्सा शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य लोगों के प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण तृतीयक चिकित्सा देखभाल के लिए उच्च दक्ष जनशक्ति जैसे डॉक्टरों एवं नर्सों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है तथा मानव जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है। एलोपैथी शाखा के तहत छत्तीसगढ़ में चिकित्सा शिक्षा के अवधि 2011–16 की लेखापरीक्षा में निम्नानुसार पाया गया :

यद्यपि राज्य शासन ने प्रतिकूल डॉक्टर मरीज अनुपात को 1:17000 से 1:000 तक तथा नर्स–जनसंख्या अनुपात 21:100000 से 75:100000 तक नीचे लाने का लक्ष्य निर्धारित किया था परन्तु इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसने कोई व्यापक योजना तैयार नहीं की।

राज्य में एलोपैथी शाखा के तहत 25,500 के अनुमानित लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 1,642 डॉक्टर हैं परन्तु अनुचित नियोजन के कारण धन की उपलब्धता के बावजूद भी अन्तर को कम करने के लिए उसने सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत किसी भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना नहीं की। आगे, 963 विशेषज्ञ डॉक्टरों (एलोपैथी) के स्वीकृत पदों के विरुद्ध मात्र 46 (4.77 प्रतिशत) विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति सिविल अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में की गई थी। राज्य शासन, विशेषज्ञ डॉक्टरों के सृजन के लिए एमसीआई के निर्देशों के अनुरूप आवश्यक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु आवश्यक अधोसंरचना सुविधाओं के निर्माण तथा शिक्षकों की नियुक्ति करने में विफल रही। इसके अतिरिक्त, राज्य शासन राज्य में सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रम स्थापित करने में भी विफल रही।

राज्य में डॉक्टरों नर्सों, सिविल अधोसंरचना, विशेषज्ञता एवं सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों की कमी के बावजूद योजना एवं कार्यान्वयन की विफलताओं के कारण राज्य में चिकित्सा शिक्षा के लिए ₹ 1,160.42 करोड़ के आवंटन के विरुद्ध ₹ 4,16.55 करोड़ (35.9 प्रतिशत) की निधि का उपयोग नहीं किया जा सका। इसके परिणामस्वरूप राज्य में मौजूदा मेडिकल कॉलेज स्टाफ की कमी (17.52 से 68.54 प्रतिशत), उपकरणों के अभाव (19.25 से 82.7 प्रतिशत) तथा कम बेड ऑक्यूपेंसी के साथ संचालित हो रहे हैं जिससे कि चिकित्सा छात्रों के व्यावसायिक अनुभव के साथ समझौता किया जा रहा है।

(कंडिका 3.1)

(ii) छत्तीसगढ़ में सेतुओं के निर्माण की लेखा परीक्षा

लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) राज्य के सेतुओं के सर्वेक्षण, डिजाइन, सुधार और रखरखाव के लिए छत्तीसगढ़ शासन की प्रमुख एजेंसी है। अवधि 2011–16 हेतु छत्तीसगढ़ में सेतुओं के निर्माण का लेखापरीक्षा किया गया। कुछ प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं :

लोक निर्माण विभाग द्वारा सेतु कार्यों के लिए निगरानी ढांचा नहीं बनाया गया था। परिणामस्वरूप, 2011–16 के दौरान सेतु कार्यों के 78 प्रतिशत मामलों में पूर्णता में विलंब था। छियासठ से 93 प्रतिशत सेतु कार्यों में प्रगति के लिए निर्धारित माईल स्टोन प्राप्त नहीं किया जा सका। यद्यपि विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर ठेकेदारों को कार्य सौंपा जाना आवश्यक था, कार्य प्रारंभिक सर्वेक्षण के आधार पर सौंपा गया। इसके अतिरिक्त, मुख्य अभियंता द्वारा ड्राईंग और डिजाईन के अनुमोदन में विलंब और ठेकेदारों को सेतु कार्य सौंपे जाने के बाद कार्यालय अभियंता द्वारा भूमि अधिग्रहण शुरू किए जाने के दृष्टान्त थे। परिणामतः 126 में से 87 नमूना जांच की गई सेतुओं में, एक से 81 महीने का अधिक समय और ₹ 9.53 की करोड़ की लागत वृद्धि हुई तथा कार्य की प्रकृति और मात्रा में ₹ 44.81 करोड़ मूल्य का भिन्नता आई।

छ: नमूना जांच सेतु 100 साल की डिजाइन जीवन के विपरीत उनके पूर्ण होने के तीन से 10 वर्ष के भीतर या निर्माण के दौरान कार्यों के निम्न स्तरीय क्रियान्वयन के कारण क्षतिग्रस्त हो गए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 11.79 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। विभाग में आंतरिक नियंत्रण तंत्र अनुपस्थित था क्योंकि ठेकेदारों को प्रदान की गई समयवृद्धि के बारे में विभाग को ज्ञात नहीं था।

₹ 8.51 करोड़ का अनियमित भुगतान, ₹ 2.20 करोड़ का अधिक भुगतान, ₹ 11.79 करोड़ का निष्फल व्यय, ₹ 1.05 करोड़ का अमान्य भुगतान और विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण विशिष्टताओं का उल्लंघन कर ₹ 60.77 करोड़ के कार्य जैसे मामले थे। लेखापरीक्षा के इंगित किए जाने पर, 20 नमूना सेतु कार्यों में विभाग ने रिबेट, कार्य के विलंब से क्रियान्वयन के लिए दंड, मूल्य समायोजन के गलत गणना आदि के लिए ₹ 6.62 करोड़ की वसूली की। इसके अतिरिक्त, तीन अन्य मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई भी प्रारंभ की गई।

(कंडिका 3.2)

(iii) पशुधन विकास विभाग द्वारा पशुधन वितरण पर लेखापरीक्षा

पशुधन विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा, पशुधन के संरक्षण, सुरक्षा एवं वृद्धि, पशुओं के नस्ल सुधार तथा पशुधन उत्पादों (दूध, मांस एवं अंडे) के विक्रय से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए पूरक पारिवारिक आय का सृजन करने हेतु, अवधि 2011–16 के दौरान सात योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। इनमें से लेखापरीक्षा में अवधि 2011–16 की पांच योजनाओं की समीक्षा की गयी। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष हैं –

अवधि 2011–16 के दौरान विभाग ने दूध, अंडे एवं मांस का उत्पादन लक्ष्य राष्ट्रीय औसत से कम निर्धारित किया। परिणामस्वरूप, राज्य में राष्ट्रीय स्तर की तुलना में प्रतिव्यक्ति दूध (प्रतिदिन) तथा मांस (वार्षिक) की उपलब्धता क्रमशः 165 ग्राम (प्रतिदिन) एवं 3.86 किलोग्राम (वार्षिक) से कम थी। तथापि, विभाग ने राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने के लिए उत्पादकता बढ़ाने हेतु एक उपयुक्त रूपरेखा विकसित नहीं किया।

राज्य/नाबाड़ पोषित डेयरी उद्यमिता विकास योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों द्वारा पशुधन क्रय के अभिलेखों का सत्यापन किए बिना राशि ₹ 8.30 करोड़ का अनुदान, 15 बैंकों को जारी किए गए जिसमें बैंकों द्वारा संवितरित वास्तिविक ऋण के बजाय उनके द्वारा स्वीकृत ऋण के आधार पर बैंकों को जारी किये गये ₹ 27.83 लाख के अधिक अनुदान भी सम्मिलित हैं।

सूकर त्रयी वितरण, नर सूकर एवं सांड वितरण योजनाओं के अंतर्गत सात नमूना जांच जिलों में निधि की उपलब्धता के बावजूद 4,533 में से 1,436 हितग्राहियों को पशुधन

प्रदाय नहीं किया गया। फलस्वरूप, इन योजनाओं के हितग्राही योजना लाभ से वंचित रहे। तथापि, योजना लाभ के मूल्यांकन के लिए विभाग द्वारा इन योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों के आर्थिक स्थिति में में सुधार का आकलन नहीं किया गया।

(कंडिका 3.3)

(iv) कृषि विभाग (कृषि प्रकोष्ठ) के निष्पादन लेखापरीक्षा पर आधारित अनुवर्ती लेखापरीक्षा

कृषि विभाग (कृषि प्रकोष्ठ) के निष्पादन लेखापरीक्षा पर आधारित समीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल एवं वाणिज्य) छत्तीसगढ़ शासन में सम्मिलित किया गया था, जिसमें लेखापरीक्षा ने 10 अनुशंसाएं की थीं जिसे विभाग ने यथासंभव लागू करने पर सहमति व्यक्त की थी।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा में पाया गया कि 10 लेखापरीक्षा अनुशंसाओं में से राज्य शासन ने कृषक प्रशिक्षण केन्द्र एवं मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की कार्यप्रणाली, योजना के दिशानिर्देश तैयार कर प्रचार-प्रसार करना, निर्मित लघु सिंचाई तालाबों को उपयोगकर्ता समूह/ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जाना तथा मैदानी अमलों की कमी को कम करने से संबंधित चार अनुशंसाओं का कार्यान्वयन किया।

पांच अनुशंसाएं यथा योजना निधियों के आबंटन एवं उपयोग, शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों की कार्यप्रणाली, बीजों के नवीनतम किस्मों का वितरण, फसल चक्र प्रणाली एवं धान्य बीज के शीघ्र पकने वाली किस्मों को प्रोत्साहन तथा उर्वरकों एवं कीटनाशकों का परीक्षण एवं वितरण, का कार्यान्वयन मात्र आंशिक रूप से किया गया था। तथापि, योजनावार लक्ष्यों के निर्धारण की अनुशंसा का बिल्कुल कार्यान्वयन नहीं किया गया था।

(कंडिका 3.4)

(v) अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं

लेखापरीक्षा ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गंभीर कमियां पाईं जो कि राज्य शासन की प्रभावशीलता पर असर डालती हैं। प्रतिवेदन में अनुपालन लेखापरीक्षा (सात कंडिकाएं) में उजागर हुई कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों को रेखांकित किया गया है। प्रमुख निष्कर्ष नियमों और विनियमों के अनुपालन के अभाव, औचित्य लेखापरीक्षा, पर्याप्त न्यायसंगत के बिना व्यय के प्रकरण तथा दूरदर्शिता/प्रशासनिक नियंत्रण की विफलता से संबंधित हैं। इनमें से कुछ का विवरण निम्नानुसार है:

- पर्यटन विभाग के अंतर्गत राशि ₹ 18.90 करोड़ लागत से निर्मित भवन का आठ वर्षों से अधिक समय से अपूर्ण रहना और वसूली योग्य मूल्य वृद्धि भुगतान की राशि ₹ 61.97 लाख और निष्क्रिय कर्मचारियों पर निरर्थक व्यय राशि ₹ 3.72 करोड़।

(कंडिका 3.5.1)

- गृह (पुलिस) विभाग के अंतर्गत पुलिस पब्लिक स्कूल के परिचालन हेतु रूपरेखा को अंतिम रूप देने में विलंब होने से राशि ₹ 6.24 करोड़ का निष्क्रिय निवेश एवं इसके अतिरिक्त पुलिस समुदाय के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का नियत उद्देश्य पूरा नहीं होना।

(कंडिका 3.5.2)

- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत अनुबंध प्रावधानों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप दोषी ठेकेदारों से राशि ₹ 5.62 करोड़ की वसूली न होना ।

(कंडिका 3.5.3)

- लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत कोड के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए माप पुस्तिका में कार्य स्थल पर कार्य के वास्तविक क्रियान्वयन से बढ़ी हुई मात्रा के अभिलेखन के परिणामस्वरूप कार्य पर राशि ₹ 1.67 करोड़ का अधिक भुगतान जबकि दोषी ठेकेदार से राशि ₹ 2.57 करोड़ के अधिक भुगतान/शास्ति की राशि वसूली हेतु शेष ।

(कंडिका 3.5.4)

- जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कठमुण्डा व्यपवर्तन योजना की स्वीकृति के दौरान घोंघा परियोजना के साथ ओवरलैपिंग कमांड क्षेत्र की पहचान में विफलता के कारण निष्क्रिय बांध पर ₹ 1.71 करोड़ का निष्फल व्यय ।

(कंडिका 3.5.5)

- वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अंतर्गत पांच उद्योगों के निष्क्रिय हो जाने के पश्चात् उनसे ब्याज पर अनुदान को वसूल करने में विफलता के परिणामस्वरूप राज्य शासन को ₹ 1.14 करोड़ की हानि ।

(कंडिका 3.5.6)

- उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत एकीकृत बागवानी विकास मिशन के संचालन संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप पावर स्प्रेयर के क्रय पर 5,646 लाभार्थियों को राशि ₹ 1.46 करोड़ के सहायता की अतिरिक्त प्रतिपूर्ति ।

(कंडिका 3.5.7)

अध्याय—I

परिचय

अध्याय—I

परिचय

1.1 बजट रूपरेखा

राज्य में 39 विभाग एवं 49 स्वायत्त निकाय/प्राधिकरण हैं। वर्ष 2011–16 के दौरान राज्य शासन द्वारा किये गये वास्तविक व्यय का विवरण तालिका 1.1 दिया गया है।

तालिका 1.1: 2011–16 के दौरान राज्य शासन के बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011–12		2012–13		2013–14		2014–15		2015–16	
	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक
राजस्व व्यय										
सामान्य व्यय	6146	5904	7240	6649	7618	7851	8539.66	9041.58	10620.69	10408.76
सामाजिक सेवाएं	11860	10477	13360	11456	15806	14282	18751.57	15388.85	21285.62	16339.35
आर्थिक सेवाएं	5844	5560	7072	8012	10736	9756	17918.85	14152.22	20755.71	16052.54
सहायता अनुदान एवं अंशादान	619	687	748	854	856	970	980.70	978.64	1067.78	900.41
योग (1)	24469	22628	28420	26971	35016	32859	46190.78	39561.29	53729.80	43701.06
पूंजीगत अनुभाग										
पूंजीगत परिव्यय	5077	4056	7190	4919	7230	4574	8347.47	6544.25	11000.25	7945.01
संवितरित ऋण तथा अग्रिम	1187	1269	1964	1889	1924	1319	171.85	88.32	282.87	164.73
अंतर राज्य हस्तांतरण	00	04	00	-1	00	05	0.10	1.22	0.00	0.49
लोक ऋण की अदायगी	1043	853	1247	1039	933	690	1229.53	1336.73	1082.87	1250.18
आकस्मिकता निधि	40	00	40	00	40	00	00	0.00	0.00	0.00
लोक लेखा संवितरण	63386	32940	85875	38527	95330	43434	91976.59	49933.47	92244.88	54000.89
अंतिम नगदी शेष	00	2701	00	2117	00	2735	-1964.87	1218.38	-181.23	2833.72
योग (2)	70733	41823	96316	48490	105457	52757	99760.67	59122.37	104429.64	66195.02
महायोग (1 एवं 2)	95202	64451	124736	75461	140473	85616	145951.50	98683.66	158159.44	109896.08

(स्त्रोत :— वार्षिक वित्त विवरण एवं राज्य बजट के व्याख्यात्मक ज्ञापन)

1.2 राज्य शासन के संसाधनों का उपयोग

वर्ष 2015–16 में ₹ 74,340 करोड़ के कुल बजट प्रावधान¹ के विरुद्ध राज्य की संचित निधि से वर्ष 2015–16 में कुल व्यय ₹ 51,811 करोड़ किया गया। वर्ष 2011–16 के दौरान राज्य शासन का कुल व्यय 85 प्रतिशत बढ़कर ₹ 27,957 करोड़ से ₹ 51,811 करोड़ हो गया, राज्य का राजस्व व्यय वर्ष 2011–16 में ₹ 22,628 करोड़ से 93 प्रतिशत बढ़कर ₹ 43,701 करोड़ हो गया। वर्ष 2011–16 के दौरान आयोजनेतर राजस्व व्यय 84 प्रतिशत बढ़कर ₹ 12,624 करोड़ से ₹ 23,172 करोड़ एवं पूंजीगत व्यय 96 प्रतिशत बढ़कर ₹ 4,056 करोड़ से ₹ 7,945 करोड़ हो गया।

वर्ष 2011–16 के दौरान कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा 80 से 85 प्रतिशत और पूंजीगत व्यय का हिस्सा 12 से 15 प्रतिशत था। इस अवधि में कुल व्यय की वृद्धि 12.16 प्रतिशत एवं 22.21 प्रतिशत के बीच थी जबकि राजस्व प्राप्ति की वृद्धि 8.36 प्रतिशत तथा 16 प्रतिशत के बीच थी।

¹ मांग अनुदान ₹ 67,546 करोड़ तथा अनुपूरक अनुदान ₹ 6,794 करोड़ सम्मिलित है

² कुल व्यय में राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, ऋण एवं अग्रिम तथा अंतर राज्य हस्तांतरण सम्मिलित है

1.3 अनवरत बचतें

पिछले पाँच वर्षों के दौरान 11 प्रकरणों (10 अनुदान) में प्रति अनुदान में ₹ 10 करोड़ से अधिक की अनवरत बचतें रही जैसा कि तालिका 1.2 में विवरण दिया गया है:-

तालिका 1.2: 2011–16 के दौरान अनवरत बचत सहित अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

संख्या तथा अनुदान/विनियोग का नाम क्र.		बचत राशि (कोष्टक में कुल अनुदान का प्रतिष्ठत)				
		2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
राजस्व दत्तमत						
1	10	वन	39.06 (6.19)	73.40 (10.93)	73.09 (9.98)	57.65 (7.34)
2	20	लोक स्वास्थ्य योग्यता	13.16 (4.19)	30.78 (10.26)	54.68 (16.89)	90.03 (19.21)
3	41	आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना	641.76 (20.31)	629.07 (17.03)	1,072.97 (22.82)	2,393.70 (28.82)
4	44	उच्च शिक्षा	139.25 (35.12)	146.54 (33.72)	140.49 (26.47)	186.97 (32.90)
5	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	141.60 (20.79)	156.44 (21.16)	115.87 (17.78)	229.20 (28.01)
6	64	अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	397.67 (34.22)	284.43 (23.49)	398.96 (26.98)	932.09 (30.94)
7	79	चिकित्सा शिक्षा से संबंधित व्यय	60.89 (24.77)	56.11 (21.69)	84.63 (25.94)	68.11 (18.85)
पूँजीगत दत्तमत						
8	41	आदिम जाति क्षेत्र उपयोजना	592.70 (40.33)	734.34 (37.91)	626.73 (31.00)	808.73 (41.50)
9	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य सङ्करण	232.71 (58.54)	234.80 (51.05)	185.03 (40.78)	81.59 (19.48)
10	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	263.74 (72.35)	149.14 (42.88)	124.31 (31.30)	56.81 (15.21)
11	68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन	57.10 (45.14)	74.24 (40.71)	67.02 (36.29)	46.83 (20.21)

(स्त्रोतः— संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

विगत वर्षों में समुचित संख्या में अनुदानों में बचत शासन के द्वारा पूर्व वर्षों के रुझानों तथा आवश्यकता के समुचित आकलन एवं व्यय के बहाव की समीक्षा किए बिना ही विनियोग लेखा में निधि की आवश्यकता के अधिक आकलन को इंगित करता है।

1.4 भारत सरकार से सहायता अनुदान

वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का विवरण नीचे तालिका 1.3 में दर्शाया गया है:-

तालिका 1.3: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
आयोजनेतर अनुदान	1545.07	1227.29	1415.78	1568.28	2328.79
राज्य आयोजना योजनाओं के लिये अनुदान	1930.51	2112.69	2121.47	6435.44	4775.83
केन्द्रीय आयोजना योजनाओं के लिये अनुदान	61.75	107.28	43.34	131.73	91.37
केन्द्रीय प्रवर्तित योजनागत योजनाओं के लिये अनुदान	1238.88	1263.07	1145.57	852.35	865.60
योग	4776.21	4710.33	4726.16	8987.80	8061.59
विगत वर्षों की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	7.24	(-) 1.38	0.34	90.17	(-) 10.31
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल अनुदान	18.46	15.93	14.75	23.66	17.50
राजस्व प्राप्तियों	25867	29578	32050	37988	46068

(स्त्रोतः— संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2015–16 के दौरान, भारत सरकार से प्राप्त अनुदान की मांगे वर्ष 2014–15 के 8,987.80 करोड़ से 10.31 प्रतिशत घटकर 8,061.59 करोड़ थी। इसका कारण विगत वर्ष की तुलना में राज्य एवं केन्द्रीय आयोजना योजनाओं में अनुदान में कमी होना था।

1.5 योजना एवं लेखापरीक्षा का संचालन

गतिविधियों की क्लिष्टता/जटिलता, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के स्तर, आंतरिक नियंत्रण, हितधारकों के चिंतनों तथा विगत लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर आधारित विभिन्न शासकीय विभागों/संगठनों/स्वायत्त निकायों एवं योजनाओं/परियोजनाओं के जोखिम आकलन के साथ लेखापरीक्षा प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इन जोखिमों के आकलन के आधार पर, लेखापरीक्षा की बारंबारता तथा सीमा का निर्णय किया जाता है और एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा के द्वारा लेन–देनों के नमूना जाँच के माध्यम से शासन के विभागों का समय–समय पर निरीक्षण किया जाता है तथा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुरूप महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों के संधारण का सत्यापन किया जाता है। लेखापरीक्षा पूर्ण किये जाने के पश्चात, कार्यालय प्रमुख को चार सप्ताह के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने के निवेदन के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों को समावेशित करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) अगले उच्च अधिकारी को पृष्ठांकन के साथ जारी किया जाता है। जैसे ही उत्तर प्राप्त होता है लेखापरीक्षा निष्कर्ष या तो निराकृत की जाती है अथवा अनुपालन हेतु आगे की कार्यवाही की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित करने हेतु कार्यवाही की जाती है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं।

2015–16 के दौरान, राज्य के 221 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों तथा दो स्वायत्त निकायों का अनुपालन लेखापरीक्षा महालेखाकार (लेखापरीक्षा) छत्तीसगढ़ द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त, आठ निष्पादन/अनुपालन लेखापरीक्षा भी किये गये।

1.6 निरीक्षण प्रतिवेदन पर शासन द्वारा प्रतिक्रिया का अभाव

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़ द्वारा लेन–देनों के नमूना जाँच और निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुरूप महत्वपूर्ण लेखांकनों व अन्य अभिलेखों के संधारण के सत्यापन द्वारा शासकीय विभागों का आवधिक निरीक्षण किया जाता है। इन निरीक्षणों के उपरांत लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) जारी किया जाता है। जब लेखापरीक्षा निरीक्षण के दौरान पाये गए महत्वपूर्ण अनियमितताओं आदि का निराकरण वहीं पर नहीं किया जाता है तो ये निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित कार्यालय प्रमुख और अगले उच्च प्राधिकारी को जारी किये जाते हैं।

कार्यालय प्रमुख और अगले उच्च प्राधिकारी को इस निरीक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति से चार सप्ताह के भीतर महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित किया जाना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त 2015–16 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की चार बैठकें हुईं जिनमें 150 निरीक्षण प्रतिवेदनों के 540 कंडिकाओं पर चर्चा की गई जिसमें से 58 निरीक्षण प्रतिवेदनों और 301 कंडिकाओं का निराकरण किया गया।

उक्त प्रक्रिया के बावजूद 30 सितंबर 2016 की स्थिति में 3,521 निरीक्षण प्रतिवेदनों के ₹ 23,170.56 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ की 14,310 कंडिकाएं लंबित हैं, जैसा कि तालिका 1.4 में वर्णित है।

तालिका— 1.4 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन कंडिकाएं

सं. क्र.	क्षेत्र का नाम	निरीक्षण प्रतिवेदन	कंडिकाएं	सम्मिलित राष्ट्रि (₹ करोड़ में)
1	सामान्य	437	1444	2503.31
2	सामाजिक	1815	7209	12044.46
3	आर्थिक	1269	5657	8622.79
योग		3521	14310	23170.56

(स्रोत: जानकारी लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

3,521 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा 14,310 कंडिकाओं की वर्षवार स्थिति परिषिष्ट 1.1 तथा अनियमितताओं के प्रकार परिषिष्ट 1.2 में वर्णित है।

विभागीय अधिकारियों ने 3,521 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की 14,310 लंबित कंडिकाओं के विरुद्ध मात्र 3,387 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की 13,294 कंडिकाओं के संबंध में ही प्रारंभिक उत्तर प्रस्तुत किए। निरीक्षण प्रतिवेदनों में समावेशित अवलोकनों पर निर्धारित समयावधि में कार्यवाही करने में वे असफल रहे जिसके परिणामस्वरूप उत्तरदायित्व का क्षय हुआ।

ये अनुशंसित हैं कि लेखापरीक्षा अवलोकनों पर त्वरित और उपयुक्त प्रतिक्रिया को सुनिश्चित करने हेतु शासन इस विषय पर ध्यान दे।

1.7 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुवर्तन

लोक लेखा समिति के आंतरिक कार्यप्रणाली की प्रक्रिया के नियमों के अनुसार प्रशासकीय विभागों को नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित सभी लेखापरीक्षा कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही प्रारम्भ करनी चाहिए बिना इसके कि लोक लेखा समिति के द्वारा इन्हें जाँच हेतु लिया गया है अथवा नहीं। उन्हें विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत होने के छः माह के अंदर उठाये गए अथवा प्रस्तावित सुधारात्मक कार्यवाही को दर्शाते हुए लेखापरीक्षा द्वारा यथावत जाँच के पश्चात् विस्तृत टिप्पणियाँ प्रस्तुत करना होता है।

30 दिसम्बर 2016 की स्थिति में 31 मार्च 2016 के अंत तक की अवधि के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कंडिकाओं पर प्राप्त ऐक्शन टेकन नोट्स (एटीएन) की स्थिति तालिका—1.5 में दर्शाई गई है:

तालिका—1.5: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कंडिकाओं पर एटीएन की स्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	वर्ष	विभाग	31 अगस्त 2016 तक लंबित एटीएन	राज्य विधानसभा में प्रस्तुतिकरण दिनांक	एटीएन प्राप्ति का देय दिनांक
सामान्य, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)	2011–12	14	00	17 जुलाई 2013	16 नवम्बर 2013
	2012–13	14	00	25 जुलाई 2014	24 नवम्बर 2014
	2013–14	14	00	25 जुलाई 2015	24 नवम्बर 2015
	2014–15	10	09	31 मार्च 2016	30 जुलाई 2016
राज्य वित्त	2011–12	39	00	22 मार्च 2013	21 जुलाई 2013
	2012–13	39	00	25 फरवरी 2014	24 जून 2014
	2013–14	39	35	26 मार्च 2015	25 जुलाई 2015
	2014–15	39	62	31 मार्च 2016	30 जुलाई 2016

(स्रोत : लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी)

1.8 सार्थक लेखापरीक्षा अवलोकनों (प्रारूप कंडिका/समीक्षा) पर शासन की प्रतिक्रिया

विगत कुछ वर्षों में लेखापरीक्षा द्वारा अपने प्रतिवेदनों में विविध कार्यक्रम/क्रियाकलापों के कार्यान्वयन में कमी के साथ—साथ चयनित विभागों में आंतरिक नियंत्रण की गुणवत्ता में कई सार्थक कमियों को उजागर किया है जिनका नकारात्मक प्रभाव कार्यक्रम की सफलता और विभाग के कार्यकलाप पर था। विशिष्ट कार्यक्रमों/योजनाओं की लेखापरीक्षा और कार्यकारियों को सुधारात्मक कदम उठाने एवं नागरिकों को प्रदायित सेवा में सुधार लाने के लिए उपयुक्त अनुशंसायें देने पर फोकस था।

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के लेखा एवं लेखापरीक्षा नियमन, 2007 के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तावित प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/प्रारूप कंडिकाओं पर छ: सप्ताह के अन्दर विभागों को अपना उत्तर प्रेषित करना चाहित है। उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया गया कि नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किये जाने वाले इन कंडिकाओं को विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना था अतः यह चाहित है कि प्रकरण पर उनकी टिप्पणियों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया जावे। उन्हें प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों और प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर चर्चा हेतु महालेखाकार से मीटिंग करने हेतु भी सलाह दी गई थी। प्रतिवेदन में सम्मिलित किए जाने हेतु इन प्रस्तावित प्रारूप प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं को वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु आठ निष्पादन लेखापरीक्षा/अनुपालन लेखापरीक्षा तथा सात लेखापरीक्षा कंडिकाओं के प्रारूप को संबंधित प्रशासकीय सचिवों को अग्रेषित किया गया था। इनके विरुद्ध, आठ निष्पादन लेखापरीक्षा एवं पाँच प्रारूप कंडिकाओं के उत्तर शासन से प्राप्त हुए हैं।

1.9 स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करने की स्थिति

राज्य में 24 स्वायत्त निकाय³ हैं जिसमें से दो स्वायत्त निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। लेखापरीक्षा को सौंपने तथा स्वायत्त निकायों द्वारा प्रस्तुत लेखों की स्थिति तालिका—1.6 में दर्शायी गई है:

तालिका—1.6 लेखों के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

सं. क्र	निकाय का नाम	निकाय द्वारा सौंपने की अवधि	लेखा प्रस्तुत करने की अवधि	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करने की अवधि	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका में प्रस्तुतिकरण
1	छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवायें प्राधिकरण, बिलासपुर	2007–08 से 2011–12	2011–12	2011–12	अब तक प्रस्तुत नहीं
2	छत्तीसगढ़ राज्य गृह निर्माण मंडल रायपुर	2007–08 से 2011–12	2009–10	2009–10	अब तक प्रस्तुत नहीं

(स्रोत: जानकारी लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

लेखाओं के प्रस्तुतिकरण तथा राज्य विधानसभा को पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति में अत्याधिक विलम्ब था जिसके परिणामस्वरूप उन स्वायत्त निकायों के क्रियाकलाप की समीक्षा में भी विलम्ब हुआ जिसमें शासन के द्वारा निवेश किया गया था। क्रियाकलाप की समीक्षा में विलम्ब के अलावा वित्तीय अनियमितताओं पर आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही प्रारंभ करने में भी विलम्ब हुआ।

³

सामान्य क्षेत्र – 1; सामाजिक क्षेत्र – 13 तथा आर्थिक क्षेत्र - 10

1.10 लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर की गई वसूलियाँ

केन्द्रीय लेखापरीक्षा के दौरान, राज्य सरकार के विभागों के लेखाओं के नमूना जाँच में पायी गई वसूलियों का सत्यापन एवं अगामी कार्यवाही की जानकारी लेखा परीक्षा को सूचित करने हेतु विभिन्न आहरण एवं सवितरण अधिकारियों को संदर्भित किया गया था।

वर्ष 2015–16 के कुल 29 प्रकरणों में ₹ 16.86 करोड़ की इंगित की गई वसूली के विरुद्ध 19 प्रकरणों में कुल ₹ 5.87 करोड़ की वसूली की गई, जिसका विवरण तालिका-1.7 में दिया गया है:

तालिका 1.7: लेखापरीक्षा द्वारा इंगित वसूलियाँ जिन्हें विभाग द्वारा स्वीकृत/वसूल किया गया

क्षेत्र का नाम	लेखा परीक्षा के दौरान अंकित वसूलियाँ और वर्ष 2015–16 के दौरान विभाग द्वारा स्वीकृत प्रभावित वसूलियाँ (पूर्व वर्ष से संबंधित वसूलियों)		2015–16 के दौरान प्रभावित वसूलियाँ (पूर्व वर्ष से संबंधित वसूलियों)		विभाग का नाम	पाई गई वसूलियों का विवरण (₹ करोड़ में)
	प्रकरणों की संख्या	सम्मिलित राशि	प्रकरणों की संख्या	सम्मिलित राशि		
सामान्य क्षेत्र	04	0.05	02	0.001	जनसंपर्क तथा गृह (पुलिस) विभाग	गृह भाडा का अनियमित भुगतान, लंबित अग्रिम वेतन
आर्थिक क्षेत्र	09	5.34	06	4.35	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	गृह भाडा एवं अन्य भत्तों का अनियमित भुगतान, दूशन फीस जमा न किया जाना, ठेकेदार से वसूली की गई शास्ति जमा न करना, एनजीओ को अधिक भुगतान, ठेकेदारों को मूल्यवृद्धि का अधिक भुगतान।
सामाजिक क्षेत्र	16	11.47	11	1.52	मत्स्य पालन, सहकारिता, उड्डयन, लोक निर्माण विभाग	मत्स्य बीज के कय हेतु अधिक भुगतान, ऑडिट फीस एवं अर्थाई अग्रिम की विलंबित वसूली, अनियमित भुगतान विलंब हेतु शास्ति, निम्न गुणवत्ता के कार्य का निष्पादन, सड़क निर्माण कार्य में सामग्रियों की गुणवत्ता नियंत्रण का अभाव, रायल्टी, डामर की लागत
योग	29	16.86	19	5.87		

(स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी)

अध्याय-II

निष्पादन लेखापरीक्षा

- 2.1** छत्तीसगढ़ में एनीकटों की आवश्यकता, निर्माण एवं उपयोगिता
- 2.2** निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009
(आरटीई अधिनियम)
- 2.3** प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
- 2.4** लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में ई—वर्क्स पर सूचना प्रौद्योगिकीय लेखापरीक्षा

जल संसाधन विभाग

2.1 छत्तीसगढ़ में एनीकटों की आवश्यकता, निर्माण एवं उपयोगिता पर निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यपालिक सारांश

राज्य शासन द्वारा राज्य में एनीकटों के निर्माण के लिए जून 2005 में कार्य योजना तैयार की गई जिसमें ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई जहाँ कम वर्षा अथवा वृष्टि छाया क्षेत्र हो, भू-जल स्तर घट रहा हो, सूखा प्रभावित क्षेत्र, पीने के पानी की कमी वाले क्षेत्र इत्यादि। एनीकट जो कि एक बांध है, का निर्माण नदी एवं जलधाराओं पर पेयजल, कृषि, औद्योगिक प्रयोजन एवं निस्तारी¹ इत्यादि हेतु जल की आपूर्ति एवं विनियोजन के लिए किया गया। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2005 से 2016 तक राशि ₹ 2,679.92 करोड़ का व्यय कर 769 एनीकट का निर्माण किया गया। वर्ष 2011–16 की अवधि के दौरान निर्मित इन एनीकटों की आवश्यकता, निर्माण एवं उपयोगिता पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा जून से अगस्त 2016 के बीच किया गया। लेखापरीक्षा के दौरान 89 एनीकटों (72 पूर्ण एनीकटों एवं 17 अपूर्ण एनीकटों) के अभिलेखों की जाँच की गई। लेखापरीक्षा की मुख्य आपत्तियाँ निम्नानुसार हैं:—

राज्य शासन एनीकट निर्माण की व्यवस्था के विस्तृत, नियोजित एवं प्रभावशाली क्रियान्वयन के लिए तैयार नहीं था। जबकि राज्य में सतही एवं भू-जल के आकलन हेतु मास्टर प्लान शासन स्तर पर विगत 15 वर्षों से लंबित था। विभाग द्वारा कार्य योजना में उल्लेखित चयन के मानकों को पूरा किये बिना केवल टोपोशीट के आधार पर वर्ष 2005 में 595 एनीकटों के निर्माण की योजना बनाई गई। परिणामस्वरूप विभाग द्वारा योजना पर अमल नहीं किया गया और 595 नियोजित एनीकटों में से मात्र 231 निर्माण हेतु लिए गये जबकि बकाया 364 एनीकटों को छोड़ दिया गया। आगे विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों पर पुनः चयन के मानदंडों को पूरा किये बिना अतिरिक्त 538 एनीकट स्वीकृत किये गये थे। इस प्रकार चयन के मानदंडों को अपनाये बिना 769 एनीकट स्वीकृत हुए थे। एनीकट निर्माण हेतु स्थल चयन में वांछित सावधानी नहीं रखी गयी क्योंकि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में संभावनाओं के मूल्यांकन हेतु आवश्यक आंकड़े जैसे कि वर्षा, फसल विफलता, ग्रीष्म ऋतु एवं अन्य ऋतुओं में भू-जल स्तर आदि न तो शामिल किये गये न ही एकत्रित किये गये। परिणामस्वरूप चयनित नमूने एवं स्थल भ्रमण किये गये 72 एनीकटों में यह पाया गया कि चयन के मापदण्डों का उल्लंघन करते हुए 35 एनीकटों की स्वीकृति उन नालाओं एवं नदियों पर की गई जो कि बारहमासी नहीं थे और इनमें से 22 एनीकटों में वर्ष भर पानी की उपलब्धता के उद्देश्य के विपरीत मात्र छ: से आठ माह पानी था। समग्र रूप से 72 एनीकटों में से मात्र 10 एनीकट ही कार्य योजना में प्रावधानित सभी उद्देश्यों को पूर्ण कर सके।

(कंडिका 2.1.6.1, 2.1.6.2, 2.1.6.3, 2.1.9.1 और 2.1.9.1(अ))

स्वीकृत 769 एनीकटों में से विभाग द्वारा वर्ष 2005–2016 के दौरान 280 एनीकटों के निर्माण पर मार्च 2016 तक राशि ₹ 1095.74 करोड़ का व्यय किया गया। ये एनीकट भूमि विवाद, भूमि मुआवजा प्रकरणों, ठेकेदारों द्वारा कार्य की धीमी गति इत्यादि के कारण प्रारंभ होने के एक से 10 वर्ष के बाद भी पूर्ण नहीं किये जा सके। तथापि विभाग द्वारा न तो इन एनीकटों को पूर्ण करने में आयी बाधाओं को दूर किया गया न ही विशेष तौर पर 119 एनीकटों की पुरानी संरचनाओं में हुई क्षति का आकलन किया

¹ घरेलू उपयोगों जैसे कि नहाना, धुलाई, जानवरों के पीने इत्यादि हेतु जल का उपयोग

गया, जो कि ₹ 611.85 करोड़ का व्यय करने के बाद भी तीन से 10 वर्षों में पूर्ण नहीं किये जा सके। इस प्रकार लाभ प्रदाय करने हेतु एनीकटों की समग्र रूप से पूणता की संभावना कम लगती है। चयनित एनीकटों में से 65 एनीकटों के निर्माण में मजदूर समस्या, नक्सल समस्या अथवा नदियों एवं नालों में पानी की उपलब्धता जो कि निर्माण कार्य को बाधित करती है के कारण दो से 36 माह का विलंब हुआ।

(कंडिका 2.1.8.1 और 2.1.8.2)

एनीकटों के निर्दिष्ट उद्देश्य जैसे भू-जल पुनर्भरण, रबी मौसम के दौरान सिंचाई की पूर्ति नहीं हुई क्योंकि चयनित 72 एनीकटों में से 47 एनीकट भू-जल स्तर में वृद्धि नहीं कर सके जैसा कि केन्द्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा सुनिश्चित किया गया एवं 79 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि विद्युत कनेक्शन के अभाव, एनीकट से कृषि भूमि की अधिक दूरी, एनीकट के नजदीक वाले क्षेत्रों में किनारों की अत्यधिक ऊंचाई इत्यादि के कारण सिंचित नहीं हो रही थी। तथापि एनीकट के लाभ को उसके उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने हेतु शासन द्वारा विद्युत कनेक्शन की व्यवस्था, कृषि भूमि तक पानी के लिये नहर इत्यादि के लिए कोई पहल नहीं किया गया। आगे विभाग द्वारा एनीकट से पानी की आपूर्ति के प्रबंधन के लिये कोई भी योजना नहीं बनाई गई।

(कंडिका 2.1.9.1 (ब), (स) और 2.1.9.2)

कबोंगा एनीकट अपने निर्माण कार्य पूर्ण होने के 19 महीनों के अंदर सामग्री की गुणवत्ता एवं कार्यकुशलता सही नहीं होने के कारण क्षतिग्रस्त हुआ। बैंक प्रोटेक्शन और फॉउण्डेशन कार्य क्रियान्वित न किये जाने के कारण मैनपुर एनीकट भी क्षतिग्रस्त हुआ। सिरपुर एवं बड़गांव स्टापडेम की मुख्य संरचना में दरार, गेट सही तरीके से नहीं लगे थे एवं प्रोटेक्शन वॉल भी क्षतिग्रस्त थी। परिणामस्वरूप शासन को ₹ 3.22 करोड़ की हानि हुई जबकि इन एनीकटों के निर्माण के मुख्य उद्देश्यों निस्तारी के लिये जल भंडारण, कृषि उपयोग एवं भू-जल स्तर में वृद्धि की पूर्णतया पूर्ति नहीं हुई।

(कंडिका 2.1.8.6)

2.1.1 प्रस्तावना

जल संसाधनों का प्रबंधन छत्तीसगढ़ राज्य जल संसाधन विकास नीति 2001 का एक हिस्सा है। राज्य शासन द्वारा एक कार्य योजना (जून 2005) तैयार की गई एवं एनीकट/स्टापडेम जो कि एक बांध है की एक श्रृंखला का निर्माण नदी एवं जलधाराओं पर निस्तारी, कृषि, औद्योगिक प्रयोजन इत्यादि हेतु जल की आपूर्ति एवं विनियमन के लिए करने का प्रस्ताव रखा। एनीकटों के निर्माण का उद्देश्य भू-जल स्तर और कृषि उत्पादन में वृद्धि एवं पेयजल, औद्योगिक तथा निस्तारी प्रयोजन के लिए जल उपलब्ध कराना है।

कार्य योजना के अनुसार एनीकटों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर वृष्टि छाया क्षेत्र, भू-जल स्तर घटने वाले क्षेत्र, सूखा प्रभावित क्षेत्र, पेयजल की कमी वाले क्षेत्र इत्यादि पर किया जाना था। आगे बारहमासी नदियों एवं ऐसी नदियों जो कि फरवरी तक प्रवाहित होती है को प्राथमिकता प्रदान करना था। राज्य में मार्च 2016 की स्थिति में 489 एनीकट पूर्ण किये गये एवं 280 एनीकट का कार्य प्रगतिरत थे।

2.1.2 संगठनात्मक संरचना

शासन स्तर पर सचिव, जल संसाधन विभाग (विभाग) के प्रमुख है। प्रमुख अभियंता शासन के व्यवसायिक सलाहकार हैं एवं विभाग की समग्र कार्यप्रणाली के लिए उत्तरदायी हैं। जोन स्तर पर पांच मुख्य अभियंता, मण्डल स्तर पर 11 अधीक्षण अभियंता एवं संभागीय स्तर पर 61 कार्यपालन अभियंता प्रमुख अभियंता के सहायक हैं।

इसके अतिरिक्त मुख्य अभियंता (निगरानी) विभाग के बजट, विभाग में संचालित योजनाओं की प्रगति की निगरानी करता है। इसके अलावा आठ गुणवत्ता नियंत्रण इकाइयाँ हैं जो कि अधीक्षण अभियंता को प्रतिवेदित करते हैं।

2.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि:

- एनीकट की आवश्यकता का आकलन किया गया था एवं उपयुक्त स्थल के लिए सर्वेक्षण उचित एवं पर्याप्त था;
- निधि प्रबंधन प्रभावशाली एवं पर्याप्त था;
- एनीकटों का निर्माण मितव्ययता, कुशल एवं प्रभावी तरीके से किया गया था;
- एनीकटों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए हो रहा था जिनके लिए निर्माण किया गया था और
- निगरानी तंत्र एवं परियोजना का मूल्यांकन पर्याप्त एवं प्रभावी था।

2.1.4 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं पद्धति

निष्पादन लेखापरीक्षा वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक की अवधि के लिए जून से अगस्त 2016 के दौरान की गई जिसमें वर्ष 2008 एवं 2013 के मध्य स्वीकृत एनीकटों को शामिल किया गया तथा जल संसाधन विभाग, प्रमुख अभियंता, पांच मुख्य अभियंताओं, 11 में से तीन अधीक्षण अभियंताओं एवं 61 में से 12 कार्यपालन अभियंताओं के अभिलेखों की जाँच की गई।

नमूना निर्धारित करने के लिए छत्तीसगढ़ के भौगोलिक विस्तार जो कि तीन क्षेत्रों उत्तरी पहाड़ियों (पाँच जिले), छत्तीसगढ़ का मैदान (15 जिले) तथा बस्तर का पठार (सात जिले) में विस्तारित हैं को ध्यान में रखा गया। प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र से 25 प्रतिशत जिले अर्थात् सत्ताइस में से सात जिलों² का चयन पापुलेशन प्रपोर्शनल टू साइज विदाउट रिप्लेशमेंट (पीपीएसडब्ल्यूओआर) नमूना विधि द्वारा जिले में एनीकटों की संख्या के आधार पर किया गया।

चयनित जिलों में राज्य शासन द्वारा वर्ष 2008–2013 की अवधि में 162 एनीकटों का निर्माण शुरू किया गया जिसमें से 120 एनीकट मार्च 2013 तक पूर्ण किये गये थे एवं शेष 42 एनीकट मार्च 2016 की स्थिति में निर्माणाधीन थे। इनमें से 72 पूर्ण एनीकट एवं 17 निर्माणाधीन एनीकटों का चयन सिम्प्ल रैंडम सैम्प्लिंग विदाउट रिप्लेशमेंट नमूना विधि का उपयोग करते हुए किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा 72 पूर्ण एनीकटों का संयुक्त भौतिक सत्यापन भी किया गया एवं इनकी उपयोगिता को सुनिश्चित करने के लिए इन चयनित एनीकटों के 720 हितग्राहियों का सर्वेक्षण किया गया। संयुक्त भौतिक सत्यापन एवं हितग्राही सर्वेक्षण के निष्कर्षों को संबंधित कंडिकाओं में उल्लेखित किया गया है।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य, क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली पर चर्चा के लिए सचिव, जल संसाधन विभाग के साथ आगम बैठक (मई 2016) आयोजित की गई थी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा के लिए दिसम्बर 2016 में सचिव, जल संसाधन विभाग के साथ निर्गम बैठक आयोजित की गई एवं राज्य शासन के अभिमत/उत्तरों को उपयुक्त रूप से प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

² बेमेतरा, बिलासपुर, दन्तेवाड़ा, धमतरी, जांजगीर-चांपा, कोण्डागाँव एवं सरगुजा

2.1.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा के मानदंड के स्त्रोत निम्नलिखित थे:

- एनीकटों के निर्माण हेतु कार्य योजना (2005)
- प्रत्येक एनीकट का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन
- छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता एवं कोषालय संहिता
- लोक निर्माण विभाग नियमावली
- जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2003, 2008, 2010 एवं 2013 में जारी एकीकृत दर अनुसूची
- विभाग द्वारा जारी परिपत्र/निर्देश

लेखापरीक्षा निष्कर्ष


2.1.6 योजना

2.1.6.1 जल संसाधन विकास मास्टर प्लान के अंतिमीकरण में अत्यधिक विलम्ब

जल संसाधन विकास नीति 2001 की कंडिका क्रमांक 4.1 के अनुसार राज्य में सतही जल एवं भू-जल का आकलन किया जाना था एवं आकलन के आधार पर एकीकृत जल संसाधन विकास मास्टर प्लान तैयार किया जाना था। आगे सतही जल एवं भू-जल के संतुलित उपयोग को प्राथमिकता देने एवं वैज्ञानिक विधि से आवश्यक न्यायालिक प्रावधानों के साथ भू-जल की उपलब्धता का प्राक्कलन तैयार करने की भी योजना बनाई गई थी।

हालांकि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि जल संसाधन विकास नीति के अनुमोदन के 15 वर्षों के बाद भी जल संसाधन विकास मास्टर प्लान तैयार नहीं किया गया था। यद्यपि, उसी मास्टर प्लान को फिर से नवीन छत्तीसगढ़ राज्य जल संसाधन विकास नीति 2012 के मसौदे में दोहराया गया था, इसे दिसम्बर 2016 तक अनुमोदित नहीं किया गया तथा शासन द्वारा समीक्षारत बताया गया।

जल संसाधन विकास नीति के अनुमोदन के 15 वर्षों के बाद भी जल संसाधन विकास मास्टर प्लान तैयार नहीं किया गया था




इस बीच जल संसाधन विकास मास्टर प्लान के अभाव में विभाग राज्य में एनीकटों के निर्माण के साथ आगे बढ़ा एवं सतही जल एवं भू-जल की उपलब्धता का आकलन किये बिना ही वर्ष 2005–06 से 2015–16 के मध्य 769 एनीकटों के निर्माण पर ₹ 2,679.92 करोड़ व्यय किया। इस प्रकार न तो जल संसाधन विकास मास्टर प्लान तैयार किया जा सका न ही भू-जल एवं सतही जल का वैज्ञानिक आकलन किया गया।

निर्गम बैठक के दौरान सचिव ने बताया (दिसम्बर 2016) कि छत्तीसगढ़ राज्य जल संसाधन विकास मास्टर प्लान वर्ष 2040 तक का मसौदा मुख्य अभियंताओं द्वारा जाँच किया जा रहा है। तथ्य यह है कि जल संसाधन विकास नीति के अनुमोदन के 15 वर्षों के बाद भी जल संसाधन विकास मास्टर प्लान तैयार नहीं किया गया जो कि भू-जल एवं सतही जल के वैज्ञानिक आकलन को रोकता है।

2.1.6.2 कार्य योजना की अवैज्ञानिक तैयारी

राज्य शासन द्वारा जून 2005 में सभी जिलों में विभिन्न नदियों एवं नालाओं पर 595 एनीकटों के निर्माण के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई। कार्य योजना के अनुसार एनीकटों के निर्माण हेतु उन क्षेत्रों जहाँ कम वर्षा, वृष्टि छाया, भू-जल स्तर कम होने वाले क्षेत्र, सूखा प्रभावित क्षेत्र, पेयजल की कमी इत्यादि को प्राथमिकता दिया जाना था। आगे बारहमासी नदियों एवं नदियाँ जो फरवरी (आठ महीने के लिए) तक प्रवाहित होती हैं को भी प्राथमिकता दिया जाना था।

प्रमुख अभियंता कार्यालय के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि कार्य योजना (जून 2005) की तैयारी के समय उपरोक्त शर्तों को जो कि विस्तृत सर्वेक्षण को प्रभावित करते हैं, को विभाग द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया। इस विफलता के परिणाम स्वरूप 595 एनीकट के निर्माण की कार्य योजना के विरुद्ध विभाग द्वारा वर्ष 2005–16 की अवधि में निर्माण के लिए मात्र 231 एनीकट (39 प्रतिशत) लिए गये जबकि शेष 364 एनीकटों को छोड़ दिया गया (दिसम्बर 2016)। विभाग द्वारा वर्ष 2005–16 की अवधि में पूर्व नियोजित 364 एनीकटों के स्थान पर भिन्न स्थानों पर नये सिरे से 538 अतिरिक्त एनीकट स्वीकृत किये गये। इसके परिणाम स्वरूप उत्तरी पहाड़ी में एनीकटों की संख्या 102 से घटकर 77 रह गई जबकि बस्तर के पठार में 119 से बढ़कर 136 हो गई एवं छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में 374 से बढ़कर 556 हो गया जिसका विवरण परिशिष्ट 2.1.1 में दर्शाया गया है। इस प्रकार कार्य योजना (जून 2005) व्यर्थ था।



टीप :- विभिन्न जिलों में नियोजित, निर्मित, अनिर्मित एनीकटों का भौगोलिक वितरण बिन्दु द्वारा दर्शाया गया है (परिशिष्ट 2.1.1), जहाँ प्रत्येक बिन्दु 10 इकाइयों को प्रतिनिधित्व करती है। भौगोलिक वितरण पैमाना नहीं है।

लेखापरीक्षा में आगे देखा गया कि जब और जैसे जल संसाधन संभागों से प्रस्ताव प्राप्त हुये विभाग द्वारा चयन के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा किये बिना ही 538 अतिरिक्त एनीकटों को तदर्थ रूप से स्वीकृति दी गई। यह राज्य में एनीकट की जरूरत के समर्थन हेतु वैज्ञानिक रूप से संचालित कार्य योजना तैयार करने में विभाग की विफलता को दर्शाता है।

निर्गम बैठक के दौरान सचिव सहमत (दिसम्बर 2016) थे कि 595 एनीकटों के निर्माण की कार्य योजना टोपोशीट के आधार पर तैयार की गई थी जो कि विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर नहीं थी। तथापि, प्रत्येक एनीकट के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को तैयार करने के समय सर्वेक्षण किया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्थल चयन के बाद तैयार किये जाते हैं न कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर स्थलों का चयन। आगे तथ्य यह है कि अनुमोदित कार्य योजना में प्रस्तावित 595 एनीकटों में से 364 एनीकटों के स्थल चयन की आवश्यक शर्तों को पूर्ण करने में विभाग की विफलता के कारण स्थगित करना पड़ा।

2.1.6.3 एनीकटों की आवश्यकता का आकलन

कार्य योजना के अनुसार एनीकटों के निर्माण हेतु स्थल के चयन में वर्षा के आंकड़े, फसल की विफलता, गर्मी एवं अन्य ऋतुओं में भू-जल स्तर को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

नमूना जिले के बारह जल संसाधन संभागों में 89 चयनित एनीकटों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन संबंधित कार्यपालन अभियंता द्वारा तैयार किये गये थे। एनीकटों के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में जानकारी जैसे हिस्सेधारकों की भागीदारी प्रक्रिया अर्थात् स्थानीय जन प्रतिनिधियों एवं नजदीकी ग्रामवासियों की अनुशंसाये, जिला/विकासखण्ड/गाँव का नाम, एनीकट की रूपरेखा जैसे कि ऊँचाई, लम्बाई, डिस्चार्ज क्षमता, मिट्टी सर्वेक्षण और नींव की जाँच का इत्यादि का उल्लेख किया गया था। तथापि कार्य योजना में दिये गये मानदंड को विचार में नहीं लिया गया क्योंकि ये सभी जानकारियाँ विभाग के पास उपलब्ध नहीं थीं जैसा कि कड़िका 2.1.6.2 में वर्णित किया गया है।

इस प्रकार पूरी तरह से चयन के मापदण्डों की अनदेखी कर एनीकटों का निर्माण किया गया। इन एनीकटों की दक्षता को सुनिश्चित करने के लिए चयनित एनीकटों में लेखापरीक्षा द्वारा हितग्राही सर्वेक्षण किया गया। हितग्राही सर्वेक्षण के प्रतिवेदन के आधार पर एवं केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से प्राप्त जानकारी के आधार पर लेखापरीक्षा में निष्फल व्यय, भू-जल स्तर में वृद्धि न होने, सिंचाई क्षमता एवं रबी फसल के क्षेत्र में मामूली वृद्धि के मामले पाये गये जिसकी चर्चा आगामी कड़िकाओं में की गई है। यह एक वैज्ञानिक तरीके से परियोजनाओं के चयन नहीं करने का सीधा परिणाम हो सकता है।

निर्गम बैठक के दौरान सचिव द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार किया गया एवं संबंधित अधिकारियों को भविष्य में आवश्यकता के आंकलन के मापदंडों को सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित (दिसम्बर 2016) किया गया।

2.1.7 वित्तीय प्रबंधन

2.1.7.1 निधिकरण का स्वरूप

राज्य में एनीकटों का निर्माण राज्य आयोजना योजना, भारत सरकार की एक्सीलरेटेड इरीगेशन बेनेफिट प्रोग्राम (एआईबीपी) एवं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबाड़) की सहायक ग्रामीण संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के अंतर्गत किया जाता है जिसके लिए बजट आवंटन मुख्य शीर्ष 4702 के अंतर्गत किया जाता है।

एआईबीपी के निधिकरण के स्वरूप के अनुसार वर्ष 2012–13 तक भारत सरकार द्वारा कुल आवंटन का 90 प्रतिशत प्रतिपूर्ति किया गया था एवं 10 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वहन किया गया। इसके पश्चात वर्ष 2013–14 से यह स्वरूप 75:25 (भारत सरकार : राज्य शासन) के रूप में संशोधित किया गया। नाबार्ड द्वारा स्वीकृत राशि प्रतिभूति के आधार पर जारी किया जाता है जोकि ऋण के रूप में राज्य शासन को दिया जाता है। ऋण पर ब्याज का भुगतान राज्य शासन द्वारा जारी किये जाने के दिनांक से नाबार्ड के विद्यमान ब्याज दर पर रियायत अवधि 2 वर्ष सहित सात वर्षों के अंदर समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। यद्यपि नाबार्ड सहायित आरआईडीएफ योजना के लिए निधियों का आवंटन अलग–अलग किया जाता है किन्तु एआईबीपी के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं के लिए बजट में पृथक से निधियों का आवंटन नहीं किया जाता है। एआईबीपी के अंतर्गत योजनाओं के विरुद्ध व्यय राज्य आयोजना योजनाओं (4702 एनीकट का निर्माण) में किये गये निधियों के प्रावधान से किया जाता है और इसके उपरांत दावे की प्रतिपूर्ति भारत सरकार से की जाती है। यह नीचे पलोडायग्राम में दर्शित है।



वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान विभाग द्वारा एनीकटों एवं स्टॉपडैम के निर्माण पर निधियों के आवंटन एवं उस पर किया गया व्यय निम्नलिखित है।


तालिका 2.1.1 : अवधि 2011–16 के दौरान एनीकटों पर आवंटन एवं व्यय

वर्ष	आवंटन		कुल आवंटन	व्यय		कुल व्यय	बचत (प्रतिष्ठत)
	राज्य योजना ³	नाबार्ड		राज्य योजना	नाबार्ड		
2011-12	295.00	3.78	298.78	255.97	2.64	258.61	40.17 (13)
2012-13	349.45	0.00	349.45	317.86	0.00	317.86	31.59 (09)
2013-14	517.00	8.65	525.65	456.29	8.09	464.38	61.27 (12)
2014-15	441.00	0.00	441.00	428.32	0.00	428.32	12.68 (03)
2015-16	523.00	0.00	523.00	417.63	0.00	417.63	105.37 (20)
योग	2125.45	12.43	2137.88	1876.07	10.73	1886.80	251.08

(स्रोत : जानकारी प्रमुख अभियंता द्वारा प्रस्तुत एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

³

राज्य योजना के आवंटन एवं व्यय में अवधि 2011–12 से 2013–14 के दौरान एआईबीपी व्यय ₹ 416.85 करोड़ समाहित है।



उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि विभाग द्वारा कुल आवंटन ₹ 2,137.88 करोड़ के विरुद्ध ₹ 1,886.80 करोड़ (88 प्रतिशत) व्यय किया गया था। वर्ष 2015–16 में 20 प्रतिशत की बचत पूर्व के तीन वर्षों (2012–13 में 80, 2013–14 में 67 एवं 2014–15 में 61) की तुलना में कम कार्यों के पूरा होने के कारण (21 कार्य पूरा किये गये थे) देखी गई। आगे, नाबाड़ ऋण ₹ 12.43 करोड़ में से विभाग केवल ₹ 10.73 करोड़ खर्च कर सका। इस प्रकार ₹ 1.70 करोड़ विभाग द्वारा खर्च नहीं किया जा सका जिस पर विभाग द्वारा ₹ 34.08 लाख⁴ का ब्याज देय था।

यह इस तथ्य को दर्शाता है कि विभाग व्यय करने के लिए पर्याप्त निधि की उपलब्धती होने के बाद भी वाचित परिणाम प्राप्त करने में विफल रहा। विभाग की विभिन्न प्रबंधन की विफलताओं पर आगामी कंडिकाओं में इंगित किया गया है।

2.1.7.2 एआईबीपी के अंतर्गत अनुदान की कम प्राप्ति

एक्सलीरेटेड इरीगेशन बेनेफिट प्रोग्राम (एआईबीपी) के दिशा-निर्देश के अनुसार एक निर्माणाधीन परियोजना अलग अलग पूर्ण होने के आधार पर पर एक नवीन परियोजना को शामिल किये जाने का प्रावधान है। एआईबीपी के निधिकरण के स्वरूप के अनुसार वर्ष 2012–13 तक भारत सरकार द्वारा कुल आवंटन का 90 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की गयी थी एवं 10 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वहन किया गया। इसके पश्चात वर्ष 2013–14 से यह स्वरूप 75:25 (भारत सरकार : राज्य शासन) के रूप में संशोधित किया गया।


भारत सरकार द्वारा एआईबीपी के अंतर्गत वर्ष 2011–12 एवं 2013–14 के दौरान 129 एनीकटों/स्टॉपडैम की स्वीकृति प्रदान की गई। भारत सरकार से प्राप्त अनुदान एवं व्यय का विवरण तालिका 2.1.2 में दिया गया है।

⁴ वर्ष 2011–12 : ₹ 1.14 करोड़ *6%*4 वर्ष = ₹ 27,36 लाख तथा वर्ष 2013–14: ₹ 0.56 करोड़ *6%*2 वर्ष = ₹ 6.72 लाख

तालिका 2.1.2: एआईबीपी के अंतर्गत स्वीकृत एनीकट/स्टॉपडैम एवं जारी निधियों का विवरण
(₹ करोड़ में)

स्वीकृति का वर्ष	एनीकट/स्टॉप डैमों की संख्या	राज्य शासन द्वारा प्रावधान	मार्च 2016 तक कुल व्यय	पूर्ण एनीकटों पर व्यय	अपूर्ण एनीकटों पर व्यय	भारत सरकार द्वारा देय आवंटन	भारत सरकार से प्राप्त आवंटन	राज्य शासन पर दायित्व
2011-12	43	166.45	140.7	118.37 (30)	22.33 (07)	126.63 (90%)	118.74	7.89
2013-14	86	333.4	276.15	182.83 (56)	93.32 (30)	207.11 (75%)	72.18	134.93
योग	129	499.85	416.85	301.20 (86)	115.65 (37)	337.74	190.92	142.82

(स्त्रोत : जानकारी प्रमुख अभियंता द्वारा प्रस्तुत एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)



राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011-14 के दौरान एआईबीपी के अंतर्गत ₹ 142.82 करोड़ कम प्राप्त किया गया

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2011-12 एवं 2013-14 के दौरान विभाग द्वारा 129 स्वीकृत एनीकटों/स्टॉपडैम के विरुद्ध ₹ 301.20 करोड़ की लागत से 92 एनीकट का निर्माण पूरा किया गया जबकि ₹ 115.65 करोड़ व्यय करने के बावजूद मार्च 2016 तक 37 एनीकटों/स्टॉपडैम का निर्माण पूरा नहीं किया जा सका। इस प्रकार, विभाग द्वारा इन 129 कार्यों पर ₹ 416.85 करोड़ का व्यय किया गया जिसके विरुद्ध एआईबीपी के दिशानिर्देशों के अनुसार भारत सरकार से ₹ 337.74 करोड़ की वित्तीय सहायता प्राप्त होनी थी। तथापि, भारत सरकार द्वारा मात्र ₹ 190.92 करोड़ की प्रतिपूर्ति की गई जिसके परिणाम स्वरूप राज्य शासन को ₹ 142.82 करोड़ कम जारी किया गया। राज्य शासन द्वारा केन्द्रीय जल आयोग, भोपाल के माध्यम से बकाया निधि की प्रतिपूर्ति के लिए भारत सरकार से मार्च 2015 एवं सितम्बर 2015 के बीच दावा किया गया किन्तु उपलब्ध नहीं कराया गया (दिसम्बर 2016)।

लेखापरीक्षा द्वारा आगे देखा गया कि राज्य शासन द्वारा मार्च 2015 तक अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने पर बकाया निधि को जारी करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार से 2013 में समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया गया। तथापि राज्य शासन द्वारा 37 एनीकटों/स्टॉपडैम का निर्माण मार्च 2016 तक पूर्ण नहीं किया जा सका परिणाम स्वरूप भारत सरकार द्वारा बकाया निधि ₹ 44.11 करोड़ जारी नहीं की गई। इसके

अतिरिक्त 92 पूर्ण एनीकटों/स्टॉपडैम के विरुद्ध बकाया निधि ₹ 98.71 करोड़ भी भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की गई जिसके कोई भी कारण अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे।

निर्गम बैठक के दौरान सचिव द्वारा बताया गया (दिसम्बर 2016) कि एक बार कार्य प्रारम्भ होने पर ठेकेदार को कार्य करना पड़ता है एवं तदनुसार ठेकेदार को भुगतान की आवश्यकता होती है। सचिव द्वारा आगे बताया गया कि भारत सरकार से कम अनुदान प्राप्त हुआ है एवं बकाया राशि की प्रतिपूर्ति के प्रयास किये जा रहे थे।

तथ्य यह है कि राज्य शासन द्वारा एमओयू के अनुसार 37 एनीकटों/स्टॉपडैम के विरुद्ध प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए निर्माण कार्यों को पूर्ण नहीं किया जा सका।

2.1.7.3 एआईबीपी से नाबार्ड व्यय का अनियमित दावा

एआईबीपी दिशानिर्देश की कंडिका 4.8 के अनुसार राज्य शासन की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि केन्द्र एवं राज्य शासन की लघु सिंचाई एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत लिए गये कार्य में दोहरापन न हो।

धमतरी जिले में धौराभाटा एनीकट का निर्माण कार्य नाबार्ड निधि से ₹ 2.51 करोड़ की लागत से जून 2013 में पूर्ण किया गया। तथापि कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धमतरी के प्रस्ताव के आधार पर मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी बेसिन, रायपुर द्वारा भारत सरकार से एआईबीपी के अंतर्गत व्यय की प्रतिपूर्ति इस आधार पर कि कार्य नाबार्ड के अंतर्गत ऋण के रूप में पूर्ण किया गया और इसलिए पुनः एआईबीपी के अंतर्गत अनुदान के रूप में सम्मिलित किया गया।

तथापि प्रमुख अभियंता द्वारा जून 2016 में एआईबीपी से कार्य को हटाने के लिए राज्य शासन से अनुरोध किया गया।

इस प्रकार नाबार्ड के अंतर्गत पहले से पूर्ण योजना को पुनः एआईबीपी में शामिल किया गया था तथा एआईबीपी के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए एवं तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए भारत सरकार को 2014 में सूचित किया गया।

निर्गम बैठक के दौरान सचिव द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और बताया (दिसम्बर 2016) कि कार्य नाबार्ड के अंतर्गत पूर्ण किया गया था और एआईबीपी के अंतर्गत कोई भी व्यय नहीं किया गया।

2.1.8 कार्य का क्रियान्वयन

कार्य योजना के अनुसार 595 एनीकटों को सात वर्षों के भीतर (वर्ष 2012 तक) निर्माण कराये जाने की योजना तैयार की गई थी जिसमें से वर्ष 2005–16 के दौरान मात्र 231 एनीकटों को निर्माण हेतु स्वीकृत किया गया जबकि 364 एनीकट को निर्माण के लिये नहीं लिया गया। आगे नये सिरे से 538 अतिरिक्त एनीकटों सहित कुल 769 एनीकट स्वीकृत किये गये। इसमें से 489 एनीकट (64 प्रतिशत) पूर्ण थे जबकि बकाया 280 एनीकट (36 प्रतिशत) पूर्ण नहीं किये जा सके।

एनीकटों के निर्माण एवं उपयोगिता की जाँच के लिए लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा के लिए सात जिलों में तीनों क्षेत्रों में विस्तारित जैसे उत्तरी पहाड़ी, बस्तर का पठार एवं छत्तीसगढ़ का मैदान में से 72 पूर्ण एनीकटों एवं 17 अपूर्ण एनीकटों का चयन किया गया जैसा कि नीचे फलोडायग्राम में दर्शाया गया है।




2.1.8.1 अपूर्ण एनीकटों पर ₹ 1,095.74 करोड़ का निष्फल व्यय

जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2005–2006 से 2015–16 के दौरान निर्माण हेतु 769 एनीकटों को स्वीकृत किया गया। यह देखा गया कि 489 एनीकटों को पूर्ण किया गया था जबकि 280 एनीकटों की प्राक्कलित राशि ₹ 1,537.37 करोड़ के विरुद्ध मार्च 2016 तक ₹ 1,095.74 करोड़ व्यय किये जाने के बावजूद जनवरी 2017 कि स्थिति में एक से 10 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी पूर्ण नहीं किया जा सका। इसमें सम्मिलित 161 एनीकट (58 प्रतिशत) प्राक्कलित राशि ₹ 773.98 करोड़ में से ₹ 483.89 करोड़ व्यय किये जाने के बावजूद एक से तीन वर्ष में पूर्ण नहीं किये गये, 77 एनीकट (28 प्रतिशत) प्राक्कलित राशि ₹ 461.89 करोड़ में से ₹ 356.

02 करोड़ व्यय किये जाने के बावजूद तीन से पाँच वर्ष में पूर्ण नहीं किये गये एवं 42 एनीकट (14 प्रतिशत) प्राक्कलित राशि ₹ 302.19 करोड़ में से ₹ 255.83 करोड़ व्यय किये जाने के बावजूद पाँच से दस वर्षों में पूर्ण नहीं किये गये थे। कार्य पूर्ण होने में विलम्ब का मुख्य कारण भूमि विवाद, भू स्वामियों द्वारा मुआवजे की मांग, नक्सल समस्या, मजदूर समस्या,

ठेकेदारों द्वारा कार्य की धीमी प्रगति, अनवरत वर्षा इत्यादि था जैसा कि 89 नमूना एनीकटों के अभिलेखों में देखा गया था। जल संसाधन विभाग इन 280 अपूर्ण एनीकटों में निवेश से कोई भी लाभ प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि ये सभी एनीकट अपने उद्देश्य सिंचाई, निस्तारी, पेयजल हेतु उपयोग, भू-जल का संवर्धन को पूरा नहीं कर सके। अतः इन एनीकटों पर ₹ 1,095.74 करोड़ का व्यय निष्फल साबित हुआ। तथापि शासन द्वारा न तो लाभ प्रदान कराने के लिए अवरोधों को दूर कर इन एनीकटों की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाया गया न ही एनीकटों, विशेष तौर पर 119 एनीकटों जो कि तीन से 10 वर्षों से अपूर्ण थे जिसमें ₹ 611.85 करोड़ का व्यय शामिल था, की पुरानी नींव एवं संरचना पर मौसम के प्रभाव, समय के साथ

280 अपूर्ण एनीकटों पर ₹ 1,095.74 करोड़ का व्यय निष्फल था



भूक्षरण इत्यादि के कारण हुए भौतिक नुकसान के लिए कोई आकलन किया गया। इस प्रकार सभी तरह से एनीकटों के पूर्ण होने एवं इन एनीकटों से लाभ प्राप्ति की संभावना कम लगती है।

(अ) सत्रह चयनित एनीकटों के निष्कर्ष

नवासी में से चयनित 17 एनीकटों (विभाग द्वारा प्रदाय जानकारी के अनुसार) से संबंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 10 एनीकट सितम्बर 2013 से मई 2016 के दौरान पूर्ण हुये। इनमें से दो एनीकट (धौरपुर-गरुआडीह और समड़िल) निर्धारित समयावधि में पूर्ण हुये जबकि आठ एनीकट⁵ अतिरिक्त कार्य, पहुंच मार्ग के अभाव, स्थानीय व्यवितयों द्वारा अवरोध, स्त्रोत जिसमें एनीकट का निर्माण किये जाने थे में अत्यधिक जल इत्यादि के कारण 10 से 39 माह के विलम्ब से मई 2014 और जुलाई 2016 के मध्य पूर्ण हुए जैसा कि परिशिष्ट 2.1.2 में वर्णित है।

शेष छ: एनीकट (17 चयनित में से) निर्धारित अवधि के 12 से 28 माह व्यतीत होने के बावजूद एवं राशि ₹ 23.12 करोड़ के व्यय उपरान्त भी पूर्ण नहीं किये जा सके जबकि एक एनीकट, सिविल कार्य पूर्ण होने के बाद गेट स्थापित न होने के कारण अपूर्ण था जिसकी चर्चा कण्डिका 2.1.8.7 में पृथक से की गई है। निर्माण में विलंब के कारण नीचे दर्शाये अनुसार हैं :—

तालिका 2.1.3: अपूर्ण चयनित कार्यों का विवरण


(₹ करोड़ में)

एनीकट का नाम/ कार्यादेश दिनांक	पूर्णता की निर्धारित अवधि/ कार्यपूर्णता	7/2016 की स्थिति में कार्य में विलम्ब	विलम्ब का कारण	अनुबंध राशि	अद्यतन व्यय
तालदेवरी एनीकट (जल संसाधन संभाग, जांजगीर चांपा) / क्रमांक 09 / 2013	21 माह वर्षा ऋतु सहित 06 / 2015 तक	12 माह	ग्रामवासियों द्वारा भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के भुगतान की माँग का पूरा नहीं होना	23.45	9.77
खम्हरिया एनीकट (जल संसाधन संभाग, बेमेतरा / क्रमांक 09 / 2013	10 माह वर्षा ऋतु सहित 07 / 2014 तक	23 माह	ग्रामिणों के विरोध के कारण एफआईआर किन्तु कार्यवाही अभिलिखित नहीं	2.90	0.36
भुसीडोंगरी एनीकट (डब्ल्यूएम डैम संभाग रुद्री, धमतरी) / क्रमांक 11 / 2012 तथा 3 / 2013	12 माह वर्षा ऋतु सहित 11 / 2013 तथा 03 / 2014 तक	27 माह	नक्सल प्रभावित वन क्षेत्र, अत्यधिक श्रमिक समस्या और अप्रत्याशित अत्याधिक वर्षा के कारण बंद	10.45	8.68
परचेली एनीकट (जल संसाधन संभाग— दंतेवाडा / क्रमांक 07 / 2013	11 माह वर्षा ऋतु सहित 06 / 2014 तक	24 माह	नक्सल एवं अप्रत्याशित भारी वर्षा	2.14	1.15
केनाभाटा एनीकट (जल संसाधन संभाग, जांजगीर चांपा) / क्रमांक 05 / 2013	10 माह वर्षा ऋतु सहित 02 / 2014 तक	28 माह	कार्य की धीमी गति	3.67	3.16
चाटापारा एनीकट-1 (जल संसाधन संभाग, कोटा बिलासपुर) / क्रमांक 09 / 2013	चाटापारा एनीकट 1 के लिये प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति नहीं प्रदान की गई।				
रजौटी एनीकट (जल संसाधन संभाग 1, अंबिकापुर) / क्रमांक 09 / 2013	यद्यपि सिविल कार्य पूर्ण, गेट स्थापित न होने से अपूर्ण, कण्डिका 2.3.8.7				
योग					23.12

(स्त्रोत: जानकारी संभागों द्वारा प्रस्तुत एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

⁵

अमेरी, अमलाडीह, बालोद, जलेश्वर, कनेरी, कोनी, नंदेलीभाटा और रानीझाप एनीकट



उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि यद्यपि राज्य शासन द्वारा राशि ₹ 23.12 करोड़ का व्यय किया गया किन्तु तालिका में वर्णित बाधाओं के कारण कार्य पूर्ण नहीं किये जा सके। हांलाकि शासन द्वारा निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं को हल करने हेतु 28 माह बाद भी प्रभावी कदम नहीं उठाये गये। परिणामस्वरूप निर्दिष्ट लाभ प्राप्त नहीं किये जा सके जिससे एनीकट निर्माण का उद्देश्य विफल रहा।

निर्गम बैठक के दौरान सचिव ने तथ्य को स्वीकार किया और बताया (दिसम्बर 2016) कि अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये जायेंगे। तथापि, सचिव कार्यों को पुनः प्रारम्भ करने हेतु प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप नहीं करने के लिये कोई औचित्य नहीं दे सके।

2.1.8.2 पैसठ चयनित एनीकटों को पूर्ण करने में अत्यधिक विलम्ब


अनुबंध की धारा 4.3.2 के अनुसार निविदा में उल्लेखित कार्य करने की समयावधि का ठेकेदार द्वारा सख्ती से पालन किया जाना चाहिये। ठेकेदार को प्रत्येक दिन की देरी के लिये प्राक्कलित राशि के एक प्रतिशत के बराबर या ऐसी न्यून राशि जो कि कार्यपालन अभियंता/अधीक्षण अभियंता द्वारा अपूर्ण कार्य की अनुमानित राशि के अनुसार निर्धारित की जाये शर्त यह कि प्राक्कलित राशि का अधिकतम आठ प्रतिशत के बराबर होगी, मुआवजे के रूप में देनी चाहिये। आगे अनुबंध की धारा 4.3.5.1 के अनुसार शासन की ओर से देरी में समयावधि प्रदान करने का प्रावधान है। चयनित 89 में से 72 एनीकटों के निर्धारित समयावधि के विरुद्ध पूर्ण होने में विलम्ब का वर्णन नीचे दर्शाया गया है :-

तालिका 2.1.4: कार्य पूर्ण होने में विलम्ब का विवरण

जल संसाधन संभागों का नाम	चयनित पूर्ण एनीकटों की संख्या	निर्धारित समयावधि में पूर्ण एनीकटों की संख्या	निर्धारित समयावधि पञ्चात एक वर्ष के अंदर पूर्ण एनीकटों की संख्या	निर्धारित समयावधि पञ्चात एक से दो वर्ष के अंदर पूर्ण एनीकटों की संख्या	निर्धारित समयावधि के दो वर्ष से अधिक समय के बाद पूर्ण एनीकटों की संख्या	पूर्णता प्रमाणपत्रों के अभाव में पूर्णता तिथि सत्यापित न किये जा सकने वाली एनीकटों की संख्या
खारंग, बिलासपुर	24	2	10	2	2	8
जल संसाधन संभाग, कोटा	5	0	2	1	1	1
जल संसाधन संभाग, पेन्ड्रारोड	5	1	2	1	0	1
जल संसाधन संभाग, मरवाही	1	0	0	0	0	1
जल संसाधन संभाग, बेमेतरा	10	2	1	3	1	3
जल प्रबंधन संभाग, जांजगीर चॉपा	3	0	2	1	0	0
जल संसाधन संभाग, जांजगीर चॉपा	1	0	0	0	0	1
जल संसाधन संभाग, कोणडागाँव	13	0	0	1	0	12
जल संसाधन संभाग, दन्तेवाडा	2	0	0	2	0	0
जल संसाधन संभाग, धमतरी	2	1	0	1	0	0
एमआरपी डैम संभाग 2, धमतरी	2	0	0	0	0	2
जल संसाधन संभाग 1, अंबिकापुर	4	1	2	0	0	1
योग	72	7	19	12	04	30

(स्रोत : जानकारी संभाग द्वारा प्रस्तुत एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

चार्ट 4: कार्यों को पूर्ण करने में विलम्ब



बहत्तर चयनित एनीकटों में से 65 निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं किये गये जिसमें 31 एनीकटों में एक से दो वर्षों का विलम्ब तथा चार एनीकटों में दो से अधिक वर्षों का विलम्ब था।

तालिका एवं चार्ट में यह देखा जा सकता है कि चयनित 72 एनीकटों में से मात्र सात एनीकट निर्धारित समयावधि में पूर्ण किये गये थे जबकि 65 एनीकटों को नदी या नालों में पानी की उपलब्धता, निर्माण कार्यों में अवरोध, नक्सल समस्या और मजदूरों की समस्याओं के कारण समयावधि में पूर्ण नहीं होना सूचित किया गया। इनकी चर्चा नीचे की गई है:-

- इककतीस एनीकट एक और दो वर्षों के मध्य के विलम्ब से पूर्ण हुये जबकि चार एनीकट निर्धारित समयावधि से दो वर्षों से अधिक के विलम्ब से पूर्ण हुये। यह पाया गया कि इन 35 एनीकटों में से 12 एनीकट पांच ठेकेदारों⁶ को निर्माण हेतु दिये गये, जिन्होंने निर्माण कार्य को दो और 36 माह के मध्य के विलम्ब से पूर्ण किया। एक ठेकेदार को एक से ज्यादा कार्य देना कार्य पूर्ण होने में विलम्ब का एक कारण हो सकता है। बकाया 30 एनीकटों में पूर्णता प्रमाण पत्र अभिलेखों में प्राप्त न होने से विलम्ब के कारण सुनिश्चित नहीं किये जा सके।

⁶ दो ठेकेदारों को तीन-तीन एनीकटों जबकि तीन ठेकेदारों को दो-दो एनीकटों का कार्यादेश दिया गया

- सिलतरा बोरेन्डा एनीकट (जिला धमतरी) के प्रकरण में यह पाया गया कि फरवरी 2012 तक समयावृद्धि प्रदान की गई थी जबकि कार्य जून 2012 में पूर्ण किया गया तथा बिना शास्ति काटते हुये अंतिम भुगतान किया गया। लेकिन शेष चार माह की समयावृद्धि से संबंधित अभिलेख न तो संभाग में पाये गये न ही लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गये।

निर्गम बैठक में सचिव ने बताया (दिसम्बर 2016) कि कार्य पूर्ण होने में विलम्ब को रोकने के लिये गंभीर प्रयास किये जा रहे थे। तथ्य यह है कि विलम्ब को रोकने हेतु शास्ति की कटौती के रूप में कार्यवाही प्रावधानित होते हुए एवं लेखापरीक्षा द्वारा सूचित करने पर भी नहीं की गयी।

2.1.8.3 कार्य का अनाधिकृत क्रियान्वयन

लोक निर्माण विभाग नियमावली के अनुसार जब व्यय स्वीकृत राशि से 10 प्रतिशत से अधिक हो या अधिक होने की संभावना हो तो सक्षम प्राधिकारी से पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिये। आगे, विस्तृत प्रावक्कलन की राशि स्वीकृत व्यय राशि से अधिक नहीं होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त योजना के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में भी संबंधित संभाग के कार्यपालन अभियंता का प्रमाण पत्र शामिल होता है कि योजना के प्रावक्कलन की लागत विस्तृत प्रावक्कलन पर आधारित है और इसमें 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि नहीं होगी।


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा, पेंड्रारोड, कोण्डागांव और धमतरी के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 72 पूर्ण एनीकटों में से आठ एनीकटों के निर्माण लागत में राशि ₹ 0.15 करोड़ और ₹ 1.97 करोड़ के मध्य प्रशासकीय स्वीकृति से अतिरिक्त वृद्धि हुई जिसका विवरण निम्नानुसार है।

तालिका 2.1.5 :- एनीकटों के निर्माण में अप्राधिकृत व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र .	संभागों का नाम	एनीकट का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि	किये गये कार्य का मूल्य	प्रशासकीय स्वीकृति से अधिक किये गये कार्य की राशि (प्रतिष्ठत)	अंतिम भुगतान के अनुसार पूर्णता तिथि
1	जल संसाधन संभाग, कोटा	मोहादी	1.84	2.57	0.73 (40)	30/03/2010
2	जल संसाधन संभाग, पेंड्रारोड	डाढ़उमड़ी	1.32	1.87	0.55 (42)	17/10/2010
3	जल संसाधन संभाग, कोण्डागांव	सिरपुर	1.24	1.98	0.74 (60)	14/01/2011
4	जल संसाधन संभाग, कोण्डागांव	बम्हनी	1.39	2.10	0.71 (51)	2011-12
5	जल संसाधन संभाग, कोण्डागांव	कोकोडी	0.76	0.94	0.19 (25)	05/03/2009
6	जल संसाधन संभाग, कोण्डागांव	मालाकोट	1.82	3.79	1.97 (108)	01/01/2010
7	जल संसाधन संभाग, कोण्डागांव	चरकई	0.56	1.34	0.78 (140)	19/08/2011
8	जल संसाधन संभाग, धमतरी	भेलवाखुदा	0.95	1.10	0.15 (15)	20/04/2009
योग			9.88	15.69		

(स्रोत : जानकारी संभाग द्वारा प्रस्तुत एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)



उपरोक्त तालिका एवं ग्राफ से यह देखा जा सकता है कि दो प्रकरणों में एनीकटों के निर्माण में व्यय में 15 से 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि बकाया छः प्रकरणों में एनीकट निर्माण के व्यय में वृद्धि प्रशासकीय स्वीकृति के 40 और 140 प्रतिशत के मध्य हुई। यद्यपि ये आठ कार्य वर्ष 2009 और 2012 के मध्य स्वीकृति राशि ₹ 9.88 करोड़ के विरुद्ध राशि ₹ 15.69 करोड़ व्यय करने के पश्चात पूर्ण हुये थे किन्तु राज्य शासन द्वारा लोक निर्माण विभाग नियमावली के अनुसार आवश्यक होते हुये भी अतिरिक्त व्यय राशि ₹ 5.82 करोड़ को नियमित करने हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी।

निर्गम बैठक के दौरान प्रमुख अभियंता ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और बताया (दिसम्बर 2016) कि संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं एवं आगे कार्यवाही की जायेगी।

2.1.8.4 पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने में विलम्ब

चयनित 72 एनीकटों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि एनीकट निर्माण के चार प्रकरणों में दोनों तकनीकी स्वीकृति साथ ही साथ प्रशासकीय स्वीकृति से अधिक व्यय किया गया था। यह भी पाया गया कि पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने में 12 से 15 माह का विलम्ब हुआ जैसा नीचे वर्णित है:—

तालिका 2.1.6: पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने में विलम्ब का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.	एनीकट का नाम	प्रशासकीय की राशि/तिथि	तकनीकी की राशि/तिथि	किये कार्य मूल्य	पुनरीक्षित प्रशासकीय की राशि/तिथि	तकनीकी से पुनरीक्षित प्रशासकीय में विलम्ब/प्रस्ती. माह में
1	खूंटीघाट (बिलासपुर)	4.36 (08/2008)	5.42 (09/2008)	5.70	5.61 (09/2009)	12 (तकनीकी)
2	खैरझिट्टी (कोटा)	2.34 (08/2008)	3.40 (09/2008)	3.44 (08/2011)	3.66 (03/2010)	18 (तकनीकी)
3	बैंगलूर (दन्तेवाड़ा)	1.03 (09/2008)	2.18 (06/2009)	2.18 (03/2013)	2.19 (10/2010)	15 (तकनीकी)
4	सिलतरा बोरेण्डा (धमतरी)	1.02 (08/2007)	2.72 (12/2009)	1.86 (06/2012)	2.72 (11/2009)	26 (प्रशासकीय)

(स्रोत : जानकारी संभागों द्वारा प्रस्तुत एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि खुटीघाट एनीकट के प्रकरण में प्रशासकीय स्वीकृति ₹ 4.36 करोड़ के विरुद्ध तकनीकी स्वीकृति ₹ 5.42 करोड़ माह सितम्बर 2008 में प्रदान की गई तथापि शासन से पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति सितम्बर 2009 में प्राप्त की गई। इसी प्रकार खैरझिटी तथा बैंगलूर एनीकटों के प्रकरणों में पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति तकनीकी स्वीकृति के क्रमशः 18 और 15 माह पश्चात् प्राप्त की गई। आगे सिलतरा बोरेण्डा एनीकट के प्रकरण में अनुमानित लागत में वृद्धि के कारण पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति यद्यपि आवश्यक थी किन्तु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के 26 माह बाद स्वीकृति प्रदान की गई। यह संकेत करता है कि न सिर्फ तकनीकी स्वीकृति प्रशासकीय स्वीकृति से अधिक प्रदान की गई अपितु पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने में 12 से 26 माह का अत्यधिक विलम्ब हुआ।

निर्गम बैठक के दौरान सचिव ने बताया (दिसम्बर 2016) कि कई बार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में वित्त विभाग द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुपालन में समय लगता है और यह पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने में विलम्ब का कारण बनता है। तथापि सचिव लेखापरीक्षा द्वारा सूचित प्रकरणों में अत्यधिक विलम्ब के कारणों का औचित्य साबित नहीं कर सके।

2.1.8.5 गुणवत्ता नियंत्रण के लिए निर्धारित मानदण्डों का अनुपालन किये बिना ही कार्य का क्रियान्वयन

(अ) गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षणों के बिना कार्य का क्रियान्वयन


एकीकृत दर अनुसूची के अध्याय 42 की कण्डिका 3(अ) के अनुसार प्रयोगशाला प्रभारी द्वारा निर्धारित किये गये प्राथमिकता के आधार पर कंक्रीट नमूनों के परीक्षण किये जायेंगे। आगे कंक्रीट क्यूब के नमूनों के परीक्षण नियत तिथि के भीतर किये जायेंगे तथा दो दिनों में परीक्षण प्रतिवेदन भेजे जायेंगे।

चयनित 72 एनीकटों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 39 एनीकटों में ही कंक्रीट क्यूब के नमूने गुणवत्ता परीक्षण हेतु भेजे गये थे एवं अभिलेखों में प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण नीचे वर्णित है:

तालिका 2.1.7: चयनित एनीकट में की गई गुणवत्ता परीक्षण का विवरण

क.	जिले का नाम	एनीकटों की संख्या	परीक्षण प्रतिवेदन वाले एनीकटों की संख्या	एनीकटों की संख्या जिनकी परीक्षण प्रतिवेदन नहीं पाई गई
1	बिलासपुर	35	18	17
2	बेमेतरा	10	7	3
3	जांजगीर चॉपा	4	1	3
4	कोण्डागाँव	13	8	5
5	धमतरी	4	3	1
6	दन्तेवाडा	2	2	0
7	सरगुजा	4	0	4
योग		72	39	33

(स्रोत : जानकारी संभागों द्वारा प्रस्तुत एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)



उपरोक्त तालिका एवं चार्ट से यह देखा जा सकता है कि 39 एनीकटों में लेखापरीक्षा को गुणवत्ता परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये जबकि 33 एनीकटों (46 प्रतिशत) में कंक्रीट क्यूब के गुणवत्ता परीक्षण प्रतिवेदन अभिलेखों में नहीं पाये गये।

लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गये 39 एनीकटों की परीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार इन एनीकटों के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानदण्ड के अनुसार थी। तथापि 33 एनीकटों में गुणवत्ता परीक्षण प्रतिवेदनों के अभाव में ठेकेदारों के द्वारा उपयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता अनुबन्ध के अनुसार मानदण्ड एवं कार्यकुशल थी को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। परिणामस्वरूप संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान कुछ एनीकट क्षतिग्रस्त पाये गये जिसकी चर्चा आगामी कंडिका में गयी है।

(ब) गुणवत्ता मानक को सुनिश्चित किये बिना सीमेन्ट एवं स्टील का उपयोग

अनुबन्ध की धारा 2.21.2 के अनुसार ठेकेदार द्वारा आईएसआई 269/1969 के साधारण पोर्टलैण्ड सीमेंट (ओपीसी) का क्रय जिसकी उत्पादन क्षमता 450 मैट्रिक टन प्रतिदिन वाले मूल उत्पादक से तथा स्टील का क्रय स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया (साई) अथवा साई के प्राथमिक पुनरुत्पादक अथवा आयरन एवं स्टील कम्पनी से निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के अनुसार क्रय किया जाना चाहिए। ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल पर लाये गये स्टील की मात्रा का समय समय पर परीक्षण एवं अभिलेखों में संधारण किया जाना चाहिए।

चयनित 12 संभागों के अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए चयनित 72 एनीकटों के निर्माण में लगे ठेकेदारों द्वारा मूल उत्पादक से ओपीसी के क्रय के बिल/देयकों को प्राप्त नहीं किया गया। आगे ठेकेदारों द्वारा साई और साई के अधिकृत पुनरुत्पादन अथवा टाटा आयरन एवं स्टील कम्पनी से क्रय किये गये स्टील के साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किये गये। इसके अलावा 72 चयनित एनीकटों में मूल उत्पादक से सीमेंट और स्टील के परीक्षण प्रतिवेदन भी प्राप्त नहीं किये गये थे। लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गये देयकों में यह पाया गया कि देयकों में केवल ठेकेदार का नाम, सामग्री की मात्रा एवं दर दर्शायी गयी थी। देयकों में

अनुबन्ध के अनुसार मानदण्ड नहीं पाये गये। अतः कार्यों में ठेकेदार को सीमेन्ट व स्टील पर अनुबंध की आवश्यक शर्तों के बिना ही भुगतान किया गया था।

गुणवत्ता परीक्षण प्रतिवेदनों और देयकों के अभाव में लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि ठेकेदार द्वारा क्रय एवं उपयोग की गई सामग्री अनुबंध के निर्दिष्ट मापदण्ड के अनुरूप थी। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा में कुछ एनीकट क्षतिग्रस्त पाए जो कि प्रत्यक्ष रूप में उचित मापदण्ड के अनुरूप सीमेन्ट तथा स्टील के उपयोग नहीं करने का परिणाम हो सकता है जिसकी चर्चा आगामी कांडिका में की गई है।

निर्गम बैठक के दौरान सचिव ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार किया और बताया (दिसम्बर 2016) कि उपयोग किये गये सीमेन्ट एवं स्टील की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाये जायेंगे एवं आवश्यक गुणवत्ता नियंत्रण प्रमाण पत्र भी लिये जायेंगे। साथ ही सचिव ने संबंधित अधिकारियों को क्षतिग्रस्त एनीकटों में उपयोग की गई सीमेन्ट तथा स्टील का स्ट्रेन्थ परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिये निर्देशित भी किया।

2.1.8.6 क्षतिग्रस्त एनीकटों से शासन को हानि

तीन एनीकटों के क्षतिग्रस्त होने से सरकार को ₹ 3.22 करोड़ की हानि हुई

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2011–12 के दौरान कबोंगा एनीकट, मैनपुर एनीकट एवं बड़गाँव स्टापडैम के प्रोटेक्शन वाल के लिए राशि ₹ 7.59 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त कार्य ठेकेदार द्वारा जून 2013 एवं मार्च 2014 के मध्य पूर्ण किया गया और ₹ 4.49 करोड़ का अंतिम भुगतान मार्च 2014 में किया गया। जल संसाधन संभाग, कोणडागाँव के अभिलेखों की जाँच में निम्नलिखित तथ्य पाये गये।

(अ) कबोंगा एनीकट की मध्यवर्ती संरचना पूर्ण होने के 19 माह के भीतर ही नवम्बर 2015 में क्षतिग्रस्त हो गई थी। क्षतिग्रस्त होने के संबंध में अधीक्षण अभियंता, इन्ड्रावती परियोजना, जगदलपुर मण्डल के प्रतिवेदन (नवम्बर 2015) में डाउन स्ट्रीम की ओर निर्माणाधीन पुल निर्माण में उपयोग के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए एनीकट के ऊपर से भारी वाहन की आवाजाही बताया। परिणामस्वरूप ₹ 1.80 करोड़ की हानि प्रतिवेदित की गई थी।

लेखापरीक्षा दल द्वारा स्थल का भौतिक सत्यापन (जून 2016) किया गया और पाया कि मध्यवर्ती संरचना का 50 प्रतिशत हिस्सा तथा डायफाम वाल क्षतिग्रस्त हो गया था। आगे मूल उत्पादकों से सीमेन्ट तथा स्टील क्रय के देयक/बिल और गुणवत्ता परीक्षण अभिलेखों में नहीं पाये गये। उसी रूप में निर्माण सामग्री एवं कार्यकुशलता की गुणवत्ता विश्वसनीय नहीं थी। अतः नुकसान के कारण को यातायात भार की ओर केन्द्रित नहीं किया जा सकता।

(ब) मैनपुर एनीकट के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि गुणवत्ता परीक्षण के अभिलेख, स्टील एवं सीमेन्ट के देयक जो कि अनुबंध के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक थे लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था। आगे उड़न दस्ते के द्वारा एनीकट की जाँच (नवम्बर 2015) की गई जिसमें यह पाया गया कि बैंक प्रोटेक्शन कार्य, की-वॉल एवं मेशनरी कार्य के चारों ओर फिलिंग फाउन्डेशन, विंग वाल/रिटर्न वाल और वियर बाड़ी वाल के अभाव में वर्षा ऋतु में (वर्ष 2015) में संरचना क्षतिग्रस्त हो गई जिससे शासन को ₹ 1.24 करोड़ की हानि हुई। संरचना के क्षतिग्रस्त होने से एनीकट उद्देश्य पूर्ण करने में विफल रहा।

(स) इसी तरह, सिरपुर एवं बड़गाँव स्टापडैम के संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया गया कि सिरपुर स्टामडैम में अनुचित तरीके से गेट लगाने के कारण मुख्य संरचना में दरार हो गयी थी। आगे बड़गाँव स्टापडैम में लागत राशि ₹ 17.64 लाख की प्रोटेक्शन

वाल पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गई जैसा कि संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लिये गये छायाचित्र में नीचे दर्शाया गया है।

कोण्डागँव में निर्मित क्षतिग्रस्त कबोंगा एनीकट (16 जून 2016) तथा
बड़गँव स्टापडैम (21 जून 2016) के छायाचित्र



इस प्रकार एनीकट तथा स्टापडैम की संरचना में क्षति होने से न केवल एनीकट निर्माण के मुख्य उद्देश्य निस्तारी और कृषि उपयोग के लिये पानी का भण्डारण के साथ ही भू-जल स्तर में वृद्धि की पूर्ति नहीं हो सकी अपितु शासन को राशि ₹ 3.22 करोड़ की हानि हुई।

निर्गम बैठक के दौरान के सचिव ने बताया (दिसम्बर 2016) कि संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी एवं कबोंगा, मैनपुर एवं बड़गँव एनीकट निर्माण से संबंधित अधिकारियों को निलम्बित किया गया। सचिव ने आगे बताया कि उक्त सभी प्रकरणों में सीमेन्ट एवं स्टील की गुणवत्ता का परीक्षण किया जावेगा। तथापि ठेकेदारों के विरुद्ध अभी तक (जनवरी 2017) कोई कार्यवाही नहीं की गई।

2.1.8.7 गेट के अभाव में ₹ 3.66 करोड़ का निष्फल व्यय

गेटों के अभाव में ₹ 3.66 करोड़ का निष्फल व्यय पाया गया

राज्य शासन द्वारा सितम्बर 2010 में अधिकापुर में रजौटी एनीकट के निर्माण के लिए ₹ 4.35 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। एनीकट निर्माण का उद्देश्य 98 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता के अतिरिक्त निस्तारी उपयोग इत्यादि था। मुख्य अभियंता हसदेव बेसिन, बिलासपुर द्वारा दिसम्बर 2010 में ₹ 4.64 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई। ठेकेदार को राशि ₹ 3.40 करोड़ की लागत से 11 माह में कार्य करने हेतु कार्यादेश मार्च 2012 में दिया गया। कार्य को ₹ 3.66 करोड़ की लागत से जून 2013 में पूर्ण किया गया।

जॉच में पाया गया कि मुख्य अभियंता द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन में 12 गेटों को लगाने का प्रावधान था किन्तु इसे न तो करार में न ही निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) में शामिल किया गया। परिणामस्वरूप पानी के भण्डारण के लिए कोई गेट नहीं लगाये गये थे। एनीकट के संयुक्त भौतिक सत्यापन (जुलाई 2016) के दौरान यह पाया गया कि एनीकट के पूर्ण होने के तीन वर्ष के पश्चात् भी एनीकट में कोई गेट नहीं थे जैसा कि नीचे छायाचित्र में दर्शाया गया है।

सरगुजा जिले में माण्ड नदी पर निर्मित रजौटी एनीकट (13 जुलाई 2016) का छायाचित्र



इस प्रकार पानी रोकने के लिए गेट के बिना एनीकट का निर्माण इसके मुख्य उद्देश्य को विफल करता है, साथ ही ₹ 3.66 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

निर्गम बैठक के दौरान सचिव ने तथ्य को स्वीकार किया और बताया (दिसम्बर 2016) कि स्वीकृत प्राक्कलन में गेट का प्रावधान किया गया था तथा इसकी स्थापना की जावेगी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पानी को भंडारित और नियंत्रित करने के लिये गेट एनीकट का अभिन्न हिस्सा है और तकनीकी स्वीकृति के कार्यक्षेत्र तथा सिविल कार्य की पूर्णता के समय गेट की स्थापना करना विभाग की जिम्मेदारी थी। इसे सुनिश्चित करने में विफलता इसके उद्देश्य को असफल करता है।

2.1.9 एनीकटों की उपयोगिता


कार्य योजना में राज्य की बढ़ती आबादी की जरूरत को पूरा करने के लिए एनीकट/स्टापडैम के निर्माण पर जोर दिया गया। एनीकट के निर्माण का उद्देश्य भू-जल स्तर, कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा पीने के लिए पानी, औद्योगिक उपयोग और निस्तारी के लिए पानी को उपलब्ध कराना था। चयनित एनीकटों की उपयोगिता का आकलन इन एनीकट का संबंधित सहायक अभियंता/उप अभियंता के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन तथा हितग्राही सर्वेक्षण के द्वारा किया गया। परिणाम निम्नानुसार हैः—

2.1.9.1 पूर्ण एनीकटों के हितग्राही सर्वेक्षण का परिणाम

सात चयनित जिलों में 72 पूर्ण एनीकटों के निकटतम ग्रामों के 720 हितग्राहियों (10 हितग्राही प्रति एनीकट) का संयुक्त भौतिक सत्यापन विभाग के अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा दल द्वारा किया गया।

सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि केवल 10 एनीकट⁷ कार्य योजना के सभी प्रयोजनों जैसे भू-जल पुनर्भरण, कृषि तथा निस्तारी इत्यादि के सभी प्रावधानित उद्देश्यों को पूर्ण कर रहे थे जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। अन्य निष्कर्ष निम्नानुसार हैं।

(अ) एनीकटों में पानी की उपलब्धता




बहुत्तर एनीकटों में से 59 एनीकटों का निर्माण नदियों पर तथा 13 एनीकटों का निर्माण नालों पर किया गया। इन 59 एनीकटों जो नदियों पर निर्मित किये गये थे में से 37 एनीकटों का निर्माण बारहमासी नदियों पर जबकि 22 एनीकटों का निर्माण मौसमी नदियों पर किया गया जैसा कि परिशिष्ट 2.1.3 में वर्णित है। इन 72 एनीकटों में पानी की उपलब्धता निम्नानुसार हैः—

तालिका 2.1.8 : चयनित एनीकटों में जल की उपलब्धता का विवरण

चयनित एनीकटों की संख्या	नदियों पर निर्मित एनीकटों की संख्या		नालों पर निर्मित एनीकटों की संख्या	जल की उपलब्धता (माह में)					
				निर्माण से पूर्व			निर्माण के पछात		
	बारहमासी	बारहमासी नहीं		12	8	4-6	12	8	4-6
72	37	22	13	33 (नदी -30) (नाला -03)	25 (नदी -23) (नाला -02)	14 (नदी -06) (नाला -08)	50 (नदी -45) (नाला -05)	17 (नदी -12) (नाला -05)	05 (नदी -02) (नाला -03)

(स्त्रोत : हितग्राहियों से संग्रहित एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी)

⁷ आमागोहन, आमानारा, भौराडीह, निरतु, रहटाटोर और उर्तुम (बिलासपुर), आंगाबेड़ा, कोकोड़ी और पल्ली (कोण्डागाँव) तथा सोनेवारा (धमतरी)



उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 72 एनीकटों के निर्माण के पूर्व 33 स्त्रों में पानी की उपलब्धता 12 माह, 25 स्त्रों में आठ माह तथा बकाया 14 स्त्रों में चार से छः माह थी। एनीकट निर्माण के उपरान्त यह पाया गया कि 17 स्त्रों ने वर्ष भर पानी की उपलब्धता के उद्देश्य को पूरा किया, को मिलाकर 12 माह पानी की उपलब्धता वाले स्रोतों की संख्या बढ़कर 50 हो गई। तथापि 22 स्रोतों जिसमें छः से आठ माह पानी उपलब्ध था और उन पर एनीकट का निर्माण पानी की उपलब्धता साल भर बढ़ाने के लिये किया गया था, एनीकट निर्माण के उद्देश्य निरस्तारी, कृषि उपयोग और भू-जल पुनर्भरण को पूरा करने में विफल रहे क्योंकि इन 22 एनीकटों में (31 प्रतिशत) लगातार छः से आठ माह ही पानी उपलब्ध था।

इस प्रकार एनीकटों का निर्माण हमारे नमूना में चयनित एनीकटों में पानी के भण्डारण को महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित नहीं किया एवं भू-जल पुनर्भरण को काफी हद तक हासिल नहीं कर सका।

निर्गम बैठक के दौरान सचिव ने बताया (दिसम्बर 2016) कि एनीकट जो नालों पर निर्मित किये गये वे बारहमासी नहीं थे। उत्तर से स्पष्ट है कि कार्य योजना में निर्धारित चयन मापदण्ड को पालन किये बिना इन एनीकटों का स्थल चयन किया गया। तथापि शासन द्वारा इन एनीकटों के निर्माण के पश्चात की समस्या को दूर करने के लिये उपयुक्त डोमेन एक्सपर्ट की नियुक्ति करते हुए कोई भी अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई।

(ब) एनीकटों से पानी की उपयोगिता

एनीकट के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार लिफ्ट इरीगेशन द्वारा सिंचाई क्षमता निर्मित किये जाने अर्थात् किसानों द्वारा स्वयं के साधनों से किये जाने का प्रावधान था। तदनुसार चयनित 72 एनीकटों में 720 हितग्राहियों की 2724.30 एकड़ कृषियोग्य भूमि सिंचित होनी थी। इनमें से 90 हितग्राहियों की 274.72 एकड़ कृषियोग्य भूमि में सिंचाई का विस्तार नहीं था क्योंकि इन नौ एनीकटों में पानी का भण्डारण नहीं हो सका था जैसा कि कंडिका 2.1.9.3 में वर्णित है। इस प्रकार ग्रामीणों द्वारा केवल 50 एनीकटों से वर्ष भर तथा 13 एनीकटों से आंशिक रूप से सिंचाई की जा सकी। यह पाया गया कि इन एनीकटों के कमांड क्षेत्र में 630 हितग्राहियों के पास 2449.58 एकड़ कृषियोग्य भूमि थी। तथापि सर्वेक्षण के दौरान 630 हितग्राहियों में से 441 हितग्राहियों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा एनीकट के पानी का उपयोग सिंचाई के लिये एनीकट से कृषि भूमि की अधिक दूरी, एनीकट के किनारों की अधिक ऊँचाई, विद्युतीकरण एवं पम्प की अनुपलब्धता और वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण नहीं किया जा सका। यद्यपि 630 हितग्राहियों में से 189 हितग्राहियों जिनके

बहत्तर एनीकटों में से
22 एनीकटों में पानी की उपलब्धता मात्र छः से आठ माह थी

सरकार द्वारा निर्मित एनीकटों से कृषि हेतु पानी की उपयोगिता को सुनिश्चित नहीं किया गया

पास 909.36 एकड़ कृषियोग्य भूमि थी ने बताया कि वे केवल 506.01 एकड़ भूमि में सिंचाई कर सके। इस प्रकार 720 हितग्राहियों की कुल कृषियोग्य भूमि 2449.58 एकड़ में से मात्र 21 प्रतिशत (506.01 एकड़) भूमि एनीकट के पानी से सिंचित हुई थी जो कि एनीकट निर्माण के मुख्य उद्देश्य को पूरा करने में विफल रहा। तथापि शासन द्वारा विद्युत कनेक्शन, खेतों में पानी ले जाने के लिए नहर इत्यादि अथवा वास्तविक हितग्राहियों तक एनीकट की उपयोगिता के विस्तार के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के लिये कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया।

निर्गम बैठक में सचिव द्वारा बताया गया कि शासन द्वारा कुछ एनीकटों के पास सौर ऊर्जा इकाई की स्थापना कर किसानों को विद्युत प्रदाय करने के प्रयास किये जा रहे हैं। तथापि अन्य बाधाओं को दूर करने के लिए सचिव द्वारा कोई योजना प्रस्तुत नहीं की गई।

(स) रबी (रिनफेड के अलावा) फसलों के कृषि क्षेत्र में वृद्धि

चयनित एनीकटों
के कमाण्ड क्षेत्र में
रबी फसल के कृषि
क्षेत्र में
11 प्रतिशत की
वृद्धि हुई

एनीकट के निर्माण के उद्देश्यों में से एक रबी फसलों की सिंचाई के लिए पानी का भंडारण है। हितग्राही सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि 72 चयनित एनीकटों में से 63 एनीकटों के निर्माण के पूर्व 119 हितग्राहियों द्वारा 191.40 एकड़ में रबी फसलों की कृषि की जाती थी जबकि एनीकट निर्माण के बाद रबी फसलों की कृषि क्षेत्र में 36 प्रतिशत (260.56 एकड़) की वृद्धि हुई। तथापि कुल कृषि क्षेत्र (2449.58 एकड़) की तुलना में वृद्धि मात्र 11 प्रतिशत थी जो कि ₹ 208.12 करोड़ व्यय करने पर प्राप्त हुई।

निर्गम बैठक के दौरान सचिव ने बताया (दिसम्बर 2016) कि बस्तर जिले में रबी फसलों के कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई। तथापि राज्य के अन्य जिलों में रबी फसलों के कृषि क्षेत्रों में वृद्धि के प्रयास किये जा रहे हैं। तथापि विभाग के सचिव द्वारा इसे करने के लिए दिशानिर्देश प्रस्तुत नहीं किया गया।

2.1.9.2 निकटतम एनीकटों में भू-जल पुनर्भरण की स्थिति


केन्द्रीय भू-जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी), उत्तर मध्य छत्तीसगढ़ क्षेत्र, रायपुर द्वारा राज्य के 709 नग निरीक्षण कूपों (दोनों खुदे हुए कूप और पिजीयोमीटर) से वर्ष में चार बार जल स्तरों की निगरानी करता है। पानी की गुणवत्ता का भी वर्ष में एक बार आंकलन किया जाता है। इन निरीक्षण कूपों से प्राप्त डाटा का संकलन, विश्लेषण और समय-समय पर प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत तथा विभिन्न केन्द्रीय और राज्य शासन के विभागों को वितरित किया जाता है।

चयनित 72 एनीकटों से न्यूनतम दूरी पर स्थित सीजीडब्ल्यूबी के कूपों की पहचान उस क्षेत्र के अक्षाश और देशांतर स्थिति से की गई है। भू-जल स्तर के विश्लेषण के दौरान, वर्ष 2011–15 के दौरान सीजीडब्ल्यूबी द्वारा ली गई माप तथा भू-जल स्तर में वृद्धि तथा कमी (परिषिष्ट 2.1.4) का विवरण नीचे दर्शाये अनुसार है:-

तालिका 2.1.9 : चयनित एनीकटों में भू-जल स्तर का विवरण

एनीकटों की संख्या	भू-जल स्तर में वृद्धि 4 से 6 मीटर	भू-जल स्तर में वृद्धि 1 से 3 मीटर	कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं	भू-जल स्तर में कमी	निकटतम कूप की अनुपलब्धता
72	07	11	33	14	07

(स्रोत : जानकारी सीजीडब्ल्यूबी द्वारा प्रस्तुत एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)



उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि मात्र सात कूपों (10 प्रतिशत) में वृद्धि देखी गई तथा 11 कूपों (15 प्रतिशत) में आशिक वृद्धि देखी गई जबकि 33 कूपों (46 प्रतिशत) में कोई वृद्धि नहीं देखी गई। आगे 14 कूपों में भू-जल स्तर में 0.26 से 3.9 मीटर भू-जल स्तर से नीचे (एमबीजीएल) की कमी पाई गई।

इस प्रकार, एनीकटों के निर्माण के उपरान्त भी भू-जल स्तर में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं देखी गई जो कि एनीकट निर्माण के उद्देश्यों में से एक की विफलता दर्शाता है।

निर्गम बैठक के दौरान सचिव ने बताया (दिसम्बर 2016) कि बहुतायत में नलकूपों का खनन भू-जल स्तर में कमी का कारण हो सकता है। तथापि शासन ने उपचारात्मक उपाय सुनिश्चित करने के लिए डोमेन एक्सपर्ट की नियुक्ति द्वारा मूल कारणों का पता लगाने के लिए कोई पहल नहीं की गई।

2.1.9.3 एनीकटों के निर्माण पर ₹ 8.68 करोड़ का निष्कल व्यय

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2005–06 और 2012–13 के मध्य 72 चयनित एनीकटों के निर्माण हेतु राशि ₹ 245.12 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त एनीकट वर्ष 2007–08 और 2014–15 के मध्य राशि ₹ 208.12 करोड़ की लागत से पूर्ण किये गये।

हितग्राही सर्वेक्षण में यह सुनिश्चित हुआ कि यद्यपि नीं एनीकटों का निर्माण किया गया किन्तु वर्षभर पानी का भंडारण न होने से निस्तारी, कृषि उपयोग और भू-जल पुनर्भरण के उद्देश्य विफल हुए। इसके परिणामस्वरूप ₹ 8.68 करोड़ का व्यय निष्कल हुआ

इसी प्रकार सरगुजा जिले में वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 के मध्य निर्मित चार एनीकटों (बुलगा, डडगांव, चंगोरी और लिचिरमा) के संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया गया कि गेट स्थापित नहीं थे। अतः जल भंडारित नहीं हो सका। हितग्राहियों द्वारा लेखापरीक्षा को बताया गया कि इन एनीकटों में निर्माण के दौरान गेट लगाये गये थे किन्तु विगत तीन से चार वर्षों से गेट क्षतिग्रस्त है। तदुपरांत इन एनीकटों में लगे गेटों की न तो मरम्मत और रखरखाव किया गया न ही नये गेट लगाये गये जैसा कि संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लिये गये छायाचित्र में दर्शाया गया है।

⁸ हथकेरा, कवैया, सावंतपुर, टीपान नाला और ओटेंडा

कोंडागांव और सरगुजा जिले के ओटेंडा (12 जून 2016) और बुलगा (12 जुलाई 2016) एनीकट के छायाचित्र



अतः यह स्पष्ट है कि उपरोक्त कमियों के कारण निस्तारी, पीने एवं कृषि उपयोग हेतु जल का भंडारण नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त इन नौ एनीकटों के निकटतम क्षेत्रों में भू-जल स्तर में वृद्धि भी नहीं हो सकी। इस प्रकार इन एनीकटों के निर्माण पर किया गया व्यय ₹ 8.68 करोड़ (परिशिष्ट 2.1.5) निष्फल रहा।

केन्द्रीय भू-जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) उत्तर मध्य क्षेत्र छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा प्रस्तुत भू-जल आकड़ों से भी यह सुनिश्चित हुआ कि चार एनीकटों⁹ के पास स्थित चार कूपों के भू-जल स्तर में कमी आयी (- 0.26 से - 1.96 एमबीजीएल) जबकि तीन एनीकटों¹⁰ के पास के तीन कूपों के भू-जल स्तर में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ। सावतंपुर एनीकट में भू-जल स्तर में वृद्धि (6.2 एमबीजीएल) हुई जबकि कवैया एनीकट से संबंधित भू-जल स्तर में वृद्धि/कमी की जानकारी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गयी।

निर्गम बैठक के दौरान सचिव ने तथ्य को स्वीकार किया और बताया (दिसम्बर 2016) कि गेट/शटरों का प्रावधान किया जायेगा। तथापि विभाग द्वारा गेटों के क्षतिग्रस्त होने के करकों जिसके कारण एनीकटों का उपयोग बाधित हुआ की जांच नहीं की गई।

2.1.10 निगरानी तंत्र एवं मूल्यांकन

निर्माण कार्य नियमावली की धारा 1.002 के अनुसार जल संसाधन विभाग लघु सिंचाई योजनाओं के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। तदनुसार उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संरचना को बनाये रखने के लिये निर्मित एनीकटों/स्टापडैमों की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए प्रावधान किया जाना चाहिये। आगे, वर्षा ऋतु के पूर्व एवं उपरांत एनीकटों के गेटों को बंद करने एवं खोलने हेतु कर्मचारियों को तैनात किया जाना चाहिये ताकि अत्याधिक वर्षा या जल के अत्यधिक प्रवाह के कारण एनीकट की संरचना क्षतिग्रस्त न हो साथ ही साथ निस्तारी एवं कृषि उपयोग हेतु जल भंडारित हो सके। एनीकट निर्माण के उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु विभाग अथवा अन्य कार्यक्षेत्र विशेषज्ञ संस्था द्वारा मूल्यांकन भी किया जाना आवश्यक है। आगे, एआईबीपी के दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्ण लघु सिंचाई योजनाओं का मूल्यांकन राज्य शासन द्वारा किसी स्वतंत्र संस्था के माध्यम से कराया जायेगा। लेखापरीक्षा में निम्नानुसार पाया गया।

2.1.10.1 एनीकट से जल प्रदाय का प्रबंधन

प्रमुख अभियंता कार्यालय एवं 12 चयनित संभागों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि एनीकटों का स्वामित्व जल संसाधन विभाग के पास है एवं हितग्राहियों जो कि भंडारित जल के उपभोक्ता हैं को एनीकटों में भंडारित जल के प्रबंधन में शामिल नहीं

⁹ बुलगा (-0.26); चंगोरी (-0.26); डडगाँव (-0.77); और लिचिरमा (-1.96);

¹⁰ हथकेरा (0.45); टिपान नाला (0.00); और ओटेंडा (0.8);

किया जाता है। यद्यपि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में कृषकों द्वारा लिफ्ट इरीगेशन से सिंचाई क्षमता के सृजन का प्रावधान है किन्तु शासन द्वारा विद्युत कनेक्शन, खेतों तक नहर विस्तार के द्वारा जल प्रदाय इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की गई।

विभाग अथवा हितग्राहियों के संयुक्त प्रबंधन द्वारा या जल उपभोक्ता संस्थाओं की स्थापना द्वारा एनीकटों से जल प्रदाय प्रबंधन के अभाव में कृषक एनीकट निर्माण के वास्तविक लाभों से वंचित हैं क्योंकि विद्युत कनेक्शन के अभाव, पम्प एवं वित्तीय संसाधनों की कमी इत्यादि के साथ-साथ कृषकों के पास एनीकट से जल को सिंचाई हेतु अपने खेतों में ले जाने हेतु कोई साधन नहीं है।

इस प्रकार शासन एनीकटों से जल प्रदाय के प्रबंधन के अभाव में एनीकट के वास्तविक लाभों को कृषकों तक पहुंचाने में विफल रही।

2.1.10.2 मरम्मत एवं रखरखाव हेतु निधि का प्रावधान

चयनित 72 एनीकटों/स्टापडैमों से संबंधित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि निर्मित एनीकटों की मरम्मत एवं रखरखाव हेतु निधि का कोई प्रावधान नहीं किया गया। निधि के अभाव में क्षतिग्रस्त होने के कारण नौ एनीकटों¹¹ के गेट पूर्णतया बंद नहीं थे। परिणामस्वरूप निस्तारी एवं कृषि उपयोग हेतु जल भंडारित नहीं हो सका साथ ही साथ भू-जल स्तर बढ़ाने हेतु जल भंडारण के उद्देश्य की पूर्ति भी नहीं हो सकी।

समस्त 720 हितग्राहियों द्वारा बताया गया कि न तो एनीकट में भंडारित जल की सफाई की कोई व्यवस्था थी और न ही इसे ग्राम पंचायत अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा साफ किया गया। परिणामस्वरूप 18 एनीकटों¹² में सिल्ट/जलकुम्भी एकत्रित होने के कारण गेट अवरुद्ध थे। आगे एनीकटों में भंडारित जल की सफाई के अभाव में जल पीने एवं निस्तारी हेतु स्वास्थ्यकर नहीं था।

निर्गम बैठक के दौरान सचिव ने लेखापरीक्षा आपत्ति की सराहना की और बताया (दिसम्बर 2016) कि मरम्मत एवं रखरखाव हेतु निधि आवंटन के लिए वित्त विभाग से पत्राचार किया जा रहा है।

2.1.10.3 एनीकटों के रखरखाव और संचालन हेतु अमले की तैनाती

बहुत्तर चयनित एनीकटों के रखरखाव एवं संचालन हेतु लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि किसी भी अमले की तैनाती नहीं की गयी। परिणामस्वरूप दो एनीकटों हथकेरा और पल्ली के गेटों को सीमन्ट कंक्रीट द्वारा स्थाई रूप से बंद कर दिया गया जिसके कारण अत्यधिक वर्षा की बजह से अधिक जल भंडारण होने के कारण एनीकट की संरचना क्षतिग्रस्त होने का जोखिम है। आगे नौ एनीकटों में गेट पूर्णतया बंद नहीं थे परिणामस्वरूप निर्दिष्ट उद्देश्यों हेतु जल भंडारित नहीं किया जा सका।

निर्गम बैठक में सचिव ने तथ्य को स्वीकार किया और बताया (दिसम्बर 2016) कि एनीकटों के रखरखाव एवं संचालन हेतु पृथक से कोई अमला संलग्न नहीं है।

2.1.10.4 एनीकटों के निर्माण उपरान्त मूल्यांकन अध्ययन न किया जाना

एआईबीपी दिशानिर्देशों की कंडिका 5.2.3 के अनुसार राज्य शासन को किसी स्वतंत्र संस्था के द्वारा पूर्ण लघु सिंचाई योजनाओं का मूल्यांकन कराना है।

¹¹ अमोरा, आंगाबेड़ा, बड़गाँव, बम्हनी, मालाकोट, ओटेण्डा, परसदा, रहटाटोर और सिरपुर

¹² आमागोहन, अमलडीहा-सेमरिया, बम्हनी, बेलगहना, भौराडीह, डम्झडीह, डॉउदमडी, मोतिमपुर, नांदघाट-लिमतरा, पोड़ी, रहटाटोर, रवेलीसेण्डी, सरवनदेवरी, सावंतपुर, सिलपहरी, सिलतरा बोरेण्डा, सिरपुर और उर्तुम

जांच में पाया गया कि एआईबीपी के दिशानिर्देशों में उल्लेखित होने के बाद भी निर्मित एनीकटों द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु शासन द्वारा कोई मूल्यांकन अध्ययन नहीं कराया गया। अतः अभिलेखों से निर्दिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

निर्गम बैठक के दौरान सचिव ने बताया (दिसम्बर 2016) कि एआईबीपी दिशानिर्देशों के अनुसार एनीकटों के निर्माण के उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु मूल्यांकन अध्ययन कराने के लिये कदम उठाये जायेंगे।

2.1.11 निष्कर्ष

राज्य शासन एनीकट निर्माण की व्यवस्था के विस्तृत, नियोजित एवं प्रभावशाली क्रियान्वयन के लिये तैयार नहीं था। मास्टर प्लान जो कि शासन स्तर पर 15 वर्षों से लंबित था के अभाव में केवल टोपोशीट के आधार पर वर्ष 2005 में 595 एनीकटों के निर्माण की योजना बनायी गई। परिणामस्वरूप, विभाग द्वारा योजना पर अमल नहीं किया गया और 364 नियोजित एनीकटों को छोड़ते हुये तथा चयन की शर्तों का पालन न करते हुये, 538 अतिरिक्त एनीकट स्वीकृत किये गये।

एनीकट निर्माण हेतु स्थल चयन में वांछित सावधानी नहीं रखी गयी क्योंकि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में संभावनाओं के मूल्यांकन हेतु आवश्यक ऑकड़े जैसे कि वर्षा, फसल विफलता, ग्रीष्म एवं अन्य ऋतुओं में भू-जल स्तर आदि न तो शामिल किये गये न ही एकत्रित किये गये। अंतिम परिणाम यह हुआ कि 72 में से 62 एनीकट कार्य योजना में प्रावधानित सभी उद्देश्यों को पूर्ण करने में विफल रहे जबकि 22 एनीकटों (31 प्रतिशत) में आठ माह से अधिक जल नहीं पाया गया।

दौ सो अस्सी अपूर्ण एनीकटों के निर्दिष्ट उद्देश्यों हेतु एक से 10 वर्षों तक उपयोग न किये जाने से व्यय राशि ₹ 1,095.74 करोड़ निष्फल रही। आगे विभाग इन एनीकटों के पूर्ण करने में आई बाधाओं को दूर करने में एवं एनीकटों की पुरानी संरचनाओं में हुई क्षति का आकलन करने में असमर्थ रहा, विशेष तौर पर 119 एनीकट जो कि तीन से 10 वर्षों में भी पूर्ण नहीं हुए थे, से निकट भविष्य में इन एनीकटों के पूर्ण होने की संभावनाओं पर आशंका मैं वृद्धि करती है। चयनित एनीकटों में मजदूरों समस्या, नक्सल समस्या अथवा नदी या नालों में जल की उपलब्धता के कारण निर्माण कार्य बाधित होने से 65 एनीकटों के निर्माण में दो से 36 माह का विलम्ब हुआ। उसके साथ साथ एनीकटों के निर्माण के 18 से 20 माहों के अंदर क्षतिग्रस्त होना, गेट के बिना एनीकट का निर्माण एवं रखरखाव की कमी की वजह से 72 चयनित एनीकटों में से 18 एनीकट अनुपयोगी रहे।

एनीकटों के निर्माण के निर्दिष्ट उद्देश्य जैसे कि भू-जल पुनर्भरण और रबी मौसम में सिंचाई की पूर्ति नहीं हुई क्योंकि 72 चयनित एनीकटों में से 47 एनीकटों में भू-जल पुनर्भरण में सकारात्मक योगदान नहीं रहा और विद्युत कनेक्शन के अभाव, कृषि भूमि से एनीकट की अधिक दूरी, एनीकटों के आसपास के क्षेत्रों में किनारों की अत्यधिक ऊँचाई इत्यादि के कारण 79 प्रतिशत कृषियोग्य भूमि सिंचित नहीं हो सकी। तथापि शासन द्वारा विद्युत कनेक्शन और खेतों में पानी पहुँचाने के लिये के नहर इत्यादि की व्यवस्था के लिये पहल नहीं किया गया।

इसका कुल परिणाम यह हुआ कि वर्ष 2011–16 के दौरान एनीकटों के निर्माण पर राशि ₹ 1876.07 करोड़ का व्यय करने के बाद भी शासन योजना के संपूर्ण लाभों को प्राप्त करने में असमर्थ रहा।

2.1.12 अनुशंसाएं

राज्य में सतही एवं भू-जल के आकलन हेतु जल संसाधन विकास नीति 2012 के साथ ही जल संसाधन मास्टर प्लान अंतिशीघ्र तैयार किया जाना चाहिये।

नवीन एनीकट के निर्माण के समय भू-जल पुनर्भरण, जलधारा/नदी में जल की उपलब्धता एवं वर्षा के तरीके इत्यादि के लिये विशेषज्ञ का दिशानिर्देश लिया जाना चाहिये।

त्रुटिपूर्ण निर्माण, खराब गुणवत्ता प्रबंधन और रखरखाव में जानबूझकर अनदेखी करने वाले क्रियान्वयन प्राधिकारियों पर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिये।

शासकीय संपत्ति की रक्षा एवं उपलब्ध जल के अधिकतम उपयोग हेतु जब तक कि पूर्ण मूल्यांकन न हो वर्तमान एनीकटों के लिये अनुरक्षण योजना तैयार करने की आवश्यकता है।

सभी निर्मित एनीकटों की उपयोगिता को सुनिश्चित करने के लिये तकनीकी मूल्यांकन किया जाना चाहिये और अध्ययन के आधार पर आगे नहर का निर्माण एवं एनीकटों की मरम्मत की जानी चाहिये।

शासन द्वारा जल आपूर्ति एवं एनीकटों के रखरखाव के प्रबंधन के लिये जल उपभोक्ता संस्थाओं के निर्माण पर विचार किया जा सकता है, जैसा कि तालाबों के लिये किया जा रहा है।

स्कूल शिक्षा विभाग

2.2 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई अधिनियम) का कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम को शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, राज्य में 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। आरटीई अधिनियम छः से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बालकों को आसपास के विद्यालयों में अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्षों के भीतर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। छत्तीसगढ़ शासन ने अधिनियम की धारा 38 के अनुपालन में (नवम्बर 2010) नियम तैयार किया गया जिसे छत्तीसगढ़ निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (सीजीआरटीई) नियम 2010 से परिभाषित किया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार के कार्यान्वयन में वर्ष 2010–16 की अवधि के निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित प्रमुख निष्कर्ष प्रकट हुए:

राज्य शासन ने डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम शिक्षा गुणवत्ता अभियान प्रारंभ किया। शासन द्वारा आयोजित सर्वेक्षण के अनुसार कुल विद्यालयों में से केवल 25 प्रतिशत विद्यालयों ने ग्रेड 'ए' प्राप्त किया। शेष 75 प्रतिशत को 'बी' से 'डी' के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया गया जिसमें से 12 प्रतिशत को केवल ग्रेड 'डी' में रखा गया।

(कंडिका 2.2.6.1)

यद्यपि अधिनियम लागू होने के तीन वर्षों के भीतर अर्थात् मार्च 2013 तक आसपास में विद्यालय स्थापना का आदेश देता है, मार्च 2016 की स्थिति में 879 बसाहटों में प्राथमिक विद्यालय (प्रा.वि.) तथा 1,231 बसाहटों में उच्च प्राथमिक विद्यालय (उ.प्रा.वि.) नहीं थे। इसके अलावा अधिनियम की धारा 25 के उल्लंघन में राज्य के बसाहटों के विद्यालयों में प्रतिकूल शिष्य एवं अध्यापक अनुपात (आठ और 34 प्रतिशत के मध्य) के साथ—साथ अतिशेष शिक्षक (45 से 61 प्रतिशत के मध्य) सहअस्तित्व में थे। तथापि, शासन ने असंतुलन को दूर करने हेतु युक्ततम अनुपात को तीन वर्षों के भीतर अर्थात् मार्च 2013 तक प्राप्त करने के लिए शिक्षकों की उपलब्धता को युक्तिसंगत करने हेतु कोई भी व्यवस्था नहीं की। इसके अलावा अधिनियम की धारा (23) (2) के उल्लंघन में राज्य में मार्च 2016 की स्थिति में 11963 शिक्षक (20 प्रतिशत) अप्रशिक्षित थे।

(कंडिका 2.2.7.2, 2.2.8.4 और 2.2.8.5)

यद्यपि अधिनियम की धारा 9 (घ) एवं छत्तीसगढ़ आरटीई नियम 2010 के नियम 10 के अनुसार विद्यालयों को अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रहने वाले 14 वर्ष की आयु तक के बालकों का अभिलेख संधारित रखना था, किन्तु विभाग द्वारा प्रत्येक बालक के प्राथमिक शिक्षा को सुनिश्चित करने हेतु इस महत्वपूर्ण डाटा का संधारण नहीं किया गया। वर्ष 2010–16 की अवधि में समस्त प्रा.वि. में बालकों के नामांकन में गिरावट की प्रवृत्ति दर्शित हुई जबकि उक्त अवधि में निजी प्रा.वि. में वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शित हुई।

(कंडिका 2.2.7.3)

अधिनियम की धारा 4 के उल्लंघन में विद्यालय से बाहर बालकों के आयु के अनुसार प्रवेश के लिए विशेष प्रशिक्षण में सर्वेक्षण के अनुसार प्रशिक्षण की आवश्यकता हेतु बालकों के विरुद्ध 60 से 83 प्रतिशत की कमी रही। अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के उल्लंघन में, जो अधिनियम के प्रारंभ के तीन वर्षों के भीतर आधारभूत

सुविधाओं की स्थापना का आदेश देता है, नमूना जॉच विद्यालयों में नौ से 43 प्रतिशत विद्यालयों में आधारभूत संरचना जैसे शौचालय, कक्षागृह, पुस्तकालय तथा पेय जल सुविधाएँ मार्च 2016 की स्थिति में नहीं थी। अधिनियम की धारा 12 (1) (ग) का भी पालन नहीं किया गया क्योंकि निजी विद्यालयों में असुविधाग्रस्त समूह के प्रवेश की आवश्यक प्रतिशत को पूरा नहीं किया गया तथा 2012–16 के दौरान सात से लेकर 23 प्रतिशत तक कमी रही।

(कंडिका 2.2.7.5, 2.2.8.1 और 2.2.8.8)

सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत 2010–15 की अवधि में विभिन्न इकाईयों को विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु जारी राशि ₹ 166 करोड़ के अग्रिम का समायोजन मार्च 2016 तक लंबित था क्योंकि इन समितियों ने व्यय प्रतिवेदन राजीव गांधी शिक्षा मिशन (आरजीएसएम) को प्रस्तुत नहीं किया। इसके अलावा राशि ₹ 27.19 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा जिला मिशन समन्यवक, सरगुजा एवं मुंगेली से लंबित था क्योंकि सिविल कार्यों तथा प्रशिक्षण हेतु प्रदाय निधि का प्रशिक्षण केन्द्रों तथा सरपंचों के द्वारा आय तथा व्यय प्रेषित नहीं किया गया।

(कंडिका 2.2.9.5, 2.2.9.4 और 2.2.10.6)

संचालक, लोक शिक्षण ने विद्यालय गणवेश खरीदी में अनुमोदित दरों से उच्च दरों पर क्रय कर ₹ 25.29 करोड़ का अधिक व्यय किया यद्यपि उक्त अवधि में मिशन संचालक (एमडी), आरजीएसएम द्वारा समान सेट गणवेश अनुमोदित दरों पर क्रय किया गया। आगे एमडी, आरजीएसएम ने पाठ्यपुस्तकों को उच्च दरों पर क्रय कर ₹ 7.70 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया। इसके अलावा 20 विकासखण्डों के 7,217 पंचायत शिक्षकों को शासन के आदेशों का उल्लंघन कर ₹ 5.12 करोड़ अस्वीकार्य भत्तों का भुगतान किया गया।

(कंडिका 2.2.10.1, 2.2.10.2 और 2.2.10.5)

राज्य सलाहकार परिषद तथा विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा अपर्याप्त निगरानी पायी गयी। उपलब्धि सर्वेक्षण प्रतिवेदन विलंब से प्रस्तुत किया गया तथा डाटा का संकलन विलंब से किए जाने के कारण उस वर्ष योजना के उद्देश्यों हेतु उपयोग नहीं किया जा सका। प्रा.वि. तथा उ.प्रा.वि. का निरीक्षण जिला शिक्षा अधिकारी तथा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा मापदंड के अनुसार नहीं किया। राज्य में 485 विकासखण्ड स्त्रोत अमले तथा 412 संकुल स्त्रोत अमले की कमी थी।


(कंडिका 2.2.11 और 2.2.11.1)

2.2.1 प्रस्तावना

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम जिसे शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, प्राथमिक शिक्षा (कक्ष I से VIII) को सभी बालकों की मौलिक अधिकार बनाने के लिए 1 अप्रैल 2010 से राज्य में प्रभावी हुआ। आरटीई अधिनियम (अधिनियम) के अनुसार कि अधिनियम के लागू होने के तीन वर्षों के भीतर छ: से 14 वर्ष की आयु वर्ग के समस्त बालकों को आसपास के विद्यालयों में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन का मुख्य साधन है। छत्तीसगढ़ शासन (छ.ग.शा.) ने अधिनियम की धारा 38 के अनुसार नियमों को अधिनियमित (नवम्बर 2010) किया जिसे छत्तीसगढ़ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 कहा गया।

राज्य में मार्च 2016 की स्थिति में 56,119 शासकीय, शासकीय सहायता प्राप्त तथा निजी प्राथमिक विद्यालय¹ (प्रा.वि.) तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय² (उ.प्रा.वि.) थे (परिशिष्ट 2.2.1) जिसमें कि छ: से 14 वर्ष के 44.57 लाख बालकों का नामांकन किया गया था। वर्ष 2011–12 तथा 2015–16 के मध्य में शासकीय प्रा.वि. में केवल 1.36 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि निजी प्रा.वि. में 23.55 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उ.प्रा.वि. के मामले में, शासकीय विद्यालयों में केवल 1.78 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि निजी उ.प्रा.वि. में इसी अवधि में 57.89 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जैसे कि नीचे चार्ट में दिखाया गया है:

रेखा-चित्रः प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की वृद्धि



2.2.2 संगठनात्मक संरचना

अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समग्र रूप से सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग (विभाग) छ.ग.शा. उत्तरदायी है। इनकी सहायता हेतु राज्य स्तर पर संचालक लोक शिक्षण (डीपीआई), मिशन संचालक (एमडी), राजीव गांधी शिक्षा मिशन (आरजीएसएम) एवं जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) / जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) तथा विकासखण्ड स्तर पर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) / विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक (बीआरसी) हैं (परिशिष्ट 2.2.2)।

शिकायतों के निवारण के लिए राज्य शासन ने (जून 2010) राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) का गठन किया। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया को स्थापित करने के लिए शैक्षिक प्राधिकारी हैं।

2.2.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

अधिनियम की निष्पादन लेखापरीक्षा यह सत्यापित करने के लिए की गई कि क्या:

- अधिनियम ने छ: से 14 वर्ष की आयु के मध्य के सभी बालकों को अधिनियम के प्रारंभ के तीन वर्षों के भीतर प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के अपने उद्देश्य को प्राप्त किया;

¹ प्राथमिक विद्यालय (कक्षा I से V)–38277

² उच्च प्राथमिक विद्यालय (कक्षा VI से VII)–17842

- आबंटित की गई निधियों का उपयोग मितव्ययी एवं कुशल रूप से किया जा रहा था; एवं
- अधिनियम का कार्यान्वयन एवं निगरानी सुनियोजित रूप से की गई थीं।

2.2.4 लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) मार्च 2016 से जुलाई 2016 के दौरान वर्ष 2010–11 से 2015–16 की अवधि को शामिल कर किया गया था। लेखापरीक्षा में डीपीआई, एमडी, आरजीएसएम एवं सात जिलों³, 27 विकासखण्डों (20 ग्रामीण एवं सात शहरी) एवं 210 विद्यालयों (183 शासकीय एवं 27 शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों) (परिशिष्ट 2.2.3) के अभिलेखों का नमूना जांच किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा एससीपीसीआर एवं एससीईआरटी के कार्यालयों से भी जानकारी एकत्रित की गयी। जिलों का चयन बिना प्रतिस्थापन के आकार के समानुपातिक प्रायिकता (पीपीएसडब्ल्यूओआर) के आधार पर किया गया था। विकासखण्डों एवं सात जिलों में विद्यालयों का चयन प्रतिस्थापन के बिना सरल यादृच्छिक प्रतिचयन (एसआरएसडब्ल्यूओआर) के आधार पर किया गया था। इसके अतिरिक्त 210 नमूना जांच विद्यालयों का भौतिक सत्यापन भी किया गया था।

लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली तथा मापदंडों पर सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, छ.ग.शा. से चर्चा के लिए 10 मई 2016 को एक आगम बैठक आयोजित की गयी थी एवं लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा के लिए निर्गम बैठक का आयोजन 28 अक्टूबर 2016 को किया गया था। सचिव के जवाबों को इस प्रतिवेदन में संबंधित स्थानों पर उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। पॉच शासकीय एवं तीन सहायता प्राप्त शासकीय विद्यालयों द्वारा लेखापरीक्षा को आवश्यक जानकारी प्रस्तुत नहीं की गयी (परिशिष्ट 2.2.4)।

2.2.5 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा मानदंड को निम्नलिखित स्त्रोतों से प्राप्त किया गया:

- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009
- छत्तीसगढ़ निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (सीजीआरटीई) नियम, 2010
- निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 पर आधारित योजना दिशानिर्देश, एसएसए दिशानिर्देश /फ्रेमवर्क
- राज्य शासन द्वारा आरटीई अधिनियम अंतर्गत व्यय के लिए बनाए गए मानदंडों
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी), भारत सरकार (भा.स.) एवं छ.ग.शा. द्वारा जारी विभिन्न आदेशों, अधिसूचनाएँ, परिपत्रों एवं अनुदेशों, निष्पादन प्रतिवेदनों, प्रबंधकीय सूचना प्रतिवेदनों
- छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता, छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता और छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम, 2002

³ बलौदाबाजार—भाटापारा, बस्तर, धमतरी, मुंगेली, रायपुर, राजनौदगांव एवं सरगुजा

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.2.6 राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता

2.2.6.1 गुणवत्ता आधारित विद्यालयों का श्रेणीकरण

डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम गुणवत्ता अभियान अंतर्गत राज्य में केवल 25 प्रतिशत विद्यालयों ने ही ग्रेड 'ए' प्राप्त किया


राज्य शासन ने शिक्षा की गुणवत्ता में उन्नयन हेतु डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम शिक्षा गुणवत्ता अभियान की शुरूआत (सितम्बर 2013) किया। शासन ने प्रश्नावली⁴ के माध्यम से विद्यालयों के सर्वेक्षण के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को नियुक्त किया। मार्च 2015 की स्थिति में राज्य के कुल 53,269 विद्यालयों में से 43,529 विद्यालयों (82 प्रतिशत) को इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया। विस्तृत विवरण तालिका 2.2.1 में नीचे दर्शाया गया है।

तालिका 2.2.1 विद्यालयों के श्रेणी को दर्शाने वाला विवरण

विद्यालयों की संख्या	शामिल किये गये विद्यालय	श्रेणी ⁵			
		ए	बी	सी	डी
53269	43529	11094	16569	10676	5190

(स्रोत: आरजीएसएम द्वारा प्रदाय की गई जानकारी)

चार्ट 3: डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम गुणवत्ता अभियान के अंतर्गत विद्यालयों का श्रेणीकरण



उपरोक्त तालिका तथा ग्राफ यह दर्शाते हैं कि कुल विद्यालयों में से केवल 25 प्रतिशत विद्यालयों ने ग्रेड 'ए' प्राप्त किया तथा दो तिहाई विद्यालय ग्रेड 'बी' 'सी' तथा 'डी' स्थान पर रहे जिसमें शिक्षा गुणवत्ता सुधार की आवश्यकता है।

निर्गम बैठक के दौरान शासन ने बताया (अक्टूबर 2016) कि चूंकि यह अनवरत प्रक्रिया है इसलिए विद्यालयों की गुणवत्ता के सुधार के लिए प्रयास किया जायेगा। तथापि तथ्य यह है कि राज्य के कुल विद्यालयों में से केवल 25 प्रतिशत विद्यालयों ने ग्रेड 'ए' प्राप्त किया।

⁴ प्रारंभिक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के मूल्यांकन के संबंध में सौ प्रश्नों को तैयार किया गया तथा मूल्यांकन के आधार पर विद्यालयों को श्रेणी प्रदान किया गया।

⁵ सौ विन्तुओं में कुल संख्या में प्राप्त "हों" उत्तर के आधार पर श्रेणी "ए", "बी", "सी" एवं "डी" का निर्धारण किया गया था।

2.2.6.2 राज्य में आरटीई अधिनियम का प्रभाव

भारत में “शिक्षा का अधिकार के प्रभाव का आकलन” पर मार्च 2016 में प्रकाशित भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) तथा केपीएमजी प्रतिवेदन के अनुसार छत्तीसगढ़ को सभी राज्यों के साथ शैक्षिक विकास सूचकांक (ईडीआई) में 22वें तथा राष्ट्रीय मूल्यांकन सर्वेक्षण (एनएएस) में 17वां स्थान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार पड़ोसी राज्यों जैसे झारखण्ड ने एनएएस में 25वां स्थान तथा ईडीआई में 35वां स्थान प्राप्त किया जबकि मध्यप्रदेश ने एनएएस में 16वां स्थान तथा ईडीआई में 28वां स्थान प्राप्त किया। इससे यह परिलक्षित होता है कि छत्तीसगढ़ राज्य अन्य राज्यों की तुलना में आरटीई मानदण्डों के अनुपालन में तेजी से सुधार कर रहा है।

2.2.7 योजना, कवरेज एवं कार्यान्वयन

2.2.7.1 योजना

राज्य शासन ने जिले की योजना से एडब्ल्यूपी एण्ड बी तैयार किया एवं पीएबी को समय पर प्रस्तुत किया

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिला स्तर पर योजना तैयार किया जाना है। जिला एवं राज्य वार्षिक कार्य योजना अधिनियम के संदर्भ में एमएचआरडी, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के आधार पर तैयार की जानी है। वार्षिक कार्य योजना की तैयारी समस्याओं की पहचान पर आधारित विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) द्वारा आयोजित परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से की जाती है। एसएसए के तहत बजट प्रस्तावों को वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (एडब्ल्यूपी एण्ड बी) के रूप में एसएसए के नियमों में निर्दिष्ट सभी गतिविधियों को शामिल करते हुए तैयार किया जाता है। एमएचआरडी, भारत सरकार द्वारा गठित परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा बजट योजना की समीक्षा एवं अनुमोदन किया जाता है।

सात जिलों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि सभी जिलों ने प्रत्येक वर्ष घरेलू सर्वेक्षण के आधार पर वार्षिक योजनाओं को तैयार किया एवं राज्य परियोजना कार्यालय (एसपीओ), आरजीएसएम को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। राज्य शासन ने जिलों के योजना से एडब्ल्यूपी एण्ड बी तैयार किया एवं इन सभी वर्षों के लिए समय में पीएबी को प्रस्तुत किया।

2.2.7.2 स्कूलों का कवरेज

सीजीआरटीई नियम, 2010 के नियम 6 एवं आरटीई अधिनियम, 2009 के धारा 6, आसपास के विद्यालय की सीमा कक्षा I एवं V के लिए एक किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर एवं कक्षा VI एवं VIII के लिए निवास से तीन किलोमीटर की दूरी के भीतर परिभाषित करता है। आगे शासन को ऐसे क्षेत्र या आसपास जहाँ यह स्थापित नहीं है, अधिनियम के प्रारंभ होने से तीन वर्ष की अवधि के भीतर एक विद्यालय स्थापित करना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य में 41,974 बसाहटों में से 41,095 बसाहटों में प्रावि है एवं मार्च 2016 की स्थिति में 879 बसाहटें बिना के थी। उच्च प्राथमिक स्तर पर 40,743 बसाहटों में उप्रावि है एवं 1,231 बसाहटों में कोई भी नहीं था।

अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान के अनुसार राज्य शासन को मौजूदा स्कूलों एवं बिना स्कूलों के बसाहटों के मानचित्रण का कार्य मार्च 2013 तक पूर्ण करना था। लेकिन राज्य शासन ने तीन वर्षों के विलम्ब के साथ मार्च 2016 में पूर्ण किया। इस प्रकार विद्यालयों के मानचित्रण में विलम्ब के परिणामस्वरूप बसाहटों को शामिल करने के लिए विद्यालयों की आवश्यकता के आकलन में अनुवर्ती विलम्ब था।

निर्गम बैठक के दौरान विभाग के सचिव द्वारा बताया (अक्टूबर 2016) गया कि एक नए विद्यालय खोलने के लिए कम से कम दस बालकों का होना आवश्यक है। बसाहटें जो कि बिना प्रा.वि. एवं उ.प्रा.वि. के हैं वहां पर पर्याप्त संख्या में बालक उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा सचिव ने मानचित्रण में विलम्ब के कारणों की जांच करने का आश्वासन दिया। तथापि सचिव द्वारा दस बालकों से कम के बसाहटों की कोई जानकारी प्रदान नहीं की गयी तथा ऐसे में उत्तर की वास्तविकता की पुष्टि लेखापरीक्षा में नहीं हो सकी।

2.2.7.3 बालकों एवं नामांकन का कवरेज

अधिनियम की धारा 9 (घ) एवं सीजीआरटीई नियम, 2010 के नियम 10 के अनुसार प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा एवं अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले 14 वर्ष तक के आयुर्वर्ग के बालकों का अभिलेख संधारित रखेगा। वर्ष 2010–16 अवधि के दौरान छः से 14 वर्ष के बालकों की जनसंख्या, नामांकन एवं ड्रापआउट का विवरण नीचे तालिका 2.2.2 में दी गई है।

तालिका 2.2.2: राज्य में बालकों की जनसंख्या, नामांकन एवं ड्रापआउट का विवरण (आंकड़े संख्या में)

वर्ष	बालकों की संख्या जिन्होने नामांकन की आयु 6–14 वर्ष प्राप्त की	नामांकित बालकों की संख्या	ड्रापआउट की संख्या	ड्रापआउट का प्रतिशत
2010–11	उपलब्ध नहीं	4637000	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2011–12	4533143	4743000	64860	1.36
2012–13	4562631	4752000	76204	1.60
2013–14	4494411	4590000	56159	1.22
2014–15	4471088	4549000	50373	1.11
2015–16	4333179	4457000	36511	0.81

(स्रोत: आरजीएसएम द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

विभाग के पास सभी योग्य बालकों के नामांकन सुनिश्चित करने के लिए राज्य की वास्तविक स्थिति एवं डाटाबेस नहीं था

विभाग द्वारा नामांकन एवं ड्रापआउट के आंकड़े प्रस्तुत किये गये परन्तु नामांकन की आयु प्राप्त करने वाले बालकों के आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर सका क्योंकि इसका संधारण नहीं किया गया था। तथापि लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि विभाग द्वारा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, शैक्षिक योजना एवं प्रशासन (एनईयूपीए) द्वारा जनगणना 2011 के आधार पर नामांकन की आयु छः से 14 वर्ष प्राप्त करने वाले बालकों की जनसंख्या के संधारित आंकड़े उपयोग किया जा रहे हैं। इससे इंगित होता है कि विभाग के पास छः से 14 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले बालकों का डाटाबेस नहीं था जिससे कि उन्हे प्रारंभिक शिक्षा के लिए नामांकित करे जो कि अधिनियम का उल्लंघन है।


बालकों की जनसंख्या के आंकड़े जो कि 2011 के पहले के तिथि के हैं के उपयोग किए जाने के परिणामस्वरूप नामांकन के आंकड़े, ऐसे बालकों जिन्होने नामांकन की आयु प्राप्त कर ली है कि संख्या से अधिक है और इस प्रकार आवास्तविक साबित हुये। तथापि 2011–13 की अवधि को छोड़कर आंकड़े इन वर्षों में नामांकन में गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाते हैं जिसका कारण एमडी, आरजीएसएम के कथनानुसार निजी विद्यालयों के प्रति बालकों का झुकाव था।

नामांकन के विवरण परिशिष्ट-2.2.5 एवं 2.2.6 में दर्शित है। एमडी, आरजीएसएम के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि विद्यालयों में नामांकन की स्थिति निम्नलिखित थी:

शासकीय विद्यालयों में नामांकनों में गिरावट की प्रवृत्ति थी इसके विपरीत निजी विद्यालयों में वृद्धि की प्रवृत्ति पायी गयी।

(अ) राज्य में नामांकन की स्थिति

- (i) राज्य के समस्त प्रा.वि. (निजी विद्यालयों सहित) में बालकों का नामांकन में वर्ष 2010–11 में 31.58 लाख से वर्ष 2015–16 में 27.93 लाख होकर, वर्ष 2010–16 के दौरान 3.65 लाख तक (11.56 प्रतिशत) की कमी हुई (परिशिष्ट 2.2.5)। विभाग ने नामांकन में घटती प्रवृत्ति का कारण पालकों का पलायन बताया।
- (ii) शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त प्रा.वि. के मामले में नामांकन वर्ष 2010–11 में 26.32 लाख से वर्ष 2015–16 में 20.11 लाख होकर, वर्ष 2010–16 के दौरान 6.21 लाख (23.59 प्रतिशत) तक कम हो गया। इसके विपरीत निजी प्रा.वि. के मामले में नामांकन में वर्ष 2010–11 में 5.26 लाख से वर्ष 2015–16 में 7.82 लाख होकर उक्त अवधि में 2.56 लाख तक की वृद्धि हुई (परिशिष्ट 2.2.6)।
- (iii) समस्त उ.प्रा.वि. (निजी विद्यालयों सहित) में नामांकन 2010–11 में 14.79 लाख से 2015–16 में 16.64 लाख होकर, 2010–16 के दौरान 1.85 लाख (12.51 प्रतिशत) तक की वृद्धि हुई, जबकि शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त उ.प्रा.वि. में उक्त अवधि में नामांकन 12.50 लाख से बढ़कर 13.06 लाख हो गया और 0.56 लाख (4.48 प्रतिशत) तक की वृद्धि हुई। प्रा.वि. के विपरीत सभी उ.प्रा.वि. में नामांकन उत्साहजनक है। तथापि मध्य में यदाकदा विपरीत प्रवृत्ति थी (परिशिष्ट 2.2.6)।
- (iv) निजी उ.प्रा.वि. में नामांकन 2010–11 में 2.29 लाख से 2015–16 में 3.58 लाख होकर, 2010–16 के दौरान 1.29 लाख (56.33 प्रतिशत) तक की स्थिर वृद्धि को दिखाता है (परिशिष्ट 2.2.6)।



मिशन संचालक द्वारा बताया गया कि प्रा.वि. में नामांकन में कमी का कारण नई पीढ़ी का अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों के प्रति झुकाव एवं पालकों की निजी विद्यालयों में प्राथमिकता थी।


(ब) नमूना जांच जिलों/विद्यालयों में नामांकन

नामांकन के लिए प्रत्येक विद्यालयों में प्रत्येक वर्ष के लिए लक्ष्य तय किया जाता है। चयनित सात जिलों के नमूना जांच किए गए 210 विद्यालयों के नामांकन एवं लक्ष्य की पूर्ति का विस्तृत विवरण नीचे तालिका 2.2.3 में दिया गया है:

तालिका 2.2.3: जांच किए गए विद्यालयों में नामांकन के लक्ष्य में कमी का विवरण


वर्ष	लक्ष्य सीमा	उपलब्धि सीमा	विद्यालयों में लक्ष्य प्राप्ति में कमियों की संख्या	सीमा (विद्यालयों में प्रवेशित नहीं किए गए बालकों की संख्या)	औसत कमियाँ
2010–11	10–550	8–534	32	1–41	8
2011–12	8–550	4–530	29	1–64	12
2012–13	8–520	7–514	32	1–56	11
2013–14	9–500	3–455	33	1–46	11
2014–15	5–400	2–388	29	1–51	13
2015–16	9–350	2–320	32	1–67	13

(स्रोत: विद्यालयों के अभिलेख से लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)



उपरोक्त तालिका एवं चार्ट से स्पष्ट है कि नमूना जांच किए गए 210 विद्यालयों में से 29 से 33 विद्यालयों में नामांकन हेतु नियत किए गए लक्ष्य की प्राप्ति में कमी थी एवं 2010–16 के दौरान नियत किए गए लक्ष्य के विरुद्ध एक और 67 की सीमा के मध्य बालकों को नामांकित नहीं किया गया था। पच्चीस विद्यालय एक से पांच वर्षों में एवं 15 विद्यालय में सभी छः वर्षों में नामांकन हेतु अवधि 2010–16 में नियत किए गए लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे।

वर्ष 2015–16 में अलग–अलग 32 विद्यालयों (परिशिष्ट 2.2.7) में नामांकन के लक्ष्य में कमी का रेखांकन नीचे दिखाया गया है:



निर्गम बैठक के दौरान शासन ने जबाब दिया (अक्टूबर 2016) कि नामांकन की आयु प्राप्त करने वाले बालकों का डाटाबेस बनाने के लिए प्रणाली विकसित की जाएगी। तथ्य यह है कि बालकों के डाटाबेस विभाग द्वारा तैयार नहीं किया गया है।

2.2.7.4 प्रतिधरण एवं झापआउट


एक वर्ष के दौरान विद्यालय में बालकों की संख्या को नामांकित बनाए रखना बालकों का प्रतिधरण है। वर्ष 2011–16 के दौरान राज्य में प्रा.वि. एवं उ.प्रा.वि. में बालकों के प्रतिधरण की स्थिति का विस्तृत विवरण नीचे तालिका 2.2.4 में दिया गया है:

तालिका 2.2.4: राज्य में प्रतिधरण के प्रतिशत का प्रदर्शित विवरण

(प्रतिशत में)

विद्यालयों	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
प्राथमिक	79	80	83	84	89
उच्च प्राथमिक	66	60	71	67	77
अंतर	13	20	12	17	12

(स्रोत: आरजीएसएम द्वारा प्रदायित जानकारी)



उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2011–16 के दौरान पिछले वर्षों में प्रतिधरण की दर में वृद्धि हुई है किंतु उच्च प्राथमिक स्तर पर अस्थिर थी।

विशेषतया उच्च प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक स्तर की तुलना में प्रतिधरण कम था एवं प्राथमिक स्तर के संदर्भ में दर में अंतर 12 एवं 20 प्रतिशत के मध्य था। जैसा कि एमडी, आरजीएसएम के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्रतिधरण में कमी का मुख्य कारण ड्रापआउट, पलायन एवं मृत्यु था।

(अ) चयनित जिलों में स्थिति


वर्ष 2011–16 के दौरान चयनित जिलों में प्रा.वि. एवं उ.प्रा.वि. में ड्रापआउट की स्थिति का विस्तृत विवरण नीचे तालिका 2.2.5 में दिया गया है:

तालिका: 2.2.5: चयनित जिलों में ड्रापआउट का विवरण

वर्ष 2010–11 की तुलना में 2015–16 में ड्रापआउट प्रतिशत में वृद्धि/कमी

जिले का नाम	वर्ष					
	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
सरगुजा	4328	6821	1958	1324	1087	1145 (−74)
धमतरी	3825	3612	2501	2027	2325	880 (−77)
रायपुर	4739	6544	6990	10350	10571	9912 (109)
राजनांदगांव	2917	2033	1484	1217	1053	561 (−81)
बलौदाबाजार—भाटापारा	554	677	461	544	686	783 (41)
बस्तर	9125	6457	6197	7944	4613	5290 (−42)
मुंगेली	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	1815	1557	1696 (−7)

(स्रोत: डीईओ एवं डीपीसी द्वारा प्रदायति जानकारी एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)



सात चयनित जिलों में से दो यथा बलौदाबाजार-भाटापारा एवं रायपुर में 2010–11 की तुलना में 2015–16 में ड्रापआउट दर में कमशः 41 प्रतिशत एवं 109 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके विपरीत पाँच जिलों⁶ में ड्रापआउट में गिरावट हुई तथा 2010–11 की तुलना में 2015–16 में गिरावट का प्रतिशत सात एवं 81 प्रतिशत के मध्य था।

निर्गम बैठक के दौरान शासन द्वारा बताया (अक्टूबर 2016) गया कि प्रतिधरण के प्रतिशत को सत्यापित किया जाएगा एवं ड्रापआउट के मुख्य कारण परिवार के साथ मजदूरों का मौसमी प्रवास था। तथ्य यह है कि शासन ने अपने जबाब के समर्थन में बालकों के पलायन के संबंध में कोई भी आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए।


⁶ बस्तर (42), धमतरी (77), मुंगेली (7), राजनांदगांव (81) तथा सरगुजा (74)

2.2.7.5 विद्यालय से बाहर के बालकों का प्रशिक्षण

विद्यालय से बाहर रहे बालकों के प्रशिक्षण में लक्ष्य के विरुद्ध कमी थी।

अधिनियम की धारा 4 के अनुसार जहाँ छः वर्ष से अधिक की आयु के किसी बालक को किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया है या प्रवेश तो दिया गया है पर उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है तो उसे उसकी आयु के अनुसार यथोचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। आगे अधिनियम में यथोचित आयु के अनुसार प्रवेश के लिए विद्यालय से बाहर के बालकों को विशेष प्रशिक्षण देना प्रावधानित है।

लेखापरीक्षा में वर्ष 2010–16 की अवधि में पाया गया कि एमडी, आरजीएसएम ने एडब्ल्यू पी एण्ड बी में सर्वेक्षण किए गए 5.54 लाख बालकों के विरुद्ध 3.98 लाख विद्यालय से बाहर रहे बालकों को प्रशिक्षण के लिए प्रस्तावित किया जिसे भा.शा. द्वारा स्वीकार किया गया था। इसके परिणामस्वरूप विद्यालय से बाहर रहे बालकों के प्रशिक्षण में 1.56 लाख की कमी थी जो कि 2010–16 के दौरान 60 एवं 83 प्रतिशत के मध्य थी। उक्त अवधि में प्रशिक्षण के लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं किया गया एवं प्राप्ति में कमी 32 एवं 80 प्रतिशत (परिशिष्ट 2.2.8) के मध्य थी।



निर्गम बैठक के दौरान शासन द्वारा बताया (अक्टूबर 2016) गया कि सर्वेक्षण किए गए बालकों के प्रशिक्षण के अधिकतम प्रतिशत को समाविष्ट करने के लिए प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। तथ्य यह है कि विभाग ने अधिनियम के प्रावधान का पालन नहीं किया एवं वैध कारण के बिना बालकों की कम संख्या के लिए प्रशिक्षण की योजना बनायी।

2.2.7.6 बालकों के लिए विशेष आवश्यकता के साथ परिवहन एवं अनुरक्षण भत्ता

अधिनियम की धारा 3 (3) के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बालकों (सीडब्ल्यूएसएन) को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार रहेगा। सीडब्ल्यूएसएन ऐसे बालक हैं जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं या विभिन्न स्तर, प्रकृति और श्रेणी के शारीरिक दिव्यांग हैं। एसएसए के वित्तीय प्रबंधन एवं अधिप्राप्ति (एमएफएम एण्ड पी) के नियम 35.3 के अनुसार प्रत्येक विशेष आवश्यकता वाले बालक को आवश्यक समर्थित सुविधाओं के साथ नियमित विद्यालयों में रखा जाना चाहिए।

एमडी, आरजीएसएम के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि सभी शारीरिक रूप से दिव्यांग बालकों (14 से 67 प्रतिशत) को परिवहन की सुविधा के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था एवं 2011–16 के दौरान नेत्रहीन बालकों (36 से 84 प्रतिशत) को भी अनुरक्षण की सुविधा प्रदाय नहीं की गयी (परिशिष्ट 2.2.9 एवं 2.2.10)। विभाग ने इस

समस्त शारीरिक रूप से दिव्यांग बालकों तथा नेत्रहीन बालकों को परिवहन एवं अनुरक्षण भत्ता की सुविधाओं में शामिल नहीं किया गया

प्रकार अधिनियम के अनुसार जरूरतमंद को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना सुनिश्चित नहीं किया एवं जरूरतमंद को सुविधाओं से वंचित रखा।

निर्गम बैठक के दौरान शासन द्वारा बताया (अक्टूबर 2016) गया कि परिवहन एवं अनुरक्षण की सुविधा के अंतर्गत दिव्यांग बालकों के अधिकतम प्रतिशत को समाविष्ट करने के लिए प्राथमिकताएँ तय की जायेगी। तथ्य यह है कि सभी शारीरिक रूप से अशक्त बालकों को परिवहन सुविधाओं के अंतर्गत समाविष्ट नहीं किया गया एवं नेत्रहीन बालकों को बिना किसी वैध आधार के अनुरक्षण की सुविधा प्रदान नहीं किया गया था।

2.2.8 भौतिक एवं शैक्षणिक आधारभूत सुविधा का निर्माण

2.2.8.1 भौतिक आधारभूत संरचना

अधिनियम की धारा 19 (2) के अनुसार जहाँ इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व स्थापित कोई विद्यालय अनुसूची में विनिर्दिष्ट मानदण्ड और मानकों जैसे कि बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय, प्रत्येक अध्यापक के लिए कम से कम एक कक्षा, प्रधान पाठक के लिए कमरा, बाधा मुक्त पहुँच, पेय जल की सुविधाएँ, बाउंड्री वाल एवं खेल का मैदान को पूरा नहीं करता है वहाँ वह प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर यथा मार्च 2013 तक स्वयं के व्यय पर ऐसे मानदण्ड और मानकों को पूरा करने के कदम उठाएगा।

अधिनियम की धारा 19 का उल्लंघन करते हुए विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएँ प्रदान नहीं की गयी क्योंकि 2,551 कार्य पूर्ण होने की समय सीमा में अपर्ण रहे

एमडी, आरजीएसएम और डीपीआई के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि विभिन्न आधारभूत सुविधाओं जैसे कि विद्यालय भवनों, शौचालयों, पेय जल की सुविधाएँ एवं अशक्त के लिए विशेष शौचालयों एवं प्रधान पाठक के कमरे, के पूरा होने के लिए तीन वर्ष की समय सीमा का पालन नहीं किया गया। वर्ष 2001–10 के दौरान 68,879 स्वीकृत सिविल कार्यों में से 2,551 कार्य (चार प्रतिशत) मार्च 2013 तक अपूर्ण रहे (परिशिष्ट 2.2.11)। आगे राज्य में 2010–16 के दौरान 1.60 लाख स्वीकृत कार्यों में से 20,988 कार्य (13 प्रतिशत) मार्च 2016 तक अपूर्ण रहे। मार्च 2013 एवं मार्च 2016 दोनों की स्थिति में विभिन्न घटकों के लिए आधारभूत संरचना का प्रतिशत दो से 43 तक रहा (परिशिष्ट 2.2.12)। जांच किए गए सात जिलों में मार्च 2016 की स्थिति में 2,638 कार्य अपूर्ण थे जिसमें कि एक से 13 वर्षों तक राशि ₹ 66 करोड़ अवरुद्ध रहा।


(अ) नमूना जांच किए गए विद्यालयों की स्थिति

दो सौ दस नमूना जांच शासकीय/सहायता प्राप्त शासकीय विद्यालयों के भौतिक सत्यापन में आधारभूत सुविधाओं में मार्च 2016 की स्थिति में पायी गयी कमियों का विस्तृत विवरण नीचे तालिका 2.2.6 दिया गया है:

तालिका 2.2.6: विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के नहीं होने का विवरण

कं. सं.	आधारभूत सुविधाओं के नाम	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं	जानकारी उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं का प्रतिशत
1.	पृथक शौचालय (बालकों एवं बालिकाओं)	156	45	9	22
2.	पेय जल की सुविधाएँ	182	18	10	9
3.	पुस्तकालय	161	39	10	20
4.	खेल का मैदान	126	75	10	37
5.	किचेन शेड	164	35	11	18
6.	प्रधान पाठक कमरा	155	45	10	23
7.	बाउंड्री वॉल	114	87	9	43

(स्रोत: विद्यालयों द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)



उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 210 शासकीय/शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में से 18 से 87 विद्यालयों में नौ एवं 43 प्रतिशत के मध्य कोई आधारभूत सुविधाएँ नहीं थीं जिसका कारण कार्यों का अपूर्ण रहना, निर्माण एजेन्सियों अर्थात् पंचायत सचिवों द्वारा निधियों का दुरुपयोग के अतिरिक्त कार्यों की धीमी गति से क्रियान्वयन तथा निर्माण एजेन्सियों का परिवर्तन इत्यादि था जैसा कि आगामी कंडिकाओं में चर्चा किया गया है।

निर्गम बैठक के दौरान शासन ने बताया (अक्टूबर 2016) कि आधारभूत सुविधाओं को पूर्ण करने के लिए निधियों की व्यवस्था की जाएगी। तथ्य यह है कि आधारभूत सुविधाओं को 2013 एवं 2016 तक भी पूर्ण नहीं करना, अधिनियम के आदेश का उल्लंघन था।

2.2.8.2 अपूर्ण बाउंड्री वाल पर ₹ 19.82 करोड़ का निष्फल व्यय

पांच नमूना जांच जिलों में ₹ 19.82 करोड़ के व्यय के बाबजूद मार्च 2016 की स्थिति में 678 बाउंड्री वाल पूर्ण नहीं थे

राज्य शासन ने प्रा.वि. एवं उ.प्रा.वि. में 9,130 बाउंड्री वाल के निर्माण की स्वीकृति (2010–16) दी जिसमें से 7,417 बाउंड्री वाल (81 प्रति शत) अपूर्ण थे, 1,482 (16 प्रतिशत) प्रगति में एवं 231 (तीन प्रतिशत) निधि के अभाव में मार्च 2016 तक अपूर्ण रहे।

सात नमूना जांच जिलों में से पाँच जिलों में शासन ने 2010–13 के दौरान 678 विद्यालयों में बाउंड्री वाल के निर्माण के लिए ₹ 39.55 करोड़⁷ की स्वीकृति दी एवं ₹ 19.82⁸ करोड़ की प्रथम किस्त जारी की। कार्यों को उसकी स्वीकृति दिनांक से तीन महीने के भीतर पूर्ण किया जाना था। तथापि लेखापरीक्षा में देखा गया कि अक्टूबर 2016 की स्थिति तक बाउंड्री वाल के निर्माण कार्य को पूर्ण नहीं किया जा सका था क्योंकि द्वितीय एवं अंतिम किस्त जारी नहीं की गयी थी। इन अपूर्ण बाउंड्री वाल पर शासन ने अक्टूबर 2016 तक ₹ 19.82 करोड़ का व्यय किया जो कि निष्फल हुआ।

निर्गम बैठक के दौरान शासन ने पुष्टि की (अक्टूबर 2016) कि बाउंड्री वाल कार्यों को पूर्ण नहीं किया गया क्योंकि द्वितीय किस्त भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की गयी। शासन ने आगे बताया कि इसे अन्य स्त्रोतों से निधि की व्यवस्था कर पूर्ण किया जाएगा। तथापि शासन ने इनको पूर्ण किए जाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित

⁷ बलौदाबाजार—भाटापारा—₹ 12.88 करोड़, बस्तर—₹ 13.69 करोड़, धमतरी—₹ 1.08 करोड़, रायपुर—₹ 10.50 करोड़ एवं राजनांदगांव—₹ 1.40 करोड़

⁸ बलौदाबाजार—भाटापारा—₹ 6.44 करोड़, बस्तर—₹ 6.85 करोड़, धमतरी—₹ 0.54 करोड़, रायपुर—₹ 5.25 करोड़ एवं राजनांदगांव—₹ 0.74 करोड़

नहीं की यद्यपि इन कार्यों के पूर्ण होने की अवधि समाप्त हुए तीन से पांच वर्ष हो गए थे।

2.2.8.3 विद्यालय विकास योजना की तैयारी

सीजीआरटीई नियम, 2010 के नियम 4 के अनुसार एसएमसी उसी वित्तीय वर्ष जिसमें अधिनियम के अधीन उसका पहली बार गठन किया गया है के अंत से कम से कम तीन माह पूर्व एक विद्यालय विकास योजना (एसडीपी) तैयार करेगा। एसडीपी तीन वर्षीय योजना होगी जिसमें तीन वार्षिक उपयोजनाएं होंगी। एसडीपी में प्रत्येक वर्ष के लिए कक्षा—वार नामांकन के प्राककथन, प्रधान अध्यापक, विषय अध्यापक एवं अंशकालिक अनुदेशक की आवश्यकता, उपस्करों एवं अतिरिक्त अधोसंरचना के तीन वर्ष से अधिक के लिए भौतिक आवश्यकता, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों और गणवेशों जैसी बालकों की हकदारी तथा अधिनियम के अधीन विद्यालय के उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए कोई अन्य अतिरिक्त अपेक्षा भी शामिल है।

दो सौ दस विद्यालयों के नमूना जॉच के दौरान यह देखा गया कि वर्ष 2010–16 के दौरान जागरूकता में कमी के कारण 75 एसएससी के द्वारा कोई एसडीपी नहीं बनाया गया है। आगे यह भी देखा गया कि उपरोक्त 75 विद्यालयों में से पाँच विद्यालय बिना प्रधान अध्यापक के थे, 15 विद्यालय में पृथक शौचालय नहीं था, छः विद्यालय में पेय जल की सुविधा नहीं थी, 24 विद्यालय में खेल मैदान की कमी एवं 31 विद्यालय बिना बाउंड्री वाल के थे। जिससे इंगित होता है कि इन विद्यालयों में एसडीपी तैयार नहीं हुआ तथा इस प्रकार अधिनियम का कार्यान्वयन सुनिश्चित नहीं किया गया था।

निर्गम बैठक के दौरान शासन ने बताया (अक्टूबर 2016) कि प्रत्येक विद्यालयों को एसडीपी तैयार करने पर बल दिया जाएगा। तथापि शासन ने एसएमसी द्वारा उक्त प्रतिवेदित अवधि के दौरान एसडीपी तैयार करने में असफल रहने के लिए कोई भी प्रामणिकता उपलब्ध नहीं कराया।

2.2.8.4 शिष्य अध्यापक अनुपात


अधिनियम की धारा 25 के अनुसार शासन इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष के भीतर शिष्य अध्यापक अनुपात (पीटीआर) अर्थात् प्रत्येक विद्यालय में कक्षा I से V में 30 बालकों पर एक शिक्षक एवं कक्षा VI से VIII में 35 बालकों पर एक शिक्षक के अनुपात को बनाए रखा जाए को सुनिश्चित करेगा।

एमडी, आरजीएसएम एवं डीपीआई के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों दोनों में विनिर्दिष्ट पीटीआर नहीं बनाए रखा गया था। जबकि आठ से लेकर 27 प्रतिशत तक प्रा.वि. में प्रतिकूल पीटीआर था, उ.प्रा.वि में 2011–16 के दौरान यह 16 एवं 34 प्रतिशत के मध्य था (परिशिष्ट 2.2.13)।

इसी समय वर्ष 2011–16 के दौरान 22 प्रतिशत से लेकर 45 प्रतिशत प्रा.वि. में अतिशेष पीटीआर 9,236 एवं 17,739 के मध्य थे जबकि 46 प्रतिशत से 61 प्रतिशत उ.प्रा.वि में अतिशेष पीटीआर 5,683 एवं 8,227 के मध्य अतिशेष शिक्षक था। इस प्रकार राज्य में प्रतिकूल पीटीआर के साथ अतिशेष पीटीआर की स्थिति है। तथापि शासन ने तीन वर्ष के भीतर अर्थात् मार्च 2013 तक शिक्षकों की उपलब्धता के असंतुलन को युक्तिसंगत के माध्यम से दूर करने के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं किया था। अधिनियम के अधीन शासन द्वारा निरंतर गतिविधियों में कमी से राज्य के प्रा.वि एवं उ.प्रा.वि. में वांछनीय पीटीआर का उल्लंघन 2015–16 तक निरंतर जारी रहा जिसे नीचे चार्ट के रूप में दर्शाया गया है:

वर्ष 2010–16 की अवधि के दौरान 210 विद्यालयों में से 75 विद्यालयों में एसएमसी के द्वारा एसडीपी तैयार नहीं किया गया था

मापदंड के अनुसार विद्यालयों में शिष्य अध्यापक अनुपात का पालन नहीं किया गया



(अ) नमूना जॉच विद्यालयों की स्थिति

दो सौ दस नमूना जॉच विद्यालयों में 24 प्रा.वि. (11 प्रतिशत) तथा 20 उ.प्रा.वि. (10 प्रतिशत) में कम पीटीआर देखा गया जबकि 25 प्रा.वि. (12 प्रतिशत) तथा 57 उ.प्रा.वि. में अतिशेष शिक्षक मार्च 2016 की स्थिति में थे। इस प्रकार चयनित विद्यालयों में लेखापरीक्षा द्वारा प्रकट हुआ कि अधिनियम के मूल उद्देश्यों के विरुद्ध अतिशेष शिक्षकों के साथ प्रतिकूल पीटीआर सह अस्तित्व था।

निर्गम बैठक के दौरान शासन ने बताया (अक्टूबर 2016) कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। तथ्य यह है कि विभाग तीन वर्षों से अधिक समय सीमा समाप्त हो जाने पर भी चाहीं गई पीटीआर को प्राप्त करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा।

2.2.8.5 अप्रशिक्षित शिक्षकों का प्रशिक्षण

अधिनियम की धारा 23 (2) के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम के प्रारंभ के समय न्यूनतम योग्यता नहीं रखने वाले समस्त शिक्षक अधिनियम के प्रारंभ से पाँच वर्ष के भीतर इस तरह के न्यूनतम योग्यता को हासिल करेंगे।

राज्य में अप्रैल 2012 तक 45,223 शिक्षक प्राथमिक स्तर में तथा 15,924 शिक्षक उच्च प्राथमिक स्तर में (कुल 61,147) अप्रशिक्षित थे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) द्वारा (मई 2012) प्रारंभिक स्तर में काम कर रहे 45,223 अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन हेतु राज्य सरकार को अनुमोदन प्रदान किया गया। एससीईआरटी द्वारा उच्च प्राथमिक स्तर पर अप्रशिक्षित शिक्षकों को मार्च 2015 से पूर्व पेशेवर योग्यता इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, राज्य मुक्त विश्वविद्यालय या अन्य मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे ओपन डिस्टेन्स लर्निंग मोड (ओएलडी) में हासिल करने कहा गया। इसमें राज्य द्वारा प्रदाय तथा एससीईआरटी द्वारा लागू ओडीएल—सह—संपर्क में दो वर्ष का प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम भी शामिल था।

एमडी, आरजीएसएम, डीपीआई एवं एससीईआरटी के अभिलेखों की जांच में प्रकट हुआ कि 61,147 अप्रशिक्षित शिक्षकों में से 11,963 (20 प्रतिशत) राज्य में (6,111 शिक्षक शासकीय/शासकीय सहायता प्राप्त प्रा.वि. तथा 5,852 शिक्षक शासकीय उ.प्रा.वि.) 2015 में पाँच वर्ष की अवधि समाप्त होने पर भी मार्च 2016 तक अप्रशिक्षित थे।

इसके अलावा सात नमूना जांच जिलों में 40,851 शिक्षकों में से 3,633 (नौ प्रतिशत) शिक्षक मार्च 2016 तक अप्रशिक्षित रहे। दो सौ दस नमूना जॉच विद्यालयों में 61 शिक्षक (सात प्रतिशत) 39 विद्यालयों (19 प्रतिशत) में अप्रशिक्षित पाये गये। इसलिए राज्य द्वारा अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने का उद्देश्य समय के भीतर पूरा नहीं किया गया। तथापि यह अक्टूबर 2016 तक नहीं किया गया था।

निर्गम बैठक के दौरान में शासन द्वारा बताया (अक्टूबर 2016) गया कि प्रशिक्षण की प्रक्रिया पूरा करने के लिए अन्य पांच वर्ष का विस्तार की मांग भारत सरकार से की गई है। तथ्य यथावत यह है कि अधिनियम के प्रारंभ से पांच वर्ष व्यतीत होने पर भी शासन शिक्षकों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने में असफल रहा है।

2.2.8.6 निजी विद्यालयों में शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता

सात नमूना जांच जिलों के 145 निजी विद्यालयों में 1,525 शिक्षक अप्रशिक्षित थे

सात नमूना जांच जिलों के डीईओ एवं बीईओ के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 145 निजी विद्यालयों में नियुक्त 2,594 शिक्षकों में से 1,069 (42 प्रतिशत) शिक्षक प्रशिक्षित तथा 1,525 शिक्षक (59 प्रतिशत) मार्च 2016 तक अप्रशिक्षित थे। यह इंगित करता है कि निजी विद्यालय भी अप्रशिक्षित शिक्षकों से चलाए जा रहे हैं तथा उसका प्रतिशत शासकीय विद्यालयों (नौ प्रतिशत) की तुलना में काफी अधिक था।

निर्गम बैठक के दौरान शासन द्वारा बताया (अक्टूबर 2016) गया कि सुनियोजित तरीके से अयोग्य शिक्षकों वाले विद्यालयों को अमान्य करने का कदम उठाया जाएगा। तथापि समय सीमा के साथ इसे कराने का कोई भी दिशानिर्देश लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।

2.2.8.7 विद्यालयों में कार्य दिवसों/शिक्षण घंटों का अनुपालन

वर्ष 2010–16 के दौरान नमूना जांच किए गए 210 विद्यालयों में से दो से 21 उ.प्रा.वि में कार्य दिवसों का अनुपालन नहीं किया गया

अधिनियम की धारा 19 तथा 25 की अनुसूची में प्रा.वि के लिए न्यूनतम 200 कार्य दिवस तथा उ.प्रा.वि के लिए 220 कार्य दिवस प्रावधानित हैं।

दो सौ दस नमूना जांच विद्यालयों के भौतिक सत्यापन में देखा गया कि प्रा.वि. में आवश्यक कार्य दिवसों का अनुपालन किया गया लेकिन उ.प्रा.वि. में नहीं किया गया। वर्षावार उ.प्रा.वि. की संख्या जिसमें कार्य दिवसों के मानकों का पालन नहीं किया गया है का विस्तृत विवरण नीचे तालिका 2.2.7 में दिया गया है:

तालिका 2.2.7: उ.प्रा.वि. का विवरण जिसने कार्य दिवस के मानदण्डों का पालन नहीं किया

विद्यालय	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
उ.प्रा.वि.	21	16	20	8	2	5

(स्रोत : विद्यालय अभिलेखों से लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

उपरोक्त तालिका दर्शाता है कि 2010–16 की अवधि में दो से लेकर 21 उ.प्रा.वि. द्वारा मानकों के अनुसार कार्य दिवसों का अनुपालन नहीं किया गया।

निर्गम बैठक के दौरान शासन द्वारा बताया (अक्टूबर 2016) गया कि स्थानीय कारणों की वजह से कार्य दिवसों का अनुपालन नहीं किया गया तथा मानकों के अनुसार अधिकतम कार्य दिवसों के अनुपालन हेतु कदम उठाये जायेंगे। तथ्य यह है कि उक्त प्रतिवेदित अवधि के दौरान अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया।

2.2.8.8 निजी विद्यालयों में आरक्षण के कार्यान्वयन की स्थिति

अधिनियम की धारा 12 (1) (ग) वर्णित करता है कि निजी विद्यालय कक्षा I में दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह⁹ को आसपास के विद्यालयों में उस कक्षा के बालकों की कुल संख्या के कम से कम पच्चीस प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश देगा तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा। शासन के आदेश (सितम्बर 2012) के अनुसार प्रा.वि. के लिए प्रति बालक लागत ₹ 7,650 वार्षिक तथा उ.प्रा.वि. के लिए ₹ 12,050 वार्षिक गणवेश तथा पाठ्यपुस्तकों सहित नियत किया गया था।

⁹ अनुसूचित जाति (अनुच्छेद 341 तथा 342), अनुसूचित जनजाति, 40 प्रतिशत बाल निःशक्तता से संबंधित बालकों तथा ऐसे बालक जिसके पालक के पास वन अधिकारों के मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र हो।


(अ) डीपीआई के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह का निजी विद्यालयों में प्रवेश की अपेक्षित प्रतिशतता को पूर्ण नहीं किया गया एवं वर्ष 2012–16 में सात से लेकर 23 प्रतिशत की कमी रही।

चयनित जिलों के अभिलेखों की नमूना जांच का परिणाम तालिका 2.2.8 में दर्शित हैः—

तालिका 2.2.8: असुविधाग्रस्त समूह के अंतर्गत बालकों के नामांकन का विवरण

जिला	विद्यालयों	आरक्षित सीटों की कुल संख्या	प्रवेश की वास्तविक संख्या	प्रवेश में कमी की संख्या	कमी की प्रतिशतता
बलौदाबाजार–भाटापारा	262	7606	5841	1765	23
बस्तर	131	4050	3275	775	19
धमतरी	175	8602	3822	4780	56
मुंगेली	124	2333	1692	641	27
रायपुर	863	21084	14554	6530	31
राजनांदगांव	297	7820	6798	1022	13
सरगुजा	189	6648	3226	3422	51

(स्त्रोत: डीईओ एवं डीपीसी द्वारा प्रदायित जानकारी एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)



उपरोक्त तालिका एवं चार्ट में देखा जा सकता है कि चयनित जिलों में असुविधाग्रस्त समूह तथा दुर्बल वर्ग के बालकों के लिए प्रवेश में 641 से 6,530 के मध्य कमी थी तथा अपेक्षित प्रतिशत (25 प्रतिशत) नामांकन की तुलना में 13 से 56 प्रतिशत के मध्य कमी थी।

डीईओ द्वारा जबाब दिया गया कि कमी का कारण अधिनियम में विहित आस पड़ोस में असुविधाग्रस्त वर्ग के बालकों की अनुपस्थिति थी। तथापि उक्त समूह के बालकों में निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए जागरूकता फैलाने के लिए उठाए गए कदमों की कोई सूचना शासन द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया।

(ब) आगे लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि डीपीआई द्वारा निजी विद्यालयों में प्रवेशित छात्रों का शिक्षा लागत वर्ष 2010–11 तथा 2011–12 की प्रतिपूर्ति के लिए 2012–13 में राशि ₹ 34.99 करोड़ की निधि आबंटित की गयी। इस प्रकार प्रतिपूर्ति समय पर नहीं की गयी (परिशिष्ट 2.2.14)।

डीपीआई द्वारा बताया (जुलाई 2016) गया कि फीस की प्रतिपूर्ति समय पर नहीं की गयी चूंकि शासन स्तर पर गठित समिति में फीस की प्रतिपूर्ति एवं परीक्षण तथा निर्धारण विलंब से किया गया।

(स) नमूना जॉच किए गए चयनित सात जिलों में निम्नलिखित अनियमिताएँ प्रकट हुईः—

- सरगुजा जिले में वर्ष 2010–16 के दौरान ₹ 5.70 करोड़ आबंटित किया गया जिसके विरुद्ध ₹ 2.87 करोड़ का वितरण नहीं किया गया तथा बैंक खाते में जमा किया गया जबकि ₹ 91.94 लाख व्यक्तिगत जमा खाता में रखा गया।
- डीईओ, मुंगेली में राशि ₹ 6.14 लाख अवितरित पायी गयी तथा मार्च 2016 की स्थिति में बैंक खाते में रखी रही।
- डीईओ, बस्तर द्वारा ₹ 6.02 लाख का व्यपवर्तन किया गया तथा विद्यालयों में प्रवेश मेला (जनवरी 2016) के आयोजन में व्यय किया गया।

निर्गम बैठक के दौरान राज्य शासन द्वारा बताया (अक्टूबर 2016) गया कि प्रत्येक निजी विद्यालयों के अधिकार क्षेत्र के विस्तार के लिए कदम उठाया जाएगा ताकि प्रवेश के अपेक्षित प्रतिशत सुनिश्चित किया जा सके। आगे निधि का व्यवर्पर्वन और निधियों के अवरोधण के संबंध में कहा गया कि जॉच के बाद कार्यवाही की जाएगी। तथापि लेखापरीक्षा को समय सीमा जिसमें ये कार्यवाही की जायेगी सूचित नहीं की गयी।

2.2.8.9 निजी विद्यालयों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया जाना

सीजीआरटीई नियम 2010 के नियम 15 (1) (ख) के अनुसार विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह या व्यक्ति संगठन या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जायेगा। शासन द्वारा (अप्रैल 2012) में सभी जिलाधिकारियों एवं डीईओ को न लाभ—न हानि के सिद्धांत पर चलाये जा रहे विद्यालयों के निर्धारण के लिए निजी विद्यालयों द्वारा प्रस्तुत आय एवं व्यय पत्रक की जॉच तथा नियमों का पालन नहीं करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने का निर्देश दिया गया।

लेखापरीक्षा में डीईओ कार्यालय, रायपुर में देखा गया कि चार विद्यालयों ने वर्ष 2012–15 (परिशिष्ट 2.2.15) के लिए अपने आय एवं व्यय पत्रक में ₹ 8.47 करोड़ की अधिक आय दिखायी जो कि न लाभ—न हानि के सिद्धांत के नियम के विरुद्ध थी। तथापि शासन ने निजी विद्यालयों द्वारा इस प्रकार के कदाचार को रोकने के लिए कोई तंत्र स्थापित नहीं किया और न ही संबंधित विद्यालयों पर अक्टूबर 2016 की स्थिति तक मानदंडों के उल्लंघन के लिए कोई कार्रवाई की शुरूआत की गई।

निर्गम बैठक में शासन द्वारा बताया (अक्टूबर 2016) गया कि इस संबंध में नियमों के अनुसार जांच की जाएगी। जवाब मान्य नहीं था क्योंकि उस विद्यालयों के विरुद्ध दो से तीन वर्षों से अधिक अवधि तक कार्यवाही नहीं किए जाने हेतु कोई वैध कारण नहीं था।

2.2.9 वित्तीय प्रबंधन

2.2.9.1 निधिकरण का स्वरूप

वर्ष 2014–15 तक योजनाओं की वित्तपोषण पद्धति केन्द्र तथा राज्य शासन के मध्य 65:35 के अनुपात में था तथा वर्ष 2015–16 में इसे 60:40 में संशोधित किया गया। वित्तीय प्रणाली में वर्ष 2013–14 में भी बदलाव किया गया। वर्ष 2013–14 तक केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत राशि को सीधे राज्य कार्यान्वयन सोसाइटी (आरजीएसएम) को जारी किया जाता था जो कि एसएसए के अंतर्गत था। वर्ष 2014–15 से आगे केन्द्रांश राज्यों को जारी किया जाता है जिसे राज्यांश के साथ स्वीकृत गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एमडी, आरजीएसएम को जारी किया जाता

**परियोजना
अनुमोदन बोर्ड
द्वारा स्वीकृत
₹ 13,379 करोड़
के विरुद्ध
₹ 5,787 करोड़
कम विमुक्ति**


है। राज्य परियोजना कार्यालय (आरजीएसएम) निधियों का वितरण आगे डीपीसी, बीआरसी एवं एसएमसी को विभिन्न गतिविधियों के अन्तर्गत करता है।

एसएसए, आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन का माध्यम है और एसएसए के अन्तर्गत बजट आबंटित किया जाता है। वर्ष 2010–16 के दौरान बजट आबंटन एवं विमुक्तियाँ करने का विवरण नीचे तालिका 2.2.9 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.2.9: वर्ष 2010–16 के दौरान आबंटन एवं विमुक्ति का विवरण
(₹ करोड़ में)

वर्ष	आबंटन			विमुक्ति			आबंटन के विरुद्ध विमुक्ति की प्रतिशतता		
	केंद्र	राज्य	योग	केंद्र	राज्य	योग	केंद्र	राज्य	योग
2010–11	1375	740	2115	736	392	1128	54	53	53
2011–12	1752	943	2695	739	430	1169	42	46	43
2012–13	1819	979	2798	959	484	1443	53	49	52
2013–14	1057	569	1626	767	392	1159	73	69	71
2014–15	1297	699	1996	927	514	1441	71	74	72
2015–16	1289	860	2149	622	630	1252	48	73	58
योग	8589	4790	13379	4750	2842	7592	55	59	57

(स्रोत: आरजीएसएम द्वारा प्रदाय जानकारी एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)



उपरोक्त तालिका एवं चार्ट से देखा जा सकता है कि पीएबी से ₹13,379 करोड़ स्वीकृत राशि के विरुद्ध भारत सरकार तथा राज्य शासन द्वारा ₹ 7,592 करोड़ जारी किया गया। परिणामस्वरूप वर्ष 2010–16 के दौरान ₹ 5,787 करोड़ (43 प्रतिशत) कम जारी किया गया। विभाग द्वारा जवाब दिया गया कि कम निधि जारी करने का मुख्य कारण केन्द्रांश का कम जारी होना तथा राज्य शासन द्वारा उसी के समानुपात अनुसार जारी किया गया।


2.2.9.2 बजट अनुमान तथा व्यय

वर्ष 2010–16 के दौरान बजट अनुमान, विमुक्तियाँ एवं व्यय की स्थिति नीचे तालिका 2.2.10 में दर्शाया गया है:-

**तालिका 2.2.10: बजट अनुमान, विमुक्ति निधि एवं व्यय का विवरण
(₹ करोड़ में)**

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक विमुक्ति (कॉलम 5+6)	प्रारंभिक शेष	भारत सरकार विमुक्ति (प्रतिशत)	राज्यांश विमुक्ति (प्रतिशत)	13 वें वित्त आयोग	अन्य	योग (कॉलम 4+5+6+7+8)	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2010–11	2115	1128	168	736(65)	392(35)	136	18	1450	1185
2011–12	2695	1169	265	739(63)	430(37)	154	28	1351	1375
2012–13	2798	1443	241	959(66)	484(34)	174	30	1647	1671
2013–14	1626	1159	217	767(66)	392(34)	194	16	1369	1356
2014–15	1996	1441	230	927(64)	514(36)	200	29	1670	1640
2015–16	2149	1252	260	622(50)	630(50)	0	17	1269	1478
योग	13379	7592		4750 (63)	2842 (37)	858	138	8756¹⁰	8705

(स्रोत: आरजीएसएम द्वारा प्रदायित जानकारी एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)



उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि:

कुल व्यय का 41 से 74 प्रतिशत शिक्षकों के वेतन भुगतान पर व्यय किया गया था

- वर्ष 2015–16 के दौरान, 40 प्रतिशत की नियत सीमा के विरुद्ध राज्यांश 50 प्रतिशत जारी किया गया। वर्ष 2010–15 के दौरान केन्द्रांश 65 प्रतिशत आवश्यकता के विरुद्ध 63 से लेकर 66 प्रतिशत तक तथा राज्यांश 35 प्रतिशत की आवश्यकता के विरुद्ध 34 और 37 प्रतिशत के मध्य था। इस प्रकार दायित्वों का निर्वाहन भारत सरकार तथा राज्य शासन दोनों के द्वारा मानक के अनुसार नहीं किया गया जैसा कि कांडिका 2.1.9.1 में उल्लेख किया गया है।
- वर्ष 2010–15 के दौरान राज्य शासन द्वारा तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत ₹ 858 करोड़ अनुदान प्राप्त किया गया। समस्त राशि का व्यय शिक्षकों के वेतन भुगतान में किया गया था यद्यपि इसे अन्य आवर्ती व्यय में भी किया जा सकता था। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011–16 के दौरान भुगतान कुल व्यय का 41 और 74 प्रतिशत के मध्य था।

निर्गम बैठक के दौरान शासन द्वारा बताया (अक्टूबर 2016) गया कि राज्य, केन्द्रांश के अनुरूप अपना हिस्सा जारी करता है तथा भारत सरकार पीएबी द्वारा स्वीकृत राशि को

¹⁰

प्रारंभिक शेष केवल वित्तीय वर्ष 2010–11 में शामिल किया गया

जारी नहीं किया गया था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि राज्य शासन द्वारा अपना अंश एडब्ल्यूपी एण्ड बी द्वारा स्वीकृति के अनुरूप जारी नहीं किया गया।

2.2.9.3 अनुदानों को जारी करने में विलम्ब

एसएसए के अन्तर्गत एमएफएम एण्ड पी में निर्दिष्ट है कि भारत सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राशि सीधे राज्य कार्यान्वयन सोसाइटी को दो किश्तों में अप्रैल तथा सितम्बर में जारी करेगा। इसके अलावा एमएफएम एण्ड पी के नियम 91.2 के अनुसार राज्य को केन्द्रांश की प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर स्वीकृत बंटवारे की व्यवस्था के अनुसार सहायता के सहमत अनुपात में अपना हिस्सा जारी करना चाहिए।

लेखापरीक्षा द्वारा डीपीआई में पाया गया कि विभाग द्वारा वर्ष 2010–16 के दौरान अधिकतम आठ माह तक के विलम्ब से राशि जारी किया गया जिसके कारण कार्यान्वयन के प्रत्येक स्तर पर राशि की उपलब्धता में विलम्ब हुआ।

निर्गम बैठक के दौरान शासन द्वारा बताया (अक्टूबर 2012) गया कि भविष्य में विलम्ब को नियमित किया जायेगा। तथापि उस प्रतिवेदित अवधि के लिए विलंब अवधि हेतु कोई प्रमाण नहीं दिया गया था।

2.2.9.4 लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र

एससीईआरटी द्वारा ₹ 17.50 करोड़ के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया

एमडी, आरजीएसएम के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2013–14 और 2014–15 के दौरान कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु एसएसए के अंतर्गत विभिन्न मदों में एससीईआरटी को राशि ₹ 49.90 करोड़ जारी किये गये थे। इसके विरुद्ध एससीईआरटी ने राशि ₹ 32.40 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्रस्तुत किया और ₹ 17.50 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित (मार्च 2016) थे। जिसका विवरण नीचे तालिका 2.2.11 में है:

तालिका 2.2.11: लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र का विवरण

शीर्ष	जारी की गई राशि	प्राप्त यूसी	(₹ करोड़ में) लंबित यूसी
अनुसंधान कार्यप्रणाली	0.06	0.03	0.03
मुख्य प्रशिक्षक	1.25	1.09	0.16
अप्रशिक्षित शिक्षकों का प्रशिक्षण	48.59	31.28	17.31
योग	49.90	32.40	17.50

(स्रोत: राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा प्रदाय की गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि ₹ 17.50 करोड़ की यूसी एससीईआरटी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था क्योंकि प्रशिक्षण केन्द्रों से आय व व्यय विवरण प्राप्त नहीं किया गया था। तथापि आरजीएसएम द्वारा मार्च 2016 तक कोई पत्राचार नहीं किया गया।

निर्गम बैठक के दौरान शासन ने बताया (अक्टूबर 2016) कि एससीईआरटी को तत्काल प्रभाव से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया जावेगा। तथ्य यह है कि निधि की प्राप्ति के एक से दो वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी यूसी प्रस्तुत नहीं किया गया।

2.2.9.5 सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अग्रिम का समायोजन लंबित रहना

एमएफएम एण्ड पी के नियम 74.1 के अनुसार जिलों तथा उप जिला स्तरीय इकाईयों को प्रदाय की गई सभी निधि को प्रारंभ में अग्रिम के रूप में वर्गीकृत करते हैं तथा लेखा बही में उल्लेखित करते हैं। आगे एमएफएम एण्ड पी का नियम 75.1 निर्दिष्ट करता है कि लेखाओं के प्रस्तुति की समय सीमा वित्तीय वर्ष के समाप्ति के एक माह के अंदर होना चाहिए।

विभिन्न इकाइयों
को जारी अग्रिम
₹ 166.00 करोड़
समायोजन हेतु
लंबित थे

एमडी, आरजीएसएम के लेखाओं की जांच में पाया गया कि एसएसए के अंतर्गत वर्ष 2010–15 के दौरान बीआरसी, सीआरसी, और एसएमसी आदि को विभिन्न कार्यों के क्रियान्वयन हेतु जारी ₹ 166 करोड़ इन संस्थाओं द्वारा व्यय विवरण प्रस्तुत नहीं करने के कारण मार्च 2016 तक समायोजन हेतु लंबित थे।

निर्गम बैठक के दौरान शासन ने बताया (अक्टूबर 2016) कि अग्रिमों का समायोजन किया जावेगा। तथ्य यह है कि एमएफएम एण्ड पी के नियम 75.1 का उल्लंघन करते हुए अग्रिमों को निर्धारित समय सीमा के भीतर समायोजित नहीं किया गया।

2.2.10 क्रय में अनियमिततायें

2.2.10.1 गणवेश क्रय में ₹ 25.29 करोड़ का अधिक व्यय

एसएसए फ्रेमवर्क के अंतर्गत मापदंड के अनुसार कक्षा I से VIII के छात्रों को प्रति वर्ष ₹400 की सीमा के अंदर प्रति विद्यार्थी दो सेट गणवेश निःशुल्क उपलब्ध कराना है। राज्य शासन के पास विद्यार्थियों के लिए गणवेश क्रय तथा वितरण के लिए दो एजेंसियां अर्थात् डीपीआई तथा आरजीएसएम हैं। डीपीआई, ने ग्रामोद्योग विभाग (जीडी) द्वारा निर्धारित दर पर गणवेश क्रय किया।

(i) लेखापरीक्षा में देखा गया कि डीपीआई ने वर्ष 2014–15 तथा 2015–16 में प्रा.वि. के लिए ₹ 454 प्रति बालक तथा ₹ 512 रूपये प्रति बालिका दो सेट गणवेश (साईंज 20 इंच से 26 इंच) की दर से प्रा.वि. तथा उ.प्रा.वि. के विद्यार्थियों के लिए 39,02,743 सेट गणवेश (बालकों के लिए 18,86,266 सेट तथा बालिका के लिए 20,16,477 सेट) क्रय तथा वितरण में ₹ 102.24 करोड़ का व्यय किया। इसी प्रकार, उ.प्रा.वि. में क्रय की दर ₹ 588 प्रति बालक तथा ₹ 656 प्रति बालिका (साईंज 28 इंच से 34 इंच) थी। इस प्रकार डीपीआई ने दो सेट गणवेश के लिए प्रा.वि. में ₹ 54 प्रति बालक तथा ₹ 112 प्रति बालिका तथा उ.प्रा.वि. में ₹ 188 प्रति बालक तथा ₹ 256 प्रति बालिका अधिक व्यय किया। इसके विपरीत, मिशन संचालक, आरजीएसएम द्वारा इसी अवधि में गणवेश प्रति दो सेट ₹ 400 की सीमा में क्रय किया।

इस प्रकार समान योजना के क्रियान्वयन में डीपीआई तथा आरजीएसएम ने एक प्रबंधन के अंतर्गत दो अलग प्रकार की दरों को लागू किया। परिणामस्वरूप डीपीआई ने ₹ 24.19 करोड़ की अधिक लागत पर गणवेश क्रय किया (परिशिष्ट 2.2.16)।

डीपीआई ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग राज्य शासन द्वारा निर्धारित दरों पर गणवेश योजना का क्रियान्वयन किया जबकि एसएसए के अंतर्गत भारत सरकार दिशानिर्देश के अनुसार निर्धारित दर लागू किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि क्रय निम्न दर पर उपलब्ध होते हुए उच्च दरों पर किया गया तथा उसी विभाग की अन्य शाखा द्वारा क्रय किया गया जिससे की अधिक व्यय हुआ।

(ii) इसी तरह वर्ष 2011–12 में डीपीआई ने जीडी से आपूर्ति आदेश के साथ 75 प्रतिशत अग्रिम भुगतान की शर्त पर गणवेश क्रय का निर्णय किया। प्रति सेट गणवेश की दर जुलाई 2010 से प्रभावशील दर ₹ 205.50 (साईंज 20 इंच से 26 इंच) तथा ₹ 262.00 (28 इंच से 34 इंच) नियत किया गया। जीडी ने इस दर को अक्टूबर 2011 से प्रति सेट ₹ 256 तथा ₹ 328 संशोधित किया।

जांच में पाया गया कि डीपीआई ने 2,00,164 सेट गणवेश क्रय का आपूर्ति आदेश (अगस्त 2011) दिया परंतु प्रचलित दर का लाभ लेने के लिए सहमति के आधार पर 75 प्रतिशत का अग्रिम भुगतान जीडी को नहीं किया गया। इसके साथ ही आपूर्ति आदेश जारी करने के समय आपूर्तिकर्ता पर प्रचलित दरों पर गणवेश प्रदान करने की

डीपीआई ने
गणवेश क्रय में
₹ 24.19 करोड़
का अधिक व्यय

गणवेश क्रय में
₹ 1.10 करोड़ का
परिहार्य व्यय हुआ

कोई शर्त नहीं लगायी गयी। जिसके परिणामस्वरूप जब फरवरी 2012 में आपूर्ति किया गया तब डीपीआई ने अक्टूबर 2011 की उच्च दर पर ₹ 5.55 करोड़ का भुगतान किया। इस प्रकार डीपीआई ने आपूर्ति आदेश जारी करने के समय कम दर उपलब्ध होने का लाभ को उपयुक्त रूप से सुरक्षित नहीं किया जो केवल ₹ 4.45 करोड़ में क्रय करने में मदद करता। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.10 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ (परिशिष्ट 2.2.17)। डीपीआई ने पुष्टि किया कि 75 प्रतिशत अग्रिम के दिशानिर्देश का पालन नहीं किया गया। जीडी ने गणवेश की आपूर्ति देरी से की तथा अक्टूबर 2011 के प्रभावी दरों पर देयक प्रस्तुत किया परिणामस्वरूप ₹ 1.10 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

निर्गम बैठक में शासन ने बताया (अक्टूबर 2016) कि डीपीआई तथा आरजीएसएम दोनों द्वारा किये गये क्रय में लागत एवं गुणवत्ता के मामलों की जांच की जायेगी। तथापि, शासन ने डीपीआई के उत्तर में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जिसने डीपीआई द्वारा उच्च दरों में क्रय तथा क्रय दिशानिर्देश के पालन नहीं करने से अपरिहार्य भुगतान को स्वीकार किया था।

2.2.10.2 निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण में ₹ 7.70 करोड़ का अतिरिक्त व्यय

सीजीआरटीई नियम, 2010 के नियम 9 के अनुसार शासन द्वारा स्थापित, स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन विद्यालय में उपस्थित होने वाले बालक (कक्षा I से VIII) को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की पात्रता होगी।

एसएसए फ्रेमवर्क के अंतर्गत मानदंडों के अनुसार भारत सरकार ने ₹ 150 प्रति बालक प्रा.वि. में तथा ₹ 250 प्रति बालक उ.प्रा.वि. में बालकों को पाठ्य पुस्तक प्रदान करने के लिए नियत किया। यदि राज्य प्रारंभिक कक्षा में आपूर्ति किये पाठ्य पुस्तक की लागत में आंशिक अनुदान देता है तब एसएसए के अंतर्गत सहायता को पुस्तकों की लागत के उस भाग को जो बालकों द्वारा वहन किया जा रहा था, उक्त वर्णित समग्र सीमा के अधीन सीमित किया जावेगा।

एमडी, आरजीएसएम के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम (सीटीबीसी) ने वर्ष 2012–13 से 2015–16 के दौरान ₹ 256 से ₹ 317 की सीमा तक प्रति बालक मूल्य से 26,27,818 बालकों (कक्षा VI से VIII) को पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति की। उक्त आपूर्ति में आरजीएसएम ने ₹ 250 प्रति बालक की दर से ₹ 65.70 करोड़ की सीमा के विरुद्ध ₹ 73.40 करोड़ का व्यय किया। इस प्रकार, पुस्तकों को उच्च दर पर क्रय करने के परिणामस्वरूप ₹ 7.70 करोड़ का अधिक व्यय हुआ (परिशिष्ट 2.2.18)।

निर्गम बैठक के दौरान शासन द्वारा बताया (अक्टूबर 2016) गया कि भविष्य में मापदंडों का पालन किया जायेगा। तथ्य यह है कि अतिरिक्त व्यय के फलस्वरूप शासकीय खजाने में भार पड़ा क्योंकि राशि राज्य बजट से व्यय हुआ था जिसके लिए न तो कोई कार्यवाही की गई न ही उत्तरदायित्व निर्धारण पर विचार किया गया।

2.2.10.3 फर्नीचर के क्रय में ₹ 80.45 लाख का अनियमित भुगतान

लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीपीसी सरगुजा ने उ.प्रा.वि. में 7,495 टेबल तथा बैंचों की आपूर्ति के लिए दस फर्मों को ₹ 2.35 करोड़ का आपूर्ति आदेश (फरवरी/मार्च 2011) में जारी किया तथा ₹ 2.70 करोड़ का भुगतान किया। भुगतान राशि में ₹ 34.58 लाख मूल्य वर्द्धित कर (वैट) शामिल था जिसे वैट अधिनियम की धारा 27 के उल्लंघन में आपूर्तिकर्ता के देयकों से कटौती नहीं किया गया था (परिशिष्ट 2.2.19)। आगे संबंधित फर्म ने भी वैट भुगतान का कोई प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं किया। इस

आरजीएसएम ने स्वीकृत दर से उच्च दर पर पाठ्य पुस्तकों के क्रय में ₹ 7.70 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया

डीपीसी सरगुजा ने फर्नीचर के क्रय में फर्मों को ₹ 80.45 लाख का अनियमित रूप से भुगतान किया

प्रकार डीपीसी द्वारा आपूर्तिकर्ता को वैट की कटौती के बजाय भुगतान किया गया जो कि अनियमित था।

लेखापरीक्षा में ये भी पाया कि अप्रैल 2011 तथा जुलाई 2011 के मध्य 499 उ.प्रा.वि. में 2,532 टेबल तथा बैंच की आपूर्ति के लिए चार फर्मों को ₹ 45.87 लाख (परिशिष्ट 2.2.20) का भुगतान किया। तथापि आपूर्तिकर्ता ने विद्यालयों में टेबल तथा बैंच की आपूर्ति (जुलाई 2016) तक नहीं किया किन्तु आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही (जुलाई 2016) नहीं किया गया। इस प्रकार सामग्रियों की प्राप्ति का सत्यापन किये बिना भुगतान अनियमित था।

अतः डीपीसी, सरगुजा ने मापदंडों का उल्लंघन कर ₹ 80.45 लाख का अनियमित भुगतान किया तथा आवश्यक यथोचित परिश्रम करने में असफल रहा।

निर्गम बैठक के दौरान शासन ने बताया (अक्टूबर 2016) कि तथ्यों की जांच की जायेगी तथा संबंधित अधिकारियों/एजेंसियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। तथ्य यह है कि पांच वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

2.2.10.4 कम्प्यूटर एडेड लर्निंग कार्यक्रम के अंतर्गत ₹ 3.29 करोड़ मूल्य के कम्प्यूटर का अनियमित क्रय

कम्प्यूटरों के क्षय में फर्मों को ₹ 3.29 करोड़ का अनियमित भुगतान किया गया

पीएबी ने राज्य के 18 जिलों में कम्प्यूटर एडेड लर्निंग कार्यक्रम (सीएएल) के अंतर्गत अच्छी बुनियादी संरचना के लिए ₹ 9.00 करोड़ स्वीकृत किये। स्वीकृति के अनुसार सीएएल के तहत 288 उ.प्रा.वि. में लार्ज फार्मेट डिसप्ले (एलएफडी) कम्प्यूटर लगाना था।

एमडी, आरजीएसएम के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि महानिदेशक, आपूर्ति एवं निपटान (डीजीएस एण्ड डी) दर के अनुबंध के अंतर्गत पंजीकृत फर्म को ₹ 1,26,500 प्रति ईकाई की दर से कुल लागत ₹ 3.29 करोड़ 246 ईकाई कम्प्यूटर उपकरण विद्यालयों में आपूर्ति के लिए आपूर्ति आदेश (अक्टूबर 2010) जारी किया गया।

तथापि, दूसरे फर्म ने कम्प्यूटर (अक्टूबर 2010) आपूर्ति किया तथा ₹ 3.29 करोड़ (फरवरी 2011) का भुगतान प्राप्त किया। संबंधद्वाता आरजीएसएम ने न तो अनुबंध को निरस्त किया जिसने अनुबंध किया था और न ही अन्य फर्म को आपूर्ति आदेश जारी किया। दूसरी फर्म भी डीजीएस एण्ड डी दर अनुबंध के अंतर्गत पंजीकृत नहीं थी। इस प्रकार अन्य फर्म से ₹ 3.29 करोड़ मूल्य का कम्प्यूटर उपकरण क्रय अनियमित था।

मिशन संचालक ने बताया (मई 2016) कि दूसरा फर्म प्रथम फर्म का अधिकृत डीलर था जिसे आपूर्ति आदेश जारी किया गया था तथा निर्गम बैठक में शासन ने बताया (अक्टूबर 2016) कि तथ्यों की जांच की जायेगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि पहली फर्म द्वारा विभाग को सूचित किया गया था कि दूसरी फर्म उनकी अधिकृत एजेंट नहीं थी और इस प्रकार बिना अनुबंध किए फर्म से कम्प्यूटर क्रय किया गया जो कि अनियमित था। विभाग ने एमडी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जिसने न केवल अनुबंध शर्तों के विपरीत कार्य किया अपितु तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया।

2.2.10.5 पंचायत शिक्षकों को ₹ 5.12 करोड़ के अस्वीकार्य भत्तों का भुगतान

शासन के आदेशों के विपरीत पंचायत शिक्षकों को भत्तों की राशि ₹ 5.12 करोड़ के अस्वीकार्य भत्तों का भुगतान किया गया।

पंचायत एवं ग्रामीण विभाग के आदेश (मई 2013) के अनुसार पंचायत शिक्षाकर्मी जिसने आठ वर्ष की सेवा सफलतापूर्वक पूर्ण की है नियमित शिक्षकों के समतुल्य वेतनमान प्राप्त करेगा। आगे राज्य शासन ने (दिसंबर 2013) में स्पष्ट किया कि पंचायत शिक्षक महंगाई भत्ता को छोड़कर अन्य किसी भत्ते का हकदार नहीं होगें।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि मई से दिसंबर 2013 के दौरान 27 नमूना जांच बीईओ में से 20 बीईओ में 7,217 पंचायत शिक्षाकर्मी जिसने आठ वर्ष की सेवा सफलतापूर्वक पूर्ण की, को गृह किराया, चिकित्सा, गतिरोध तथा अन्य भत्तों के रूप में उक्त आदेशों के विपरीत ₹ 5.12 करोड़ का भुगतान किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.12 करोड़ का अस्वीकार्य भुगतान हुआ।

निर्गम बैठक के दौरान शासन ने बताया (अक्टूबर 2016) कि संबंधित शिक्षकों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी। तथापि शासन ने तीन वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी पंचायत शिक्षकों को अस्वीकार्य भत्तों के भुगतान में संलग्न बीईओ के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने या विचार करने के लिए कोई प्रमाणिकरण नहीं दिया।

2.2.10.6 राशि ₹ 9.69 करोड़ का दुरुपयोग

डीपीसी, मुंगेली के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायतों (ग्रा.प.) के सरपंचों को वर्ष 2007–10 में 39 सिविल कार्यों के लिए ₹ 74.76 लाख जारी किया गया था जिसमें अतिरिक्त कक्ष निर्माण, प्रा.वि. भवन का निर्माण इत्यादि शामिल था। तथापि, कार्य अपूर्ण (मार्च 2016) थे। यद्यपि सरपंचों के विरुद्ध 2011–12 में राजस्व वसूली के लिए प्रकरण पंजीकृत करने का प्रस्ताव जारी किया गया था, चार वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् भी अक्टूबर 2016 तक राशि की वसूली नहीं की गई।

इसी प्रकार डीपीसी, सरगुजा ने वर्ष 2005–09, 2010–11 तथा 2012–13 के दौरान ग्राम पंचायत के सरपंचों को 274 सिविल कार्य निर्माण के लिए ₹ 8.94¹¹ करोड़ जारी किया। ऐसा पाया गया कि सरपंचों ने तीन से 11 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् भी जारी राशि का यूसू प्रस्तुत (जुलाई 2016) नहीं किया।

डीपीसी, सरगुजा ने बताया (जुलाई 2016) कि निर्माण एजेंसियों द्वारा निधियों का दुरुपयोग किया गया था तथा राशि वसूली के लिए राजस्व वसूली प्रमाण–पत्र (आरआरसी) जारी किया गया था। आगे डीपीसी, मुंगेली ने बताया (जुलाई 2016) कि 39 कार्यों के लिए ₹ 74.76 लाख वसूली के लिए आरआरसी पंजीकृत किया गया था। जनपद तथा शासन स्तर पर राशि की वसूली के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

निर्गम बैठक के दौरान शासन द्वारा बताया (अक्टूबर 2016) गया कि राशि वसूली के लिए प्रयास किये जायेंगे। तथ्य यह है कि दौषियों के विरुद्ध शासकीय धन के दुरुपयोग के लिए विभाग द्वारा कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं की गयी। इसके अलावा आरआरसी जारी करने के पश्चात् की गयी वसूली को सूचित नहीं किया गया था (दिसंबर 2016)।

¹¹

194 सिविल कार्य हेतु वर्ष 2005–09 में स्वीकृत ₹ 6.46 करोड़ तथा 80 कार्यों के लिए वर्ष 2010–11 तथा वर्ष 2012–13 में ₹ 2.48 करोड़।

एसएसी एवं एसएमसी द्वारा बैठकों के आयोजन में कमी थी जबकि डीईओ एवं बीईओ के द्वारा कम संख्या में निरीक्षण किए गए। बीआरपी एवं सीआरपी के पद रिक्त थे।

2.2.11 प्रबंधन, निगरानी तथा मूल्यांकन

अधिनियम राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग को विद्यालय, आधारभूत सुविधाएं, प्रशिक्षित शिक्षक, पाठ्यक्रम तथा शिक्षण/अध्ययन सामग्री प्रदान करने का उत्तरदायित्व सौंपता है। ये राज्य स्तर पर राज्य सलाहकारी परिषद (एसएसी) और एससीपीसीआर से लेकर विद्यालय स्तर पर एसएमसी तक का निगरानी कार्यतंत्र की भी परिकल्पना करता है। निरीक्षण, निगरानी तथा पदस्थापना की विस्तृत स्थिति नीचे तालिका 2.2.12 में दर्शायी गयी हैः—

तालिका 2.2.12 निरीक्षण, निगरानी तथा पदस्थापना की स्थिति

सं. क्र.	निगरानी संस्था	कार्य	की गई निगरानियां
1	राज्य सलाहकार परिषद (एसएसी)	आरटीई अधिनियम की धारा 34 के अनुसार राज्य शासन एसएसी का गठन करेगा। आगे परिषद के कार्य करने की प्रक्रिया के आदेशानुसार नियमित बैठक उस समय हो जिस समय अध्यक्ष उचित समझे। तथापि, इसके अंतिम और आगामी बैठक के मध्य तीन महीने के अंतराल को बनाए रखा जाएगा।	राज्य शासन ने अधिनियम लागू होने के दो वर्ष पश्चात (मार्च 2012) एसएसी का गठन किया। आगे वर्ष 2010–16 के दौरान 16 बैठकें आयोजित होनी चाहिए थी परन्तु केवल दो बैठकें (फरवरी 2014 तथा फरवरी 2015) आयोजित हुईं जिसके फलस्वरूप 14 बैठकें कम हुईं। सीमा से कम संख्या में बैठकें समिति के मुख्य मुद्रों पर चर्चा के अवसर को कम करता है।
2.	राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर)	अधिनियम की धारा 31 के अनुसार आयोग का गठन (जून 2010) पंजीकृत शिकायतों के निवारण के लिए किया गया।	मार्च 2016 की स्थिति में 451 पंजीकृत प्रकरणों में से 443 प्रकरणों का निपटारा किया गया तथा आठ प्रकरण लंबित थे। इस प्रकार, प्रकरणों का निपटारा संतोषप्रद था।
3	जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ)	छत्तीसगढ़ शिक्षा संहिता के नियम 16 के अनुसार डीईओ वर्ष में एक बार सभी उ.प्रा.वि. का निरीक्षण करेगा तथा एक निरीक्षण पंजी का संधारण करेगा।	सात नमूना जांच जिलों में डीईओ द्वारा किये गये निरीक्षण की स्थिति नीचे दिया गया है— सरगुजा— सात से नौ प्रतिशत (2012–16), बस्तर— चार से सात प्रतिशत (2010–16), धमतरी— आठ से 10 प्रतिशत (2010–14), रायपुर— 17 से 30 प्रतिशत (2013–16); मुंगली, बलौदाबाजार भाटापारा तथा राजनांदगांव ने लेखापरीक्षा को जानकारी प्रस्तुत नहीं की। इस प्रकार विद्यालयों की निरीक्षण द्वारा निगरानी खराब थी।
4	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी (बीईओ)	छत्तीसगढ़ शिक्षा संहिता के नियम 16 के अनुसार, बीईओ सभी विद्यालयों का निरीक्षण वर्ष में कम से कम दो बार करेगा तथा निरीक्षण पंजी का संधारण करेगा।	सत्ताईस नमूना जांच विकासखण्डों में से 17 विकासखण्डों में 2010–16 के दौरान दो से 89 प्रतिशत विद्यालयों का निरीक्षण नहीं किया गया तथा निरीक्षण पंजी का भी संधारण नहीं किया गया। इस प्रकार निगरानी अपूर्ण थी।
5	विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी)	सीजीआरटीई नियम, 2010 के नियम 3 (5) में प्रावधानित है कि एसएमसी महीने में कम से कम एक बैठक करेगा तथा बैठकों के निर्णय का उचित रूप से अभिलिखित करेगा।	दो सौ दस नमूना जांच विद्यालय में से 178 विद्यालयों (85 प्रतिशत) में 2010–16 के दौरान एसएमसी मानदण्डों के अनुसार बैठकें नहीं की गयीं। एक सौ तीन से 141 विद्यालयों में सीएमसी सदस्यों की उपस्थिति चाहीं गई सदस्यों की संख्या से एक से 14 की सीमा में कम रही। इस प्रकार एसएमसी आदेशों को पूर्ण नहीं किया गया।
6	विकासखण्ड स्रोत व्यक्ति (बीआरपी)	राज्य शासन ने विकासखण्ड स्तर पर निगरानी तथा पर्यवेक्षण के अलावा सभी अकादमिक विषयों पर समन्वय के लिए प्रत्येक विकासखण्ड स्रोत केन्द्र (बीआरसी) में छ: बीआरपी नियत किये थे।	राज्य शासन ने 150 बीआरसी में 900 पदों को स्वीकृत किया, जिसके विरुद्ध राज्य में 415 बीआरपी (46 प्रतिशत) कार्यरत थे। साथ ही 485 बीआरपी (54 प्रतिशत) की कमियाँ थीं। इस प्रकार प्रत्येक बीआरसी में छ: बीआरपी की पदस्थापना आदेश का पालन नहीं किया गया।
7	संकूल व्यक्ति (सीआरपी)	सभी अकादमिक विषयों में समन्वय, पर्यवेक्षण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।	150 बीआरसी में सीआरपी के स्वीकृत 2,703 पदों के विरुद्ध 2,291 सीआरपी पदस्थापित थे जिसके फलस्वरूप राज्य में सीआरपी के 412 पदों (15 प्रतिशत) की कमी रही। यह सीआरपी की उपलब्धता को सीमित करता है जो कि उद्देश्यों को विफल करता है।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि पर्याप्त बैठकें तथा निरीक्षण को विभिन्न स्थानों पर संचालित नहीं किया गया एवं वहाँ स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्तियाँ भी मौजूद थीं। यह अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को निर्धारित करने के लिए तथा अधिनियम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपाय तथा आवश्यक कार्यवाही के लिए विभाग के आवश्यक संसाधन की उपलब्धता को सीमित करता है।

निर्गम बैठक के दौरान शासन ने बताया (अक्टूबर 2016) कि प्रबंधन तथा निगरानी को उन्नत किया जायेगा तथा रिक्त पदों को भरने के लिए कार्यवाही किया जावेगा।

2.2.11.1 उपलब्धि सर्वेक्षण प्रतिवेदन को विलंब से प्रस्तुत करना

एससीईआरटी विभिन्न विषयों के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रकाश डालते हुए आवश्यक सुझाव के साथ प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह की समाप्ति तक बालकों पर एक उपलब्धि प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा ताकि सुझावों पर ध्यान जा सकें तथा प्रत्येक वार्षिक योजना बनाते समय इसे शामिल किया जा सके। एमएचआरडी, भारत सरकार के जारी निर्देशों के अनुसार उपलब्धि सर्वेक्षण को पूर्ण करने में समय सीमा का पालन करना चाहिए। भारत सरकार ने एससीईआरटी द्वारा कराए जाने वाले उपलब्धि सर्वेक्षण के लिए वर्ष 2013–14 में ₹ 81 लाख तथा 2014–15 में ₹ पाँच लाख जारी किया।

मिशन संचालक, आरजीएसएम तथा एससीईआरटी के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि एससीईआरटी ने वर्ष 2013–14 में कक्षा III, V और VII वर्ग के विद्यार्थियों के शिक्षण स्तर का मूल्यांकन सर्वेक्षण संचालित किया और आरजीएसएम को इसका प्रतिवेदन (अक्टूबर 2015) प्रस्तुत किया। एससीईआरटी ने नवम्बर 2015 में वर्ष 2014–15 के लिए कक्षा II के विद्यार्थियों के भी शिक्षण स्तर का मूल्यांकन सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इन कार्यों पर एससीईआरटी ने ₹ 56.56 लाख व्यय किया।

तथापि प्रतिवेदन को विलंब से प्रस्तुत करने के कारण प्रकाश डाले गए क्षेत्रों में सुधार के लिए इनमें शामिल सुझावों को 2013–14 के एडब्ल्यूपीबी में शामिल करने का विचार नहीं किया गया। इस कारण संचालित किये गये सर्वेक्षण कार्य उद्देश्य विहीन साबित हुये तथा ₹ 56.56 लाख का व्यय निष्फल हुआ।

निर्गम बैठक के दौरान शासन ने बताया (अक्टूबर 2016) कि प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा को अनिवार्य किया जावेगा। तथ्य यह है कि विलंब के लिए बिना किसी वैध आधार के कोई भी कार्यवाही या विचार नहीं किया गया था।

2.2.11.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

एसएसए के एमएफएम एप्ड पी के नियम 104.3 के अनुसार राज्य क्रियान्वयन सोसाइटी जो कि आरजीएसएम है, उपयुक्त आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली तैयार करेगा तथा इनहाउस आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की जांच को सुदृढ़ करेगा ताकि एडब्ल्यूपी एप्ड बी द्वारा अनुमोदित निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। सीजीआरटीई अधिनियम 2010 के नियम 3(7) निर्धारित करता है कि अधिनियम अंतर्गत एसएससी इस कार्यक्रम के संपादन के लिए कोई भी प्राप्त राशि को पृथक खाते में रखेगा तथा प्रतिवर्ष लेखापरीक्षा कराएगा।

एमडी, आरजीएसएम तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों के अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि सोसाइटी में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को स्थापित नहीं किया गया। आरजीएसएम ने प्रत्येक वर्ष चार्टेड एकाउन्टेंट नियुक्त करके डीपीसी तथा एसपीओ द्वारा किये जाने वाले व्यय का लेखापरीक्षा कराया। वर्ष 2010–11 से 2014–15 की लेखापरीक्षा पूर्ण किया जा चुका था तथा वर्ष 2015–16 के लेखाओं की लेखापरीक्षा अभी प्रगति पर थी (मार्च 2016)। दो सौ दस नमूना जांच विद्यालयों में से

उपलब्धि सर्वेक्षण प्रतिवेदन को समय पर प्रस्तुत नहीं किया गया

आरजीएसएम में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली स्थापित नहीं था

110 विद्यालयों (52 प्रतिशत) के एसएमसी की वार्षिक लेखाओं का लेखापरीक्षा नहीं किया गया था।

निर्गम बैठक के दौरान शासन ने बताया (अक्टूबर 2016) कि मिशन संचालक द्वारा एक पृथक लेखापरीक्षक की नियुक्ति करके आंतरिक लेखापरीक्षण को सुदृढ़ किया जावेगा। तथ्य यह है कि विभाग में कोई भी आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा कार्यरत नहीं थी।

2.2.12 निष्कर्ष

यद्यपि राज्य ने मार्च 2016 की स्थिति में आरटीई के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने की शुरुआत की है किन्तु अधिनियम के महत्वपूर्ण धाराओं का पूर्ण रूप से अनुपालन करने में असमर्थ रहा जैसा नीचे वर्णित है:—

राज्य शासन द्वारा डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम गुणवत्ता अभियान प्रारंभ किया गया। शासन द्वारा आयोजित सर्वेक्षण के अनुसार कुल विद्यालयों में से केवल 25 प्रतिशत विद्यालयों ने ग्रेड 'ए' प्राप्त किया। शेष 75 प्रतिशत को 'बी' से 'डी' के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया गया जिसमें केवल 12 प्रतिशत को ग्रेड 'डी' में रखा गया।

राज्य में अधिनियम के क्रियान्वयन के लगभग सात वर्ष पूरा होने के बावजूद 879 बसाहटों में विद्यालय नहीं थे। आगे मार्च 2016 की स्थिति में 1231 बसाहटों में उच्च प्राथमिक विद्यालय भी नहीं थे।

समस्त प्राथमिक विद्यालयों में नई पीढ़ी का अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों के प्रति झुकाव तथा निजी विद्यालयों के लिए पालकों की प्राथमिकता के कारण बालकों के नामांकन में वर्ष 2010–11 की तुलना में 2015–16 के दौरान 11.56 प्रतिशत तक कमी रही।

सात नमूना जॉच जिलों में से दो जिलों में वर्ष 2010–11 तथा 2015–16 के दौरान बालकों के ड्रापआउट दर में 41 प्रतिशत से 109 प्रतिशत तक वृद्धि रही। पॉच जिलों के मामलों में ड्रापआउट दरों में वर्ष 2010–11 तथा 2015–16 के दौरान सात प्रतिशत से 81 प्रतिशत तक कमी रही। तथापि राज्य में बालकों की ड्रापआउट दर 1.36 प्रतिशत (2011–12) से 0.81 प्रतिशत (2015–16) तक कम रही।

विद्यालय से बाहर रहे बालकों को आयु के अनुसार प्रवेश के लिए विशेष प्रशिक्षण में प्रशिक्षण की आवश्यकता हेतु सर्वेक्षित बालकों के विरुद्ध 60 और 83 प्रतिशत के मध्य कमी रही।

वर्ष 2011–16 के दौरान, निधि के अभाव के कारण केवल 14 से 67 प्रतिशत दिव्यांग बालकों को परिवहन सुविधाएँ प्रदान नहीं किया गया जबकि 36 प्रतिशत से 84 प्रतिशत नेत्रहीन बालकों को अनुरक्षण सुविधाएँ प्रदान नहीं की गयीं।

दो सौ दस विद्यालयों के भौतिक सत्यापन में पाया गया कि 22 प्रतिशत विद्यालयों में बालक/बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय नहीं था, 20 प्रतिशत विद्यालयों में पुस्तकालय नहीं था तथा 43 प्रतिशत विद्यालयों में खेल का मैदान नहीं था।

विद्यालयों में आवश्यक शिष्य अध्यापक अनुपात (पीटीआर) नहीं बनाए रखा गया। जबकि वर्ष 2011–16 के दौरान विद्यालयों में आठ से 34 प्रतिशत सीमा के मध्य प्रतिकूल पीटीआर था, 22 प्रतिशत से 61 प्रतिशत तक अतिशेष पीटीआर था। इस प्रकार राज्य में प्रतिकूल पीटीआर के साथ–साथ अतिशेष पीटीआर था तथा दोनों स्थितियां अधिनियम का उल्लंघन करते हुए तीन वर्षों के भीतर अर्थात् मार्च 2013 तक इस असमानता को दूर करने में शासन की विफलता का सूचक है।

मार्च 2016 की स्थिति में, प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 20 प्रतिशत शिक्षक अप्रशिक्षित थे।

सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत मापदंड के अनुसार भारत सरकार ने प्रा.वि. तथा उ.प्रा.वि. के बालकों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु प्रति बालक क्रमशः ₹ 150 तथा ₹ 250 की सीमा तय की थी। तथापि राजीव गांधी शिक्षा मिशन ने राज्य में 2012–16 के दौरान प्रति बालक ₹ 256 से ₹ 317 की दर से पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करायी थी।

राज्य शासन के गणवेश क्रय में संलग्न दो एजेन्सी में से, एक एजेन्सी द्वारा दूसरी अन्य एजेन्सी से उच्चतम दर में गणवेश क्रय किया परिणामस्वरूप अधिक भुगतान हुआ।

वित्तीय अनियमितताएँ जैसे कि ₹ 9.69 करोड़ की निधि का दुरुपयोग, ₹ 166 करोड़ मूल्य के असमायोजित अग्रिम, पंचायत शिक्षकों को ₹ 5.12 करोड़ का अस्वीकार्य भत्तों का भुगतान इत्यादि भी देखी गयीं।

2.2.13 अनुशंसाएं

विभाग द्वारा 2016 में बसाहट के लिए किए गए मानचित्रण के आधार पर प्राथमिक विद्यालय या उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं रहे बसाहटों में विद्यालय खोलना चाहिए। विभाग को विद्यालय से बाहर रहे बालकों को मुख्य धारा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छ: से 14 वर्ष आयुवर्ग के बालकों का भी डाटाबेस संधारित रखा जाना चाहिए।

अधिनियम में उल्लिखित पीटीआर को अन्य उपायों को अपनाने के अलावा असंतुलन को पुनर्वितरण द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आगे, अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

सभी आधारभूत संरचनाओं की योजनाओं की समीक्षा और उनको पूर्ण करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना ताकि विद्यालयों के गुणवत्ता में सुधार हो एवं ड्रापआउट दरे कम हो।

क्रय में प्रभावी मितव्ययिता के लिए पाठ्यपुस्तकों एवं गणवेश के संबंध में क्रय निर्णयों की समीक्षा आवश्यक रूप से की जानी चाहिए।

अधिनियम की सभी धाराओं जिसका पालन नहीं किया गया हो तथा उन पर प्रतिवेदित किया गया हो के कार्यान्वयन के लिए पर्यवेक्षण एवं निगरानी को मजबूत किया जाना चाहिए।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

2.3 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की पहुँच विहीन बसाहटों तक संपर्क प्रदान करने के उद्देश्य से एवं अपेक्षित सामाजिक-आर्थिक लाभों को संज्ञान में लेते हुए ग्रामीण जनसंख्या के हितों के लिये 25 दिसम्बर, 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) नामक एक कार्यक्रम की घोषणा की। वर्ष 2011–16 की अवधि के दौरान छत्तीसगढ़ में 2588 बसाहटों को पहुँच प्रदान की गयी। जबकि, 581 बसाहटों को अभी तक (नवम्बर 2016) ग्रामीण सड़क नेटवर्क से जोड़ा जाना शेष था।

अवधि 2011–16 के लिए संपादित पीएमजीएसवाई की निष्पादन लेखापरीक्षा में पायी गयी प्रमुख कमियाँ नीचे उल्लिखित हैं :

कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, 500 से अधिक जनसंख्या (पहाड़ियों, रेगिस्तान और आदिवासी क्षेत्रों के मामले में 250) वाली सभी बसाहटों को 10 वीं योजना की अवधि के अंत तक (मार्च 2007), बारहमासी ग्रामीण सड़कों प्रदान की जानी थी। यद्यपि, छत्तीसगढ़ में मार्च 2016 तक पात्र बसाहटों में से सात प्रतिशत बसाहटों के पास बारहमासी ग्रामीण सड़कों नहीं थीं।

(कंडिका 2.3.7.1)

जहाँ, वर्ष 2011–15 की अवधि के दौरान वार्षिक लक्ष्य तय नहीं किए गए थे, वहीं 2011–12, 2012–13 और 2013–14 वर्षों के दौरान उपलब्ध निधियाँ व्यय नहीं की जा सकी। इन वर्षों में व्यय दक्षता बहुत ही कम रही जो कि 17 प्रतिशत और 55 प्रतिशत के मध्य रही। लक्ष्यों के निर्धारण का अभाव एवं व्यय दक्षता में कमियाँ ऐसे प्रमुख कारण थे जिनके कारण अभी तक बसाहटें पहुँच विहीन रह गयी थीं।

(कंडिका 2.3.7.2 एवं 2.3.9.1)

पीएमजीएसवाई का मुख्य उद्देश्य वर्ष के सभी मौसमों में प्रयोग किये जाने योग्य बारहमासी सड़क संपर्क (आवश्यक पुलियों और जल निकासी संरचना के साथ) उपलब्ध कराया जाना है। इसके विपरीत, सड़कों के मध्य प्रवाहित नदियों या नालों पर सेतु निर्माण नहीं किये जाने के कारण लक्षित बसाहटों की 7635 की जनसंख्या को बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान नहीं किया जा सका साथ ही इन सड़कों पर किया गया ₹ 23.29 करोड़ का व्यय अनुत्पादक रहा।

(कंडिका 2.3.7.7)

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण कार्यों में भारतीय रोड कांग्रेस (आईआरसी):स्पेशल पब्लिकेशन (एसपी) 20–2002 के तकनीकी विनिर्देश एवं ज्यामितीय डिजाइन मानकों का पालन अनिवार्य था जिसकी अनुशंसा के अनुसार यदि यातायात घनत्व 100 मोटर चालित वाहन प्रतिदिन (एमवीपीडी) से कम है तो ग्रामीण सड़कों की चौड़ाई तीन मीटर तक सीमित की जा सकती है। यद्यपि, सड़क निर्माण कार्य में कैरेज विड्थ तीन मीटर से अधिक 3.75 मीटर की कैरेज विड्थ लेकर कार्य कराया गया जबकि यातायात घनत्व 100 एमवीडीपी से कम था जिसके कारण ₹ 9.09 करोड़ का अतिरिक्त व्यय आया।

(कंडिका 2.3.7.4)

यद्यपि छ: पैकेजों के 30 सड़क कार्य जिनकी लागत ₹ 53.06 करोड़ थी, निर्धारित अवधि के भीतर पूर्ण नहीं किए जा सके एवं ठेकेदारों द्वारा ₹ 31.15 करोड़ के कार्य छोड़ दिये गए थे, विभाग ने उनके अनुबंधों को निर्धारित अवधि की समाप्ति के तुरंत पश्चात निरस्त नहीं किया। परिणामस्वरूप, शेष कार्यों का संशोधित प्राक्कलन ₹ 31.15 करोड़ से बढ़कर ₹ 52.37 करोड़ हो गया। इस प्रकार, बाद में प्राक्कलन के संशोधित होने से इन पैकेजों की लागत ₹ 21.22 करोड़ से बढ़ गई।

(कंडिका 2.3.10.2)

यद्यपि, पीएमजीएसवार्ड की लेखा नियमावली और निर्माण विभाग नियमावली प्रावधान करता है कि कार्यों की माप एक उप संभागीय अधिकारी या कार्यपालन अभियंता द्वारा अधिकृत किए गए किसी अन्य अधीनस्थ द्वारा ली जानी चाहिए परन्तु छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी ने ₹ 18.17 करोड़ की लागत का पर्यवेक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण और माप दर्ज किए जाने इत्यादि का कार्य एक सलाहकार को सौंपा जिसके द्वारा दर्ज किए गए स्फीतिपूर्ण मापों के कारण ₹ 8.03 करोड़ रूपये का अधिक भुगतान हुआ।

(कंडिका 2.3.10.3)

सड़क कार्यों का निरीक्षण, कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार नहीं किया गया था। राज्य गुणवत्ता निरीक्षक (एसक्यूएम) द्वारा 139 निरीक्षणों और राष्ट्रीय गुणवत्ता निरीक्षक द्वारा (एनक्यूएम) 203 निरीक्षणों की कमी थी। इसमें एसक्यूएम द्वारा 44 सड़कों एवं एनक्यूएम द्वारा 139 सड़कों का कोई भी निरीक्षण नहीं किया जाना शामिल था।

(कंडिका 2.3.11.1)

2.3.1 प्रस्तावना

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवार्ड), ग्रामीण क्षेत्रों के 500 या अधिक जनसंख्या (जनगणना 2001) वाली पात्र संपर्क विहीन बसाहटों को बारहमासी सड़क उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से, 25 दिसम्बर, 2000 को प्रारंभ की गई। आदिवासी क्षेत्रों (अनुसूची V) एवं चयनित आदिवासी और पिछड़े जिलों में 250 या अधिक जनसंख्या वाली बसाहटों को जोड़ा जाना था। कार्यक्रम के प्रारम्भ में छत्तीसगढ़ में 10647 बसाहटें संपर्क विहीन थीं जिनमें से मार्च 2016 तक 9150 बसाहटें (1000 से अधिक जनसंख्या वाली 1556 बसाहटें, 500 या अधिक जनसंख्या वाली 4239 बसाहटें एवं 250–499 की जनसंख्या वाली 3355 बसाहटें) सड़कों द्वारा जोड़े जाने हेतु स्वीकृत की गयी थीं। इनमें से वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि में 2588 बसाहटों को ₹ 2826.00 करोड़ रूपए के व्यय के साथ 7866.24 किमी सड़क का निर्माण करते हुए सड़क संपर्क से जोड़ा गया था। मार्च 2016 तक, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल स्वीकृत बसाहटों में से 679 पात्र बसाहटें (1000 या अधिक जनसंख्या की 19, 500–999 की 244 और 250–499 की 416) आज भी बारहमासी सड़कों द्वारा जोड़ी नहीं जा सकी थी।

2.3.2 संगठनात्मक संरचना

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), भारत सरकार, राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एनआरआरडीए) की सहायता से, कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए नीतियाँ एवं निर्देश तैयार करने हेतु मुख्य प्राधिकारी और समन्वय मंत्रालय है।


कार्यक्रम की आयोजना एवं कार्यान्वयन राज्य शासन का उत्तरदायित्व है।

पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ शासन ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (पी एवं आरआरडी) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ग्रामीण सङ्क विकास एजेंसी (सीजीआरआरडीए) को गठित कर (फरवरी 2003) इसे एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत (मार्च 2003) किया।

सीजीआरआरडीए का प्रधान मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) होता है जिसे चार मुख्य अभियंताओं और एक वित्त नियंत्रक द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है।

क्षेत्र स्तर पर, सङ्क विकास कार्यों का निष्पादन मार्च 2015 तक 18 कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाइयों (पीआईयू) जो कि अप्रैल 2015 में 27 पीआईयू में विभाजित हो गयीं, के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। प्रत्येक पीआईयू एक कार्यपालन अभियंता (का. अ.) के नेतृत्व में रहता है।

संगठनात्मक चार्ट नीचे दर्शाया गया है:-




2.3.3 निधिकरण का स्वरूप

परियोजनाओं के लिए निधियाँ दो किस्तों में मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ ग्रामीण सङ्क विकास एजेंसी (सीजीआरआरडीए) को जारी की जाती है। परियोजनाओं की स्वीकृत लागत के 50 प्रतिशत के बराबर की पहली किस्त एवं उपलब्ध निधियों की 60 प्रतिशत राशि का उपयोग कर लेने तथा पिछले वर्षों में सौपें गए सङ्क कार्यों का कम से कम 80 प्रतिशत कार्य एवं उस वर्ष से पहले के सभी वर्षों में सौपें गए 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिये जाने की शर्त के अधीन द्वितीय किस्त (प्रदाय किए गए कार्यों की लागत की बकाया शेष राशि के बराबर) जारी की जाती है। इसके पश्चात्, सीजीआरआरडीए, कार्यों के क्रियान्वयन के लिए पीआईयू को निधियाँ जारी करता है।

उपलब्ध निधियों में वित्तीय वर्ष की तिथि 1 अप्रैल को सीजीआरआरडीए के पास

उपलब्ध निधियाँ (अर्जित ब्याज सहित) एवं वित्तीय वर्ष के दौरान जारी की गयी किस्त यदि कोई हो तो, शामिल होगी। अधिक समय लगने, पारित मध्यस्थता/न्यायिक निर्णय तथा निविदा के अधिशुल्क के कारण होने वाले सभी लागत राज्य शासन द्वारा द्वारा वहन किए जायेंगे।

निम्नलिखित फ्लोचार्ट में प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना के तहत निधियों का प्रवाह दर्शाया गया है:—



2.3.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निषादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में यह सुनिश्चित करना था कि:

- कोर नेटवर्क एवं जिला ग्रामीण सङ्क योजना का निर्धारण/तैयार किए जाने के लिए अपनायी गयी प्रणाली और प्रक्रियाएं, कार्यक्रम के प्रावधानों के अनुरूप एवं पर्याप्त थी;
- सङ्कों के चयन की पद्धति उपयुक्त थी;
- वित्तीय प्रबंधन प्रभावी था एवं कार्यों का क्रियान्वयन मितव्ययी, कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से किया गया था; तथा
- वर्तमान निगरानी प्रणाली और गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र पर्याप्त एवं वांछित लक्ष्यों के प्राप्त करने हेतु प्रभावी था।

2.3.5 लेखापरीक्षा विस्तार, कार्यप्रणाली और नमूना चयन

निषादन लेखापरीक्षा 18 जिलों (27 जिलों में विभाजित) में से छः जिलों¹ (नौ जिलों में विभाजित) को शामिल करते हुए 2011–12 से 2015–16 तक की अवधि के लिए की गयी। कार्यों के क्रियान्वयन हेतु पीआईयू प्राथमिक लेखापरीक्षित इकाइयाँ थी। जिलों का चयन राज्य के सभी तीन भौगोलिक भागों में से एक विस्तृत नमूना चयन के आधार पर किया गया। जिसके अंतर्गत राज्य के प्रत्येक भाग से 25 प्रतिशत जिलों का

¹ रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, जशपुर, दंतेवाड़ा और कांकेर


चयन प्रोबैबिलिटी प्रपोर्शनल टू साइज विदाउट रिप्लेसमेंट विधि के आधार पर किया गया जिसमें पिछले पांच वर्षों के दौरान पीएमजीएसवाई के अंतर्गत किए गए व्यय को आधार के रूप में लिया गया। चयनित छः जिलों का विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 2.3.1: चयनित जिलों का विवरण

उत्तर की पहाड़ियाँ ²		छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र ³			बस्तर का पठार ⁴	
1	जशपुर	1	बिलासपुर (बिलासपुर और मुंगेली)	1	कांकेर	
		2	रायपुर (रायपुर, बालौदाबाजार और गरियाबंद)	2	दंतेवाड़ा	
		3	राजनांदगांव			

इसके अलावा, प्रत्येक जिले में सड़क कार्यों के 25 प्रतिशत पैकेजों का चयन सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट विधि के आधार पर किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा चयनित जिलों में चयन किए पैकेजों की संख्या का विवरण परिशिष्ट 2.3.1 में दर्शाया गया है।

अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग (पी एवं आरआरडी), छत्तीसगढ़ शासन के साथ लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, मापदंड कार्यप्रणाली एवं कवरेज पर चर्चा हेतु आगम बैठक का आयोजन जनवरी 2016 में किया गया था। मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) सीजीआरआरडीए एवं छः नमूना जाँच जिलों के पीआईयू के कार्यपालन अभियंताओं के कार्यालयों की लेखापरीक्षा अप्रैल से जुलाई 2016 के दौरान की गयी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा हेतु विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ निर्गम बैठक अक्टूबर 2016 में आयोजित की गयी। विभाग द्वारा दिये गए उत्तरों को प्रतिवेदन में सम्यक रूप से शामिल किया गया है।



² उत्तर की पहाड़ियों में जिलों की संख्या – पुराने 3 / नए 5

³ छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में जिलों की संख्या – पुराने 10 / नए 15

⁴ बस्तर के पठार में जिलों की संख्या – पुराने 5 / नए 7

2.3.6 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्नालिखित स्त्रोतों से लिए गए:-

- कार्यक्रम के दिशा-निर्देश एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी एवं बाद में किए गए सभी संशोधन;
- पीएमजीएसवाई की परिचालन नियमावली, लेखा नियमावली, ग्रामीण सड़क नियमावली (आरआरएम) इत्यादि;
- एनआरआरडीए द्वारा जारी किए गए वार्षिक प्रतिवेदन/अनुदेश/दिशा-निर्देश;
- ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए परिपत्र/निर्देश।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.3.7 योजना

सीजीआरआरडीए द्वारा जिलों में विद्यमान और प्रस्तावित सड़क नेटवर्क संरचना को दर्शाते हुए व्यापक नयी कनेक्टिविटी प्राथमिकता सूची (सीएनसीपीएल) और व्यापक उन्नयन प्राथमिकता सूची (सीयूपीएल) में दिखाये गए पहुँच विहीन बसाहटों को बारहमासी सड़कों द्वारा जोड़े जाने के लिए कोर नेटवर्क तैयार (फरवरी 2005) किया गया था।

सड़कों के चयन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार किए जाने इत्यादि में पायी गयी कमियों पर निम्न टिप्पणियाँ हैं:

2.3.7.1 बसाहटों की सम्पर्कता स्थिति


कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पात्र बसाहटों को बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराया जाना था। पीएमजीएसवाई में वर्तमान सड़कों के उन्नयन का भी प्रावधान था लेकिन यह कार्यक्रम का केन्द्र बिन्दु नहीं है।

मार्च 2016 तक जुड़े हुए एवं पहुँच विहीन बसाहटों की स्थिति नीचे दर्शायी गयी है:

तालिका 2.3.2: जुड़े हुए एवं संपर्क विहीन बसाहटों की स्थिति

विवरण	जनसंख्या			
	1000+	999-500	पात्र 499—250	कुल पात्र
01–04–2000 की स्थिति में पहुँच विहीन बसाहटें (संख्या)	1656	4572	4419	10647
मार्च 2016 तक स्वीकृत कुल पात्र बसाहटें (संख्या)	1556	4239	3355	9150
मार्च 2011 तक संपर्क प्रदाय किए बसाहटें (संख्या)	1404	2994	1485	5883
मार्च 2016 तक संपर्क प्रदाय किए बसाहटें (संख्या)	1537	3995	2939	8471
मार्च 2016 की स्थिति में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत शेष पहुँच विहीन बसाहटें (संख्या)	19	244	416	679
स्वीकृत बसाहटों में से पहुँच विहीन बसाहटों का प्रतिशत	1	6	12	7
अवधि 2011–16 के दौरान कवर किए गए बसाहटें (संख्या)	133	1001	1454	2588

चार्ट 1: जुड़े हुए एवं संपर्क विहीन बसाहटों की स्थिति



जैसा कि उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 1000 से ऊपर की जनसंख्या वाली एक प्रतिशत बसाहटें, 999 और 500 के मध्य जनसंख्या वाली छः प्रतिशत बसाहटें तथा 499 और 250 के बीच की जनसंख्या वाली 12 प्रतिशत बसाहटें मार्च 2016 की स्थिति में पहुँच विहीन थी। इस प्रकार, कार्यक्रम के प्रारंभ होने के 15 साल बाद भी कुल स्वीकृत पात्र बसाहटें में से सात प्रतिशत बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाना शेष था।

निर्गम बैठक (अक्टूबर 2016) के दौरान, अपर मुख्य सचिव ने बताया कि कुछ सड़कों को छोड़कर सभी बसाहटों को बारहमासी सड़कों से आज की तिथि में जोड़ दिया गया है। उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं था क्योंकि सीजीजीआरडीए ने लेखापरीक्षा को दिये अपने जवाब (नवंबर 2016) में कहा कि 581 पात्र बसाहटें अभी भी बारहमासी सड़कों से जोड़ी जानी हैं।

2.3.7.2 लक्ष्य और उपलब्धियाँ

राज्य में वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान बसाहटों को जोड़े जाने हेतु वर्षवार भौतिक लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का विवरण निम्न प्रकार हैं :

तालिका 2.3.3: वर्षवार भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियाँ

वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धि		प्राप्ति की प्रतिशतता	
	बसाहटें	लम्बाई (किमी में)	बसाहटें	लम्बाई (किमी में)	बसाहटें	लम्बाई
2011–12	लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया	376	1053.65	—	—	—
2012–13	लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया	311	1024.08	—	—	—
2013–14	लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया	425	1292.05	—	—	—
2014–15	लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया	915	2648.15	—	—	—
2015–16	1239	3657.58	561	1848.31	45	1239
	योग		2588	7866.24		

(स्रोत: सीजीआरआरडीए द्वारा प्रदान की गई सूचना)

वर्ष 2011–12 से 2014–15 की अवधि के दौरान कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 2011–12 से 2014–15 तक की अवधि के दौरान कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। लक्ष्य निर्धारित करने की शुरुआत 2015–16 में हुई। वर्ष 2015–16 के दौरान, बसाहटों की संख्या के मामले में लक्ष्य की भौतिक प्राप्ति 45 प्रतिशत थी जबकि सड़क की लंबाई के निर्माण के मामले में यह 51 प्रतिशत रही। 2011–15 के दौरान लक्ष्य का अभाव और 2015–16 में धीमी प्रगति कार्यक्रम के कमजोर कार्यान्वयन की ओर इंगित करता है।

निर्गम बैठक (अक्टूबर 2016) के दौरान, अपर मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक वर्ष सीजीआरआरडीए द्वारा वर्ष के दौरान निष्पादित कए जाने हेतु सड़कों की स्वीकृतियाँ एनआरआरडीए से माँगी थी। इनका अनुमोदन पूर्व में ही प्राप्त कर लिया गया था और इनको ही लक्ष्य के रूप में माना जा सकता है। अपर मुख्य सचिव ने आगे कहा गया कि 2015–16 से सीजीआरआरडीए ने लक्ष्यों का निर्धारण किया जाना प्रारंभ कर दिया है।

2.3.7.3 उन्नयन कार्य का नयी संपर्कता पर प्राथमिकता दिया जाना

पीएमजीएसवाई के दिशानिर्देश की कंडिका 2.2 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि उन्हीं जिलों में वर्तमान सड़कों का उन्नयन (निर्धारित मानदंडों के अनुसार) किया जाएगा, जहां निर्दिष्ट जनसंख्या वाली सभी पात्र बसाहटों को बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान कर दिया गया हो, क्योंकि उन्नयन, कार्यक्रम का केंद्रीय बिन्दु नहीं है।

छ: चयनित जिलों के अभिलेखों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने तीन जिलों⁵ में देखा कि इन जिलों में उपलब्ध 127 सड़कों की नए सड़क संपर्क कार्य किए जाने के पूर्व ही पाँच पैकेजों की 16 सड़कों हेतु सीजीआरआरडीए द्वारा उन्नयन कार्य स्वीकृत (2007–09) और क्रियान्वित किए गए। कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर इन कार्यों को अप्रैल 2011 से जनवरी 2015 के मध्य ₹ 33.87 करोड़ रूपए का व्यय करते हुए पूर्ण कराया गया। विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2.3.2 में दर्शाये गए हैं।

निर्गम बैठक के दौरान लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार करते हुए, अपर मुख्य सचिव ने कहा कि प्रारंभ में बिना जिला भेदभाव के सड़क संपर्क कार्य के साथ साथ उन्नयन कार्य भी लिए गए। तथापि अपर मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया कि भविष्य में संबंधित जिलों में केवल नए सड़क संपर्क कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात ही उन्नयन कार्यों को लिया जाएगा।

2.3.7.4 अधिक चौड़ाई के लिंक मार्गों के निर्माण के कारण स्वीकार्य लागत की अपेक्षा ₹ 9.09 करोड़ की अतिरिक्त लागत।

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्मित ग्रामीण सड़कों को आईआरसी के ग्रामीण सड़क नियमावली में दिए गए तकनीकी विनिर्देश एवं ज्यामितीय डिजाइन मानकों को पूरा करना था। आईआरसी : एसपी 20–2002 की कंडिका 2.6.4 अनुशंसा करती है कि जहाँ यातायात घनत्व 100 मोटर चालित वाहन प्रतिदिन (एमवीपीडी) से कम है और जहाँ बंद छोर, निम्न बसाहट या दुर्गम परिस्थितियों की वजह से यातायात में वृद्धि होने की संभावना कम है ऐसी ग्रामीण सड़कों की चौड़ाई तीन मीटर तक सीमित की जा सकती है।

छ: जिलों के पीआईयू में चयनित पैकेजों के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि यातायात घनत्व 100 एमवीपीडी से कम होने के बावजूद भी राशि ₹ 125.66 करोड़ की लागत के 80 लिंक⁶ मार्गों का निर्माण 3.75 मीटर की उच्चतर चौड़ाई के साथ

⁵ रायपुर, बिलासपुर और राजनांदगांव

⁶ लिंक मार्ग वे सड़कें हैं जो कि एक बसाहट या बसाहटों के एक समूह को थ्रू मार्गों या जिले की सड़कों से जोड़ती हैं। लिंक मार्गों का छोर, समान्यतः बसाहट पर समाप्त होने वाले बंद सिरे होते हैं।

किया गया था। इस प्रकार पीआईयू से संबंधित कार्यपालन अभियंताओं द्वारा 0.75 मीटर की अधिक चौड़ाई पर राशि ₹ 9.09 करोड़ अतिरिक्त व्यय किया गया जिसका विवरण परिशिष्ट 2.3.3 में दर्शाया गया है।

निर्गम बैठक के दौरान लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार करते हुए अपर मुख्य सचिव ने कहा कि भविष्य में सड़कों की चौड़ाई, पीएमजीएसवाई के दिशानिर्देश के अनुसार निर्दिष्ट यातायात घनत्व के अनुसार डिजाइन की जाएगी।

2.3.7.5 कार्य का अनियमित क्रियान्वयन

चरौदा से दोंदेकला की 2.5 किमी लंबी सड़क का नवीनीकरण का कार्य सीजीआरआरडीए द्वारा ₹ 2.71 करोड़ में स्वीकृत (जनवरी 2016) किया गया। उक्त कार्य कार्यपालन अभियंता, पीआईयू रायपुर द्वारा एक ठेकेदार को ₹ 2.05 करोड़ में प्रदाय (फरवरी 2016) किया गया। ठेकेदार ने नंवर 2016 में कार्य पूरा कर लिया और ₹ 1.71 करोड़ का भुगतान प्राप्त किया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कार्य के डीपीआर में 60 मिमी डेन्स बिटुमिनस मेकाडम (डीबीएम) और 25 मिमी सेमीडेंस बिटुमिनस कंक्रीट (एसडीबीसी) के क्रियान्वयन की अनुशंसा की गई थी। तथापि, डीपीआर की स्वीकृति नहीं दी गयी तथा इस आधार पर कि डीबीएम और एसडीबीसी पीएमजीएसवाई विशिष्टियों का हिस्सा नहीं थे, 60 मिमी बिटुमिनस मेकाडम (बीएम) और 20 मिमी मिक्स्ड सील सरफेसिंग (एमएसएस) की परिवर्तित विशिष्टियों के साथ प्राक्कलन का अनुमोदन सीजीआरआरडीए द्वारा किया गया। यद्यपि, आईआरसी 37 के अनुसार सर्वेक्षित यातायात घनत्व (पाँच मिलियन स्टैंडर्ड ऐक्सल) और सबग्रेड की कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो (3.17) हेतु 60 मिमी डीबीएम और 25 मिमी एसडीबीसी के क्रियान्वयन की अनिवार्यता थी।

अतएव प्राक्कलन का अनुमोदन स्थापित मानदंडों का उल्लंघन था एवं ऐसे प्राक्कलन के आधार पर ₹ 67.58 लाख के बीएम और एमएसएस के कार्य को शामिल करते हुए ₹ 1.71 करोड़ की लागत के कार्य का क्रियान्वयन अनियमित था।

विभाग ने साथ ही कहा (नवंबर 2016) कि क्योंकि डीबीएम और एसडीबीसी पीएमजीएसवाई विशिष्टियों का हिस्सा नहीं थे, बी.एम. और एमएसएस का प्रावधान एवं क्रियान्वयन किया गया। निर्गम बैठक (अक्टूबर 2016) के दौरान अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सीजीआरआरडीए ने लेखापरीक्षा के दौरान संशोधित डीपीआर प्रस्तुत नहीं किया था किन्तु इसे लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराया जाएगा।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यातायात की गणना (सीवीपीडी⁷–1275) के अनुसार डीबीएम और एसडीबीसी का क्रियान्वयन किया जाना था और यदि पीएमजीएसवाई की विशिष्टियों में आवश्यक डीबीएम और एसडीबीसी के निष्पादन की अनुमति नहीं थी तो सड़क का कार्य पीएमजीएसवाई के अंतर्गत नहीं अपितु अन्य एजेंसियों जैसे कि पीडब्ल्यूडी इत्यादि के माध्यम से लिया जाना था। इसके अतिरिक्त, संशोधित डीपीआर भी लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किया गया (दिसंबर 2016)।

2.3.7.6 एमएसएस के बजाय ओजीपीसी एवं सील कोट का क्रियान्वयन किए जाने के कारण ₹ 2.25 करोड़ की अतिरिक्त लागत

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) विशिष्टियों की कंडिका 512.1.1 के अनुसार, एमएसएस का निष्पादन पूर्व निर्मित सतह पर वेअरींग कोट्स कि उपयोगिता में किया जाता है। जिसके लिये मिक्स सील सरफेस को बीटुमिन बाईडर के साथ तैयार करना, बिछाना एवं एग्रीगेट के साथ संमिश्रण कर संघनित करना होता

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत स्वीकृत प्राप्त करने हेतु आवश्यक विशिष्टियों से समझौता करते हुए कार्य का अनियमित क्रियान्वयन किया गया

नवीनीकरण कार्य महँगी मद से कराये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 2.25 करोड़ की अतिरिक्त लागत

⁷ कामर्शियल वेहिकल प्रतिदिन

है। जबकि, एमएसएस का जीवनकाल ओपेन ग्रेडेड प्रीमिक्स कारपेट (ओजीपीसी) एवं सील कोट के जीवनकाल से अधिक होता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि छ: चयनित जिलों में से पाँच जिलों⁸ (पीआईयू) में, 45 सड़कों का नवीनीकरण का कार्य अप्रैल 2015 से जनवरी 2016 के मध्य एमएसएस, जो कि नवीनीकरण कार्यों के लिए न केवल उपयुक्त है बल्कि अल्पव्ययी और लंबे जीवनकाल वाला है, के बजाय ओजीपीसी एवं सील कोट से कराया गया। इसकी परिणति ₹ 2.25 करोड़ के परिहार्य अतिरिक्त लागत के रूप में हुई जिसका विवरण परिषिष्ट 2.3.4 में है।

निर्गम बैठक के दौरान लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार करते हुए, अपर मुख्य सचिव ने सीजीआरआरडीए को लेखापरीक्षा की अनुशंसा के अनुसार डीपीआर तैयार किए जाने के निर्देश दिये।

2.3.7.7 मध्यस्थ नदियों और नालों पर सेतु के बिना सड़कों पर ₹ 23.29 करोड़ का अनुत्पादक व्यय

सड़कों के मध्य से गुजरने वाली नदियों या नालों पर सेतुओं का निर्माण नहीं किए जाने के फलस्वरूप पहुँच प्रदान करने में विफलता रही जबकि इन सड़कों पर ₹ 23.29 करोड़ का व्यय अनुत्पादक रहा।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य 1,000 या अधिक की जनसंख्या वाली सभी पहुँच विहीन बसाहटों को मार्च 2003 के अंत तक और 500 से 999 (जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में 250 से 499 की जनसंख्या वाली बसाहटों को शामिल करते हुए) बसाहटों को मार्च 2007 के अंत तक बारहमासी सड़क (एडबल्यूआर) सम्पर्क प्रदाय की जानी थी।

लेखापरीक्षा ने चयनित छ: जिलों में से तीन⁹ में पाया कि आठ सड़कों के मध्य से नदियां या नाले गुजर रहे थे परंतु इन पर सेतु कार्यों का क्रियान्वयन नहीं किया गया

जिसके कारण लक्षित बसाहटों को पहुँच प्रदान नहीं की जा सकी। आठ आवश्यक सेतुओं में से, शासन ने एक सेतु की स्वीकृति (फरवरी 2014) दी थी और शेष सात सेतु कार्य दिसंबर 2016 तक प्रस्ताव के स्तर पर थे। पीआईयू बिलासपुर के अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा द्वारा बिलासपुर जिले की सड़क (टी20 कुलीकुकदा-बसहा, पैकेज सीजी 0268),



जिसके लिए सेतु कार्य की स्वीकृति दी दूटी कड़ी-बिलासपुर की कुलीकुकदा से बसहा की सड़क गयी है, के संयुक्त भौतिक सत्यापन (जून 2016) के दौरान यह देखा गया कि (चित्र सहित) सेतु निर्माण कार्य के प्रारम्भ किए जाने के पूर्व ही सड़क को पूर्ण कर लिया गया (मार्च 2014) जिससे बसहा बसाहट को पहुँच प्रदाय किए जाने के उद्देश्य की पूर्ति जून 2016 तक नहीं हो सकी।

इस प्रकार, पुलों के निर्माण में विफलता के परिणामस्वरूप, इन सड़कों पर किया ₹ 23.29 करोड़ का व्यय, जिसका विवरण परिषिष्ट 2.3.5 में है, चार से 10 वर्षों के लिए अनुत्पादक सिद्ध हुआ क्योंकि ये सड़कें, 7,635 की कुल जनसंख्या वाली लक्षित बसाहटों को बारहमासी पहुँच प्रदान नहीं कर सकीं।

निर्गम बैठक के दौरान लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार करते हुए, अपर मुख्य सचिव ने कहा कि एक सेतु की स्वीकृति एनआरआरडीए से प्राप्त कर ली गयी है तथा शेष सेतुओं की स्वीकृतियाँ प्रस्ताव के स्तर पर हैं।

⁸ रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दंतेवाड़ा और कांकेर

⁹ रायपुर, बिलासपुर और राजनांदगांव

2.3.7.8 दोषपूर्ण डीपीआर का तैयार किया जाना और सड़क के पहुंच मार्ग के बह जाने की वजह से हानि

रायपुर जिले की सड़क टी 02 (धुराबांधा से पौसरी) के संयुक्त भौतिक सत्यापन (मई 2015) के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि एक ह्यूम पाइप पुलिया के एक तरफ का पहुंच मार्ग भारी बारिश की कारण बह गया था। जिसका निरीक्षण (अगस्त 2014) पीआईयू रायपुर के उप संभागीय अधिकारी (एसडीओ) द्वारा किया गया था। निरीक्षण प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया था कि बाढ़ के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो गयी थी। छोटे पुलों और पुलियों की डिजाइन हेतु आईआरसी एसपी 13 के दिशानिर्देशों के अनुसार डिजाइन करने से पहले आवश्यक डिजाइन आंकड़े जैसे कि उच्चतम बाढ़ स्तर, वर्षा के आंकड़े, जलग्रहण क्षेत्र, क्रॉस सेक्शन इत्यादि एकत्र किये जाने चाहिए।

डीपीआर की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि उच्चतम बाढ़ स्तर, वार्षिक वर्षा के आंकड़ों का, जो कि पुलिया का डिजाइन तैयार करने के लिए आवश्यक थे, उल्लेख नहीं किया गया था। इससे पानी के बहाव का समुचित आकलन नहीं किया जा सका और पहुंच मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ। इसे सुधारे जाने हेतु आरडी 2830 मीटर (7×1000 मिमी) पर ₹ 82.58 लाख मूल्य के अतिरिक्त काजवे का प्राक्कलन तैयार कर कलेक्टर, बलौदाबाजार को प्रस्तुत किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि यह प्राक्कलन पुनः जल प्रवाह की बिना किसी गणना के तैयार किया था। यद्यपि, यह प्राक्कलन स्वीकृत नहीं किया गया था (अक्टूबर 2016)। परिणामस्वरूप, पहुंच मार्ग की क्षति की मरम्मत नहीं की जा सकी और बारहमासी संपर्क स्थापित नहीं किया जा सका।

निर्गम बैठक के दौरान लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार करते हुए, अपर मुख्य सचिव ने कहा कि भविष्य में पुलिया और काजवे के डीपीआर, विनिर्दिष्ट सभी सुरक्षा उपायों के साथ तैयार किये जायेंगे। तथ्य यह है कि अभियंताओं जिन्होंने दोषपूर्ण डीपीआर तैयार किया और अनुमोदित किया, जिसके कारण क्षति हुई, के विरुद्ध न कोई कार्रवाई की गयी न ही विचाराधीन है।

2.3.8 सड़कों का अनुपयुक्त चयन

2.3.8.1 वन विभाग की अनुमति के अभाव के कारण सड़क का पूरा न होना

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के परिचालन नियमावली की धारा 6.9.2 के अनुसार, पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों जैसे कि, राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव और पक्षी अभयारण्यों और आरक्षित वनों में सड़कों के चयन से बचा जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एक सलाहकार द्वारा वर्ष 2012–13 में विस्तृत सर्वेक्षण के पश्चात देवपुरी से ठाकुरदिया (0 से 20.9 किलोमीटर) सड़क निर्माण हेतु डीपीआर तैयार किया गया था। डीपीआर में, सलाहकार ने उल्लेख किया है कि सड़क का 14.9 किमी का हिस्सा बारनवापारा अभयारण्य में आता है। इसके पश्चात् भी शासन ने सड़क का कार्य स्वीकृत किया जिसमें बिटुमिनस का निर्माण कार्य शामिल था। सड़क द्वारा 3,399 की जनसंख्या वाले 13 बसाहटे जोड़ी जानी थी। निर्माण कार्य एक ठेकेदार को ₹ 8.92 करोड़ की लागत पर सितंबर 2015 तक कार्य पूर्ण किए जाने हेतु प्रदाय (अगस्त 2014) किया गया था।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि विभाग ने सड़क निर्माण के लिये वन विभाग से अनुमति मांगी थी (अगस्त 2014) जो की बारनवापारा में नहीं आने वाले केवल प्रारंभिक छः किमी के खण्ड के लिए ही दी गई थी। विभाग ने इस भाग को ₹ 2.11 करोड़ की लागत से पूर्ण (फरवरी 2016) किया।

अभयारण्य से गुजरने वाली सड़क का चयन किए जाने के फलस्वरूप वन विभाग की अनुमति के अभाव में कार्य अपूर्ण रहने से 500 से अधिक की जनसंख्या के लिए एडबल्यूआर पहुंच प्रदान करने का उद्देश्य विफल रहा

पूर्ण सड़क ने, पीएमजीएसवाई के अंतर्गत 500 की जनसंख्या से अधिक के लिए ही सभी बारहमासी सड़क सम्पर्क के लिए बनाये मापदंड के विपरीत, 500 से कम जनसंख्या वाली केवल दो बसाहटों को पहुँच प्रदान की जबकि शेष 11 बसाहटें योजना में होने के पश्चात भी पहुँच हेतु नहीं ली जा सकी (अक्टूबर 2016)। इस प्रकार, वन अधिनियम के उल्लंघन में अभयारण्य क्षेत्र में बिटुमिनस कार्य की स्थीकृति से 500 से ऊपर की जनसंख्या के लिए बारहमासी सड़क सम्पर्क प्रदाय किए जाने के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी।

निर्गम बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव ने कहा कि इस सड़क के अभयारण्य से होकर गुजरने के कारण पूर्ण रूप से पूरा नहीं किया जा सका। अपर मुख्य सचिव ने आगे कहा कि लक्षित एवं अन्य अनुषांगिक बसाहटों को छोड़कर सड़क के साथ स्थित कुछ अनुषांगिक बसाहटों को जोड़ा गया है। जवाब पुष्टि करता है कि पीएमजीएसवाई के अंतर्गत 500 से अधिक की जनसंख्या के लिए ही बारहमासी सड़क सम्पर्क प्रदाय किए जाने के उद्देश्य को विफल करते हुए सड़क के अनुचित चयन किया गया।

2.3.8.2 राज्य की अन्य एजेंसियों द्वारा सड़कों के निर्माण के कारण राज्य शासन पर ₹ 5.16 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त भार

छत्तीसगढ़ शासन ने आदेश जारी किया (जुलाई 2009) कि पीएमजीएसवाई के अंतर्गत शामिल सड़कों का निर्माण राज्य की अन्य एजेंसियों द्वारा नहीं किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चयनित छ: जिलों में से चार¹⁰ में, पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्माण हेतु कोर नेटवर्क में चयनित पाँच सड़कों का निर्माण राज्य की अन्य एजेंसियों जैसे कि लोक निर्माण विभाग और मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना (एमएमजीएसवाई) द्वारा ₹ 5.16 करोड़ की लागत से किया गया। यद्यपि, एमएमजीएसवाई और पीएमजीएसवाई पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के समग्र नियंत्रण में है।

इस प्रकार, राज्य के बजट से राज्य की अन्य एजेंसियों द्वारा पीएमजीएसवाई के कोर नेटवर्क के अंतर्गत शामिल सड़कों के निर्माण के परिणामस्वरूप राज्य शासन पर ₹ 5.16 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त भार पड़ा जिसका विवरण परिशिष्ट 2.3.6 में है।

निर्गम बैठक के दौरान लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार करते हुए, अपर मुख्य सचिव ने कहा कि कुछ बसाहटों को राज्य की अन्य एजेंसियों द्वारा पहुँच प्रदान किया गया यद्यपि यह सड़कें कोर नेटवर्क का हिस्सा थी। अपर मुख्य सचिव ने आगे कहा कि विभाग द्वारा निर्देश अन्य एजेंसियों के लिए जारी किया जा चुका था कि एनओसी प्राप्त किए बिना पीएमजीएसवाई की सड़कों का निर्माण नहीं किया जाय।

तथापि, अपर मुख्य सचिव, राज्य शासन के अन्य विभागों द्वारा पीएमजीएसवाई सड़कों के निर्माण किए जाने से रोकने हेतु विभागीय निर्देशों का अनुपालन कर पाने में विफल रहने के कारणों की व्याख्या नहीं कर सके। यह राज्य शासन के विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय के कमी को भी दर्शाता है जिसके कारण राज्य के राजकोष पर परिहार्य भार पड़ा।

2.3.9 वित्तीय प्रबंधन

2.3.9.1 वर्ष के अंत में अत्यधिक अंतिम शेष

पीएमजीएसवाई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, मंत्रालय परियोजनाओं के लिए सीजीआरआरडीए को दो किस्तों में निधियाँ जारी करता है। सीजीआआरडीए द्वारा अवधि 2011–16 के दौरान निधियों की प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

¹⁰


बिलासपुर, जशपुर, राजनन्दगाँव और दतेवाड़ा

तालिका 2.3.4: वर्ष के अंत में अत्याधिक अंतिम शेष

(₹ करोड़ में)


वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्तियां	विविध प्राप्तियां	वर्ष के दौरान कुल प्राप्ति	कुल उपलब्ध निधि	कुल व्यय	उपयोग का प्रतिशत	अंतिम शेष
1	2	3	4	5 = (3+4)	6	7	8	9
2011–12	547.09	812.56	27.15	839.71	1386.80	230.22	17	1156.58
2012–13	1156.57	26.23	110.31	136.54	1293.11	277.03	21	1016.08
2013–14	1016.08	66.00	102.69	168.69	1184.77	655.93	55	528.84
2014–15	528.84	348.31	43.05	391.36	920.20	917.21	99	2.99
2015–16	2.99	926.36	13.66	940.02	943.01	745.61	79	197.40
योग	2179.46	296.86	2476.32	3023.41 ¹¹	2826.00			197.40

(स्रोत: सीजीआरआरडीए द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार)



चार्ट 3: वर्ष के अंत में अंतिम शेष

(₹ करोड़ में)



$$^{11} \text{प्रारंभिक शेष} + \text{कुल प्राप्ति} = \text{कुल निधि}$$

$$547.09 + 2476.32 = 3023.41$$

उपरोक्त तालिका से यह दृष्टिगत है कि 2011–16 के मध्य निधियों का उपयोग 17 प्रतिशत से 99 प्रतिशत के मध्य रहा। व्यय की दक्षता, 2011–12 और 2012–13 की अवधि के दौरान अत्यधिक निम्न रही जिसकी परिणति 2011–12, 2012–13 और 2013–14 वर्षों के दौरान अंतिम शेष के रूप में हुई। यह इंगित करता है कि विभाग अभीष्ट प्रयोजनों के लिए उपलब्ध निधियों का व्यय नहीं कर सकता था और लक्षित जनसंख्या को लाभ नहीं पहुँच सका। 2011–12 और 2012–13 वर्षों के लिए अंतिम शेष अत्यधिक रहा यहाँ तक कि उपलब्ध निधियों का क्रमशः 83 प्रतिशत और 79 प्रतिशत था।

2.3.9.2 ब्याज के माँग के दावे ₹ 3.32 करोड़ का भारतीय स्टेट बैंक से वसूल नहीं किया जाना

एमओयू के अनुसार पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निधियों की बैंकिंग व्यवस्था हेतु भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), सीजीआरआरडीए एवं एनआरआरडीए के मध्य त्रिपक्षीय अनुबंध (अगस्त 2004) किया जाना था। त्रिपक्षीय अनुबंध के खंड 4 (viii) और (ix) के अनुसार पीएमजीएसवाई की कार्यक्रम निधि में ₹ 25 लाख से अधिक की धनराशि स्वतः रूप से एक वर्ष की परिपक्वता के लिए सावधि जमा के रूप में निवेशित हो जाना चाहिए था और ब्याज निवेश के दिनांक से नकदीकरण के दिनांक तक शीघ्र नकदीकरण हेतु बिना किसी शुल्क के देय होगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि चार्टर्ड एकाउंटेंट की रिपोर्ट के अनुसार, एसबीआई ने त्रिपक्षीय अनुबंध का अनुपालन नहीं किया था जिसके लिए सीजीआरआरडीए ने मार्च 2015 तक ₹ 29.89 करोड़ की ब्याज हानि का माँग किया था (जून 2015) जिसमें से बैंक ने राशि ₹ 26.58 करोड़ जमा कर दिये थे (जून 2016) और ₹ 3.32 करोड़ की शेष राशि माफ करने के लिए अनुरोध (जून 2016) किया था। तथापि, ₹ 3.32 करोड़ की राशि न तो माफ की गयी है और न ही वसूल की गयी है (अक्टूबर 2016)।

निर्गम बैठक के दौरान लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार करते हुए, अपर मुख्य सचिव ने कहा कि ब्याज के माँग को एसबीआई से वसूल किया जाना है और सीजीआरआरडीए को बकाया माँग के भुगतान के लिए नोटिस जारी करने का निर्दश दिया। तथापि, वसूली यदि कोई हो तो की सूचना लेखापरीक्षा को नहीं दी गयी (दिसंबर 2016)।

2.3.9.3 अर्जित ब्याज पर आयकर छूट का लाभ उठाने में विफलता के कारण से ₹ 1.63 करोड़ की हानि

सीजीआरआरडीए एक पंजीकृत सोसाइटी है और गैर-लाभकारी संगठन के रूप में कार्य करता है, अतः इसे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 ए के तहत आयकर के भुगतान से छूट प्राप्त है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि बैंकों ने सीजीआरआरडीए द्वारा, शासन से उपलब्ध कराई गई निधियों पर अर्जित ब्याज पर ₹ 1.63 करोड़ की आयकर की कटौती की थी जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

तालिका 2.3.5: बैंक द्वारा की गयी आयकर कटौती का विवरण

वित्तीय वर्ष	बैंक द्वारा आयकर कटौती (₹में)
2011–12	कोई कटौती नहीं
2012–13	1411075.00
2013–14	1493498.00
2014–15	13347960.00
2015–16	कोई कटौती नहीं
योग	16252533.00

(स्रोत: सीजीआरआरडीए द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

यद्यपि सीजीआरआरडीए को आयकर भुगतान से छूट प्राप्त है, विभाग ने बैंकों के साथ इस मामले को, यह सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार के कटौतियाँ न हों, समय पर संज्ञान में नहीं लिया। इसके पश्चात, विभाग ने निर्धारण वर्ष 2013–14 से वर्ष 2015–16 के लिए आईटीआर–V के माध्यम से ₹ 1.63 करोड़ मूल्य के आयकर की वापसी की माँग की है जो कि अभी भी प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016)।

निर्गम बैठक के दौरान लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार करते हुए, अपर मुख्य सचिव ने कहा कि आयकर छूट की वसूली की जानी है और इसके लिए, सीजीआरआरडीए को आयकर विभाग से वापसी की माँग प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है। तथापि वसूली, यदि कोई की गयी हो तो, लेखापरीक्षा को सूचित नहीं की गयी थी (दिसंबर 2016)।


2.3.10 कार्यों का क्रियान्वयन

2.3.10.1 कार्यों के पूर्ण होने में विलंब एवं ₹ 4.49 करोड़ की शास्ति ठेकेदारों से वसूली नहीं होना

कार्यों के क्रियान्वयन में देरी के लिए दोषी ठेकेदारों से प्रतिसमापन क्षति की राशि ₹ 4.49 करोड़ की वसूली नहीं की गई

पीएमजीएसवाई के दिशा-निर्देशों (पैरा 13.1) में प्रावधान है कि स्वीकृत परियोजनाओं का क्रियान्वयन पीआईयू द्वारा किया जाना है और कार्यादेश के जारी होने की तारीख से वर्षा ऋतु सहित 12 महीने की अवधि के भीतर पूर्ण किया जाना है। यदि कार्यों के क्रियान्वयन की अवधि के मानसून अथवा अन्य मौसमी घटकों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना हो तो कार्यक्रम का अनुमोदन करते समय क्रियान्वयन की समय अवधि को उपयुक्त रूप से निर्धारित किया जा सकता है परंतु किसी भी स्थिति में यह 12 कैलेंडर महीने से अधिक नहीं होना चाहिए।

चयनित 131 पैकेजों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि 82 पैकेजों के पूर्ण होने में एक से लेकर 129 महीनों के मध्य का अत्याधिक विलम्ब हुआ जैसा कि परिषिष्ट 2.3.7 में वर्णित है। कारणों में भूमि विवाद (11), वन संबंधी अनुमति में देरी (02), भारी वर्षा (22), नक्सल गतिविधियां (32) और अन्य कारण (15) शामिल थे।



इनमें से छ: पैकेजों में, डेढ़ महीने से लेकर 76 महीने (परिषिष्ट 2.3.8) की सीमा के मध्य विलम्ब हुआ जिनके लिए कोई भी समय वृद्धि स्वीकृत नहीं किया गया था। इन कार्यों के निष्पादन में देरी के कारण, ₹ 8.48 करोड़ की परिसमापन क्षति वसूल की

जानी थी जिसके विपरीत ₹ 3.99 करोड़ की ही वसूली की गयी थी जबकि ₹ 4.49 करोड़ की परिसमापन क्षति ठेकेदारों से अभी भी वसूली हेतु शेष थी।

निर्गम बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया और कहा कि शास्ति की शेष राशि शीघ्र ही वसूल कर ली जाएगी जिसकी सूचना लेखापरीक्षा को दी जायेगी। तथापि, वसूली यदि कोई की गयी हो तो, लेखापरीक्षा को सूचित नहीं की गयी थी (दिसंबर 2016)।

2.3.10.2 लागत का ₹ 21.22 करोड़ से बढ़ जाना

अपूर्ण कार्यों को निरस्त किए जाने में विलम्ब के कारण कार्यों की लागत ₹ 21.22 करोड़ से बढ़ जाना

नमूना जाँच किए गए छ: में से तीन जिलों¹² में लेखापरीक्षा ने पाया कि पीएमजीएसवाई के अंतर्गत छ: पैकेजों के माध्यम से ₹ 53.06 करोड़ की ग्रामीण सड़कों के निर्माण, उन्नयन और संधारण का कार्य अलग अलग ठेकेदारों को प्रदाय किया गया। कार्यों को वर्षा ऋतु सहित 12 महीनों के भीतर पूर्ण किया जाना था। ठेकेदार, 10 से 15 महीनों की समय वृद्धि दिए जाने के पश्चात भी, ₹ 31.15 करोड़ के मूल्य का कार्य पूरा नहीं कर सके। परिणामस्वरूप, ₹ 21.90 करोड़ के कार्यों को आंशिक निष्पादन के बाद संबंधित पीआईयू के कार्यपालन अभियंता द्वारा दण्डात्मक धाराओं के अधीन निरस्त (नवंबर 2008 से जनवरी 2015) कर दिया गया था। ठेकेदारों द्वारा अधूरे छोड़े गए राशि ₹ 31.15 करोड़ के शेष कार्यों को अन्य ठेकेदारों को ₹ 52.37 करोड़ की कुल अनुबंध राशि पर प्रदाय किया गया। परिणामस्वरूप कार्यों की लागत ₹ 21.22 करोड़ से बढ़ गयी (परिशिष्ट 2.3.9)।

निर्गम बैठक के दौरान लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार करते हुए, अपर मुख्य सचिव ने कहा कि भविष्य में ठेकेदारों के कार्य कार्यक्रम का पालन करने में विफल रहने पर कार्य के लागत को कम से कम बढ़ने देने के लिए कार्यों को समय पर निरस्त कर दिया जाएगा।

तथ्य यह है कि कार्यों में विलंब के लिए ठेकेदार उत्तरदायी थे। सीजीआरआरडीए ने कार्यों के निरस्त किए जाने के पूर्व ठेकेदारों को 10 महीने से लेकर 15 महीने का समय वृद्धि दिया जिससे कार्यों की लागत बढ़ गयी।

2.3.10.3 ₹ 18.17 करोड़ की राषि की पर्यवेक्षण, गुणवत्ता की जाँच एवं माप दर्ज किए जाने के कार्य को अनियमित रूप से प्रदाय किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 8.03 करोड़ का अधिक भुगतान

सलाहकार द्वारा स्फीतिपूर्ण माप दर्ज किए जाने के कारण ठेकेदारों को ₹ 8.03 करोड़ रूपये का अधिक भुगतान

पीएमजीएसवाई की वित्तीय नियमावली की कंडिका 11.2.8 और निर्माण विभाग नियमावली की कंडिका 4.034 के अनुसार कार्यों की माप समान्यतः एक एसडीओ या का. अ. द्वारा अधिकृत किए गए किसी अन्य अधीनस्थ द्वारा ली जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, निर्माण विभाग नियमावली की कंडिका 4.040 के अनुसार कार्यपालन अभियंता द्वारा प्रायः अधीनस्थों द्वारा लिये गए मापों की जाँच माह के दौरान भुगतान किए गए अंतिम देयकों के कम से कम 10 प्रतिशत की सीमा तक करनी चाहिए।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि उपरोक्त प्रावधान का उल्लंघन करते हुए, सीजीआरआरडीए ने बिलासपुर जिले में ₹ 18.17 करोड़ का पर्यवेक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण और माप दर्ज किए जाने इत्यादि का कार्य एक सलाहकार को प्रदाय किया।

पीआईयू बिलासपुर (मुंगेली) के अभिलेखों की जाँच से आगे ज्ञात हुआ कि पीएमजीएसवाई के तहत पैकेज क्रमांक-0251 और सीजी-0246 के लिए ग्रामीण सड़कों के निर्माण, उन्नयन और संधारण का कार्य दो ठेकेदारों को क्रमशः ₹ 11.15 करोड़ एवं ₹ 7.91 करोड़ पर प्रदाय (क्रमशः मई 2007 और जून 2007) किया गया। कार्यों को 12 महीने के भीतर पूरा किया जाना था।

¹² रायपुर, बिलासपुर और जशपुर

यह देखा गया है कि सलाहकार ने इन पैकेजों के लिए ₹ 4.07 करोड़ के किए गए कार्य के वास्तविक मूल्य के स्थान पर ₹ 12.10 करोड़ की माप दर्ज की (जून 2008 और अप्रैल 2009)। इस प्रकार माप पुस्तिका में दर्ज बढ़े हुए माप के कारण ठेकेदारों को ₹ 8.03 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

इसके अलावा, सलाहकार द्वारा कोई भी गुणवत्ता जाँच नहीं की गयी। कार्यपालन अभियंता, पीआईयू बिलासपुर ने सलाहकार और ठेकेदार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई (जनवरी 2009) जबकि वसूली के लिए ठेकेदार के विरुद्ध राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (आरआरसी) जारी किया गया है (अक्टूबर 2012)। तथापि, वसूली नहीं की गयी है (अक्टूबर 2016), जबकि सलाहकार की नियुक्ति समाप्त कर दी गयी थी।

निर्गम बैठक के दौरान लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार करते हुए, अपर मुख्य सचिव ने सीजीआरआरडीए को ठेकेदारों और सलाहकार के विरुद्ध अतिरिक्त भुगतान की राशि की वसूली के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अपर मुख्य सचिव ने सीजीआरआरडीए को एशियाई विकास बैंक (एडीबी) को दोषी सलाहकार को काली सूची में डालने हेतु सूचित करने का निर्देश भी दिया।

इस संबंध में यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पीएमजीएसवाई की केंद्रीय समीक्षा की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के आधार पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्य शासन से इस प्रकरण में की गयी कार्रवाई का विवरण मांगा (नवंबर 2016) है।

इस प्रकार, भुगतान के पूर्व, पीआईयू के कार्यपालन अभियंता द्वारा सत्यापन किए जाने हेतु एक तंत्र सुनिश्चित किए बिना पीएमजीएसवाई के दिशानिर्देशों के विरुद्ध पर्यवेक्षण, गुणवत्ता की जाँच एवं मापों के दर्ज किए जाने का कार्य सलाहकार को दिये जाने के कारण ठेकेदारों का अधिक भुगतान हुआ।

2.3.10.4 दोषी ठेकेदारों से परिसमापन क्षति ₹ 4.99 करोड़ की वसूली नहीं किया जाना

पीएमजीएसवाई के दिशानिर्देशों (पैरा 13.1) में प्रावधान है कि स्वीकृत परियोजनाओं का क्रियान्वयन पीआईयू द्वारा किया जाना है एवं कार्यादेश के जारी होने की तारीख से वर्षा ऋतु सहित 12 महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाना है।

इसके अतिरिक्त, अनुबंध की धारा 44 के अनुसार, यदि पूर्णता दिनांक, निर्धारित पूर्णता तिथि से अधिक होती है तो ठेकेदार, नियोक्ता को प्रति सप्ताह या उसके भाग के रूप में उस दर पर जैसा कि उस अवधि के कांट्रैक्ट डाटा में उल्लिखित है के अनुसार परिसमापन क्षति का भुगतान करेगा। यदि ठेकेदार कांट्रैक्ट डाटा में निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने में विफल रहता है तो उसी दर से परिसमापन क्षति की राशि रोकी जाएगी। परिसमापन क्षति की कुल राशि कांट्रैक्ट डाटा में उल्लिखित राशि से अधिक नहीं होगी। नियोक्ता, ठेकेदार को देय भुगतान में से परिसमापन क्षति की राशि घटा सकता है। परिसमापन क्षति का भुगतान ठेकेदार की अन्य देनदारियों को प्रभावित नहीं करेगा। अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 44 के अंतर्गत परिसमापन क्षति (अधिकतम 10 प्रतिशत की दर से) की वसूली की जानी थी। इसके अलावा, परफॉर्मेंस गारंटी अवधि के अंदर सीजीआरआरडीए द्वारा सङ्कों के रखरखाव/संधारण के लागत की वसूली भी दोषी ठेकेदारों से की जाएगी।

कार्यपालन अभियंता, पीआईयू, बलौदाबाजार के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि तीन पैकेजों (सीजी 1449, सीजी 1457 और सीजी 1466) में ठेकेदारों ने डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि के दौरान सङ्कों के संधारण कार्य को नहीं किया और कार्यों को छोड़ दिया। डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि में सङ्कों का संधारण नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप डिफेक्ट लायबिलिटी, परिसमापन क्षति और मोबिलाइजेशन अग्रिम पर व्याज के रूप में ₹ 4.99 करोड़ रूपये की राशि वसूल की जानी थी। इसमें से सुरक्षा

जमा, परफॉर्मेस गारंटी और विविध जमा के रूप में ₹ 3.68 करोड़ विभाग के पास उपलब्ध था। दोषी ठेकेदार से ₹ 1.31 करोड़ की अंतर की राशि वसूल की जानी थी। तथापि, दिसंबर 2016 तक कोई भी राशि वसूल या समायोजित नहीं की गयी। विवरण परिषिष्ट 2.3.10 में दर्शाये गए हैं।

निर्गम बैठक (अक्टूबर 2016) के दौरान अपर मुख्य सचिव ने कहा कि ₹ 4.99 करोड़ की कुल वसूली योग्य राशि में से ₹ 3.68 करोड़ पहले ही समायोजित कर ली गयी है और शेष ₹ 1.31 करोड़ की वसूली के लिए दोषी ठेकेदार को आरआरसी जारी किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव का उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा दिसंबर 2016 में वसूली की वस्तुस्थिति प्राप्त किए जाने पर पाया गया कि विभाग के पास उपलब्ध ठेकेदार से देय ₹ 3.68 करोड़ न तो समायोजित की गयी थी और न ही ₹ 1.31 करोड़ की शेष राशि वसूल की गयी थी।

2.3.10.5 कम संख्या में पुलों/क्रास ड्रेनेज और कम लंबाई की सड़कों का क्रियान्वयन

(i) क्रॉस ड्रेनेज (सीडी) कार्यों का कम संख्या में क्रियान्वयन

छ: जिलों में 28 सड़कों (परिषिष्ट 2.3.11) के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि 16 सड़कों के प्रकरणों में सड़क निर्माण के दौरान डीपीआर में अनुमोदित 87 में से 45 सीडी/पुलियों का निर्माण नहीं किया गया जो कि दोषपूर्ण डीपीआर तैयार किए जाने की ओर इंगित करता है। प्रत्येक सड़क में कम क्रियान्वित किए गए सीडी कार्यों की संख्या एक से 10 के मध्य रही जिसका विवरण परिषिष्ट 2.3.12 में दिया गया है।

निर्गम बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया और सीजीआरआरडीए को कार्य को अंतिम रूप देने से पहले सुरक्षा राशि के रूप में अतिरिक्त दस प्रतिशत रोके जाने के लिए निर्देशित किया ताकि प्राक्कलन और निष्पादन के मध्य भिन्नता के प्रकरणों में, सलाहकार को जिसने डीपीआर तैयार किया था, यदि कोई अतिरिक्त भुगतान किया गया हो तो वसूल किया जा सके।

(ii) कम लंबाई की सड़कों का निष्पादन

लेखापरीक्षा ने छ: चयनित जिलों में संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान देखा कि 28 में से 12 सड़कों में डीपीआर में प्रस्तावित 56 किलोमीटर की सड़कों की लंबाई में से केवल 50 किमी का निर्माण किया गया था और शेष छ: किमी को क्रियान्वित किए बिना ही सड़क निर्माण कार्य को अंतिम रूप दे दिया गया था। तथापि, इन सड़कों ने लक्षित बसाहटों को पहुँच प्रदान की और बसाहटों से बाहर नहीं गयीं। ऐसी सड़कों का विवरण परिषिष्ट 2.3.13 में दिखाया गया है।

निर्गम बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया और सीजीआरआरडीए को कार्य को अंतिम रूप देने से पहले सुरक्षा राशि के रूप में अतिरिक्त 10 प्रतिशत रोके जाने के लिए निर्देशित किया ताकि प्राक्कलन और निष्पादन के मध्य भिन्नता के प्रकरणों में सलाहकार को जिसने डीपीआर तैयार किया था, यदि कोई अतिरिक्त भुगतान किया गया हो तो वसूल किया जा सके।


2.3.11 गुणवत्ता नियंत्रण, निगरानी और मूल्यांकन

2.3.11.1 एसक्यूएम/एनक्यूएम द्वारा निधारित संख्या में निरीक्षण किए जाने में कमी

पीएमजीएसवाई की संचालन नियमावली की कंडिका 11.5 के प्रावधानों के अनुसार, गुणवत्ता प्रबंधन के दूसरे स्तर का संचालन राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों (एसआरआरडीए) द्वारा राज्य गुणवत्ता समन्वयक (एसक्यूसी) की अध्यक्षता में किया जाएगा। एसक्यूसी राज्य गुणवत्ता निरीक्षक (एसक्यूएम) द्वारा निरीक्षण के लिए इस

तरह से कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करेगा कि प्रत्येक कार्य का कम से कम तीन बार निरीक्षण हो सके। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक सड़क का एनक्यूएम द्वारा कम से कम एक बार निरीक्षण किया जाना चाहिए।

चयनित पैकेजों के अभिलेखों की जाँच के दौरान यह पाया गया कि 255 सड़क निर्माण कार्य मार्च 2006 और मार्च 2016 के बीच पूर्ण किए गए थे। इस प्रकार, इन पूर्ण सड़क निर्माण कार्यों के लिए एसक्यूएम द्वारा कुल 773 निरीक्षण और एनक्यूएम द्वारा 242 निरीक्षण किए जाने थे जिसके विपरीत एसक्यूएम एवं एनक्यूएम द्वारा क्रमशः 570 निरीक्षण और 103 निरीक्षण ही किए गए। इनमें से 124 जाँच 'असंतोषजनक' और 'संतोषजनक परंतु सुधार अपेक्षित (एसआरआई)' पाये गये। जिसमें से संबंधित पीआईयू द्वारा 120 एटीआर प्रस्तुत कर दिये गए थे जबकि चार प्रकरणों में विभाग द्वारा कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी। आगे, एसक्यूएम के मामले में 203 निरीक्षणों की संख्या में जबकि एनक्यूएम के मामले में 139 निरीक्षणों की संख्या में कमी पायी गयी। इसमें, 44 सड़कों में एसक्यूएम द्वारा कोई भी निरीक्षण नहीं किया जाना शामिल है। **विवरण परिषिष्ट 2.3.14** में दिया गया है।



इस प्रकार, नियमावली के प्रावधान का पालन नहीं किया गया था और सड़कों के निर्माण की निगरानी एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त निरीक्षण किए गए थे।

निर्गम बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया और कहा कि एसक्यूएम द्वारा निर्धारित संख्या में निरीक्षण किया जा रहा था।

2.3.11.2 सड़कों के संधारण और नवीनीकरण से संबंधित सूचनाओं के आंकड़ों की प्रविष्टि का प्रावधान नहीं किया गया था

चयनित पीआईयू के ऑनलाईन प्रबंधन, निगरानी और लेखांकन प्रणाली (ओएमएएस) के आंकड़ों की जाँच के दौरान यह पाया गया कि सड़कों के संधारण और नवीनीकरण कार्यों के लिए न तो आंकड़ों की प्रविष्टि की गयी थी और न कोई जानकारी अपलोड की गयी थी क्योंकि ओएमएएस सॉफ्टवेअर इस कार्य को सुसाध्य बनाये जाने के लिए अद्यतन नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, ओएमएएस के लाभों की प्राप्ति नहीं हो सकी।

निर्गम बैठक के दौरान लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार करते हुए, अपर मुख्य सचिव ने कहा कि संधारण और सड़कों के नवीनीकरण से संबंधित आंकड़ों की प्रविष्टि के लिए एनआरआरडीए द्वारा एक अलग मॉड्यूल विकसित किया जा रहा था। वर्तमान में यह केवल लेखांकन प्रयोजनों के आंकड़ों की प्रविष्टियाँ लेने में सक्षम है एवं संधारण नवीनीकरण से संबंधित अन्य आंकड़ों को समायोजित किए जाने हेतु विस्ताराधीन है।

2.3.12 निष्कर्ष

निष्पादन लेखापरीक्षा में आयोजना, निष्पादन और गुणवत्ता नियंत्रण में कमियाँ सुरक्षित हुई। यद्यपि विभाग ने व्यय दक्षता को 2011–12 के 17 प्रतिशत के निम्न स्तर से सुधार कर वर्ष 2015–16 में 79 प्रतिशत किया है और इन पाँच वर्षों की अवधि के दौरान शनैः शनैः अधिकाधिक गाँवों को जोड़ा है, लेकिन ऐसे विषय शेष रह गए जिन्होंने पूर्ण पहुँच के उद्देश्यों को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न की जो कि नीचे उल्लिखित है:

राज्य में, योजना के क्रियान्वित होने के 15 वर्षों पश्चात भी 581 पात्र बसाहटें पहुँच विहीन रहीं। शासन ने सड़कों के उन्नयन को प्राथमिकता दी जबकि पहुँच विहीन बसाहटों की उपेक्षा की गई। दोषपूर्ण डीपीआर के परिणामस्वरूप अतिरिक्त चौड़ाई का अवांछित संशोधन, कार्यों के क्रियान्वयन में उच्चतर विशिष्टियों को अपनाये जाने से राजकोष पर अतिरिक्त भार पड़ा।

नौ लक्षित बसाहटें ₹ 25.40 करोड़ के व्यय के पश्चात भी सेतुओं के अभाव, वन विभाग का अनुमोदन नहीं प्राप्त होने इत्यादि कारणों से पहुँच विहीन बनी रही।

कार्यों का क्रियान्वयन अप्रभावी अनुबंध प्रबंधन, परिसमापन क्षति को वसूल किए जाने में विफलता, स्फीतिपूर्ण मापों के कारण अधिक भुगतान इत्यादि से प्रभावित रहा।

सभी स्तरों पर एक विस्तृत क्रियाविधि तंत्र निर्धारित होने के पश्चात् भी निगरानी कार्यक्रम प्रभावी नहीं था। 57 प्रतिशत प्रकरणों में एनक्यूएम ने किसी भी नमूने की जाँच नहीं की थी और 26 प्रतिशत प्रकरणों में एसक्यूएम में भी कोई नमूना जाँच नहीं की।

ऑनलाईन प्रबंधन, निगरानी और लेखांकन प्रणाली (ओएमएमएस) सॉफ्टवेयर, ऑनलाईन वेब आधारित प्रणाली को संधारण और सड़कों के नवीनकरण से संबंधित आंकड़ों की प्रविष्टि के लिए विकसित नहीं किया गया था।

2.3.13 अनुशंसाएं

विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी शेष पात्र बसाहटें प्राथमिकता के आधार पर बारहमासी सड़कों से जुड़ी हों।

विभाग यह सुनिश्चित कर सकता है कि डीपीआर पूरी सावधानी और निर्धारित, उचित प्रक्रियाओं को अपनाते हुए तैयार किए जाय ताकि लक्षित बसाहटें पहुँच विहीन न रहें और राजकोष पर अतिरिक्त भार से बचा जा सके।

विभाग, छूटे हुए सेतुओं का निर्माण, ठेकेदारों के पहुँचाये गए अनुचित लाभ और निम्नस्तरीय कार्य के निष्पादन के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने तथा गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र में प्रणालीगत कमियों को निराकृत करना सुनिश्चित कर सकता है।

विभाग कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दौरान निगरानी एवं निर्णय प्रक्रिया हेतु ओएमएमएस का एक प्रभावी उपकरण के रूप में संचालन सुनिश्चित कर सकता है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

2.4 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में ई—वर्क्स पर सूचना प्रौद्योगिकीय लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

ई—वर्क्स, वेब आधारित एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में मैनुअल कार्य को कम करने, कार्य प्रक्रिया को कारंगर बनाने और योजना बनाने में दक्षता लाने, निरीक्षण करने तथा उत्पादकता बढ़ाने के साथ—साथ कार्यालयीन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से दिसंबर 2012 में लागू किया गया था। यह एप्लीकेशन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) रायपुर द्वारा रूपांकित एवं संधारित किया जाता है।

सॉफ्टवेयर के आयोजना में प्रभावकारिता, कार्यान्वयन, विभागीय नियमों का समाहन, निपुणता तथा डॉटा की शुद्धता का आकलन करने के उद्देश्य से ई—वर्क्स की सूचना—प्रौद्योगिकीय लेखापरीक्षा अप्रैल 20016 तथा नवम्बर 2016 के मध्य की गई। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सूचना—प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म, डाटा सुरक्षा नीति तथा डाटा प्रबंधन की भी समीक्षा की गई। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष हैं:

योजना

विभागीय आवश्यकताओं के आंकलन हेतु यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बनाया नहीं गया था, जबकि एनआईसी द्वारा तैयार किया गया सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। तथापि प्रणाली को दिसम्बर 2012 में विभागीय आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु पॉयलेट टेस्टिंग के बिना लागू कर दिया गया था। परिणामतः सॉफ्टवेयर में कई महत्वपूर्ण अवयव नहीं थे, जिसकी परिणिती प्रचालन अदक्षता, प्रणाली को बाईपास कर राशि ₹ 2.22 करोड़ के गबन प्रणाली से राशि ₹ 57.91 करोड़ के अनाधिकृत सेल्फ चेक आहरण, 'गैर—अनुबंधित बिल मोड्यूल' के द्वारा राशि ₹ 344.49 करोड़ के अनियमित भुगतान के रूप में हुई।

(कंडिका 2.4.8 से 2.4.8.9, 2.4.9.2 तथा 2.4.9.3)

विभागीय नियमों का रूपांकन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में ई—वर्क्स अनुकूलन की योजना एवं क्रियान्वयन में कमियां थीं क्योंकि 25 में से 11 मुख्य विभागीय आवश्यकताओं को प्रणाली में समाहित नहीं किया गया था। जबकि 14 प्रमुख आवश्यकताएं जिन्हें समाहित किया गया था उनमें से पांच क्रियाशील नहीं थीं। शेष नौ समाहित विभागीय आवश्यकताएं यद्यपि उपयोग में लाई जा रही थीं किन्तु वे वांछित परिणाम देने में विफल थीं। परिणामतः विभाग मासिक लेखे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतिम उत्पाद के रूप में उत्पन्न करने के स्थान पर हाथों से तैयार करने हेतु विवश था। अतः ई—वर्क्स प्रक्रियात्मक दक्षता बढ़ाने एवं मानव हस्तक्षेप कम करने के उद्देश्य में पूर्णतः विफल रहा था।

(कंडिका 2.4.9.1 से 2.4.9.13)

डाटा प्रबंधन एवं प्रचालन नियंत्रण

प्रचालन नियंत्रण उपयुक्त नहीं था क्योंकि प्रणाली गलत वर्क कोड उत्पन्न कर रही थी एवं लोक निर्माण विभाग के मद अब भी प्रणाली में उपलब्ध थे जबकि प्रणाली का लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी हेतु अनुकूलन किये हुए चार वर्ष पूर्व किया गया था। आगे प्रणाली में उपलब्ध डाटाबेस में डाटा की विश्वस्नीयता संदेहास्पद थी जैसे 146 मामलों में बजट के बिना व्यय अनुमत्य किये गये थे, जबकि 45 मामलों में प्रशासनिक स्वीकृति की निरंक राशि के साथ भी प्रणाली द्वारा डाटा जनित किया जा रहा था। अतः वर्तमान स्थिति में प्रणाली पर निर्भरता अधिक जोखिम भरा था।

(कंडिका 2.4.10.1 से 2.4.10.2)

सूचना—प्रौद्योगिकी एवं डाटा सुरक्षा नीति

विभाग में अभिलिखित पासवर्ड एवं सुरक्षा नीति का अभाव था। प्रारंभिक लॉग—इन के समय प्रणाली पासवर्ड परिवर्तित करने अथवा आवधिक परिवर्तन हेतु विवश नहीं कर रही थी तथा सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा मानकों के विपरीत दोहराये गये असफल लॉग—इन प्रयासों के बाद भी यूजर आईडी को ब्लॉक नहीं कर रही थी। अतः उचित सुरक्षा नीति एवं पहुंच नियंत्रण तंत्र की अनुपलब्धता ने प्रणाली को अनाधिकृत परिवर्तन हेतु सुगम बना दिया था।

(कंडिका 2.4.12)

2.4.1 परिचय

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग) छत्तीसगढ़ शासन पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को पेयजल उपलब्ध कराने का दायित्व है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) द्वारा विकसित, रूपांकित एवं संधारित एक वेब आधारित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ई—वर्क्स के माध्य से अपने लेनदेनों के कंप्यूटरीकरण का प्रारंभ (दिसंबर 2012) किया था। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के पाँच¹ स्तरों पर अवस्थित कार्यालयों के लेखाकरण को वस्तुनिष्ठ बनाने तथा कार्य प्रणाली को सुविधाजनक करने के साथ—साथ विभाग द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं के प्रभावकारी आयोजन, कार्यान्वयन, क्रियान्वयन तथा निरीक्षण हेतु संबंधित सॉफ्टवेयर को विकसित किया गया था।

ई—वर्क्स आंकड़ों का केंद्रीय भंडारण करता है तथा उक्त आंकड़ों से अंतःक्रिया करने के लिए ब्राउजर आधारित सरल इंटरफ़ेस उपलब्ध कराता है। उप—संभाग, संभाग, मण्डल एवं परिक्षेत्र स्तरों पर प्रविष्ट किए गए मूल आंकड़े संबंधित उच्च कार्यालयों के लिए वर्गीकृत सूचना का आधार तैयार करते हैं। जानकारी प्रक्रमण एवं उनको साझा करने में लगाने वाले समय को कम करने के साथ—साथ विभाग के अंतर्गत सही जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उक्त परियोजना प्रारंभ की गई थी। मैनुअल कार्य को कम करना, कार्य प्रक्रिया का सरलीकरण करना और योजना बनाने एवं निरीक्षण की दक्षता बढ़ाने के साथ—साथ प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के अतिरिक्त विभागीय कार्यालयों की उत्पादकता बढ़ाना इसका उद्देश्य था।

¹ प्रमुख अभियंता, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता एवं उपसंभागीय अधिकारी

2.4.2 संगठनात्मक संरचना

शासन स्तर पर सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का प्रशासनिक प्रमुख है, जबकि प्रमुख अभियंता विभागीय प्रमुख है। प्रमुख अभियंता की सहायता के लिए परिक्षेत्र स्तर पर मुख्य अभियंता, मंडल स्तर पर अधीक्षण अभियंता एवं संभागीय स्तर पर कार्यपालन अभियंता उपलब्ध हैं। विभाग के अंतर्गत तीन परिक्षेत्र, सात मंडल, 31 सिविल संभाग, पाँच विद्युत एवं यांत्रिकी संभाग हैं।

2.4.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आंकलित करना था कि क्या:

- ई—वर्क्स के कार्यान्वयन की योजना—प्रक्रिया प्रभावी थी तथा सूचना—प्रौद्योगिकीय वातावरण में काम करने के हेतु मानव शक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए आवश्यक कदम उठाये गए थे;
- विभागीय नियमों को सूचना—प्रौद्योगिकीय प्रणाली में समाहित किया गया था एवं लेन—देनों के संव्यवहार संबंधी पर्याप्त नियंत्रण विद्यमान थे; तथा
- ई—वर्क्स के कार्यान्वयन के पश्चात् परिचालन क्षमता में सुधार हुआ था।

2.4.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं पद्धति

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की सूचना—प्रौद्योगिकीय लेखापरीक्षा के अंतर्गत 31 में से सात² सिविल संभागों एवं पाँच यांत्रिकी संभागों में से एक³ का चयन सरल यादृच्छिक नमूना पद्धति (प्रतिस्थापन के बिना) के आधार पर किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रमुख अभियंता, मुख्य अभियंता (रायपुर परिक्षेत्र) एवं दो अधीक्षण अभियंता (रायपुर एवं दुर्ग मंडल) कार्यालयों से भी सूचना संकलन का कार्य किया गया था।

डेटाबेस की पूर्णता, नियमितता और निरंतरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा ने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विभिन्न मॉड्यूलों में निहित नियंत्रणों का मूल्यांकन किया था। इसके अतिरिक्त, विभागीय नियमों से विचलन का पता लगाने के लिए दिसम्बर 2012 से अप्रैल 2016 तक की अवधि के ई—वर्क्स डेटा का चयनित इकाइयों के संबंधित अभिलेखों के साथ विश्लेषण किया गया। साथ ही ई—वर्क्स में उपलब्ध ऑँकड़ों की सत्यता की जांच करने के लिए 'ई—कोष' में उपलब्ध कोषालय के ऑँकड़ों का भी उपयोग किया गया था।

सूचना प्रौद्योगिकीय लेखापरीक्षा के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र एवं पद्धति पर चर्चा सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के साथ मई 2016 में आगम बैठक के दौरान की गई थी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा करने हेतु विभाग के सचिव के साथ नवम्बर 2016 में निर्गम बैठक की गई थी। शासन द्वारा दिये गये उत्तर को यथोचित रूप से प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

बाध्यता

सर्वर डेटाबेस—लॉग लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

² बैकुंठपुर, बेमेतरा, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, रायपुर, एवं राजनांदगांव

³ रायपुर

2.4.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित से प्राप्त किए गए:

- कार्य विभाग नियमावली;
- केन्द्रीय लोक निर्माण लेखासंहिता;
- छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता, 2000;
- छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम;
- छत्तीसगढ़ मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 तथा
- शासन और विभाग द्वारा समय—समय पर जारी किए गए निर्देश, आदेश, मानदंड, इत्यादि

2.4.6 ई-वर्क्स का संक्षिप्त विवरण

निर्माण विभाग⁴ और वन विभाग, जो धनादेश के माध्यम से लेन—देन करते हैं को छोड़कर राज्य शासन के समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ), के लेन—देन कोषालय द्वारा संचालित सॉफ्टवेयर 'ई—कोष' के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। निर्माण और वन विभागों के लेन—देनों का कंप्यूटरीकरण करने के उद्देश्य से संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन ने दो परियोजनाओं क्रमशः निर्माण विभाग के लिए 'ई—वर्क्स' और वन विभाग के लिए 'व्हाउचर पोस्टिंग प्रणाली' की शुरुआत की।

वेब आधारित ई—वर्क्स सॉफ्टवेयर प्रारंभिक रूप में माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 2008 का उपयोग कर लोक निर्माण विभाग के लिए विकसित किया गया था, जिसे कालांतर में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए अनुकूलित किया गया। ई—वर्क्स सॉफ्टवेयर के सर्वर को रायपुर में स्थित एनआईसी की निगरानी में रखा गया था। परिक्षेत्र⁵, मण्डल⁶, संभागीय⁷ एवं उप—संभागीय⁸ क्षेत्रीय कार्यालयों को ई—वर्क्स के माध्यम से अपने दैनिक लेन—देनों को संचालित करने के लिए लॉग—इन आईडी और पासवर्ड प्रदान किया गया था।

सॉफ्टवेयर में उपलब्ध विभिन्न मॉड्यूलों और प्रयोगकर्ता स्तर पर उनके कार्यों को संक्षेप में नीचे बताया गया है:

1) सामान्य—मास्टर मॉड्यूल— इस मॉड्यूल के अंतर्गत, व्यय एवं प्राप्तियों हेतु आईडी बनाने के लिए 'आबंटन मास्टर', वर्क—कोड बनाने के लिए 'वर्क—मास्टर' तथा निधि की मांग, आबंटन एवं वितरण हेतु 'आबंटन मास्टर' आदि का प्रावधान है।

2) डिवीजन—मास्टर मॉड्यूल— यह मॉड्यूल कार्यों एवं ठेकेदारों के संयोजन एवं विलोपन, अनुबंधों के संयोजन, धनादेश रोल तथा मनी—रसीद की प्रविष्टि आदि की सुविधा प्रदान करता है। साथ ही यह मॉड्यूल अनुबंधों के समय विस्तार, अग्रिमों की वसूली तथा सुरक्षा निधियों की मांग इत्यादि की सुविधा भी प्रदान करता है।

3) लेनदेन—मॉड्यूल— यह मॉड्यूल देयक तैयार करने की सुविधा के साथ—साथ देयकों से साविधिक देय राशियों जैसे आयकर, वाणिज्य कर, श्रम कल्याण उपकर आदि की कटौती एवं धनादेश जेनरेट करने की सुविधा प्रदान करता है। रोकड़ बही एवं मासिक लेखे भी इस मॉड्यूल के अंतर्गत तैयार किए जा सकते हैं।

⁴ लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं जल संसाधन विभाग

⁵ मुख्य अभियंता के नेतृत्व में

⁶ अधीक्षण अभियंता के नेतृत्व में

⁷ कार्यालय अभियंता के नेतृत्व में

⁸ सहायक अभियंता के नेतृत्व में


4) रिपोर्ट-मॉड्यूल— यह मॉड्यूल विभिन्न रिपोर्ट जैसे आबंटन एवं व्यय रिपोर्ट, धनादेश विवरण, कार्यालयीन लेखाओं की समापन स्थिति, ठेकेदार विवरण, अनुबंध विवरण, एवं सुरक्षा निधि रिपोर्ट आदि तैयार करने की सुविधा प्रदान करता है।

5) अन्य— इस मॉड्यूल के अंतर्गत पासवर्ड बदलने एवं कार्यालयीन मुहर प्रविष्टि की सुविधा उपलब्ध है।

2.4.7 ई-वर्क्स की प्रक्रिया फ्लोचार्ट

कार्य-मास्टर को सूचना प्रदान करने के लिए 'एग्रीमेंट / नॉन-एग्रीमेंट-मास्टर' आबंटन की जानकारी 'बजट / नॉन-बजट-मास्टर' से एवं सूचीबद्ध ठेकेदारों का विवरण 'ठेकेदार विवरण' से प्राप्त करता है। विवरण प्राप्ति के पश्चात् कार्य-मास्टर एक वर्क कोड बनाता है। इसके बाद प्रणाली द्वारा देयक तैयार कर व्यय की बुकिंग की जाती है एवं तदोपरांत प्रणाली द्वारा भुगतान हेतु धनादेश तैयार किया जा कर मासिक लेखे तैयार करने हेतु व्यय की सूचना प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त प्राप्तियाँ, प्रेषण, जमा की वापसी, भंडार व्यय इत्यादि से संबंधित सूचनाएं मासिक-लेखे प्रणाली के विभिन्न माड्यूलों से ही प्राप्त करते हैं जैसा कि प्रक्रिया प्रवाह रेखाचित्र में दिखाया गया है।

प्रक्रिया प्रवाह रेखाचित्र



लेखापरीक्षा परिणाम

2.4.8 योजना

सभी निर्माण विभागों में ई-वर्क्स अप्रैल 2011 से लागू किया जाना था। किन्तु देर से पहल करने एवं सॉफ्टवेयर के अनुकूलन में हुए विलंब के कारण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में यह 20 माह की देरी से, दिसंबर 2012 को लागू किया जा सका।

लेखापरीक्षा ने पाया कि गो-लाइव की तिथि (दिसम्बर 2012) को ई-वर्क्स लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के समस्त कार्यालयों में क्रियाशील नहीं था, यथा विभाग के 149 में केवल 10 कार्यालयों द्वारा ही दिसंबर 2012 में ई-वर्क्स के माध्यम से धनादेश बनाया गया, जबकि अन्य 60 कार्यालय यह कार्य जनवरी 2013 में ही कर सके थे। शेष कार्यालयों ने 2013 से 2016 के मध्य चरणबद्ध रूप में इस प्रणाली के माध्यम से धनादेश तैयार किये थे।

निर्गम बैठक (नवंबर 2016) के दौरान शासन ने कहा कि विभाग के पास ई-वर्क्स सॉफ्टवेयर के अनुकूलन हेतु आवश्यक मानव-श्रम उपलब्ध नहीं होने के कारण विलंब हुआ था। शासन द्वारा यह भी सूचित किया गया कि 61 कार्यालयों में दिसंबर 2012 में एवं 76 अन्य कार्यालयों में जनवरी 2013 में ई-वर्क्स के माध्यम से कार्य प्रारम्भ हो चुका था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि 61 कार्यालयों ने दिसंबर 2012 में एवं 76 अन्य कार्यालयों ने जनवरी 2013 में ई-वर्क्स में कुछ प्रविष्टियाँ की थीं किन्तु जनवरी 2013 तक केवल 70 कार्यालयों ने ही ई-वर्क्स के माध्यम से धनादेश तैयार किये थे।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में ई-वर्क्स के आयोजन, अनुकूलन और क्रियान्वयन की कमियों की चर्चा आगे की कंडिकाओं में की गई है।

2.4.8.1 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में ई-वर्क्स के क्रियान्वयन के लिए गठित समिति का कार्यषील न होना

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में ई-वर्क्स का कार्यान्वयन जुलाई 2012 से सुनिश्चित करने के लिए एक पॉच सदस्यीय समिति का गठन (अप्रैल 2012) किया गया था। समिति को ई-वर्क्स कार्यान्वयन की द्विसाप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन प्रमुख अभियंता को प्रस्तुत करना आवश्यक था।

प्रमुख अभियंता कार्यालय में अभिलेखों की जांच से पता चला कि समिति के काम-काज संबंधी दस्तावेज, कार्यवृत्त, रिपोर्ट आदि का संधारण कार्यालय में नहीं किया जा रहा था। इन अभिलेखों के अभाव में समिति के क्रियाशील होने का प्रमाण नहीं पाया जा सका।

निर्गम बैठक (नवंबर 2016) के दौरान लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए शासन ने कहा कि सॉफ्टवेयर अनुकूलन हेतु समय की कमी के कारण समिति की गतिविधियों को दर्ज नहीं किया जा सका था। तथ्यों से स्पष्ट है कि शासन समिति के कामकाज से संबंधित कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका था।

2.4.8.2 ई-वर्क्स के कार्यान्वयन से पूर्व प्रायोगिक परीक्षण नहीं किया जाना

विभाग में ई-वर्क्स सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन के पूर्व तीन संभागीय कार्यालयों (दुर्ग, रायपुर और वि. एवं या. संभाग, रायपुर) को प्रायोगिक परीक्षण के लिए नामित किया गया था। सॉफ्टवेयर को गो-लाइव करने के पूर्व माह अक्टूबर 2012 के धनादेश बनाने सहित समस्त लेन-देनों को ई-वर्क्स के माध्यम से संपादित किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि इन संभागीय कार्यालयों में से किसी ने भी प्रायोगिक परीक्षण के लिए निर्धारित माह अक्टूबर 2012 में, ई-वर्क्स के माध्यम से धनादेश बनाने का कार्य संपन्न नहीं किया था। कार्यपालन अभियंता, दुर्ग ने ई-वर्क्स के माध्यम से अपना पहला धनादेश दिसंबर 2012 में तैयार किया था, जबकि सिविल खंड रायपुर और ई/एम खंड रायपुर ने अपना पहला धनादेश जनवरी 2013 में तैयार कर पाये थे। प्रायोगिक परीक्षण संबंधित कोई भी रिपोर्ट प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यालय में उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार प्रायोगिक परीक्षण से संबंधित कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं थे जबकि ई-वर्क्स लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यकारी नियमों को समाहित करने में पूर्णतः विफल रहा। तथापि दिसंबर 2012 में प्रणाली को गो-लाइव घोषित कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा अवलोकनों को शासन द्वारा निर्गम बैठक (नवंबर 2016) के दौरान स्वीकार किया गया।

ई-वर्क्स कार्यान्वयन हेतु गठित समिति की कार्यवाहियों का अभिलेखन नहीं किया गया था

ई-वर्क्स कार्यान्वयन के पूर्व इसका प्रायोगिक परीक्षण नहीं किया गया था

2.4.8.3 कर्मचारियों को अनुकूलित नहीं किए गए सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण दिया जाना

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के विभिन्न कार्यालयों में ई-वर्क्स के संचालन से संबद्ध अधिकारियों, संभागीय लेखा अधिकारियों, वरिष्ठ लेखा लिपिकों एवं डाटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए अप्रैल, जून, और अक्टूबर 2012 में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था।

एनआईसी द्वारा विभाग को अनुकूलित सॉफ्टवेयर सौंपने की तारीख विभाग द्वारा दर्ज नहीं की गई थी। यद्यपि जैसा कि कंडिका 2.4.8.2 में चर्चा की गई है कि अक्टूबर 2012 में परीक्षण के लिए अनुकूलित सॉफ्टवेयर उपलब्ध नहीं होने के कारण अक्टूबर 2012 में सॉफ्टवेयर का प्रायोगिक परीक्षण नहीं किया जा सका था। इस प्रकार यह स्पष्ट था कि अप्रैल 2012 से दिसंबर 2012 के मध्य दिया गया प्रशिक्षण अनुकूलित सॉफ्टवेयर पर नहीं दिया गया था। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि, जाँच किये गये सात में से दो⁹ कार्यालयों के किसी भी कर्मचारी को सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप जनवरी 2013 तक 149 में से 79 इकाइयों द्वारा ई-वर्क्स का प्रयोग नहीं किया जा सका था एवं लेन-देनों के बाद त्रुटि सुधार एवं धनादेशों का गलत मुद्रण इत्यादि के रूप में इसका परिणाम सामने आया था।

निर्गम बैठक (नवम्बर 2016) के दौरान शासन ने बताया कि सॉफ्टवेयर का अनुकूलन मॉड्यूलवार किया गया था एवं प्रशिक्षण का आयोजन भी तदनुसार किया गया था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि कंडिका क्रमांक 2.4.8 के जवाब में शासन द्वारा सूचित किया गया था कि सॉफ्टवेयर का अनुकूलन एनआईसी से मानव शक्ति की प्रतिनियुक्ति के बाद जुलाई 2012 में ही शुरू किया जा सका था। इससे इसकी पुष्टि होती है कि अप्रैल और जून 2012 में दिया गया प्रशिक्षण सॉफ्टवेयर अनुकूलन प्रारंभ नहीं किए जाने के कारण अनुकूलित मॉड्यूल पर नहीं दिया गया था। इसके अतिरिक्त, विभिन्न प्रशिक्षण सत्रों में प्रशिक्षुओं के विभिन्न वर्गों ने भाग लिया था। इस प्रकार भले ही मॉड्यूलवार प्रशिक्षण दिया गया हो, किसी भी रूप में कर्मचारियों के लिए उपयोगी नहीं था क्योंकि जैसा कि कंडिका 2.4.6 में बताया गया है, प्रणाली में पाँच प्रमुख मॉड्यूल का एक संयोजन होने के कारण ये कर्मचारी इस प्रणाली का संचालित करने की स्थिति में नहीं थे।

2.4.8.4 'यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन' एवं 'सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन' का अभाव

लोक निर्माण विभाग में पूर्व से ही लागू ई-वर्क्स सॉफ्टवेयर को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की आवश्यकतानुसार अनुकूलित किया गया था। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की आवश्यकताओं को स्पष्ट करने के लिए विभागीय आवश्यकता का आकलन कर 'यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन (यूआरएस)' को अनुमोदित किया जाना आवश्यक था। इसके साथ ही 'सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन (एसआरएस)', जो यह बताता है कि सॉफ्टवेयर क्या कार्य करेगा एवं कार्य का संचालन कैसे होगा, की 'यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन' के साथ जाँच कर उसे मंजूरी प्रदान करना अनिवार्य था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा यूआरएस तैयार नहीं किया गया था, जबकि सॉफ्टवेयर डेवलपर द्वारा तैयार 'एसआरएस' को विभाग में अनुमोदित नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, सॉफ्टवेयर में शामिल किए जा रहे विभागीय नियमों का वर्णन भी एसआरएस में नहीं था। यह भी पाया गया कि सॉफ्टवेयर डेवलपर द्वारा तैयार किया गया एसआरएस विभाग को सॉफ्टवेयर कार्यान्वयन के 20 महीने बाद अगस्त 2014 तक भी सौंपा नहीं गया था। चूंकि यूआरएस तैयार नहीं किया गया एवं एसआरएस को

पूर्व: अनुकूलित सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण नहीं दिया गया था

विभाग द्वारा यूआरएस नहीं बनाया गया था तथा एसआरएस विभाग द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था

⁹ राजनांदगांव संभाग एवं बेमेतरा संभाग

अनुमोदित नहीं किया गया था अतः, सॉफ्टवेयर में माप पुस्तिका की प्रविष्टि, चालू देयकों में मदवार प्रविष्टि, आहरणों एवं प्रेषणों का कोषालय अभिलेखों के साथ मिलान, इत्यादि के साथ-साथ कंडिका 2.4.9.1 में उल्लिखित कई महत्वपूर्ण घटक अनुपस्थित थे। जैसा कि कंडिका 2.4.9.1 में उल्लिखित किया गया है; मासिक लेखे तैयार करने से संबद्ध कई प्रपत्र-प्रणाली में समाहित नहीं किए गए थे अतः प्रणाली जनित मासिक लेखे संभागों के लेखा स्थिति का सही एवं निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत नहीं कर रहे थे। इसके अतिरिक्त लेखों में सुधार के लिए आवश्यक अंतरण प्रविष्टि प्रपत्र प्रणाली में उपलब्ध तो था किन्तु क्रियाशील नहीं था। इससे प्रणाली की कार्यक्षमता का ह्रास हुआ जो कि मैनुअल प्रक्रिया में गुणवत्ता संवर्धन में विफल रहा।

निर्गम बैठक (नवम्बर 2016) के दौरान शासन ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया था तथा बताया कि लेखापरीक्षा अवलोकनों के आधार पर सॉफ्टवेयर संशोधित किया जाएगा एवं तदानुसार संशोधित एसआरएस भी तैयार किया जाएगा। हालांकि शासन द्वारा एसआरएस का अनुमोदन नहीं करने एवं एनआईसी द्वारा इसके बिना ही सॉफ्टवेयर विकसित करने को स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं बताया गया।

2.4.8.5 यूजर मैनुअल नहीं बनाया जाना

किसी भी प्रणाली के दैनिक उपयोग एवं इसके संचालन में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए 'यूजर मैनुअल' आवश्यक है। तथापि 'यूजर मैनुअल' ई-वर्क्स प्रारम्भ (दिसम्बर 2012) के 40 माह बाद अप्रैल 2016 में तैयार की गई थी। लेखापरीक्षा के दौरान नमूना जाँच किए गए संभाग कार्यालयों में से तीन¹⁰ संभाग कार्यालयों ने स्वीकार किया कि अब तक उनके पास 'यूजर मैनुअल' उपलब्ध नहीं है तथा तीन¹¹ संभाग कार्यालयों ने बताया कि 'यूजर मैनुअल' लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। हालांकि वेबसाइट पर ई-वर्क्स के संचालन के लिए केवल कुछ दिशानिर्देश उपलब्ध कराये गये थे जो कि 'यूजर मैनुअल' नहीं थी।

निर्गम बैठक (नवंबर 2016) के दौरान शासन ने कहा कि 1 अप्रैल 2017 तक उपयोगकर्ताओं को सम्पूर्ण 'यूजर मैनुअल' उपलब्ध करा दी जाएगी।

2.4.8.6 नकद आहरण हेतु उचंत शीर्ष न बनाया जाना

कोषालय संहिता भाग-II, खंड-I के सहायक नियम 153 और 154 के अनुसार साख-पत्र की सीमा तक धनादेश द्वारा बैंक से धन आहरण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्माण विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के पक्ष में 'साख पत्र' जारी करने का प्रावधान है।

वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ई-वर्क्स प्रणाली में दिनांक 1 अप्रैल 2013 से 'साख-पत्र व्यवस्था' को 'बजट आबंटन आधारित आहरण प्रणाली' से विस्थापित कर दिया गया था। यह प्रणाली बजट नियंत्रण अधिकारी को वित्त विभाग द्वारा आबंटित निधि उनके अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को पुर्नराबंटित करने हेतु प्राधिकृत करती है। इसके तहत वित्त विभाग द्वारा, निर्माण विभागों को बैंक की जानकारी में बजट आबंटन के भीतर विभाग द्वारा तय सीमा तक खातों से नकद आहरण के लिए एक उचंत शीर्ष बनाने हेतु निर्देशित किया गया था। इसके अतिरिक्त, धनादेश जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा धनादेश जारी करते समय लेखों के वर्गीकरण से संबंधित सलाह बैंक को भेजा जाना अनिवार्य था।

¹⁰ बेमेतरा, दुर्ग एवं वि.या. रायपुर

¹¹ बिलासपुर, धमतरी एवं राजनांदगांव

यद्यपि लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग द्वारा नकद आहरण के लिए उचंतं शीर्ष का निर्माण नहीं किया गया था एवं धनादेश के साथ लेखों के वर्गीकरण संबंधी सलाह बैंक को नहीं भेजे जा रहे थे।

निर्गम बैठक (नवंबर 2016) के दौरान शासन ने बताया कि, हालांकि नकद आहरण के लिए उचंतं शीर्ष नहीं बनाए गए थे एवं धनादेश के साथ लेखों के वर्गीकरण संबंधी सलाह बैंक को नहीं भेजे जा रहे थे किन्तु संभागीय एवं उप-संभागीय कार्यालयों के लिए नकद निकासी की सीमा क्रमशः ₹ 50,000 एवं ₹ 1,00,000 का प्रावधान सॉफ्टवेयर में सम्मिलित किया गया था।

तथ्यों से स्पष्ट है कि नई प्रणाली के कार्यान्वयन के दौरान वित्त विभाग के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया था एवं नगद आहरण के लिए उचंतं शीर्ष नहीं बनाया गया था। यह प्रणाली द्वारा बिना किसी रोक टोक के कई सेल्फ चेकों के माध्यम से असीमित नगद निकासी की स्वतंत्रता प्रदान करता है।

2.4.8.7 मानव शक्ति की अपर्याप्तता

मैनुअल कार्य प्रणाली से ई-वर्क्स में निर्बाध संक्रमण, जिसमें वृहत् रूप में डाटा का प्रबंधन शामिल था, हेतु कुशल डाटा एंट्री ऑपरेटरों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता पूर्वाकांक्षित थी।

इसके लिए विभागीय संरचना में संभाग एवं उच्च स्तरीय कार्यालयों के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटरों के पूर्व स्वीकृत 47 पदों के अतिरिक्त, उप-संभागीय कार्यालयों के लिए 113 अतिरिक्त डाटा एंट्री ऑपरेटरों की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नवम्बर 2016 की स्थिति में डाटा एंट्री ऑपरेटरों की नियुक्ति का प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित था। परिणामस्वरूप विभागीय संरचना के अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटरों के स्वीकृत 47 पदों में से 40 पद भरे नहीं जा सके थे। डाटा एंट्री ऑपरेटरों के स्वीकृत पदों के विरुद्ध कुल भरे पदों संबंधी विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

तालिका 2.4.1: डाटा एंट्री ऑपरेटरों के स्वीकृत पदों के विरुद्ध भरे हुए पद

(संख्या में)

कार्यालय का नाम	कार्यालयों की संख्या	स्वीकृत पद	उपलब्ध मानव शक्ति
प्रमुख अभियंता	1	2	निरंक
मुख्य अभियंता	3	3	निरंक
अधीक्षण अभियंता	7	7	1
संभागीय कार्यालय	36	32	6
उप-संभागीय कार्यालय	113	निरंक	निरंक
राज्य स्तरीय पर्यवेक्षण समिति	निरंक	2	निरंक
राज्य स्तरीय प्रयोगशाला	निरंक	1	निरंक
कुल	160	47	7

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रदत्त एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

क्षेत्रीय कार्यालयों में डाटा एंट्री ऑपरेटरों की इस भारी कमी को सविदा नियुक्ति के माध्यम से पूरा किया गया था। ई-वर्क्स में डेटा के सुधार के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रमुख अभियंता कार्यालय को भेजे गए ई-मेल की मात्रा से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि संविदा पर नियुक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर्स ई-वर्क्स संचालित करने के लिए यथायोग्य प्रशिक्षित नहीं थे। इस प्रकार अप्रशिक्षित मानव शक्ति द्वारा संविदा आधार पर प्रणाली संचालित किया जाना सूचना-प्रौद्योगिकीय सुरक्षा से समझौता एवं स्वयं प्रणाली के लिए भी जोखिम की संभावना से युक्त था।

निर्गम बैठक (नवम्बर 2016) के दौरान शासन ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए यह बताया कि डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

2.4.8.8 कर्तव्यों का पृथक्करण

किसी संचालित प्रणाली में जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने के लिए 'कर्तव्यों का पृथक्करण' एक महत्वपूर्ण अवयव है। लेखापरीक्षा ने पाया कि ई-वर्क्स में काम करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को केवल एक ही आईडी आबंटित किया गया था। इससे स्पष्ट था कि ई-वर्क्स के प्रबंधन, संचालन और संभागीय कार्यालयों में लेखों के प्रबंधन के संबंध में कर्तव्यों का पृथक्करण नहीं किया गया था। इसने डेटा प्रविष्टि, अनुमोदन, संशोधन और धनादेशों के मुद्रण हेतु उपयोगकर्ताओं को समान आईडी का उपयोग करने के लिए बाध्य किया था। यह 'जानने की जरूरत और करने की जरूरत' पर आधारित उपयोगकर्ता को विभिन्न स्तरों तक पहुँच अधिकार और अनुमति के सामान्य व्यवहार के प्रतिकूल था।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि एक इकाई में सभी उपयोगकर्ताओं द्वारा एकल आईडी के प्रयोग ने लेन-देनों के सभी घटकों पर एक कर्मचारी को पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया हुआ था। इस कर्मी के परिणामस्वरूप यह देखा गया कि दिसम्बर 2012 से मार्च 2016 के मध्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक व्हाउचर के अनुमोदन के बिना ही 6850 सेल्फ चेक बनाकर ₹ 57.91 करोड़ का आहरण किया गया था।

निर्गम बैठक (नवंबर 2016) के दौरान शासन ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया तथा लेखापरीक्षा टिप्पणी के अनुरूप संभाग एवं उप-संभाग स्तरीय कार्यालयों के लिए कार्यों का द्वि-स्तरीय पृथक्करण करने के साथ-साथ व्हाउचर अनुमोदन को अनिवार्य किया जाकर सॉफ्टवेयर में संशोधन किये जाने का विश्वास दिलाया गया था।

2.4.8.9 संचालन समिति का गठन नहीं किया जाना

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा अपने कार्यों के प्रभावी तथा कुशल कम्प्यूटरीकरण को सुनिश्चित करने एवं इसके कार्यान्वयन की निगरानी और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए एक संचालन समिति का गठन किया जाना चाहिए था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा ई-वर्क्स के सुचारू संचालन हेतु कोषालय एवं बैंकों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए किसी संचालन समिति का गठन नहीं किया गया था एवं समिति के गठन न किये जाने के कारणों को भी अभिलेखित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि विभाग द्वारा ई-वर्क्स के क्रियान्वयन के बाद इसके कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन भी नहीं किया गया था।

निर्गम बैठक (नवंबर 2016) के दौरान शासन ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और बताया कि एक संचालन समिति का गठन किया जाकर ई-वर्क्स और ई-कोष को 1 अप्रैल 2017 तक जोड़ लिया जाएगा।


2.4.9 व्यवहारिक नियमों का प्रतिचित्रण

किसी भी मैनुअल प्रणाली के सफल कम्प्यूटरीकरण के लिए आवश्यक है कि व्यवहारिक नियमों को प्रणाली में यथोचित रूप से समाहित किया गया हो। यह प्रणाली में विभागीय नियमों की व्यवहारिक आवश्यकताओं के अनुकूलन तथा डेटा प्रविष्टि की त्रुटियों में कटौती को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

2.4.9.1 परिचालन निष्फलता

प्रमुख 25 विभागीय आवश्यकताओं के विरुद्ध केवल 14 को प्रतिचित्रित किया गया था यद्यपि उनमें से नौ क्रियाशील नहीं थे

लेखापरीक्षा ने पाया कि ई-वर्क्स सॉफ्टवेयर में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रयोज्य समस्त व्यवहारिक आवश्यकताओं को ई-वर्क्स सॉफ्टवेयर में समाहित नहीं किया गया था तथा जिन्हें समाहित किया गया था वे या तो उपयोग में नहीं थे अथवा जहाँ उपयोग किए जा रहे थे उनसे अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे थे। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के 25 प्रमुख व्यवहारिक आवश्यकताओं के विरुद्ध 14 का प्रतिचित्रण हुआ पाया गया जबकि 11 को प्रणाली में समाहित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त समाहित किए गए 14 आवश्यकताओं में से प्रणाली द्वारा पाँच आवश्यकताओं का प्रतिपादन नहीं किया जा रहा था। इसमें मासिक लेखा, रोकड़ बही, अंतरण प्रविष्टि, 'ठेकेदार खाता बही एवं भंडार निर्गम इत्यादि सम्मिलित थे। प्रणाली में इस कमी के परिणामस्वरूप लेन-देनों को अभिलेखित करने के लिए विभाग हस्तलिखित रोकड़ बही पर निर्भर था। जबकि मासिक लेखा, जो कि किसी भी निर्माण विभाग का अंतिम उत्पाद होता है, हस्तलिखित तरीके से तैयार किया जा रहा था। इस प्रकार, परिचालन क्षमता में सुधार तथा मैनुअल हस्तक्षेप को कम करने के ई-वर्क्स के उद्देश्य को वर्तमान प्रणाली द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सका था। प्रणाली की परिचालन निष्फलता को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:



तालिका 2.4.2: ई-वर्क्स की परिचालन निष्फलता पर एक दृष्टि

स. क्र.	लोक्यांवि की प्रमुख व्यवहारिक आवश्यकताएँ	ई-वर्क्स में उपलब्धता	प्रयुक्त/अप्रयुक्त
1	शीर्षवार आबंटन (व्यय व प्राप्तियाँ)		
2	निधि आबंटन		
3	जमा की वापसी का आबंटन		
4	ठेकेदारों की सूची		
5	अनुबंध विवरण	उपलब्ध	प्रयुक्त
6	देयकों की तैयारी		
7	धनादेश मुद्रण		
8	समय विस्तार		
9	जमा का स्थानांतरण		
10	सार्वत्रिक स्थानांतरण प्रविष्टि आदेश (ओटीईओ)		
11	निर्गत भंडार (प्रपत्र-72)		
12	मासिक लेखा (प्रपत्र-80)		
13	ठेकेदारों का खाता		
14	रोकड़बही		
15	कार्य सार		
16	आहरण एवं प्रेषणों का मिलान (प्रपत्र-51)		
17	कार्य व्यय की अनुसूची (प्रपत्र-64)		
18	राजस्व अनुसूची (प्रपत्र-46 अ)		
19	डॉकेट की अनुसूची (प्रपत्र-61)		
20	निक्षेप कार्यों की अनुसूची (प्रपत्र-65 ब)		
21	एमपीएसएस की अनुसूची (प्रपत्र-69)		
22	विविध कार्य अग्रिमों की अनुसूची (प्रपत्र-70)		
23	भंडार लेखे की अनुसूची (प्रपत्र-73)		
24	विविध अग्रिमों के विकलन/आंकलन की अनुसूची (प्रपत्र-76)		
25	प्रेषणों के विकलन/आंकलन की अनुसूची (प्रपत्र-77)		

इसके अतिरिक्त प्रणाली में समाहित एवं प्रयुक्त नौ व्यवहारिक आवश्यकताएँ, जिन्हें उपरोक्त तालिका (सरल क्रमांक 1 से 9) में दर्शाया गया है वांछित परिणाम देने में विफल रही थी। यह गैर-अनुबंधित देयकों के माध्यम से अनियमित भुगतान, निक्षेप कार्यों पर प्राप्ति से अधिक व्यय, प्रणाली जनित रोकड़ बही में एक व्हाउचर की एकाधिक प्रविष्टि, लेखों में सुधार के प्रावधान का अभाव, विविध निर्माण कार्य अग्रिम का समायोजन एवं आहरित धनादेशों के मिलान के प्रावधान का अभाव इत्यादि जैसे प्रकरणों से स्पष्ट है, जिनकी चर्चा नीचे की गई है:

2.4.9.2 'गैर-अनुबंधित देयक माड्यूल' के माध्यम से राशि ₹ 344.49 करोड़ का अनियमित व्यय

'गैर-अनुबंधित देयक' के माध्यम से 19,483 लेनदेनों द्वारा जिनमें सभी ₹ 50,000 से अधिक थे, राशि ₹ 344.49 करोड़ का अनियमित भुगतान किया गया था

छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम-2002 के नियम 4.3.3 के अनुसार ₹ 50,000 से अधिक मूल्य की अनुमानित आपूर्तियों के लिए खुली निविदा आमंत्रित की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त निर्माण विभाग नियमावली की कंडिका 2.167 के अनुसार ₹ 50,000 से अधिक मूल्य के अनुमानित कार्यों के लिए निर्धारित प्रपत्र में अनुबंध किया जाना चाहिए। इस तरह, व्यवहारिक नियमों के अनुसार, प्रणाली को ₹ 50,000 से अधिक मूल्य के कार्य अथवा आपूर्ति का भुगतान 'गैर-अनुबंधित देयक मॉड्यूल' के माध्यम से अनुमत्य नहीं किया जाना चाहिए।

ऑकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि वर्ष 2012–13 से 2015–16 के दौरान लेन-देन के 19,483 मामलों में ₹ 50,005 से ₹ 3.34 करोड़ तक के ₹ 50,000 से अधिक एकल भुगतान द्वारा कुल ₹ 451.03 करोड़ का भुगतान गैर-अनुबंधित देयकों द्वारा अनुचित रूप से किया गया था।

इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 27 (1) के प्रावधान के अनुसार रूपए 5000 से अधिक की शासन आपूर्ति के देयकों पर भुगतान के दौरान कर की स्त्रोत पर कटौती किया जाकर राजस्व को प्रेषित किया जाना चाहिए। कर की कटौती हेतु प्राधिकृत अधिकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र की प्रस्तुति पर कम दर पर कर की कटौती कर सकता है अथवा कटौती नहीं भी कर सकता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 'ई-वर्क्स प्रणाली' के रूपांकन के दौरान इस पहलू को ध्यान में नहीं रखा गया था।

जिसके परिणामस्वरूप कार्यालय (ई/एम) संभाग, रायपुर और सिविल संभाग, बिलासपुर में भुगतान से संबंधित 44 मामलों में कार्यालय (ई/एम) संभाग, रायपुर में ₹ 83.74 लाख एवं संभाग कार्यालय, बिलासपुर में ₹ 9.61 लाख के 'आय-कर और मूल्य वर्धित कर' की राशि की कटौती स्त्रोत पर नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप शासन को हानि हुई थी जैसा कि परिषिष्ट 2.4.1 में दिखाया गया है।

निर्गम बैठक (नवंबर 2016) के दौरान शासन ने अन्य बातों के साथ-साथ गैर-अनुबंधात्मक देयकों द्वारा भुगतान को स्वीकार किया एवं बताया कि ₹ 288.18 का भुगतान गैर-अनुबंधात्मक देयकों द्वारा 'दर अनुबंध' के माध्यम से खरीदे गए सामानों हेतु किया गया था। जबकि, ₹ 56.31 करोड़ की राशि की विभागीय जांच की जा रही है। शासन ने आगे बताया कि संशोधित सॉफ्टवेयर में लेखापरीक्षा के अवलोकनों के अनुरूप प्रावधान किया जाएगा।

उत्तर से स्पष्ट था कि विभागीय नियमों को समुचित रूप से सॉफ्टवेयर में समाहित न किये जाने के कारण कम से कम राशि ₹ 344.49¹² करोड़ के देयकों का अनियमित ढंग से भुगतान किया गया था।

¹² ₹ 288.18 करोड़ तथा ₹ 56.31 करोड़

2.4.9.3 धनादेश मुद्रण पर नियंत्रण की कमी

ई-वर्क्स के क्रियान्वयन के पश्चात् पूर्व मुद्रित चेक-क्रमांक के साथ चेक स्क्रॉल कोषालय से प्राप्त किए जाते हैं। चेक स्क्रॉल की रेंज निर्धारित करने के उद्देश्य से पहले चेक और अंतिम चेक का नंबर ई-वर्क्स में दर्ज किया जा रहा था। ई-वर्क्स प्रणाली द्वारा चेक की छपाई के दौरान चेक क्रमांक एक अनुक्रमिक क्रम में जनित होता है जिसकी प्रविष्ट डाटाबेस में स्वतः ही होता है।

170 सेल्फ चेकों का
ऑफ लाइन मुद्रण
गबन के रूप में
परिणित हुआ था

इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करने के लिए कोई क्रिया विधि नहीं है कि कोषालय से प्राप्त सभी चेक स्क्रॉल की प्रविष्ट निरपवाद रूप से ई-वर्क्स में की गई है। इसमें चेक स्क्रॉलस का ई-वर्क्स प्रणाली के बाहर (ऑफलाइन) सेल्फ चेक के मुद्रण के लिए प्रयोग किए जाने का जोखिम है। इसके अतिरिक्त ई-वर्क्स प्रणाली में कोषालय के साथ लेखों के मिलान की प्रक्रिया का प्रावधान नहीं है अतः ऐसे चेकों के नकदीकरण पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। साथ ही धनादेश मुद्रण से संबंधित मॉड्यूल में बिना धनादेश क्रमांक के ही पीडीएफ छवि को सुरक्षित करने का प्रावधान भी है। इस पीडीएफ फाइल तक पहुँच रखने वाला कोई भी व्यक्ति धनादेश के ऑफलाइन मुद्रण के प्रयोजन हेतु इस धनादेश के ब्यौरे का सुगमता से प्रयोग कर सकता है।

ई-वर्क्स प्रणाली में व्याप्त इस कमी का दुरुपयोग करते हुए गबन का एक प्रकरण 'कार्यालय उप-संभाग अंतागढ़' में प्रकाश में आया। संभाग में धनादेशों के आहरण हेतु अधिकृत अधिकारियों द्वारा फरवरी 2013 से सितम्बर 2015 के दौरान 170 सेल्फ चेकों का ऑफलाइन मुद्रण कर बैंक से ₹ 2.22 करोड़ का आहरण किया गया था जो कि परिषिष्ट 2.4.2 में दर्शाया गया है। चूंकि चेकों को ऑफलाइन मुद्रित किया गया था, इसलिए ई-वर्क्स के डेटाबेस में उनकी प्रविष्टि दर्ज नहीं थी। कोषालय के साथ लेखों के ऑनलाइन मिलान के प्रावधान के अभाव का लाभ उठाते हुए आहरण एवं संवितरण अधिकारी (इस मामले में सहायक अभियंता) द्वारा संपादित किए गए सभी ऑफ लाईन लेन-देनों को मासिक लेखों में दर्ज नहीं किया गया था। इस प्रकार किए गए गबन की पुष्टि कलेक्टर, कांकेर द्वारा गठित समितियों द्वारा भी की गई।

निर्गम बैठक (नवंबर 2016) के दौरान शासन ने स्वीकार किया कि वर्तमान में ई-वर्क्स का कोषालय के सर्वर से जुड़ाव नहीं होने के कारण ई-वर्क्स प्रणाली में चेकों का मिलान संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी बताया कि ई-वर्क्स एवं 'ई-कोष' के जोड़ने हेतु प्रयास शरू कर दिये गये हैं तथा लेखापरीक्षा की सिफारिशों के अनुसार मुद्रण पूर्वावलोकन का यथोचित प्रावधान संशोधित सॉफ्टवेयर में किया जाएगा।

उपरोक्त तथ्यों से पता चलता है कि यदि प्रणाली को कोषालय के सर्वर से डेटा लेकर लेन-देनों का मिलान करने के लिए रूपांकित किया गया होता तो गबन से बचा जा सकता था। इसके अतिरिक्त, वित्त विभाग के निर्देशानुसार नकद आहरण के लिए उचंत शीर्ष बनाकर गबन की राशि को काफी हद तक कम किया जा सकता था।

2.4.9.4 कार्यपूर्णता में विलम्ब की स्थिति में शास्ति मानदंडों का सॉफ्टवेयर में प्रवाधान न किया जाना

निर्माण विभाग मैनुअल के परिशिष्ट 2.13 में वर्णित प्रपत्र-ए की धारा-2 के तहत, कार्य निष्पादन में हुई देरी के लिए एक निश्चित प्रतिशत, जो कि कार्य की लागत के छः प्रतिशत तक सीमित है, की दर से क्षतिपूर्ति आरोपित करने का प्रावधान है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सॉफ्टवेयर अनुकूलन के दौरान शास्ति के प्रावधानों को निर्धारित मानदंडों के साथ प्रणाली में एकीकृत नहीं किया गया था। परिणामतः प्रणाली द्वारा विलंब के लिए शास्ति की स्वतः गणना नहीं की जा रही थी। मण्डल कार्यालय रायपुर एवं दुर्ग में अभिलेखों की जांच से ज्ञात हुआ कि शास्ति संबंधी नियमों का सॉफ्टवेयर में प्रतिवित्रण किए जाने में विफलता के परिणामस्वरूप कम दर पर शास्ति

शास्ति मापदंडों से
संबंधित विभागीय
नियमों का प्रणाली में
अनुकूलन नहीं किया
गया था

लगाये जाने के कारण शासन को ₹ 29.45 लाख का राजस्व हानि हुई थी, जैसा कि परिषिष्ट 2.4.3 में दिखाया गया है।

निर्गम बैठक (नवंबर 2016) के दौरान शासन ने शास्ति गणना हेतु सॉफ्टवेयर में उचित प्रावधान के अभाव को स्वीकार किया तथा बताया कि संशोधित सॉफ्टवेयर में निर्माण विभाग नियमावली के अनुरूप प्रावधान किया जाएगा। सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा बताया गया कि लेखापरीक्षा द्वारा शास्ति की गणना ठेकेदार पर अधिरोपित विलंब की अवधि के स्थान पर समय विस्तार की कुल अवधि के आधार पर की गई है।

शासन का उत्तर सही नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा राजस्व हानि की गणना केवल ठेकेदार पर अधिरोपित विलंब अवधि के आधार पर ही की गई थी।

2.4.9.5 उप-संभाग के मासिक लेखों के बंद किये जाने से पूर्व संभाग के मासिक लेखों का बंद होना

प्रणाली उच्च कार्यालय के मासिक लेखों के बंद होने से पूर्व अधीनस्थ कार्यालयों के मासिक लेखों के बंद होने की स्थिति जानने में असमर्थ थी।

निर्माण विभाग नियमावली की कंडिका 1.129 में उल्लिखित परिषिष्ट 1.26 एवं केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता की कंडिका 22.4 के अनुसार, उप-संभाग का प्रभारी सहायक अभियंता, उप-संभागीय लेन-देनों का मासिक लेखा संभागीय अधिकारी को प्रस्तुत करता है। उप-संभागों सहित संभाग का मासिक लेखा संभागीय अधिकारी द्वारा संकलित कर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए, उप-संभागों का मासिक लेखा, संभाग के मासिक खाते से पूर्व बंद किया जाना आवश्यक है।

विद्युत एवं यांत्रिकी संभाग, रायपुर में पाया गया कि, ई-वर्क्स प्रणाली ने 31 अगस्त 2016 का संभागीय मासिक लेखा, उसके अधीनस्थ कार्यालय 'उप-संभाग, धमतरी' के मासिक लेखों से पूर्व बंद किया जाना अनुमत्य कर दिया गया था। उप-संभाग के मासिक लेखों को दिनांक 31 अगस्त 2016 अपराह्न 5:55 पर बंद किया गया था जबकि संभागीय मासिक लेखा को उसी दिन अपराह्न 5:50 अर्थात् उप-संभागीय कार्यालय से पाँच मिनट पूर्व ही बंद कर दिया गया था। इस प्रकार ई-वर्क्स प्रणाली उच्च कार्यालय के मासिक लेखों के बंद होने से पूर्व अधीनस्थ कार्यालयों के मासिक लेखों के बंद होने की स्थिति को जाँचने में असमर्थ थी।

निर्गम बैठक (नवंबर 2016) के दौरान शासन ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया एवं बताया कि यह अनियमितता सॉफ्टवेयर में गलत एसक्यूएल क्वेरी के कारण थी, जो अब सुधार कर जांच ली गई है। तथ्य यह है कि प्रणाली जनित रिपोर्ट में प्रदर्शित समय को गलत एसक्यूएल क्वेरी का कारण नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि यह स्वतः जनित है।

2.4.9.6 प्रणाली जनित रोकड़-पुस्तकों का विष्वसनीय न होना

ई-वर्क्स सॉफ्टवेयर रोकड़ बही के स्वतः जनन की सुविधा प्रदान करता है। लेखापरीक्षा द्वारा चयनित आठ संभागों के प्रणाली जनित रोकड़ बहियों की जांच की गई एवं निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर इन्हें अविश्वसनीय पाया गया:—

- एक ही व्हाउचर की एकाधिक प्रविष्टि रोकड़ बही को अविश्वसनीय बना रही थी लेखापरीक्षा ने प्रणाली जनित रोकड़-बही में एक ही व्हाउचर की कई प्रविष्टियाँ पाई जैसा कि नीचे स्क्रीन शॉट में दर्शाया गया है:

DIVISIONAL CASHBOOK OF SHRI EXECUTIVE ENGINEER, PHE FOR THE MONTH OF 03 / 2016

Date	Vr / Mr No	Receipt			Payment				
		PARTICULAR OF RECEIPT	AMT in Rs.	CLASSIFICATION	PARTICULAR OF EXPENDITURE	AMOUNT in Rs.	CHQ.No./CHQ.BOO K No.	CHEQUE AMT in Rs.	CLASSIFICATION
02/03/2016	1.0				Paid by Cheque to Your Self for VAT on account of transfer of deposite of contractors against Tax				
					Total Amt Paid Rs. 1448264/-		1448264/-		
02/03/2016	1.0				Paid by Cheque to Your Self for VAT on account of transfer of deposite of contractors against Tax				
					Total Amt Paid Rs. 1448264/-		1448264/-		
02/03/2016	2.0				Paid by Cheque to Collector, Mining, Rajnandgaon on account of transfer of deposite of contractors against Tax				
					Total Amt Paid Rs. 16961/-		16961/-		
02/03/2016	2.0				Paid by Cheque to Collector, Mining, Rajnandgaon on account of transfer of deposite of contractors against Tax				
					Total Amt Paid Rs. 16961/-		16961/-		

(स्रोत: ई-वर्क्स से स्क्रीन शॉट)

- मासिक समापन का अभाव, धनादेश राशियों एवं प्रणाली जनित रोकड़ बही के तिथियों का बेमेल होना

पाँच संभागों में ई-वर्क्स डेटाबेस के नमूना जांच में पाया गया कि 52 मामलों में ई-वर्क्स के माध्यम से जनित धनादेश एवं प्रणाली जनित रोकड़-बही में परिलक्षित धनादेश राशियां मेल नहीं खा रही थीं, जैसा कि परिषिष्ट 2.4.4 में दर्शाया गया है। लोक स्वारथ्य यांत्रिकी विभाग के दो संभागों (राजनांदगांव एवं (वि./या) रायपुर) में परीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रणाली जनित छ: धनादेशों का विवरण प्रणाली जनित रोकड़बही में दर्ज नहीं हो रहा था। इसके अतिरिक्त, उप-संभाग राजनांदगांव की प्रणाली जनित रोकड़ पुस्तक में व्हाउचर की प्रविष्टि उसके वास्तविक जनन से एक दिवस पूर्व ही अभिलिखित होना पाया गया। साथ ही प्रणाली जनित रोकड़बही में मासिक प्रारंभिक एवं अंतिम शेष नहीं दर्शाये जा रहे थे तथा प्रणाली जनित रोकड़बही में प्रेषण संबंधी लेन-देनों की प्रविष्टि परिलक्षित नहीं हो रही थी।

- लेनदेन के कालानुक्रमिक अभिलेखन की अनुपस्थिति

केंद्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता एवं वित्तीय संहिता के अनुसार रोकड़बही को दैनिक आधार पर बंद किया जाना चाहिए। इस प्रकार, रोकड़बही में लेन-देनों की प्रविष्टि कालानुक्रम में होना चाहिए। वि./या. संभाग, रायपुर में जाँच के दौरान पाया गया कि प्रणाली जनित रोकड़ पुस्तक में दर्ज लेनदेन कालानुक्रमिक नहीं थे जैसा कि नीचे स्क्रीन शॉट में दर्शाया गया है:

DIVISIONAL CASHBOOK OF SHRI EXECUTIVE ENGINEER,					FOR THE MONTH OF 03 / 2013			
Date	Vr / Mr No	Receipt			Payment			
		PARTICULAR OF RECEIPT	AMT in Rs.	CLASSIFICATION	PARTICULAR OF EXPENDITURE	AMOUNT in Rs.	CHQ.No./ CHQ.BOOK No.	CHEQUE AMT in
30/01/2013	154.1				Paid by cash to Gajendra prasad Karsh amounting Rs. 400/-	400/-		
30/01/2013	154.2				Paid by cash to Gajendra prasad Karsh amounting Rs. 600/-	600/-		
18/01/2013	155.1				Paid by cash to Shyam Pimplapure amounting Rs. 1135/-	1135/-		
31/01/2013	155.2				Paid by cash to Shyam Pimplapure amounting Rs. 1300/-			

(स्रोत: ई-वर्क्स से स्क्रीन शॉट)

निर्गम बैठक (नवंबर 2016) के दौरान शासन ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया एवं बताया कि ई-रोकड़ बही का प्रयोग नहीं किया जा रहा था। शासन ने आगे बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित समस्याओं पर सॉफ्टवेयर में संशोधन के दौरान पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा।

तथ्य यह है कि प्रणाली जनित रोकड़बही के अविश्वसनीय होने के कारण विभाग द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जा रहा था एवं लेन-देनों को अभिलिखित करने हेतु हस्तलिखित रोकड़ पुस्तक का संधारण किया जा रहा था।

2.4.9.7 निक्षेप कार्यों पर जमा से अधिक व्यय पर नियंत्रण का अभाव

सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों में सर्वोत्तम व्यवहारों के अनुसार किसी कंप्यूटर अनुप्रयोग में पूर्णता, सटीकता और लेन-देन की वैधता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नियंत्रण आवश्यक है।

केंद्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता की कंडिका 2.1.1 (17) के प्रावधानों के अनुसार नगर पालिकाओं एवं अन्य सार्वजनिक निकायों के लिए कार्यान्वित किया गया कार्य 'निक्षेप कार्य' कहलाता है। चूंकि, कार्यों की लागत गैर सरकारी निकायों द्वारा जमा किए गए धन पर भारित होती है अतः निक्षेप कार्यों को गैर-बजटीय कार्यों की श्रेणी में रखा जाता है।

केंद्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता के कंडिका 16.2.1 के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक गैर-सरकारी कार्य के लिए जमा राशि को मुख्य शीर्ष "8443-सिविल जमा" के अंतर्गत लेखा "108-लोक निर्माण जमा" में जमा किया जाना चाहिए, जिससे कुल व्यय की राशि की कटौती की जाती है। निर्माण विभाग नियमावली की कंडिका 2.170 के अनुसार, निक्षेप कार्य के लिए जमा की गई राशि अन्य कार्य के लिए उपयोग नहीं की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निक्षेप कार्यों के लिए विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त धन ई-वर्क्स मॉड्यूल में लेखा शीर्ष "00-8443-00-108-0000-0000-00-103-V" के अंतर्गत जमा किया जा रहा था। निक्षेप कार्य के लिए व्यय की बुकिंग के दौरान सॉफ्टवेयर लेखा-शीर्ष "00-8443-00-108-0000-0000-00-103-V" में धन की

उपलब्धता की जांच करता है किन्तु संबंधित निष्केप कार्य विशेष के लिए धन की उपलब्धता की जाँच नहीं करता है। इस प्रकार, ई-वर्क्स प्रणाली ने किसी निष्केप कार्य के लिए उसमें जमा से अधिक व्यय का मार्ग प्रशस्ति किया था।

संभाग दुर्ग में लेखापरीक्षा जांच के दौरान पाया कि प्रणाली की इस विसंगति के परिणामस्वरूप 'दुर्ग आवर्धन जल प्रदाय योजना' के अंतर्गत जमा की गई राशि से ₹ 1.25 करोड़ अधिक व्यय किया गया था। संभाग, राजनांदगांव में 'डोंगरगढ़ जलापूर्ति योजना' के मामले में, निष्केप कार्यों में जमा के विरुद्ध अधिक व्यय के कारण ₹ 3.56 लाख विविध लोक निर्माण अग्रिम (2014–15) को भारित किया गया था।

निर्गम बैठक (नवंबर 2016) के दौरान शासन ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया एवं कहा कि संशोधित सॉफ्टवेयर में लेखापरीक्षा के अवलोकनों के अनुरूप प्रावधान किया जाएगा।

2.4.9.8 लेखों के सुधार के प्रावधान का अभाव

केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता की कंडिका 3.2.2 के अनुसार, व्यय की बुकिंग के लिए अंतिम शीर्ष ज्ञात नहीं होने की स्थिति में इसका वर्गीकरण अस्थायी तौर पर 'विविध लोक निर्माण अग्रिम' में किया जाना चाहिए। कालांतर में 'विविध लोक निर्माण अग्रिम' का समायोजन विविध लोक निर्माण शीर्ष से अंतरण प्रविष्टि द्वारा उचित शीर्ष में अंतिम रूप से अभिलिखित कर किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जाँच किए गए सभी आठ संभागों के मासिक लेखों में सुधार हेतु हस्तालिखित रूप से अंतरण प्रविष्टियाँ संपादित की गई थीं क्योंकि ई-वर्क्स प्रणाली में भूल सुधार हेतु अंतरण प्रविष्टि का प्रावधान क्रियाशील नहीं था। परिणामस्वरूप संबंधित संभागों के प्रणाली जनित मासिक लेखे संभागीय लेखों के यथार्थ एवं निष्पक्ष तस्वीर निरूपित करने में विफल रहे, जबकि निष्केप कार्यों में जमा से अधिक व्यय की गई धनराशियों का समायोजन संबंधित एजेंसियों से धन की प्राप्ति के बावजूद भी विविध लोक निर्माण अग्रिम से नहीं किया जा सका था।

निर्गम बैठक (नवंबर 2016) के दौरान शासन ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया एवं कहा कि ई-वर्क्स में अंतरण प्रविष्टि हेतु प्रावधान मौजूद है तथा इसे पुनः स्पष्ट करने के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। आगे बताया गया कि सॉफ्टवेयर तदनुसार संशोधित किया जाएगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सॉफ्टवेयर में उपलब्ध अंतरण प्रविष्टि प्रपत्र-क्रियाशील नहीं था एवं यह प्रणाली जनित मासिक लेखा गलत प्रस्तुत कर रहा था।

2.4.9.9 आहरित धनादेशों एवं प्रेषणों के मिलान की अनुसूची तैयार किए जाने हेतु मॉड्यूल का अभाव

केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता की कंडिका 23.20 के अनुसार लोक निर्माण लेखा-प्रणाली में, किसी लोक निर्माण संभाग में व्युत्पन्न मूल प्राप्तियाँ और भुगतानों को संभागीय अधिकारी द्वारा प्रारम्भिक तौर पर लेखा-पुस्तिकाओं में उचित शीर्षों के अंतर्गत लेखांकित किया जाता है। संभाग की प्राप्तियों को “बैंक प्रेषण” शीर्ष के अंतर्गत संग्रहण हेतु बैंकों को प्रेषित किया जाता है एवं संभागीय अधिकारी द्वारा किए गए भुगतानों को ‘लोक निर्माण धनादेशों’ शीर्ष से विकलित किया जाता है। मान्यता प्राप्त बैंक से संबद्ध कोषालय संबंधित संभाग को बैंक स्क्रॉल की एक प्रति भेजते हैं। प्राप्तियों और भुगतानों के स्क्रॉल प्राप्ति पर संभागीय अधिकारी जारी किए गए धनादेशों और प्रेषणों के बीच के अंतर को बताते हुए केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा, प्रपत्र-51 में तैयार करता है। केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा, प्रपत्र 51 में तैयार की गई

लेखों के सुधार का
मॉड्यूल क्रियाशील
नहीं था

प्रणाली में
लेन-देनों के
मिलान के
प्रावधान का
अभाव था

अंतरों के मिलान की यह अनुसूची मासिक लेखे के साथ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को भेजी जाती है।

लेखापरीक्षा से ज्ञात हुआ कि ई-वर्क्स प्रणाली में केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता, प्रपत्र-51, तैयार करने का प्रावधान नहीं था। यद्यपि प्रपत्र-51 तैयार करने के लिए आवश्यक जानकारी एवं जारी किए गए धनादेश तथा मासिक प्रेषणों को प्रणाली के माध्यम से तैयार किया जा रहा था।

निर्गम बैठक के दौरान शासन ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए बताया (नवम्बर 2016) कि लेखापरीक्षा अवलोकनों के अनुसार सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन किये जायेंगे।

2.4.9.10 'निर्माण व्यय अनुसूची' के प्रावधान के बिना 'भंडार व्यय की अनुसूची' का प्रावधान किया जाना

केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता की कंडिका 22.4.1 से 22.4.8 में निहित प्रावधानों के अनुसार, मासिक लेखों के संकलन के दौरान भंडार को विकलनीय व्यय के प्रत्येक मदों को केन्द्रीय लोक निर्माण लेखापत्र -72 'भंडार व्यय की अनुसूची' में संकलित किया जाना चाहिए। केन्द्रीय लोक निर्माण लेखासंहिता प्रपत्र-72 में दिखाया जाने वाला आवश्यक व्यय प्रपत्र-64 में तैयार "निर्माण व्यय की अनुसूची" में भंडार से निर्गत कुल सामग्री को प्रदर्शित करता है।

केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता प्रपत्र-72 तैयार करने के लिए ई-वर्क्स प्रणाली में एक मॉड्यूल का प्रावधान किया गया है हालांकि, केन्द्रीय लोक निर्माण संहिता प्रपत्र-64 प्रणाली में उपलब्ध नहीं है। अतः 'भंडार व्यय अनुसूची' के प्रावधान का कोई औचित्य नहीं था। अतः लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के जाँच किए गए सभी आठ संभागीय कार्यालयों में भंडार व्यय का संधारण ई-वर्क्स के माध्यम से नहीं किया जा रहा था।

निर्गम बैठक (नवम्बर 2016) के दौरान शासन ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया एवं कहा कि संशोधित सॉफ्टवेयर में लेखापरीक्षा के अवलोकनों के अनुरूप प्रावधान किया जाएगा।

2.4.9.11 सकल राशि का निवल राशि से कम होना

भुगतान मॉड्यूल के अंतर्गत 'निवल राशि' सकल राशि से बकाया की कटौती के पश्चात् किए जाने वाले भुगतान को इंगित करता है। इस राशि की गणना प्रणाली के माध्यम से न किया जा कर इसकी प्रविष्टि हस्तालिखित रूप से की जा रही थी।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के संभाग राजनांदगांव में पाया गया कि व्हाउचर क्रमांक 147, दिनांक 18 मार्च 2014, की निवल राशि (₹ 1,44,867) सकल राशि (₹ 1,14,867) की तुलना में अधिक थी।

निर्गम बैठक (नवम्बर 2016) के दौरान शासन ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया एवं बताया कि संभागीय कार्यालय, राजनांदगांव से प्राप्त ई-मेल के आधार पर कार्यालय, प्रमुख अभियंता द्वारा व्हाउचर की राशि में सुधार कर लिया गया था। विभागीय उत्तर से इस प्रकार के प्रकरणों को रोकने हेतु प्रणाली में निहित कमी की पुष्टि होती है। इसके अतिरिक्त उक्त धनादेश को रद्द कर प्रणाली जनित दूसरा धनादेश जारी करने के स्थान पर संभागीय कार्यालय द्वारा प्रणाली के दायरे से बाहर पूर्व मुद्रित धनादेश में ही हाथों से सुधार कर दिया गया था, जबकि सुधार किए जाने के इस तरीके से बचा जाना चाहिए था।

ई-वर्क्स में
विभागीय नियमों के
आधिक प्रतिचित्रण
ने प्रावधानों को
अनुपयोगी बना
दिया था

प्रणाली में सकल
से निवल राशि में
स्वतः गणना का
अभाव था

2.4.9.12 हस्तांतरणीय जमा की गलत गणना

विभाग द्वारा स्त्रोत पर काटे गये कर (टीडीएस) की बकाया राशि संबंधित विभागों में जमा कराये जाने हेतु ई-वर्क्स विभागीय आवश्यकतानुसार जमा किए जाने योग्य बकाया करों की सूची प्रदान करता है।

प्रणाली द्वारा स्रोत पर कर कटौती की गणना की कमियों के परिणामस्वरूप अधिक टीडीएस जमा किया गया था जिसका समायोजन भी नहीं किया जा सका था

लेखापरीक्षा ने पाया कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, संभाग, बिलासपुर में 22 मार्च 2014 से 28 मार्च 2014 की अवधि के बीच स्त्रोत पर काटे गये कर की राशि ₹ 77,717 (आयकर ₹ 55,651 और मूल्य वर्धित कर ₹ 22,066) संबंधित राजस्व शीर्ष में जमा किए जाने योग्य राशि शेष थी। यद्यपि प्रणाली द्वारा उक्त अवधि के लिए स्रोत पर काटे गये कर की वास्तविक संग्रहीत राशि ₹ 77,717 के स्थान पर ₹ 4,16,029 की गणना की गई थी। तदनुसार, संभागीय कार्यालय द्वारा स्रोत पर कर की कटौती के रूप में ₹ 4,16,029 संबंधित राजस्व शीर्ष में जमा किया गया था। प्रणाली द्वारा जमा के हस्तांतरण की गलत गणना के परिणामस्वरूप माह मार्च 2014 में स्रोत पर काटे गए कर की अतिरिक्त राशि जमा की गई थी। जिसका समायोजन नवंबर 2016 तक नहीं किया जा सका था।

निर्गम बैठक (नवंबर 2016) के दौरान शासन ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया एवं कहा कि संशोधित सॉफ्टवेयर में लेखापरीक्षा के अवलोकनों के अनुरूप प्रावधान किया जाएगा। हालांकि, शासन द्वारा अतिरिक्त भुगतान का समायोजन प्रभावशील नहीं होने का कोई कारण नहीं बताया गया।

2.4.9.13 'ई-वर्क्स' के माध्यम से अस्थायी अग्रिम का समायोजन न किया जाना

परियोजना संभाग, बेमेतरा के एक उप-अभियंता को जारी किए गए राशि ₹ 50,000 के अस्थाई अग्रिम का समायोजन हस्तलिखित रोकड़ बही के व्हाउचर क्रमांक 14 दिनांक 11 मार्च 2015 के माध्यम से किया गया था। उक्त व्हाउचर से 10 उप-व्हाउचर संबद्ध थे। उक्त लेन-देनों की ई-वर्क्स में जाँच से पता चला कि प्रणाली जनित रोकड़ पुस्तक में नौ उप-व्हाउचर के माध्यम से केवल ₹ 47,565 की राशि ही समायोजित दिखाई गई थी। जबकि, लेन-देन मॉड्यूल के अंतर्गत पूर्ण अस्थाई अग्रिम राशि ₹ 50,000 का समायोजन प्रदर्शित हो रहा था। इसी संभाग में ऐसा ही एक और प्रकरण प्रकाश में आया जिसमें व्हाउचर क्रमांक 15, दिनांक 12 मार्च 2015 द्वारा रोकड़ बही में समायोजन किया गया था। जबकि रोकड़बही में दस में से नौ उप-व्हाउचर समायोजित थे। नगद में अंतर ₹ 2,186 (एक व्हाउचर) था।

निर्गम बैठक (नवंबर 2016) के दौरान शासन द्वारा लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया एवं बताया कि वर्तमान में ई-रोकड़ बही का उपयोग नहीं किया जा रहा है और आगे बताया गया कि परिलक्षित समस्याओं पर सॉफ्टवेयर के संशोधन के दौरान ध्यान दिया जाएगा।

2.4.10 एप्लीकेशन कंट्रोल में कमियाँ

एप्लीकेशन कंट्रोल का रूपांकन यह आश्वस्त करने के लिए किया जाता है, कि सभी इनपुट्स यथायोग्य अधिकृत एवं पूर्ण हैं, मान्यता जाँच हेतु प्रावधान स्थित है, वांछित प्रसंस्करण किए जाते हैं एवं उचित परिणाम प्राप्त होते हैं। डेटाबेस की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि एप्लीकेशन कंट्रोल कमजोर थे तथा सॉफ्टवेयर में बुनियादी कमियाँ थीं।

2.4.10.1 त्रुटिपूर्ण वर्क कोड की उत्पत्ति

ई-वर्क्स सॉफ्टवेयर बजटीय कार्यों के लिए "डब्ल्यू" एवं गैर-बजटीय कार्यों के लिए "एन" से शुरू होने वाले अद्वितीय अक्षरांकीय वर्क कोड्स उत्पन्न करता है। वर्क कोड में अक्षर के बाद का प्रथम अंक उस कार्यालय को इंगित करता है जहां यह उत्पन्न किया गया है। प्रमुख अभियंता कार्यालय के लिए "1", मुख्य अभियंता (परिक्षेत्र) के

ई-वर्क्स के माध्यम से जनित वर्क कोड उत्पत्तियों में गलतियाँ पायी गई थी

लिए “2”, अधीक्षण अभियंता (मण्डल) के लिए “3”, कार्यपालन अभियंता (संभाग) के लिए “4”, उप-संभाग के लिए “5” आबंटित किया गया था। वर्क कोड बनाने के लिए मुख्य शीर्ष, जिसमें आबंटन प्राप्त हुआ हो का उल्लेख करना अनिवार्य था।

ई-वर्क्स के डेटाबेस की जांच से ज्ञात हुआ कि प्रणाली में विभिन्न कार्यालयों के लिए निर्धारित अक्षरांकीय वर्णों की पहचान के लिए यथोचित इनपुट नियंत्रण नहीं था। प्रणाली द्वारा निरंक प्रशासनिक स्वीकृति के साथ भी वर्क कोड बनाया जाना अनुमत्य किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, लेखाओं के बजटीय शीर्ष, गैर-बजटीय शीर्ष में एवं विलोमतः भी निर्गत हो रहे थे, तथा किसी कार्यालय के लिए निर्धारित आईडी से अन्य कार्यालय के लिए वर्क कोड बनाया जाना भी प्रणाली द्वारा अनुमत्य किया जा रहा था।

प्रणाली द्वारा वर्क कोड्स उत्पन्न करने में पाई गई अशुद्धियों की विवरण नीचे की गई है:

- डेटाबेस के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि ई-वर्क्स प्रणाली में 18 ड्यूप्लिकेट वर्क कोड्स बनाए गए थे।
- गैर-बजटीय 4846 कार्यों के वर्क कोड को अक्षर ‘एन’ के स्थान पर अक्षर ‘डब्ल्यू’ द्वारा एवं 138 बजटीय कार्यों के वर्क कोड को अक्षर ‘डब्ल्यू’ के स्थान पर अक्षर ‘एन’ द्वारा बनाया गया था।
- प्रणाली को अधीक्षण अभियंता के स्तर पर लॉग-इन आईडी के माध्यम से बजटीय कार्यों हेतु डब्ल्यू 30 से तथा गैर-बजटीय कार्यों हेतु एन 30 से वर्क कोड बनाने के लिए रूपांकित किया जाना था। यद्यपि कार्यालय अधीक्षण अभियंता, मण्डल, रायपुर में पाया गया कि 201 मामलों में प्रणाली द्वारा डब्ल्यू 20, डब्ल्यू 40, एन 20 एवं एन 40 से प्रारंभ होने वाले वर्क कोड बनाये गये थे। जबकि ये अक्षरांकीय कोड मुख्य अभियंता (एन 20, डब्ल्यू 20) तथा कार्यपालन अभियंता (डब्ल्यू 40, एन 40) के लिए निर्धारित थे।
- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के विभिन्न कार्यालयों में 146 कार्यों के लिए बजट शीर्ष वर्गीकरण का उल्लेख किए बिना ही वर्क कोड्स बनाए गए थे।
- यह पाया गया कि 45 वर्क कोड्स को “निरंक” राशि की प्रशासकीय स्वीकृति के साथ बनाया गया था। जिसके परिणामस्वरूप इन वर्क कोड्स के विरुद्ध व्यय की बुकिंग नहीं की जा सकी थी।

निर्गम बैठक (नवंबर 2016) के दौरान शासन द्वारा वर्क कोड बनाने संबंधी विसंगतियों को स्वीकार किया गया एवं बताया गया कि मामले की जांच की जाएगी तथा सॉफ्टवेयर में संशोधन के दौरान इसमें आवश्यक प्रावधान किया जाएगा।

2.4.10.2 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में परिचालन के दौरान लोक निर्माण विभाग के शीर्षों का जारी रहना

लोनिवि हेतु मूल रूप से विकसित सॉफ्टवेयर के लोस्चायांवि में क्रियाशील होने के बाद भी पीडब्ल्यूडी के मद पाये गये थे

लेखापरीक्षा ने पाया कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग, बिलासपुर के माह मार्च 2016 के मासिक लेखा में ₹ 4,00,469 का ऋणात्मक विकलन मुख्य शीर्ष 2059 को किया गया था, जबकि यह शीर्ष लोक निर्माण विभाग को आबंटित है। इससे परिलक्षित होता है कि मूल रूप से लोक निर्माण विभाग के उपयोग हेतु विकसित ई-वर्क्स सॉफ्टवेयर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अनुरूप कस्टमाईज नहीं किया गया था एंव जैसा कि कंडिका 2.4.8.2 में उल्लेखित किया गया है क्रियान्वयन से पूर्व इसका परीक्षण भी नहीं किया गया था। लोक निर्माण विभाग के शीर्ष का चार से भी अधिक वर्षों के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में परिचालन में बना रहना प्रणाली के संबंध में शासन की उदासीनता को दर्शाता है। यह नीचे स्क्रीन शॉट में प्रदर्शित किया गया है:

1 of 1

FORM 80

Print Date:- 25-Oct-2016

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER

Print Time:- 03:58:34 PM

Report Month/Year :- March/2016

Head of Accounts			RECEIPT	EXPENDITURE		
RECEIPT		DESCRIPTION		NON PLAN	PLAN	TOTAL
GNCD	MHCD					
00	0215		47200	0	0	0
		Total Of Receipt	47200	0	0	0
GNCD	MHCD	DESCRIPTION	RECEIPT	NON PLAN	PLAN	TOTAL
20	2215		0	3202777	0	28423015
20	4215		0	0	690500	690500
64	2215		0	0	10204051	10204051
80	2215		0	4086	0	1770956
67	2059	Public Works	0	-400469	0	-400469
		Total Of Expenditure	0	2806394	37881659	40688053

निर्गम बैठक (नवंबर 2016) के दौरान शासन ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया एंव कहा कि सॉफ्टवेयर में संशोधन के दौरान इसमें आवश्यक सुधार किया जाएगा।

2.4.11 अपूर्ण रिपोर्टिंग मॉड्यूल

17 में से केवल पाँच प्रतिवेदन ही क्रियाशील थे

ई-वर्क्स मॉड्यूल सूचना प्रबंधन प्रणाली प्रतिवेदन जेनरेट करने की सुविधा प्रदान करता है, जिसके आधार पर निर्णय लिया जा सके। लेखापरीक्षा ने पाया कि इनमें से कुछ प्रतिवेदन जेनरेट नहीं किए जा रहे थे अथवा उनके जेनरेशन में विसंगतियां थी। यह इन तथ्यों से स्पष्ट है कि 17 में से केवल पाँच¹³ प्रतिवेदन ही सक्रिय थे, जबकि आरोपित एंव वसूल की गई शास्ति, ठेकेदारों के खाते, कार्य सार इत्यादि से संबंधित प्रतिवेदन जेनरेट नहीं किए जा रहे थे। आयकर कटौती की अनुसूची में अंतराल था यथा ठेकेदार विवरण में कुछ कटौतियों के विरुद्ध स्थायी लेखा क्रमांक से संबंधित विवरण रिक्त थे।

निर्गम बैठक (नवंबर 2016) के दौरान शासन ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया एंव बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा इगित किये अनुसार संशोधित साफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान किये जाएंगे।

2.4.12 ई-वर्क्स हेतु परिभाषित पासवर्ड और सुरक्षा नीति का अभाव

विभाग ने सुरक्षा नीति परिभाषित नहीं की थी

किसी संगठन में सूचनाओं के अनाधिकृत उपयोग और छेड़छाड़ से संरक्षण हेतु, समूचित कार्यान्वयन के साथ एक सु-परिभाषित एंव प्रामाणिक पासवर्ड तथा सुरक्षा नीति आवश्यक है। तथापि, विभाग द्वारा कोई सुरक्षा नीति परिभाषित नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- प्रारंभिक लॉग-इन के समय प्रणाली द्वारा उपयोगकर्ता से पासवर्ड बदलने का आग्रह नहीं किया जा रहा था।
- यह उपयोगकर्ता को पासवर्ड के आवधिक परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं कर रहा था।

¹³ फण्ड उपयोगिता प्रतिवेदन, कार्यालय लेखा बंदी की स्थिति, ठेकेदारों का विवरण, अनुबंध विवरण एंव एस.डी. प्रतिवेदन

- विंगत लॉग—इन की तिथि एवं समय तथा तत्पश्चात् असफल लॉग—इन प्रयासों की संख्या स्क्रीन पर प्रदर्शित नहीं हो रही थी। अभिलेखों तक अनाधिकृत पहुँच एवं छेड़छाड़ से संरक्षण के लिए सूचना—प्रौद्योगिकी के सुरक्षा मानकों के विरुद्ध लगातार असफल लॉग—इन प्रयासों के बाद भी यूजर—आईडी को प्रणाली द्वारा निलंबित नहीं किया जा रहा था।

निर्गम बैठक (नवंबर 2016) के दौरान शासन ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार करते हुए बताया कि लेखापरीक्षा के सुझावों के अनुरूप ई—वर्क्स में पासवर्ड और सुरक्षा नीति अक्टूबर 2016 से लागू कर दी गई है।

2.4.13 निष्कर्ष

विभागीय आवश्यकताओं के आकलन हेतु यूआरएस तैयार नहीं किया गया था, जबकि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसित एसआरएस पीएचईडी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, विभागीय आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक प्रायोगिक परीक्षण किये बिना ही दिसंबर 2012 में प्रणाली को गो—लाइव घोषित कर दिया गया था। परिणामतः अनुप्रयुक्त सॉफ्टवेयर अपने उद्देश्य की पूर्ति में विफल रहा, जैसा कि सिस्टम को बाईपास करके किये गये ₹ 2.22 करोड़ के गबन, प्रणाली द्वारा राशि ₹ 57.91 करोड़ के सेल्फ चेकों के माध्यम से अनाधिकृत आहरण, गैर—अनुबंधित बिल माड्यूल द्वारा राशि ₹ 344.49 करोड़ के अनियमित भुगतान आदि के मामलों से स्पष्ट था।

ई—वर्क्स के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग हेतु कस्टमाईजेशन की योजना एवं क्रियान्वयन में कमी थी जिसके परिणाम स्वरूप विभाग की प्रमुख 25 व्यवहारिक आवश्यकताओं में से 11 को प्रणाली में समाहित ही नहीं किया गया था। जबकि 14 प्रमुख आवश्यकताओं जिन्हें प्रणाली में समाहित किया गया था में से पाँच क्रियाशील नहीं थे तथा शेष नौ व्यवहारिक आवश्यकताएं उपयोग में आ रही थी किन्तु यह भी वांछित परिणाम नहीं दे रही थी। प्रणाली में इस कमी के परिणामस्वरूप विभाग मासिक लेखे प्रणाली जनित अंतिम उत्पाद के रूप में प्राप्त करने के स्थान पर मैनुअल आधार पर तैयार कर रहा था। इस प्रकार वर्तमान ई—वर्क्स प्रणाली के माध्यम से परिचालन क्षमता में सुधार करने एवं मानवीय हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका था।

सॉफ्टवेयर में एप्लिकेशन कंट्रोल उपयुक्त नहीं थे चूंकि प्रणाली द्वारा गलत वर्क कोड्स बनाया जा रहा था लोक निर्माण विभाग से संबंधित शीर्ष भी विद्यमान थे जबकि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए सॉफ्टवेयर का अनुकूलन चार से भी अधिक वर्ष पहले किया गया था। तथापि, इसके अतिरिक्त डेटाबेस में डेटा की शुद्धता संदिग्ध थी क्योंकि 146 मामलों में बजटीय शीर्ष का वर्गीकरण किए बिना ही व्यय बुक कर दिया गया था। जबकि 45 मामलों में प्रशासकीय स्वीकृति की निरंक राशि के साथ प्रणाली द्वारा डेटा जेनरेट किया गया था। इस प्रकार, अपने वर्तमान स्वरूप में प्रणाली पर निर्भरता अत्यधिक जोखिम भरी है।

एकल यूजर आईडी, कर्तव्यों का पृथक्करण न होना, आवधिक परिवर्तन के बिना पासवर्ड, बारम्बार असफल लॉग—इन प्रयासों के प्रति उदासीनता जैसे उचित प्रक्रियागत नियंत्रण एवं सुरक्षा नीति के अभाव ने प्रणाली को छेड़छाड़ के लिए सुगम्य बना दिया था।

2.4.14 अनुशंसाएं

कार्यकारी नियमों के प्रतिचित्रण के परिपेक्षय में सॉफ्टवेयर की यथाशीघ्र समीक्षा की जानी चाहिए तथा इसे विश्वासनीय बनाने के लिए उचित सत्यापन और नियंत्रणों को लागू किया जाना चाहिए।

तब तक किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी तथा दुर्विनियोजन की संभावना को रोकने के लिए भौतिक अभिलेखों का संरक्षण और उचित पर्यवेक्षण जैसे पर्याप्त मैनुअल नियंत्रणों को लागू किया जाना चाहिए।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में अनुप्रयोजन प्रणाली एवं डेटा तक पहुंच के संबंध में एक पूर्ण विकसित सूचना प्रौद्योगिकीय नीति, कार्यान्वयन योजना, पर्याप्त प्रलेखन एवं सुरक्षा नीति तैयार करने की आवश्यकता है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को कर्तव्यों के पृथक्करण, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल तथा परिवर्तन प्रबंधन नियंत्रण जैसे सूचना प्रौद्योगिकीय नियंत्रण मानकों को मजबूत करने की आवश्यकता है।

अध्याय—III

अनुपालन लेखापरीक्षा

- 3.1 छत्तीसगढ़ में चिकित्सा शिक्षा
- 3.2 छत्तीसगढ़ मे सेतुओं का निर्माण
- 3.3 पशुधन विकास विभाग द्वारा पशुधन वितरण
- 3.4 कृषि विभाग के अंतर्गत कृषि प्रकोष्ठ के निष्पादन लेखापरीक्षा की अनुवर्ती लेखापरीक्षा
- 3.5 लेखापरीक्षा कंडिकाएं

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

3.1 छत्तीसगढ़ में चिकित्सा शिक्षा

3.1.1 प्रस्तावना

छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय औसत से काफी कम स्वास्थ्य सूचकांक के साथ एक गरीब राज्य है। मार्च 2013¹ की स्थिति में मातृ मृत्यु दर 221 प्रति लाख, शिशु मृत्यु दर 46 प्रति हजार तथा कुल प्रजनन दर 2.6 थी जबकि राष्ट्रीय औसत क्रमशः 167, 40 एवं 2.3 था।

चिकित्सा शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य प्रभावी और गुणवत्तापरक तृतीयक चिकित्सा देखभाल हेतु अत्यधिक कुशल जनशक्ति जैसे कि डॉक्टरों, नर्सों इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा मानव जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है। छत्तीसगढ़ शासन (राज्य शासन) ने चिकित्सा शिक्षा के विकास, विस्तार, प्रबंधन एवं प्रशासनिक नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (विभाग) के अंतर्गत संचालक, चिकित्सा शिक्षा (डीएमई) स्थापित किया है।

छत्तीसगढ़ चिकित्सा परिषद (सीजीएमसी) के अनुसार अगस्त 2015 की स्थिति में, 6273 डॉक्टर (एलोपैथी शाखा के अंतर्गत) पंजीकृत थे जिसमें से केवल 1642 डॉक्टर (26 प्रतिशत) शासकीय क्षेत्र में कार्यरत थे। इनमें से 421 डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 1221 शहरी क्षेत्रों में नियुक्त थे। राज्य शासन ने (अगस्त 2015) 1:1000 के डॉक्टर—मरीज अनुपात को प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव रखा था। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 2.55 करोड़ की जनसंख्या पर छ: मेडिकल कॉलेज (पाँच शासकीय तथा एक निजी) हैं जिनकी प्रवेश क्षमता 700 छात्र है एवं डॉक्टर मरीज का अनुपात राष्ट्रीय औसत 1:1700² एवं विश्व औसत 1.5:1000 के विरुद्ध 1:17000 है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानदंडों के अनुसार एक लाख की जनसंख्या में 255 नर्सों की आवश्यकता है। जबकि, राज्य में राष्ट्रीय औसत 75 नर्सों के विरुद्ध प्रति लाख की जनसंख्या में 21 नर्स हैं।

विभाग की नीतियों एवं कार्यकलापों के प्रबंधन के लिए प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तरदायी है। शीर्ष स्तर पर, वह डीएमई, दो संयुक्त सचिवों, दो उप संचालकों और चार सहायक संचालकों द्वारा सहायित होते हैं, जबकि संस्था के स्तर पर, डीन, चिकित्सालय अधीक्षक, प्रधानाध्यापक व्यापक तौर पर क्रमशः मेडिकल कॉलेजों, शिक्षण अस्पतालों और शासकीय नर्सिंग कॉलेजों (जीएनसी) के प्रभारी हैं।

लेखापरीक्षा अप्रैल 2016 से जुलाई 2016 के दौरान वर्ष 2011–16 की अवधि को सम्मिलित करते हुए निष्पादित की गयी। लेखापरीक्षा द्वारा डीएमई, रायपुर, छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल रायपुर (सीजीएमसी), छत्तीसगढ़ नर्ससं पंजीकरण परिषद रायपुर (सीजीएनसी), छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय³, रायपुर, सभी पांच⁴

¹ पत्र सूचना कार्यालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, दिनांक 24 जुलाई 2015 के अनुसार एमसीआई विज्ञान दस्तावेज 2015

² छत्तीसगढ़ का आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय मेडिकल, दंतचिकित्सा, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, आयुर्वेद, सिद्ध, जैवप्रौद्योगिकी, फार्मसी और पैरामेडिकल कॉलेजों की संबद्धता, विनियमित करने और संबद्ध कॉलेजों में परीक्षाओं का आयोजन करने के लिए जिम्मेदार है।

³ पंडित जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, रायपुर (जीएमसी, रायपुर), छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर (सिस्स, बिलासपुर), स्वर्गीय बलीराम कश्यप मेमोरियल शासकीय कॉलेज, जगदलपुर (जीएमसी, जगदलपुर), शासकीय मेडिकल कॉलेज, राजनांदगांव (जीएमसी, राजनांदगांव) एवं स्वर्गीय श्री लखीराम अग्रवाल मेमोरियल शासकीय मेडिकल कॉलेज, रायगढ़ (जीएमसी, रायगढ़)

शासकीय मेडिकल कॉलेजों (जीएमसी) संबद्ध शिक्षण अस्पतालों एवं आठ में से पांच⁵ जीएनसी के अभिलेखों की जांच की गयी।

लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, क्षेत्र एवं पद्धति पर विभाग के सचिव के साथ चर्चा हेतु आठ अप्रैल 2016 को आगम बैठक का आयोजन किया गया। लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर चर्चा के लिए सात फरवरी 2017 को निर्गम बैठक का आयोजन प्रमुख सचिव के साथ किया गया एवं चर्चा के दौरान प्रमुख सचिव द्वारा प्रस्तुत उत्तरों को रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.1.2 राज्य में चिकित्सा शिक्षा की समग्र स्थिति

डॉक्टर—मरीज
अनुपात को प्राप्त
करने के लिए
विस्तृत योजना
तैयार नहीं की
गयी

राज्य की स्थापना (2000) के समय राज्य में केवल एक शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में संचालित था। उसके पश्चात, राज्य शासन ने चार चिकित्सा महाविद्यालय और आठ⁶ जीएनसी की स्थापना की (2001 और 2014 के बीच) एवं एक निजी चिकित्सा महाविद्यालय और 73 निजी नर्सिंग महाविद्यालयों की स्थापना के लिए मंजूरी (2013) प्रदान की। वर्तमान में, राज्य के छः चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक (एम.बी.बी.एस) के 700 छात्रों और स्नात्तकोत्तर के 95 छात्रों की प्रवेश क्षमता है जबकि आठ शासकीय नर्सिंग कॉलेज में 370 विद्यार्थियों की वार्षिक प्रवेश क्षमता है एवं 73 निजी नर्सिंग महाविद्यालयों में कुल 3230 छात्रों की प्रवेश क्षमता है।

यद्यपि राज्य में चिकित्सक—मरीज का प्रतिकूल अनुपात (1:17000) है और प्रतिकूल नर्स—जनसंख्या का अनुपात (21:1,00,000) है, राज्य शासन ने अनुमानित/वांछित चिकित्सक—मरीज अनुपात अथवा नर्स—जनसंख्या अनुपात प्राप्त करने के लिए कोई विस्तृत योजना अथवा अंतर को कम करने के लिए विज़न दस्तावेज तैयार नहीं किया।

शासन ने बताया (फरवरी 2017) कि नये चिकित्सा एवं नर्सिंग महाविद्यालयों की स्थापना/उन्नयन के लिए कोई योजना तैयार नहीं की गई है। तथापि शासन पांच नए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों और तीन निजी चिकित्सा महाविद्यालयों को स्थापित करने में सफल रहा। यह भी कहा गया कि राज्य शासन द्वारा वांछित चिकित्सक मरीज अनुपात प्राप्त करने के लिए अनवरत प्रयास जारी हैं एवं विज़न दस्तावेज तैयार किये जा रहे हैं।

तथ्य यह है कि शासन, वांछित अनुपात को प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार करने में असफल रहा। इसके अतिरिक्त शासन ने बांड के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नये स्नातक डॉक्टरों की सेवाओं का उपयोग न कर डॉक्टरों की भारी कमी को कम करने का अवसर खो दिया जैसा कि कंडिका क्रमांक 3.1.7.4 में उल्लेखित है।

3.1.3 स्नातक (एमबीबीएस) पाठ्यक्रम की प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयास

3.1.3.1 सरगुजा में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना में विलंब

भारत सरकार ने केंद्र प्रवर्तित योजना (भारत सरकार : राज्य – 75:25) के अंतर्गत राजनांदगांव और सरगुजा जिले में प्रत्येक 100 सीट के वार्षिक प्रवेश क्षमता वाले दो नये चिकित्सा महाविद्यालयों के गठन की मंजूरी (2014) प्रदान की। तदनुसार, भारत सरकार एवं राज्य शासन के बीच प्रत्येक महाविद्यालय को राशि ₹ 189.00 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) (अप्रैल 2014) किया गया। ₹ 189 करोड़ के योजना परिव्यय (₹ 141.75 करोड़ भारत सरकार का अंश और ₹ 47.25 करोड़ राज्य शासन का अंश) के विरुद्ध भारत सरकार

⁵ बिलासपुर, जगदलपुर, रायगढ़, रायपुर एवं राजनांदगांव

⁶ बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, कर्वाचारी, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव एवं सरगुजा

द्वारा राशि ₹ 53.02 करोड़ (मार्च 2015 से मार्च 2016) जारी किया गया था। समझौता ज्ञापन के अनुसार राज्य शासन को विस्तृत कार्य योजना बनाने और योजना के कार्यान्वयन के लिए एक समिति का गठन करना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि राज्य शासन ने चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव की स्थापना (सितम्बर 2014) अनुमोदित योजना के अनुसार की थी। जबकि सिविल निर्माण कार्यों एवं एमसीआई मापदंडों के अनुसार शिक्षण संकायों की व्यवस्था करने एवं उपकरण खरीदी के लिए समझौता ज्ञापन के अनुसार समिति गठित किये जाने में राज्य शासन के विफल रहने के कारण सरगुजा में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना दो वर्ष के विलंब के पश्चात् सितम्बर 2016 में की जा सकी।

शासन ने बताया (फरवरी 2017) कि अगस्त 2015 में सरगुजा में नए चिकित्सा महाविद्यालय को खोलने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया। परंतु एमसीआई ने दिसम्बर 2015 में प्रस्ताव को खारिज कर दिया एवं सितम्बर 2016 में स्थीकृति प्रदान की। प्रमुख सचिव ने आगे बताया कि निर्माण कार्य गतिविधि प्रारंभ होने में विलंब के कारण निधि का उपयोग नहीं किया जा सका।

तथ्य यह है कि धन की उपलब्धता के बावजूद सरगुजा में नये चिकित्सा महाविद्यालय को खोलने में दो वर्ष का विलंब हुआ।

3.1.3.2 सलाहकार की त्रुटिपूर्ण सेवाएं

राज्य शासन ने इंटरनेशनल कोनसोसिएसन ऑफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च (आईसीएमईआर) नई दिल्ली के साथ जगदलपुर और रायगढ़ में 100 सीट वाले नये चिकित्सा महाविद्यालय के स्थापना के लिए (2006 और 2007) परामर्श सेवा प्रदान करने, और मेसर्स मूरालैग, गाजियाबाद (2014) के साथ राजनांदगांव में चिकित्सा महाविद्यालय स्थापना के लिए अनुबंध निष्पादित किया। सलाहकार एमसीआई मापदंड के अनुसार कमियों को दूर करने हेतु आवश्यक शिक्षण संकाय जैसे प्रोफेसर, ऐसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर और डेमोन्स्ट्रेटर उपलब्ध कराने एवं अधोसंरचना सुविधाओं के सृजन के लिए राज्य शासन की सहायता के लिए उत्तरदायी थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जीएमसी जगदलपुर और जीएमसी रायगढ़ में सलाहकार (आईसीएमईआर) एमसीआई मापदंडों के अनुसार शिक्षण संकायों को प्रदान करने में असफल रहे जबकि राज्य शासन एमसीआई मापदंड के अनुसार अधोसंरचना सुविधाओं का सृजन नहीं कर सका। परिणामस्वरूप स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, (भारत सरकार) ने दोनों महाविद्यालयों में वर्ष 2006 (जगदलपुर) और 2013 (रायगढ़) में प्रस्तावित 100 सीट क्षमता को घटाकर 50 की प्रवेश क्षमता के लिए सीमित कर दिया। इस प्रकार सलाहकारों की नियुक्ति के बाद भी परिकल्पित योजना के अनुसार 100 सीटों के लिए आशय—पत्र प्राप्त करने में विफल रहा। जबकि, जीएमसी जगदलपुर को उद्घाटन के पांच वर्ष पूर्ण होने पर स्वयं ही 2013–14 से 100 सीटों के प्रवेश के लिए अनुमति मिल गई।

आगे यह भी देखा गया कि सलाहकारों की नियुक्ति के बावजूद इन तीन चिकित्सा महाविद्यालयों को अवधि 2011–16 के दौरान शिक्षण संकायों को 15 प्रतिशत से 86 प्रतिशत की कमी का सामना करना पड़ा। जिसके परिणामस्वरूप महाविद्यालयों को संविदा के आधार पर शिक्षण संकायों की नियुक्ति करनी पड़ी। जबकि सलाहकार को उसके अनुबंधित दायित्व को पूरा करने में असफल रहने के बावजूद भी जुलाई 2016 तक राशि ₹ 5.48 करोड़ का भुगतान किया गया।

शासन ने बताया (फरवरी 2017) कि सलाहकारों की सेवाओं की समीक्षा की गई एवं सलाहकारों को अनुबंध के अनुसार सेवा प्रदान करने के हेतु निर्देशित किया गया। खराब सेवायें देने वाले सलाहकारों को दंडित करने हेतु डीएमई को निर्देशित किया

सलाहकार,
मेडिकल कॉलेजों
की स्थापना हेतु
अनुबंध के
दायित्वों का
निर्वहन करने में
विफल रहे

गया। शासन ने यह भी बताया कि मेडिकल कॉलेज राजनांदगाव हेतु नियुक्त सलाहकार की सेवाएँ समाप्त करने का प्रस्ताव विचाराधीन है एवं सलाहकार द्वारा जमा की गई अमानत राशि ₹ 25 लाख जब्त कर ली जाएगी।

3.1.3.3 सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज की स्थापना

राज्य शासन ने सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रणाली (पीपीपी मोड) के अंतर्गत निजी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हेतु नीति का निर्धारण (सितंबर 2010) किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डीएमई ने पीपीपी मोड के अंतर्गत नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए आवेदन आमंत्रित (2011 और 2012) किया था जिसमें 17 प्राप्त आवेदनों में से 10 आवेदनों⁷ को चुना गया था। तथापि चुने गए आवेदकों के साथ एमओयू निष्पादन की कार्यवाही हेतु कोई पहल नहीं की गई।

परिणामस्वरूप पीपीपी मोड के अंतर्गत कोई भी कॉलेज प्रारंभ नहीं किया जा सका। यद्यपि राज्य में 150 एमबीबीएस छात्रों की क्षमता का एक निजी मेडिकल कॉलेज 2013 में खोला गया।

शासन ने बताया (फरवरी 2017) कि चूंकि किसी भी आवेदक द्वारा पीपीपी मोड के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज आरंभ किए जाने हेतु गंभीर प्रस्ताव नहीं दिया गया था अतः प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकी। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु निजी भागीदारी को आकर्षित करने के लिए नए नियम एवं शर्तें बनाई जा रही हैं।

तथ्य यह है कि पीपीपी मोड के अंतर्गत नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने में शासन विफल रहा।

3.1.4 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

3.1.4.1 विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी

छत्तीसगढ़ में विशेषज्ञ डॉक्टरों (पीजी डॉक्टरों) की कमी है। सिविल अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए (सीएचसी) राज्य शासन ने विशेषज्ञ डॉक्टरों (एलोपैथी शाखा के अंतर्गत) का 963 पद स्वीकृत किया। इसके विरुद्ध मार्च 2016 की स्थिति में इन अस्पतालों में मात्र 46 विशेषज्ञ डाक्टर पदस्थापित थे जैसा कि तालिका 3.1.1 में दर्शित है :

तालिका 3.1.1. राज्य में विशेषज्ञ डॉक्टरों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

अस्पताल का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद (प्रतिशत)
सिविल अस्पताल	810	18 (2.22)
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	153	28 (18.30)
योग	963	46 (4.77)

(स्रोत: संचालक स्वास्थ्य सेवाएं)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि सिविल अस्पतालों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को बहुत ही कम (4.77 प्रतिशत) विशेषज्ञ डॉक्टरों से संचालित किया जा रहा है। अतः यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रभावी ढंग से संचालित किये जाने एवं प्रवेश क्षमता की वांछित स्तर तक वृद्धि की जानी चाहिए।

डीएमई द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रबंधन की समीक्षा लेखापरीक्षा द्वारा एवं की गई एवं निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है:

⁷ 2011 में प्राप्त 12 आवेदनों में से सात आवेदन पत्र तथा 2012 में प्राप्त पांच आवेदनों में से तीन आवेदनों को चुना गया था।

3.1.4.2 सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रम

शासन ने 12 पाठ्यक्रमों⁸ के लिए एक सुपर स्पेशियलिटी स्नातकोत्तर संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र खोलने का निश्चय (2013) किया और इसके लिए स्वार्थ्य विभाग को पुराने मंत्रालय की इमारत को संस्थान के लिए सौंपा (मार्च 2013)। 142 कर्मचारियों का एक सेटअप भी स्वीकृत (जून 2013) किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संस्थान की स्थापना नहीं की गई है और कार्यकारी समिति ने स्टॉफ की भर्ती के लिए अभी तक नियम निर्धारित नहीं किया (दिसम्बर 2016)। परिणामस्वरूप, कोई सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रम राज्य में आयोजित नहीं किया जा सका।

शासन ने बताया (फरवरी 2017) कि अप्रैल 2017 से संस्थान शुरू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

3.1.4.3 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की कमी

एमसीआई ने पूरे भारत के लिए 139 डिग्री/डिप्लोमा एवं 51 सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों की सूची अनुमोदित की है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 95 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ जीएमसी, रायपुर एवं सिंह, बिलासपुर 139 डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के विपरीत 24 (17.26 प्रतिशत) पाठ्यक्रम प्रदान कर रहे हैं। अवधि 2011–16 के दौरान पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रतिवर्ष 700–800 के मध्य आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। तथापि, राज्य में पीजी पाठ्यक्रम की सीमित सीट उपलब्ध होने के कारण 88 से 90 प्रतिशत तक पात्र उम्मीदवार पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त नहीं कर सके। परिणामतः राज्य पीजी (विशेषज्ञ) डॉक्टरों से वंचित रह गया।

शासन का कहना है (फरवरी 2017) कि नये पीजी पाठ्यक्रमों को खोलने हेतु प्रयास किये जा रहे थे।

3.1.4.4 केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत नये पीजी पाठ्यक्रमों को खोलना

(अ) भारत सरकार (अप्रैल 2011) ने केन्द्र प्रवर्तित योजना (भारत सरकार राज्य-75:25) के अंतर्गत शासकीय कॉलेजों के सशक्तीकरण एवं उन्नयन हेतु 18 विषयों में नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने तथा जीएमसी, रायपुर के वर्तमान 60 स्नातकोत्तर सीटों में 79 अतिरिक्त प्रवेश क्षमता (कुल 139) की वृद्धि करने के लिए एक योजना को अनुमोदित किया था। मेडिकल कॉलेज को ₹ 32.73⁹ करोड़ के योजना परिव्यय के विरुद्ध ₹ 16.37¹⁰ करोड़ की प्रथम किस्त आबंटित की गयी थी (नवंबर 2011 एवं फरवरी 2012 के मध्य)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कॉलेज ने 79 सीटों के वृद्धि करने के लक्ष्य के विरुद्ध सात शाखाओं की प्रवेश क्षमता में मात्र 16 सीटों (20.25 प्रतिशत) की वृद्धि की। इस पर कॉलेज ने ₹ 14.64 करोड़ (83.46 प्रतिशत) का व्यय किया। तथापि कॉलेज 11 अन्य विषयों में सीटों की वृद्धि नहीं कर सका क्योंकि एमसीआई ने नये पाठ्यक्रमों के खोलने के प्रस्ताव को शिक्षण संकायों एवं आधारभूत संरचनाओं में कमी के कारण अस्वीकार कर दिया था (फरवरी 2014)। किन्तु शिक्षण संकायों की नियुक्ति एवं आधारभूत संरचना

⁸ न्यूरोसर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, पेडियाट्रिक्स सर्जरी, इंफेरटीलिटी, कर्डियोलॉजी, नेफोलॉजी, अंग प्रत्यारोपण, प्रसाधन सामाग्री दंतचिकित्सा, शैल्यक्रिया, गैस्ट्रोलॉजी, हेमाटोलॉजी एवं ऑकोलॉजी

⁹ ₹ 24.55 करोड़ केंद्रांश एवं ₹ 8.18 करोड़ राज्यांश

¹⁰ ₹ 12.28 करोड़ केंद्रांश एवं ₹ 4.09 करोड़ राज्यांश

की सुविधा हेतु कोई प्रयास नहीं किया जिसने द्वितीय किश्त (दिसम्बर 2016) को जारी होने से रोक दिया।

शासन का कथन है (फरवरी 2017) कि सीएसएस के अंतर्गत 30 स्नातकोत्तर सीटों की वृद्धि हुई एवं डीएमई को एमसीआई से अधिक सीटें खोलने हेतु, जैसा कि योजना में परिकल्पित किया गया था, अनुमति प्राप्त करने को निर्देशित किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निधि की उपलब्धता के बावजूद जीएमसी रायपुर 79 सीटों के लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 16 स्नातकोत्तर सीटों की ही वृद्धि कर सका जबकि शासन ने 2010 में योजना की स्वीकृति के पूर्व खोली गयीं सीटों को सम्मिलित कर 30 स्नातकोत्तर सीटें बतायीं।

(ब) भारत सरकार ने सिम्स, बिलासपुर में नई स्नातकोत्तर शाखा एवं स्नातकोत्तर सीटों की वृद्धि के लिए ₹ 39.78¹¹ करोड़ के परिव्यय सहित एक अन्य योजना का अनुमोदन किया (मई 2011) था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एमसीआई के मापदंड को पूरा करने में असफल रहने के कारण 2012 में भारत सरकार द्वारा सिम्स की मान्यता को खारिज कर दिया गया था तथा भारत सरकार द्वारा निधि विमुक्त नहीं की गई थी। यद्यपि 2013 में मान्यता पुनर्स्थापित की गयी तथापि विभाग को दिसम्बर 2016 तक भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं हुई जिसका कोई कारण अभिलिखित नहीं था। परिणामस्वरूप, कोई नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ नहीं किया जा सका। यह भारत सरकार के साथ नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए अनुपालन किये जाने में विभाग के प्रयासों में कमी को दर्शाता है।

शासन ने बताया (फरवरी 2017) कि भारत सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम खोलने हेतु निधि देना बंद कर दिया है। तथापि सिम्स, बिलासपुर को निधि उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार को नया प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा।

तथ्य यह है कि योजना के प्रारंभ होने के चार वर्ष के पश्चात् भी नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम खोले जाने की योजना फलीभूत नहीं हो सकी।

3.1.4.5 स्नातकोत्तर सीटें बढ़ाने के लिए निराशाजनक प्रयास

एमसीआई प्रावधान करता है कि आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए पीजी पाठ्यक्रम खोलने एवं मौजूदा पाठ्यक्रमों की प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए आवेदक कॉलेज को सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ निर्धारित अवधि¹² के भीतर भारत सरकार को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। जीएमसी रायपुर और सिम्स, बिलासपुर (अप्रैल 2013 और अप्रैल 2015) ने 19¹³ विषयों की सीटों की प्रवेश क्षमता में वृद्धि/पाठ्यक्रम खोलने के लिए अनिवार्यता प्रमाण पत्र, संबद्धता प्रमाण पत्र, बैंकों के प्राधिकार पत्र एवं ₹ 38.00 लाख (प्रत्येक विषय के लिए ₹ 2.00 लाख की दर से) डिमांड ड्राफ्ट के साथ एमसीआई को आवेदन प्रस्तुत किया।

(i) जीएमसी, रायपुर और सिम्स बिलासपुर में लेखापरीक्षा ने पाया कि एमसीआई ने इन कॉलेजों में संकायों, अधोसंरचना, सुविधाओं, किताबें, उपकरण, निम्न शब्द उपभोग और समर्पित परिवहन सुविधाओं में कमियां (जनवरी और फरवरी 2014 एवं

¹¹ ₹ 29.83 करोड़ केंद्रांश एवं ₹ 9.95 करोड़ राज्यांश

¹² मार्च 15 से सात अप्रैल के बीच (वर्ष के दोनों दिन शामिल है)

¹³ एनाटोमी, बयोकेमिस्ट्री, फर्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनेरेथ्रिसिया, जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, एमएस ऑबस्टेट्रिक्स एवं गाइनिकोलॉजी (ओवीजी), कम्मनिटी मेडिसिन, रेडियो थेरेपी, रेडियो डायग्नोसिस, फारेंसिक मेडिसिन, ईएनटी एवं ऑफथोल्मोलॉजी

जनवरी 2016) पायीं। एमसीआई की अनुशंसाओं (जनवरी और फरवरी 2014 एवं जनवरी 2016) के आधार पर भारत सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2014–15 और 2016–17 के लिए क्रमशः आठ पाठ्यक्रम को प्रारंभ करने का अनुमोदन नहीं दिया (फरवरी 2014 और फरवरी 2016) तथा जीएमसी रायपुर और सिम्स बिलासपुर कॉलेजों के 11 पाठ्यक्रमों की सीटें बढ़ाने को अस्वीकृत कर दिया।

इस प्रकार, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए एमसीआई की आवश्यकताओं की पूर्ति किए बिना दोनों मेडिकल कॉलेजों ने नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने तथा मौजूदा पीजी सीटें बढ़ाने के लिए आवेदन किया परिणामस्वरूप, एमसीआई के निरीक्षण शुल्क ₹ 38.00 लाख का व्यय निर्धारित रहा।

शासन ने बताया (फरवरी 2017) कि पीजी सीटों में वृद्धि के लिए आवेदन किया जाना एक सामान्य प्रक्रिया है तथा संबंधित विषयों के लिए एमसीआई के मानदंड के अनुसार संकायों, अधोसंरचना सुविधाएं, प्रयोगशाला, पुस्तकालय एवं रोग विषयक कार्यालय के मूल्यांकन के बाद ही आवेदन पत्र भेजा जाता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि दोनों कॉलेजों ने संकायों और अधोसंरचना सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित किए बिना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसके परिणामस्वरूप निष्फल व्यय हुआ।

(ii) लेखापरीक्षा ने पाया कि शैक्षणिक वर्ष 2014–15 से 2017–18 के लिए जीएमसी, रायपुर ने रेडियोथेरेपी विभाग हेतु एक की मौजूदा क्षमता को बढ़ाकर छ: सीटों तक करने के लिए आवेदन प्रस्तुत¹⁴ किया। लेकिन आवेदन अंतिम तिथि (प्रत्येक वर्ष सात अप्रैल) के बाद एक से लेकर 62 दिनों के विलंब से एमसीआई को प्रस्तुत किया गया। परिणामस्वरूप, एमसीआई ने प्रस्तावों को प्रतिवर्ष अस्वीकार (प्रत्येक वर्ष जून और जुलाई के मध्य) कर दिया।

शासन ने बताया (फरवरी 2017) कि प्रशासनिक विलंब और अंतिम तिथि में परिवर्तन के कारण आवेदन समय पर अनुमोदन के लिए नहीं भेजा जा सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासन, एमसीआई के साथ समन्वय स्थापित करके समय पर आवेदन पत्र भेजने के अपने उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकता।

3.1.4.6 पीजी पाठ्यक्रम का अनधिकृत संचालन

एमसीआई द्वारा सात पीजी पाठ्यक्रमों को मान्यता नहीं दी गई थी इसलिए विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई डिग्री अमान्य हो गयी

एमसीआई ने शैक्षणिक वर्ष 2010–11 से जीएमसी रायपुर को छ: स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों¹⁵ में प्रति वर्ष 10 सीटों के वार्षिक प्रवेश के साथ तथा सिम्स बिलासपुर में 2011–12 से कम्युनिटी मेडिसिन में एक पीजी पाठ्यक्रम एक सीट की वृद्धि के लिए अनुमति प्रदान की थी। अनुमति उस समय तक वैध थी जब तक कि छात्रों का बैच विषय में अंतिम परीक्षा के लिए प्रस्तुत होता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जीएमसी रायपुर और सिम्स बिलासपुर में एमसीआई के वार्षिक निरीक्षणों (2012–13 से 2015–16) के दौरान उपकरण, अधोसंरचना और सुविधाओं की कमी के आधार पर इन सात स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को मान्यता नहीं दी। इन कमियों का निराकरण दिसम्बर 2016 तक नहीं किया गया था।

परिणामस्वरूप, उत्तीर्ण छात्रों की उपाधि की वैधता इसी विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र तक सीमित है तथा छात्र अन्य विश्वविद्यालयों में पूरक पाठ्यक्रमों या उच्चतर पाठ्यक्रमों में आवेदन करने से वंचित रहे।

¹⁴ आठ अप्रैल 2013 वर्ष 2014–15 के लिए, 29 अप्रैल 2014 वर्ष 2015–16 के लिए, सात जुलाई 2015 वर्ष 2016–17 एवं 26 अप्रैल 2016 वर्ष 2017–18

¹⁵ एनिस्थिसियोलॉजी (एक), जनरल सर्जरी (दो), ऑबस्टेट्रिक्स एवं गाइनोकोलॉजी (तीन), ईएनटी (एक), कम्युनिटी मेडिसिन (एक) एवं पैथालॉजी (दो)

शासन ने बताया (फरवरी 2017) कि इन सात स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की मान्यता के लिए एमसीआई के समक्ष मामलों को उठाया जायेगा।

तथ्य यह है कि एमसीआई की मान्यता के बिना प्रवेश लिया गया और इस तरह की पीजी उपाधियां विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर मान्य नहीं हैं।

3.1.5 शैक्षणिक और अनुसंधान गतिविधियों का अभाव

एमसीआई (जून 2015) ने मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा शिक्षा इकाई (एमईयू), जिसमें अन्य बातों के साथ पत्रिकाओं, अधोसंरचना और उपकरण भी सम्मिलित हो, का होना आवश्यक है। विभाग के मुख्य उद्देश्यों में से एक, चिकित्सा पेशेवरों के ज्ञान को अद्यतन करने के लिए चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना तथा बढ़ावा देना है।

यद्यपि अवधि 2011–16 के दौरान सभी शासकीय मेडिकल कॉलेजों में स्नातकीय पाठ्यक्रमों की प्रवेश क्षमता 300 से बढ़ाकर 550 सीटों तक की गई परंतु, नमूना जांच किये गये मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण संकायों हेतु पर्याप्त शैक्षिक और अनुसंधान गतिविधियां आयोजित नहीं की गईं। कमियां इस प्रकार रहीं :-

- एमईयू के भौतिक सत्यापन में यह देखा गया कि प्रशिक्षण गतिविधियों के संचालन में कंप्यूटर, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, स्कैनिंग और फोटोकॉपी की सुविधा वाले मल्टी फंक्शन प्रिंटर, लैपटॉप और पत्रिकाओं जैसे आवश्यक आधारभूत ढांचे कॉलेजों में उपलब्ध नहीं थे। तथापि, कॉलेजों द्वारा डीएमई से राशि की कोई मांग नहीं की गयी।
- सभी मेडिकल कॉलेजों द्वारा 2011–16 के दौरान न तो प्रशिक्षण गतिविधियों के केंद्रीय डेटाबेस को संधारित किया गया और न ही किसी भी अनुसंधान गतिविधियों का आयोजन किया गया। अनुसंधान कार्य का अभाव, कॉलेज के मेडिकल छात्रों की क्षमता निर्माण को बाधित करता है।
- वर्ष 2014–16 के दौरान डीएमई ने अविष्कार और अनुसंधान के लिए सिम्स, बिलासपुर को राशि ₹ 50 लाख प्रदान किया, तथापि प्रस्तावों के अभाव के कारण राशि का उपयोग नहीं किया गया। इसके अलावा, अन्य चार शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों को अविष्कार और अनुसंधान के लिए कोई राशि प्रदान नहीं की गयी। इससे शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में अविष्कार और अनुसंधान के कार्य बाधित हुए और छात्र अपने कौशल को बढ़ाने के अवसर से बंचित रहे।
- एमसीआई नियमों के मुताबिक, एक कॉलेज में प्रति वर्ष सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) के 100–150 कार्यक्रम में आयोजित किया जाना चाहिए था। तथापि, न तो मेडिकल कॉलेजों द्वारा डेटाबेस संधारण किया गया और न ही वर्ष 2011–16 के दौरान आयोजित सीएमई की संख्या के बारे में लेखापरीक्षा को सूचित किया गया। इससे आयोजित सीएमई की संख्या सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

शासन ने बताया (फरवरी 2017) कि एमसीआई मानदंडों को पूरा करने के लिए एमईयू इकाई को तैयार करने के प्रयास किये जा रहे हैं एवं सभी मेडिकल कॉलेजों को प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों के लिए केंद्रीय डेटाबेस का संधारण करने तथा एमसीआई मानक के अनुसार सीएमई कार्यक्रम आयोजित करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है।

3.1.6 राज्य में नर्सिंग शिक्षा की समग्र स्थिति

राज्य शासन ने नर्सिंग छात्रों की क्षमता में सुधार के लिए निजी क्षेत्र के मार्ग का अनुसरण किया। जबकि 370 की प्रवेश क्षमता के साथ केवल आठ शासकीय नर्सिंग कॉलेज हैं, शासन ने 3,230 छात्रों की प्रवेश क्षमता के साथ 73 निजी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी है। इस प्रकार संयुक्त रूप से 3,600 छात्रों की प्रवेश क्षमता है।

राज्य शासन ने जिला अस्पतालों, सिविल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) हेतु 3,869 नर्स के पद स्वीकृत किए। इसके विरुद्ध मार्च 2016 की स्थिति में इन अस्पतालों में 2,506 नर्स (65 प्रतिशत) पदस्थ थीं, जबकि 1363 (35 प्रतिशत) पद रिक्त रहे (मार्च 2016) जैसा कि तालिका 3.1.2 में वर्णित है:-

तालिका 3.1.2 राज्य में नर्सों की स्थिति का विवरण

अस्पताल का नाम	स्वीकृत पद	वर्तमान में कार्यरत (प्रतिशत)	रिक्त
सिविल अस्पताल	194	144 (74.23)	50
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	1550	939 (60.58)	611
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	1289	889 (68.97)	400
जिला अस्पताल	836	534 (63.88)	302
योग	3869	2506 (64.77)	1363

(स्रोत : संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, रायपुर)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि राज्य के शासकीय अस्पताल 25 प्रतिशत से लेकर 39 प्रतिशत तक की नर्सों की कमी के साथ चल रहे हैं। इसके अलावा, कुल उत्तीर्ण छात्रों में से केवल 720 (17 प्रतिशत) बाहर के राज्यों में जाने के लिए अधिकारियों की अनुमति ली है। अतः शासकीय अस्पताल में उपलब्धता एवं भर्ती के बीच अंतर है।

3.1.7 वित्तीय प्रबंधन

3.1.7.1 बजट का न्यून उपयोग करना

विभाग आवंटित
₹ 1,160.42
करोड़ के विरुद्ध
₹ 416.55 करोड़
का उपयोग
करने में असफल
रहा

राज्य शासन चिकित्सा शिक्षा के लिए आयोजना और आयोजनेत्तर शीर्षों के अंतर्गत बजट का प्रावधान करता है एवं मेडिकल कॉलेजों तथा उनसे जुड़े शिक्षण अस्पतालों और नर्सिंग कॉलेजों को उनके संचालन हेतु डीएमई रायपुर के माध्यम से आवंटन प्रदान करता है। आयोजना और आयोजनेत्तर शीर्षों के तहत चिकित्सा शिक्षा के लिए निधि का आवंटन और किए गए व्यय का वर्णन तालिका 3.1.3 में दिया गया है:-

तालिका 3.1.3 चिकित्सा शिक्षा के लिए राज्य के आयोजना और आयोजनेत्तर शीर्षों के तहत आवंटन और व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आयोजना व्यय			आयोजनेत्तर व्यय		
	आवंटन	व्यय	बचत (प्रतिशत में)	आवंटन	व्यय	बचत (प्रतिशत में)
2011–12	185.75	116.05	69.70 (37.52)	67.29	62.36	4.93 (7.33)
2012–13	161.68	95.97	65.71 (40.64)	77.61	66.53	11.08 (14.28)
2013–14	194.67	107.21	87.46 (44.93)	99.55	82.33	17.22 (17.30)
2014–15	217.25	170.05	47.20 (21.73)	109.54	97.86	11.68 (10.66)
2015–16	401.06	254.59	146.52 (36.52)	131.48	111.62	19.86 (15.10)
कुल	1160.42	743.86	416.56 (35.90)	485.47	420.70	64.77 (13.34)

(स्रोत : डीएमई द्वारा प्रदायित जानकारी एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि आयोजना मद के तहत 22 से 45 प्रतिशत तक की निरंतर बचतें हुई हैं। तथापि, निधि के आवंटन में वर्ष 2012–13 को छोड़कर वर्ष 2011–16 के दौरान लगातार वृद्धि हुई। आयोजना मद में, निविदाओं

को अंतिम रूप देने में विलंब, डीएमई द्वारा वित्त वर्ष के अंत में मेडिकल कॉलेजों के लिए निधियों का जारी किया जाना, पदों का रिक्त पड़े रहना मेडिकल कॉलेजों द्वारा दवाओं की आवश्यकता और उपकरणों का अनुचित आकलन तथा प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त होने में विलंब के कारणों से बचतें हुई हैं। इसके अलावा, प्रमुख सिविल निर्माण कार्यों के पूरा होने में अत्यधिक विलंब के कारण अधोसंरचना मद से बजट से कम व्यय हुआ। इसके विपरीत आयोजनेत्तर मद के तहत बचत सात प्रतिशत से 17 प्रतिशत के मध्य हुई।

शासन ने (फरवरी 2017) लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकारा और बताया कि भविष्य में निधि के अधिकतम उपयोग हेतु प्रयास किया जायेगा।

3.1.7.2 आवासीय क्वार्टर की लागत का गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से अप्राप्त रहना

एमसीआई की आवश्यकता और मानदंडों के अनुसार, 173 स्टाफ क्वार्टर्स का निर्माण सिम्स, बिलासपुर के कर्मचारियों और शिक्षकों के उपयोग के लिए, कोनी (मेडिकल कॉलेज परिसर से बाहर) में किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि स्टाफ क्वार्टर ₹ 18.65 करोड़ की लगत से निर्माण पूर्ण होने के पश्चात सिम्स, बिलासपुर को मार्च 2006 में सौप दिया गया। आगे यह देखा गया कि राज्य शासन के आदेश (दिसंबर 2012) अनुसार गुरु घासीदास विश्वविद्यालय को ₹ 17.58 करोड़ के भुगतान करने पर स्टाफ क्वार्टर हस्तांतरण कर दिया जाए क्योंकि सिम्स, बिलासपुर के कर्मचारियों द्वारा क्वार्टर्स का उपयोग नहीं किया जा रहा था। तथापि, क्वार्टर की लागत का भुगतान किए बिना विश्वविद्यालय ने अधिग्रहण किया हुआ है।

शासन ने बताया (फरवरी 2017) कि विश्वविद्यालय से भुगतान प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे और इस प्रकरण को सुलझाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग के साथ अंतर-विभागीय बैठक आयोजित की जाएगी। तथ्य यह है कि शासन आदेश के बावजूद बकाया राशि की वसूली नहीं की जा सकी।

3.1.7.3 ब्याज का अनियमित प्रतिधारण राशि ₹ 2.42 करोड़

डीएमई ने डीन, जीएमसी रायपुर को साख पत्र खाते को खोलने के लिए अधिकृत किया (मार्च 2008 और जनवरी 2014) ताकि विक्रेताओं को प्रत्येक क्रय आदेश के लिए दर अनुबंध के अनुसार भुगतान की सुविधा दी जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कॉलेज ने अप्रैल 2008 से जनवरी 2014 के दौरान साख पत्र के खाते में ₹ 2.42 करोड़ रूपये का ब्याज अर्जित किया लेकिन राशि शासन के खाते में जमा नहीं किया गया।

प्रमुख सचिव ने बताया (फरवरी 2017) कि ब्याज की राशि शासन के खाते में जमा की जाएगी। तथापि, सचिव ने तीन साल से अधिक समय होने पर भी राशि के शासन के खाते में जमा नहीं करने के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की।

3.1.7.4 बांड की राशि ₹ 66.00 लाख का अनियमित प्रतिधारण

ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए शासन ने एक नीति का निर्धारण किया कि एमबीबीएस कोर्स में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक छात्र को उनकी स्नातक डिग्री प्राप्त होने के पश्चात ग्रामीण क्षेत्रों में दो वर्ष तक कार्य करने के लिए एक बांड¹⁶ भरना होगा। यदि उम्मीदवार सेवा देने में विफल रहता है तो बॉन्ड राशि (₹ 40000–75000) को राजसात कर शासकीय खाते में जमा कर दिया जायेगा।

¹⁶ सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए बॉन्ड राशि ₹ 75,000 एवं आरक्षित वर्ग के लिए राशि ₹ 40,000 निर्धारित किया गया था

लेखापरीक्षा ने देखा कि अवधि 2011–16 के दौरान सिम्स बिलासपुर, जीएमसी रायपुर और जीएमसी जगदलपुर से 1116 छात्रों ने एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त की। इनमें से 171 डॉक्टरों ने बांड पर हस्ताक्षर किए और ₹ 88.97 लाख की बैंक गारंटी जमा कर ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने पर सहमत हुए, परंतु राज्य शासन ने उन्हें नियुक्त नहीं किया। रोचक बात यह है कि राज्य शासन ने अवैध रूप से उनकी बैंक गारंटी (2007 से 2010 के मध्य) को राजसात कर लिया और डॉक्टर राजसात राशि को मुक्त करने के लिए बिलासपुर उच्च न्यायालय गए (2007 से 2010 के मध्य)। आगे, 945 डॉक्टरों ने ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने से इंकार कर दिया परंतु उनके बॉन्ड की राशि ₹ 2.93 करोड़ शासकीय खाते में जमा करने के बजाय अनियमित रूप से डीन के खाते में रखी रही।

शासन ने बताया (फरवरी 2017) कि सिम्स बिलासपुर (अप्रैल 2016) ने ₹ 1.06 करोड़ और जीएमसी रायपुर (सितम्बर 2016) ने ₹ 1.21 करोड़ शासकीय खाते में जमा किया। प्रमुख सचिव ने आगे यह भी बताया कि भविष्य में संचालक स्वारूप सेवाएं के साथ समन्वय कर एमबीबीएस स्नातकों को ग्रामीण सेवाओं हेतु नियुक्त किया जाएगा।

तथ्य यह है कि यह योजना पूरी तरह से विफल रही क्योंकि जहां एक ओर शासन ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा के इच्छुक 171 डॉक्टरों की नियुक्ति करने में विफल रहा एवं उनके बांड राशि को गैर-कानूनी रूप से राजसात कर लिया जबकि शेष 945 स्नातक डॉक्टर अपने अल्प बॉन्ड राशि के राजसात को चुनते हुए ग्रामीण सेवा के दायित्व से बच निकले।

3.1.8 आधारभूत संरचना

3.1.8.1 एमसीआई द्वारा बताए गए कमियों को दूर करने में विफलता

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2014–15 और 2015–16 के दौरान एमसीआई द्वारा पाई गई अधोसंरचनाओं, शिक्षकों और मानव संसाधन के अभाव जैसी कमियों को सिम्स बिलासपुर, जीएमसी जगदलपुर, जीएमसी राजनांदगांव और जीएमसी, रायगढ़ के द्वारा दूर नहीं किया गया। यह भी देखा गया कि सिम्स बिलासपुर की स्थापना के बाद कॉलेज परिसर में कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टर उपलब्ध नहीं कराया गया। कमियों में सुधार के शेष रहने के बावजूद भी, एमसीआई ने (जुलाई 2015) विभाग के सचिव के शपथ के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश कि अनुमति प्रदान की।

एमसीआई ने यह भी देखा (नवंबर 2015) कि अधोसंरचना ढांचे, शिक्षकों और अन्य मानव संसाधनों की कमी के कारण अर्द्धकुशल डॉक्टर तैयार छात्रों जो कि चिकित्सकीय पेशे की जरूरतों को पूरा करने के लिए चिकित्सकीय रूप से प्रशिक्षित और सक्षम नहीं होंगे जिससे मानव जीवन को खतरा हो सकता है। तथापि, एमसीआई द्वारा बताई गई कमियों को सुधार करने में शासन विफल रहा।

शासन ने बताया (फरवरी 2017) कि जीएमसी जगदलपुर और रायगढ़ के नए अस्पताल भवनों में दो बिस्तरों के बीच की दूरी, केंद्रीय ऑक्सीजन प्रणाली और केंद्रीय सक्षण जैसे कुछ कमियों को सुधार लिया जाएगा। तथापि, एमसीआई द्वारा उठाई कमियों को सुधारने के लिए शासन ने किसी भी समय सीमा का निर्धारण नहीं किया।

3.1.8.2 सिविल निर्माण कार्य के पूर्ण करने में अत्यधिक विलंब

वर्ष 2011–15 के दौरान, डीएमई ने एमसीआई द्वारा निर्धारित अधोसंरचना ढांचे के मानकों को पूरा करते हुए तीन मेडिकल कॉलेजों एवं संबद्ध अस्पतालों के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को ₹ 528.68 करोड़ आवंटित किया जैसा कि परिशिष्ट 3.1.1 में वर्णित है।

मेडिकल कॉलेज
एमसीआई द्वारा
बताई गई कमियों
को सुधारने में
असफल रहे

मेडिकल कॉलेजों
के सिविल निर्माण
कार्यों में अत्यधिक
विलंब के कारण
एमसीआई मानदंडों
को प्राप्त करने के
उद्देश्य की पूर्ति
नहीं हुई

शासन ने जगदलपुर (सितम्बर 2007) और रायगढ़ (जनवरी 2010) में नए मेडिकल कॉलेज भवनों के निर्माण को क्रमशः मार्च 2009 और जनवरी 2013 तक पूरा करने के लिए ₹ 174.35 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की। तथापि, ₹ 322.25 करोड़ के व्यय के बावजूद भी कार्यों को पूर्ण नहीं किया जा सका (जनवरी 2017)। निर्माण स्थल में परिवर्तन, ड्राइंग और डिजाइन को अंतिम रूप देने में देरी, कार्यों की मदों में निविदा के पश्चात परिवर्तन आदि के कारण निर्माण में अत्यधिक विलंब होने के कारण कार्यों की अनुमानित पुनरीक्षण पश्चात लागत ₹ 481.18 करोड़ हो गयी।

इसी तरह, शासन ने रायपुर में मौजूदा शासकीय मेडिकल कॉलेज में ₹ 47.50 करोड़ के छ: निर्माण कार्यों की स्वीकृति (मार्च 2010–सितंबर 2016) प्रदान की। तथापि, इन कार्यों को ₹ 30.36 करोड़ के व्यय के बावजूद भी पूर्ण नहीं (जनवरी 2017) किया जा सका।

इन कार्यों के अपूर्ण होने के परिणामस्वरूप राशि ₹ 4.02 करोड़¹⁷ के क्रय किये गये (जुलाई 2015 और मार्च 2016) उपकरण, फर्नीचर एवं यंत्र निष्क्रिय (जनवरी 2017) रहे तथा एमसीआई के मानदंडों के अनुसार अभीष्ट प्रयोजनों हेतु उपयोग नहीं किये जा सके।

शासन ने बताया (फरवरी 2017) कि एमसीआई के मानदंडों को पूरा करने के लिए कार्य के क्षेत्र में वृद्धि की गई जिसके कारण दोनों मेडिकल कॉलेजों के निर्माण कार्यों में विलंब हुआ। शासकीय मेडिकल कॉलेज रायपुर के छ: कार्यों के मामले में यह कहा गया कि लघु कार्यों जैसे कि लिफ्ट की स्थापना, मॉड्यूलर अलमारियां इत्यादि लंबित हैं तथा इन्हें शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा। तथ्य यह है कि एमसीआई की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अधोसंरचना के निर्माण का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

3.1.8.3 चिकित्सा उपकरणों की कमी, क्रय और प्रबंधन

एमसीआई द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार, मेडिकल कॉलेजों को विभिन्न विभागों के लिए चिकित्सा उपकरणों का संधारण आवश्यक है।

(i) पांच मेडिकल कॉलेजों की नमूना जांच में लेखापरीक्षा ने विभिन्न विभागों में चिकित्सा उपकरण में 19 से 83 प्रतिशत की कमियां देखी। ये कमियां रेडियो-डाइग्नोसिस फोरेंसिक मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन, माइक्रो बायोलॉजी, फॉर्मेकोलाजी और एनाटॉमी विभागों में थीं जैसा कि परिशिष्ट 3.1.2 में वर्णित है।

शासन ने बताया (फरवरी 2017) कि उपकरणों की कमी को दूर करने के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं और खरीद की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड (सीजीएमएससीएल) के माध्यम से की जा रही है।

(ii) पांच मेडिकल कॉलेजों और संलग्न अस्पतालों ने उपकरणों के क्रय के लिए वर्ष 2013–14 से 2015–16 के दौरान सीजीएमएससीएल को राशि ₹ 90.16 करोड़ अग्रिम भुगतान किया गया। तथापि, सीजीएमएससीएल ने सिर्फ राशि ₹ 31.92 करोड़ के उपकरण की आपूर्ति की और शेष राशि ₹ 58.23 करोड़ (65 प्रतिशत) के उपकरणों की आपूर्ति (जनवरी 2017) नहीं की।

शासन ने बताया (फरवरी 2017) कि सीजीएमएससीएल द्वारा निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर लिया गया है और प्रमुख उपकरण मार्च 2017 के अंत तक स्थापित कर दिये जाएंगे।

(iii) लेखापरीक्षा ने देखा कि सिम्स बिलासपुर और जीएमसी, जगदलपुर में वर्ष 2003–2015 के दौरान 11 विभागों में स्थापित किये गये ₹ 3.73 करोड़ के 51 उच्च

¹⁷ जीएमसी, रायगढ़ ₹ 2.08 करोड़, जीएमसी, जगदलपुर ₹ 1.64 करोड़ एवं जीएमसी रायपुर ₹ 0.30 करोड़।

मूल्य उपकरण क्रियाशील स्थिति में नहीं थे क्योंकि इन उपकरणों की वारंटी अवधि की समाप्ति के पश्चात से रखरखाव नहीं किया गया था जैसा कि परिशिष्ट 3.1.3 में वर्णित है। इस प्रकार, कमियां मेडिकल छात्रों के व्यावहारिक प्रशिक्षण और शिक्षा को प्रभावित कर सकती हैं।

शासन ने बताया (फरवरी 2017) कि नियमों के अनुसार अप्रचलित उपकरणों का निपटारा किया जाएगा।

3.1.8.4 बेड ऑक्यूपेंसी

एमसीआई के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, एक शिक्षण अस्पताल के लिए इंडोर बेड की ऑक्यूपेंसी औसतन न्यूनतम 75 प्रतिशत प्रतिवर्ष होना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एमसीआई के निर्धारित मानदंडों की तुलना में सिम्स बिलासपुर और जीएमसी रायगढ़ में, 2011–16 के दौरान बेड ऑक्यूपेंसी निम्न थी जैसा कि तालिका 3.1.4 में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।

तालिका 3.1.4: उपलब्ध मरीजों द्वारा बेड ऑक्यूपेंसी

वर्ष	उपलब्ध विस्तरों की कुल संख्या	100 प्रतिशत बेड ऑक्यूपेंसी के लिए आवश्यक कुल संख्या	वास्तविक बेड ऑक्यूपेंसी	वास्तविक ऑक्यूपेंसी प्रतिशत में	उपलब्ध विस्तरों की कुल संख्या	100 प्रतिशत बेड ऑक्यूपेंसी के लिए आवश्यक कुल संख्या	वास्तविक बेड ऑक्यूपेंसी	वास्तविक ऑक्यूपेंसी प्रतिशत में
	सिम्स, बिलासपुर					जीएमसी, रायगढ़		
2011	550	200750	34739	17.3	—	—	—	—
2012	550	200750	36679	18.27	—	—	—	—
2013	550	200750	39811	19.83	300	109500	15302	13.97
2014	750	273750	41468	15.15	300	109500	18124	16.55
2015	750	273750	62137	22.7	300	109500	18209	16.63

(स्रोत : अस्पताल अधीक्षक, सिम्स बिलासपुर एवं केंजीएच रायगढ़ द्वारा प्रदायित आंकड़े)

उपरोक्त विवरण से यह देखा जा सकता है कि इंडोर बेड ऑक्यूपेंसी वर्ष 2011 से 2016 के दौरान 13.97 से 22.7 प्रतिशत के मध्य रहा जो कि एमसीआई के दिशा-निर्देशों में निर्धारित 75 प्रतिशत के मानदंड से अत्यंत कम है।

शासन ने बताया (फरवरी 2017) कि रिकॉर्ड समुचित रूप से संधारित नहीं किये गये थे जिससे कि वास्तविक बेड ऑक्यूपेंसी संख्या को प्रतिबिंబित किया जा सके। एमसीआई के आवश्यकतानुसार विवरणों हेतु नया सॉफ्टवेयर स्थापित किया गया है। तथ्य यह है कि निम्न बेड ऑक्यूपेंसी मेडिकल छात्रों के निर्धारित और आवश्यक निम्न विलानिकल प्रशिक्षण एवं अनुभव प्राप्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है।

3.1.9 मानव संसाधन प्रबंधन

3.1.9.1 शिक्षण और पैरा मेडिकल स्टाफ में कमी

पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति एमसीआई से मान्यता प्राप्त करने के लिए मुख्य मापदण्ड है ताकि मेडिकल कॉलेज में गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जा सके।

(i) लेखापरीक्षा ने पाया कि सिम्स बिलासपुर, जीएमसी जगदलपुर, जीएमसी रायपुर और जीएमसी रायगढ़ में स्वीकृत पदों के विरुद्ध शिक्षण संकायों में 17.52 से 68.54 प्रतिशत की कमी थी, जबकि एमसीआई मानदंडों के अनुसार 14.01 प्रतिशत तक की कमी थी जैसा कि परिशिष्ट 3.1.4 में विस्तृत रूप से दर्शित है।

लेखापरीक्षा ने आगे यह भी देखा कि जीएमसी रायपुर में एनाटॉमी, चिकित्सा, हड्डी रोग, प्रसूति एवं स्त्री रोग, रेडियो डायग्नोसिस और एनेस्थीसिया विभाग में स्वीकृत पदों के विरुद्ध सात अधिक प्रोफेसर नियुक्त किये गये थे जबकि राज्य के अन्य कॉलेजों में

प्रोफेसरों की कमी थी तथा उन कॉलेजों में संविदा के आधार पर प्रोफेसरों की नियुक्ति की गयी।

सिंस बिलासपुर, जीएमसी जगदलपुर, जीएमसी रायपुर और जीएमसी रायगढ़ के डीन ने कहा कि एमसीआई मानदंडों के अनुसार शिक्षण स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जा रही थी। डीन, जीएमसी, रायपुर ने कहा कि प्रोफेसरों की पदस्थापना राज्य शासन द्वारा किया गया था।

(ii) जीएमसी रायपुर, जीएमसी जगदलपुर और जीएमसी रायगढ़, में 2147 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 1395 (65 प्रतिशत) पैरामेडिकल स्टाफ नियुक्त थे और शेष 752 (35 प्रतिशत) पद रिक्त थे। 4249 प्रशिक्षित नर्सों की उपलब्धता के बावजूद भी इन मेडिकल कॉलेजों में नर्सों के 150 रिक्त पदों को भरने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए थे।

शासन ने बताया (फरवरी 2017) कि छ: मेडिकल कॉलेजों के लिए 167 डिमांस्ट्रेटर्स, सीनियर रेजीडेंट और जूनियर रेजीडेंट की पदस्थापना आदेश जारी (फरवरी 2017) किए गए। शासकीय क्षेत्र में शिक्षण संकायों के निम्न अवधारण के कारण शिक्षण संकायों में निरंतर कमी बनी रहती है। जबकि अधिक पीजी सीटें प्राप्त करने के लिए जीएमसी रायपुर में अधिक प्रोफेसर नियुक्त किए गए थे। तथ्य यह है कि अधिक प्रोफेसरों की नियुक्ति के बावजूद भी विभाग अधिक पीजी सीटें प्राप्त करने में विफल रहा।

3.1.9.2 नर्सिंग कॉलेजों में शिक्षण संकायों की कमी

लेखापरीक्षा ने पांच शासकीय नर्सिंग कॉलेजों की नमूना जांच में पाया कि 202 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 94 शिक्षण संकाय ही पदस्थ थे और शेष 108 (53.47 प्रतिशत) पद रिक्त पड़े थे जैसा कि परिशिष्ट 3.1.5 में वर्णित है। आगे देखा गया कि सभी संवर्गों में कर्मचारियों की कमी 38.82 से 100 प्रतिशत के बीच रही। सभी पांच जीएनसी में सम्पूर्ण अवधि (2011–16) के दौरान प्राचार्य और उप प्राचार्य के पद खाली रहे। योग्य शिक्षण संकायों की कमी नर्सिंग छात्रों को प्रदाय की गयी शिक्षा की गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता था।

शासन ने बताया (फरवरी 2017) कि प्राचार्य और उप प्राचार्य के पदों के लिए योग्य संकायों उपलब्ध नहीं थे और जब कभी रिक्त पदों की स्थिति पायी गयी उन्हें दूर करने हेतु वॉक-इन इंटरव्यू आयोजित किया गया।

3.1.9.3 नर्सिंग कॉलेजों में सुविधाओं का अभाव

लेखापरीक्षा ने देखा कि शासकीय नर्सिंग कॉलेज, रायगढ़ किराए के परिसर में संचालित है जहां छात्रावास, पुस्ताकालय, क्लास रूम, प्राचार्य, स्टाफ रूम और प्रयोगशाला के कमरों के लिए जगह की अत्यंत कमी है। यह भी देखा गया है कि शासकीय नर्सिंग कॉलेज जगदलपुर, रायगढ़ और राजनांदगांव में आईएनसी मानदंडों के विपरीत उपकरण/प्रयोगशाला सामग्री में तीन से 73 प्रतिशत की कमी थी जैसा कि परिशिष्ट 3.1.6 में वर्णित है। यह नर्सिंग छात्रों के शिक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

शासन ने बताया (फरवरी 2017) कि आईएनसी के मानदंडों के अनुपालन में अधोसंरचना निर्माण के लिए नये नर्सिंग कॉलेज भवन राजनंदगांव और रायगढ़ में निर्माणाधीन हैं तथा उपकरणों/प्रयोगशाला सामग्री की कमी को पूरा करने हेतु आदेश जारी किये जा रहे थे।

3.1.10 निष्कर्ष

यद्यपि राज्य शासन डॉक्टर मरीज के प्रतिकूल अनुपात को 1:17000 से कम कर 1:1000 तथा नर्स-जनसंख्या अनुपात को 21:100000 से कम कर 75:100000 लाना चाहता है, परंतु इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शासन ने कोई व्यापक योजना तैयार नहीं की।

यद्यपि राज्य में एलोपैथी शाखा में 25500 के प्रोजेक्टेड लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 1642 डॉक्टर हैं तथापि अंतर को कम करने के लिए राज्य, अपर्याप्त नियोजन के कारण निधियों की उपलब्धता के बावजूद सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत किसी भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना नहीं कर सका। इसके अतिरिक्त राज्य के पास 963 विशेषज्ञ डॉक्टरों (एलोपैथी) के स्वीकृत पदों के विरुद्ध सिविल अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में केवल 46 (4.77 प्रतिशत) विशेषज्ञ डॉक्टर थे। तथापि राज्य शासन एमसीआई के निर्देशों के अनुपालन में विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार करने हेतु आवश्यक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए अधोसंरचना सुविधाओं का निर्माण एवं शिक्षकों की भर्ती करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त राज्य शासन, राज्य में सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रम स्थापित करने में भी विफल रहा।

यद्यपि राज्य में डॉक्टरों, नर्सों, सिविल अधोसंरचना स्पेशियलिटी एवं सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों की कमी से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, परंतु नियोजन और कार्यान्वयन की विफलताओं के कारण राज्य में चिकित्सा शिक्षा के लिए ₹ 1160.42 करोड़ के आवंटन के विरुद्ध में ₹ 416.55 करोड़ (35.9 प्रतिशत) का उपयोग नहीं किया जा सका। इसके परिणाम स्वरूप राज्य में मौजूदा मेडिकल कॉलेज, स्टाफ की कमी (17.52 से 68.54 प्रतिशत के मध्य), उपकरणों की कमी (19.25 से 82.7 प्रतिशत) तथा अपर्याप्त बेड ऑक्यूपेंसी के साथ संचालित हैं और मेडिकल छात्रों के व्यावसायिक अनुभव प्राप्ति के साथ समझौता किया जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा के लिए डॉक्टरों द्वारा बाण्ड हस्ताक्षरित कराये जाने की शासन की योजना पूर्णरूपेण विफल रही क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के लिए 171 इच्छुक डॉक्टरों की सहमति को विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और उनकी बाण्ड की राशि ₹ 66 लाख को अवैध रूप से जब्त कर लिया गया। जबकि उसी समय 945 चिकित्सा स्नातक बाण्ड की अल्प राशि के जब्त हो जाने देने को वरीयता देते हुए ग्रामीण सेवा के दायित्व से मुक्त हो गए।

3.1.11 अनुशंसाएं

शासन को शासकीय क्षेत्र या निजी क्षेत्र या पीपीपी मोड के तहत आवश्यक मेडिकल कॉलेजों को स्थापित करने में आ रही बाधाओं को दूर करते हुए वांछित डॉक्टर—मरीज अनुपात को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मेडिकल कॉलेजों से स्नातक करने वाले छात्रों को आवश्यकतानुसार चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए लाभपूर्ण ढंग से संलग्न किया जाना चाहिए।

शासन को अपने मेडिकल कॉलेजों में नियमित रूप से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का आयोजन करने हेतु एमसीआई की आवश्यकताओं को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए सुविधा प्रदाय करने हेतु विभागीय स्तर पर एक संचालन समिति का गठन किये जाने हेतु तात्कालिक कदम उठाना चाहिए। मौजूदा मेडिकल कॉलेजों की कमियों जैसे कि अधोसंरचना, उपकरण, प्रयोगशाला सुविधाओं, मानव संसाधन इत्यादि पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

सुपर स्पेशियलिटी संरथान को शीघ्रातिशीघ्र स्थापित कर इसे क्रियाशील बनाया जाना चाहिए।

शासन को एमबीबीएस स्नातकों और विशेषज्ञों को ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने के लिए उत्साहित करने हेतु एक प्रोत्साहन आधारित व्यवस्था बनानी चाहिए।

लोक निर्माण विभाग

3.2 छत्तीसगढ़ में सेतुओं का निर्माण

3.2.1 परिचय

लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) सड़कों, सेतुओं और राज्य के सार्वजनिक भवनों के सर्वेक्षण, डिजाईन, सुधार और रख रखाव के लिए छत्तीसगढ़ शासन की प्रमुख एजेंसी है। सेतु के कार्य के प्रशासनिक अनुमोदन के लिए अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता के माध्यम से संबंधित लोनिवि (सेतु) संभाग के कार्यपालन अभियंता अपने प्राक्कलन के साथ-साथ सेतुओं के निर्माण के लिए प्रस्तावों को प्रस्तुत करते हैं।

वर्ष 2011–16 के दौरान विभाग ने 495 सेतुओं का निर्माण कार्य लिया, जिनमें से 264 सेतु अप्रैल 2011 तक मंजुर किए गए, लेकिन 2011–16 के दौरान निर्माणाधीन थे। इसके लिए विभाग ने ₹ 1,714.38 करोड़ आवंटित किया था तथा ₹ 1,159.87 करोड़ खर्च किए गए थे।

शासन के स्तर पर लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता प्रमुख सचिव करते हैं जबकि प्रमुख अभियंता शासन के तकनीकी सलाहकार और लोनिवि के समग्र काम के लिए जिम्मेदार हैं। जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए प्रमुख अभियंता की सहायता छः¹ मुख्य अभियंताओं 14² अधीक्षण अभियंताओं और 54 कार्यपालन अभियंताओं द्वारा की जाती है। जिसमें से एक मुख्य अभियंता, तीन अधीक्षण अभियंता और छः कार्यपालन अभियंता राज्य में सेतुओं के निर्माण और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार हैं।

लेखापरीक्षा का लक्ष्य यह आकलन करना था कि (i) सेतुओं के निर्माण के लिए बनाई गई योजना उपयुक्त थी; (ii) कार्य का निष्पादन मानक/अनुमोदित डिजाइन और इंडियन रोड कांग्रेस (आईआरसी) द्वारा जारी किए गए विशिष्टियों के अनुसार किया गया था तथा (iii) निगरानी एवं नियंत्रण तंत्र पर्याप्त तथा प्रभावी था।

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि को समाविष्ट करते हुए प्रमुख अभियंता, मुख्य अभियंता (सेतु), दो अधीक्षण अभियंता (सेतु)³ और छः कार्यपालन अभियंता सेतु संभागों⁴ के कार्यालयों में सेतुओं के निर्माण के अभिलेखों की जांच की (अप्रैल–जुलाई 2016)। कुल 495 सेतु निर्माण कार्यों में से प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साईंज विथ रिप्लेसमेंट (पीपीएसडब्ल्यूआर) विधि का उपयोग कर 126 सेतुओं (121 सेतु नाला/नदियों के ऊपर, चार रेल ओवर ब्रिज/रेल अंडर ब्रिज और एक ओवरपास) का चयन लेखापरीक्षा में नमूना जांच के लिए किया गया था। लेखापरीक्षा के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र और लेखा परीक्षा की पद्धति पर चर्चा के लिए सचिव, लोक निर्माण विभाग के साथ आगम बैठक आयोजित किया गया था (जुलाई 2016)। लेखा परीक्षा निष्कर्ष पर चर्चा के लिए सचिव, लोक निर्माण विभाग के साथ निर्गम बैठक का आयोजन किया गया (दिसम्बर 2016)। शासन से प्राप्त उत्तरों को प्रतिवेदन में समुचित रूप से शामिल किया गया है।

¹ रायपुर, बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा, राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) परिक्षेत्र, सेतु परिक्षेत्र

² रायपुर–1, रायपुर–2, दुर्ग, जगदलपुर, कांकेर, बिलासपुर, अम्बिकापुर, राष्ट्रीय राजमार्ग रायपुर, राष्ट्रीय राजमार्ग बिलासपुर, सेतु रायपुर, सेतु रायगढ़, सेतु अम्बिकापुर, वै/या रायपुर, वै/या बिलासपुर और रायपुर

³ बिलासपुर और रायपुर

⁴ अम्बिकापुर, बिलासपुर, जगदलपुर, रायगढ़, रायपुर और राजनांदगांव

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.2.2 योजना

लोनिवि ने केवल वर्ष 2015–16 से सेतुओं के निर्माण के लिए कार्यकारी योजना तैयार की थी। इससे पहले, विभाग ने सेतुओं के लिए कोई योजना तैयार नहीं की थी। कार्यकारी योजना में ट्रैमासिक भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों के साथ–साथ निर्माणाधीन सेतुओं की उपलब्धियाँ भी शामिल रहती हैं। निर्गम बैठक (दिसम्बर 2016) के दौरान, सचिव, लोक निर्माण विभाग ने स्वीकार किया कि कार्यकारी योजना 2015–16 से तैयार किया गया था। हालांकि, वर्ष 2015–16 से पहले योजना तैयार नहीं करने के कारण नहीं बताये गये। इस संबंध में निम्नलिखित अवलोकन किया गया:

3.2.2.1 निर्दिष्ट माईल स्टोन को हासिल करने में विफलता

वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान सेतुओं के निर्माण की स्थिति तालिका 3.2.1 में दी गई है।

तालिका 3.2.1: लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सेतुओं की स्थिति

क्र. सं	संभाग का नाम	दिनांक 01. 04.2011 को निर्माणाधीन पूलों की संख्या	वर्ष 2011–12 और 2015–16 के बीच निर्माण के लिए गए सेतुओं की संख्या	कुल सेतुओं की संख्या	वर्ष 2011–16 में पूर्ण सेतुओं की संख्या		दिनांक 31.03.16 को निर्माणाधीन	दिनांक 31.03.16 को अप्रारंभ कार्य	
					कार्यकारी योजना बनाए जाने से पहले वर्ष (2011–12 से 2014–15)	कार्यकारी योजना बनाए जाने के बाद (2015–16)			
1	अम्बिकापुर	49	42	91	32	15	47	38	6
2	बिलासपुर	59	49	108	53	7	60	36	12
3	जगदलपुर	30	34	64	26	7	33	26	5
4	रायगढ़	30	13	43	20	3	23	16	4
5	रायपुर	50	43	93	44	12	56	29	8
6	राजनांदगांव	46	50	96	43	14	57	28	11
कुल		264	231	495	218	58	276	173	46

(स्रोत: मुख्य अभियंता, सेतु परिक्षेत्र और सेतु संभागों द्वारा प्रदत्त सूचना और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

कार्यपालन अभियंताओं और ठेकेदारों के बीच निष्पादित अनुबंधों की कंडिका 1.13 के अनुसार, सेतुओं के निर्माण के लिए तीन माईल स्टोन निर्धारित किए गए हैं (i) 25 प्रतिशत समय में 12.5 प्रतिशत काम का पुरा होना, (ii) 50 प्रतिशत समय में 37.5 प्रतिशत काम का पुरा होना, (iii) 75 प्रतिशत समय में 75 प्रतिशत काम का पुरा होना। 126 सेतु निर्माण कार्यों के विश्लेषण से पता चला कि ठेकेदारों द्वारा 117 सेतु निर्माण कार्यों में निर्दिष्ट माईल स्टोन हासिल नहीं किया जा सका था। सेतुओं का विवरण जिसमें निर्दिष्ट माईल स्टोन हासिल करने में ठेकेदार विफल रहे, नीचे तालिका 3.2.2 में दिया गया है:

तालिका 3.2.2: माईल स्टोन हासिल करने में कमी

क्र. सं.	संभाग का नाम	नमूना सेतु कार्यों की संख्या	सेतु निर्माण कार्यों की संख्या जहां निर्दिष्ट उपलब्धियाँ हासिल नहीं हुई			तीसरा माईल स्टोन
			पहला माईल स्टोन	दूसरा माईलस्टोन	तीसरा माईल स्टोन	
1	अम्बिकापुर	22	16	12	20	
2	बिलासपुर	19	17	14	16	
3	जगदलपुर	25	19	18	25	
4	रायगढ़	15	12	12	14	
5	रायपुर	22	14	14	22	
6	राजनांदगांव	23	14	13	20	
कुल		126	92	83	117	

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना एवं लेखा परीक्षा द्वारा संकलित)

विभाग 276 पूर्ण सेतुओं में से केवल 60 सेतु निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर सका

लेखापरीक्षा जांच में आगे पता चला कि 2011–16 के दौरान पूर्ण 276 सेतुओं में से केवल 60 सेतु कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण हुए थे और शेष 216 सेतु निर्माण कार्य के पूरा होने में एक महीने से आठ साल तक का विलंब था। इसके अलावा, 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार, कुल 173 चल रहे कार्यों में से, 58 कार्य पूरा होने की निर्धारित तिथि से एक महीने से सात साल से अधिक तक पीछे चल रहे थे और शेष 115 सेतु कार्यों के पूरा होने की निर्धारित तारीख देय नहीं हुई थी (मार्च 2016)। इसके अलावा,

सितम्बर 2012 से मार्च 2016 के बीच मंजूर 46 कार्य भूमि अधिग्रहण/प्राक्कलन/निविदा चरणों में थे तथा प्रारंभ नहीं किये जा सके थे। कार्यों के पूरा होने में देरी का मुख्य कारण ड्राईंग और डिजाइन के अनुमोदन में देरी (36 कार्य), भूमि अधिग्रहण (33 कार्य) के बिना कार्य सौंपा जाना, दोषी ठेकेदारों (19 कार्य) के खिलाफ कार्रवाई में विलंब आदि था जिस पर बाद की कंडिकाओं में चर्चा की गई है।


निर्गम बैठक (दिसंबर 2016) में सचिव ने कहा कि हालांकि परियोजनाओं के पूरा करने के लिए कार्यों के कार्यक्रम तैयार किए गए थे, किंतु साईट की स्थिति में परिवर्तन, संरेखण में परिवर्तन, ड्राईंग में परिवर्तन, सेतु की लंबाई में परिवर्तन, भूमि अधिग्रहण के मामलों को अंतिम रूप देने में देरी, काम करने में एजेंसियों की अक्षमता, नक्सली समस्याओं, बिना मौसम के बारिश आदि जैसे कारकों की वजह से प्रगति में रुकावट आयी।

सचिव ने आगे कहा कि विलंब के लिए प्रमुख कारकों में से एक भूमि अधिग्रहण था और भविष्य में जब तक कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया 90 प्रतिशत तक पूरी नहीं होगी कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित नहीं की जाएगी।

3.2.2.2 अपर्याप्त सर्वेक्षण, ड्राईंग और डिजाइन के अनुमोदन में देरी तथा भूमि के अधिग्रहण के बिना कार्य सौंपे जाने के कारण समय और लागत में वृद्धि

आईआरसी विशिष्टियों (आईआरसी-एसपी: 54) के अनुसार, सामान्य व्यवस्था ड्राईंग (जीएडी) तैयार करने से पहले ही विस्तृत सर्वेक्षण और अंतिम साईट की जांच किया जाना है। अनुबंध की कंडिका 4.3 के अनुसार, ठेकेदार के डिजाइन पर निविदा के अनुमोदन पर ठेकेदार ड्राईंग और डिजाइन को मुख्य अभियंता के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.104 के अनुसार, कार्य के लिए निविदा मंगाए जाने से पहले भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 126 नमूना जांच सेतुओं का कार्य विस्तृत सर्वेक्षण के बाद तैयार किए गए जीएडी के बजाय प्रारंभिक सर्वेक्षण के आधार पर ठेकेदारों को सौंपा गया। परिणामस्वरूप कार्य सौंपे जाने के बाद ठेकेदारों के द्वारा किए गए विस्तृत सर्वेक्षण के बाद 33 सेतु कार्यों में बड़े बदलाव हुए। इन बदलावों में डिजाइन में प्रमुख



अपर्याप्त सर्वेक्षण के आधार पर भूमि के अधिग्रहण के बिना कार्य सौंपे गए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9.53 करोड़ की लागत वृद्धि और कार्यों में ₹ 44.81 करोड़ का बदलाव हुआ

विचलन जैसे नींव के स्तर में परिवर्तन, नींव, पहुंच मार्ग, प्रोटेक्शन वर्क, टो—वाल, परिवर्तित मार्ग और संरचनाओं के रूप में परिवर्तन आदि शामिल थे। कन्फरमेटरी बोरिंग में पाये गये स्ट्राटा के आधार पर मुख्य अभियंता के अनुमोदन के लिए तैयार किए गए कार्यकारी जीएडी में इन परिवर्तनों को ठेकेदारों द्वारा शामिल किया गया था। कार्य विभाग नियमावली या अनुबंध में जीएडी के समयबद्ध अनुमोदन के लिए प्रावधानों के अभाव की स्वतंत्रता का लाभ लेते हुए मुख्य अभियंता ने 36 सेतुओं के जीएडी की मंजूरी में विलंब किया। इसके अलावा कार्य विभाग नियमावली का उल्लंघन कर 33 सेतुओं का कार्य सौंपे जाने के बाद कार्यपालन अभियंताओं द्वारा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई थी।

परिणामतः छ: सेतु संभागों के अंतर्गत 126 नमूना जांच सेतुओं में से 87 सेतुओं में, विभाग ने सेतु कार्यों के निष्पादन में देरी करने के लिए ठेकेदारों को अपर्याप्त सर्वेक्षण से उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों के कारण, सेतुओं के ड्राइंग और डिजाइन के अनुमोदन में मुख्य अभियंता के देरी और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में विलंब के कारण से समयवृद्धि दी गई। परिणामस्वरूप, अपर्याप्त प्राक्कलन के कारण ₹ 44.81 करोड़ के मूल्य के काम की प्रकृति और मात्रा में बदलाव के अलावा एक से 81 महीने तक के समय और ₹ 9.53 करोड़ की लागत वृद्धि हुई जिसे परिशिष्ट 3.2.1 में दिखाया गया है।

निर्गम बैठक में सचिव ने लेखापरीक्षा अवलोकन के साथ सहमति व्यक्त की और कहा कि कार्य सौंपे जाने के बाद होने वाले प्रमुख विचलन से बचने के लिए विभागीय जीएडी तैयार करने से पहले सेतु के हर लोकेशन में कन्फरमेटरी बोरिंग की योजना विभाग ने पहले से शुरू कर दी है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में देरी के बारे में भी सचिव ने आश्वासन दिया कि भविष्य के कार्यों के लिए निविदाएं तब तक आमंत्रित नहीं की जाएगी जब तक 90 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी न हो जाए।

3.2.2.3 दोषी ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई में निष्क्रियता/विलंब

अनुबंध की कंडिका 1.13 और 1.14 के अनुसार, निर्धारित अवधि के भीतर काम पूरा करने में ठेकेदार की विफलता के मामले में देरी के प्रत्येक सप्ताह के लिए काम के मूल्य के 0.5 प्रतिशत के बराबर, अधिकतम छ: प्रतिशत का मुआवजा कार्यपालन अभियंता द्वारा ठेकेदार पर लगाया जाना चाहिए। यदि ठेकेदार अनुबंध के मूलभूत उल्लंघन का कारण बनता है तो कार्यपालन अभियंता, अनुबंध को समाप्त कर सकता है और अधूरा छोड़े गए काम के शेष मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से मुआवजे की वसूली कर सकता है।

126 सेतु निर्माण कार्यों के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 19 ठेकेदारों ने निर्धारित समय के भीतर 19 कार्यों को पूरा नहीं किया था। कार्यों की प्रगति में तेजी लाने के लिए कार्यपालन अभियंताओं द्वारा ठेकेदारों को बार बार कारण बताओं नोटिस जारी किए गए। तथापि, निर्धारित अवधि के अंत में कार्य अपूर्ण था। बाद में, तीन कार्यों के अनुबंध कार्य पूरा होने की निर्धारित तारीख से 19 से 29 महीनों के बाद रद्द कर दिये गये जबकि 13 मामलों में, देरी के लिए मुआवजा नहीं लगाया गया था। हालांकि तीन सेतु कार्यों में कम जुर्माना लगाया और वसूला गया था।

इस प्रकार, दोषी ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई में देरी के परिणामस्वरूप ₹ 7.22 करोड़ का अनुचित लाभ और अधीक्षण अभियंता द्वारा समयवृद्धि प्रदान नहीं की गयी अवधि के लिए मूल्य समायोजन के रूप में ₹ 31.37 लाख का अमान्य भुगतान हुआ (परिशिष्ट 3.2.2)। इस प्रकार, विलंबित/समाप्त किए गए 19 सेतु कार्यों के लिए उचित दण्ड लगाने में असफलता के परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ₹ 7.53 करोड़ का अनुचित लाभ मिला।

निर्गम बैठक (दिसम्बर 2016) में, सचिव ने अवलोकन स्वीकार करते हुए कहा कि एक मामले में विभाग द्वारा वसूली किया गया था। शेष मामलों में, ठेकेदारों के बिल से और राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (आरआरसी)⁵ जारी करने के माध्यम से वसूली के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

3.2.3 कार्यों का निष्पादन

3.2.3.1 क्षतिग्रस्त सेतुओं पर ₹ 11.79 करोड़ का निष्फल व्यय

छ: सेतु उनके पूर्णता/निर्माण के दौरान तीन से 10 वर्षों के अंदर क्षतिग्रत हो गये

आईआरसी: 5 की कंडिका 104.1.3.4 के अनुसार, सेतु के सभी संरचनात्मक घटकों की 'डिजाइन लाइफ' 100 वर्ष होगी। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि नीचे की गई चर्चा के अनुसार छ: सेतु 100 साल के अपने 'डिजाइन लाइफ' से पहले विफल रहे:

(i) सेतु संभाग अंबिकापुर द्वारा 2005 और 2009 के बीच ₹ 6.86 करोड़ की लागत से पूरे किए गए तीन सेतु⁶ उनके पूरा होने के तीन से 10 साल के भीतर एप्रिल में कंक्रीट के कम मोटाई के निष्पादन, बाढ़ से कटाव आदि के कारण अगस्त 2012 से अगस्त 2015 के बीच पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। राज्य शासन ने इन तीन क्षतिग्रस्त सेतुओं के रथान पर नए सेतु के निर्माण के लिए ₹ 9.62 करोड़ मंजूर किये। इस प्रकार, इन सेतुओं पर ₹ 6.86 करोड़ का खर्च निष्फल साबित हुआ। हालांकि कार्यों के निम्नस्तरीय निष्पादन के लिए ठेकेदारों/अधिकारियों के खिलाफ शासन द्वारा जिम्मेदारी तय नहीं किया गया था।

(ii) इसी तरह बिलासपुर सेतु संभाग के अरपा नदी के ऊपर मंगला-तुरकाडीह-कोनी सड़क पर ₹ 3.30 करोड़ की लागत से जनवरी 2007 में पूरा किया गया सेतु निर्माण में निम्नस्तरीय गुणवत्ता की सामग्री के उपयोग, स्टील लाइनर लगाने में विफलता इत्यादि के कारण आंशिक रूप से मई 2014

में क्षतिग्रस्त हो गया था। सेतु की मरम्मत ₹ 2.76 करोड़ की लागत से की गई थी (सितम्बर 2016)। हालांकि, दोषी ठेकेदार से केवल ₹ 50 लाख वसूल किया गया और ₹ 2.26 करोड़ की शेष राशि की वसूली के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए थे।

(iii) दो सेतु⁷ ₹ 2.93 करोड़ के व्यय के बाद कार्य के अमानक निष्पादन के कारण निर्माण के दौरान पूरी तरह से



क्षतिग्रस्त हो गए (जुलाई 2011 से जनवरी 2014) और परित्यक्त कर दिये गये (जून 2013 और जनवरी 2014)। इस प्रकार, इन सेतुओं पर ₹ 2.93 करोड़ का व्यय निष्फल साबित हुआ। एक सेतु के संबंध में नए काम के लिए ₹ 4.46 करोड़ का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा गया था (जून 2013 और नवंबर 2015) जबकि दूसरे सेतु का काम प्रधान मंत्री ग्राम सङ्करण योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत निष्पादन के लिए स्थानांतरित किया गया था। हालांकि, विभाग ने एक ठेकेदार से ₹ 26.25 लाख वसूल किया और दोषी ठेकेदारों से ₹ 2.67 करोड़ की शेष राशि की वसूली के लिए कोई प्रयास नहीं किए।

⁵ आरआरसी-चूककर्ता से भू-राजस्व की बकाया या भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूली योग्य राशि की वसूली के लिए कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र

⁶ छोटी पांगण नदी (कुंदरू-त्रिशूल रोड), रीगड़ नदी (बलरामपुर-चांदो-सामरी रोड) और महान नदी (अम्बिकापुर-करसर्झ रोड)

⁷ गेजी नदी (खड़गवां-गेजीरोड) और लावा नदी (कर्रादारी-हर्षडीपा रोड)

इस प्रकार, कार्यों के घटिया निष्पादन से सेतु के क्षतिग्रस्त होने के कारण शासन को ₹ 11.79 करोड़⁸ रूपये का नुकसान हुआ।

निर्गम बैठक (दिसंबर 2016) के दौरान सचिव ने कहा कि काम में शामिल ठेकेदारों को काली सूची में डाल दिया गया है तथा उनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। ठेकेदारों से वसूली प्रक्रियाधीन थी और ठेकेदारों से वसूली में विफलता के मामले में आरआरसी जारी करने का प्रयास किया जाएगा। तथ्य यह है कि शासन सेतु कार्यों में गुणवत्ता को सुनिश्चित नहीं कर सका जिसके परिणामस्वरूप शासन को ₹ 11.79 करोड़ का नुकसान हुआ।

3.2.3.2 ₹ 71.09 लाख का अमान्य भुगतान

कार्यपालन अभियंताओं और ठेकेदारों के बीच निष्पादित अनुबंधों की कंडिका 4.15 और 4.16 के अनुसार, ठेकेदार द्वारा संरचनात्मक घटकों के आयामों में संशोधन एकमुश्त लागत के भीतर किया जाएगा और ठेकेदार को एकमुश्त कीमत में किसी भी बदलाव के बिना डिजाइन को संशोधित करने के लिए अनुमति दी जा सकती है।

महानदी नदी के ऊपर बीरगुड़ी-भूमका-बेलरगांव सड़क पर उच्च स्तरीय सेतु के निर्माण के लिए ठेकेदार ने वेल फाउंडेशन (फ्रिक्शन वेल) चुना था। आगे, निविदा दायित्व जीएडी में रेत भरी हुई पियर वेल डिजाइन किए गए थे, लेकिन संरचनात्मक ड्राइंग में पियर वेल का डिजाइन खोखले रूप में बनाया गया था। जबकि निष्पादन संरचनात्मक ड्राइंग में फिर से रेत भरी हुई पियर वेल में डिजाइन बदल दिया गया था। इसके अलावा, संरचनात्मक दायित्व ड्राइंग और संरचनात्मक निष्पादन ड्राइंग दोनों के पियर वेल के आयामों के बीच अंतर था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ठेकेदार को ₹ 73.72 लाख की राशि का भुगतान रेत भरी हुई पियर वेल के निष्पादन और आयामों में परिवर्तन के लिए अतिरिक्त आइटम के रूप में किया गया था। अनुबंध की कंडिका 4.16 के अनुसार, ठेकेदार द्वारा इन संरचनात्मक संशोधनों का क्रियान्वयन अनुबंध की कीमत के भीतर किया जाना था और इस तरह अतिरिक्त आइटम के लिए किया गया भुगतान अमान्य था।

निर्गम बैठक (दिसंबर 2016) में सचिव ने कहा कि पुष्टि बोरिंग के बाद अधीक्षण अभियंता द्वारा, नींव स्तर और सुरक्षित वहन क्षमता (एसबीसी) निर्धारित की गई थी जिसके कारण पियर वेल के आयाम में बदलाव जरूरी था। कंडिका 4.15 के अनुसार, डिजाइन के बुनियादी आंकड़े (अनुलग्नक-एन में उल्लेखित) बदल गये थे। तदनुसार अतिरिक्त कार्य⁹ और रिबेट¹⁰ की गणना की गई थी। हालांकि, वेल फाउंडेशन में रेत भरने के कारण ₹ 2.63 लाख के अतिरिक्त कार्य के कटौती की वसूली अंतिम बिल से की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चरल मेंबर के आयाम में वृद्धि के लिए अतिरिक्त भुगतान देय नहीं था।

⁸ ₹ 6.86 करोड़ + ₹ 2.26 करोड़ + ₹ 2.67 करोड़ = ₹ 11.79 करोड़

⁹ अतिरिक्त कार्य: काम के दायरे में वृद्धि के कारण ठेकेदार को भुगतान की जाने वाले एकमुश्त अनुबंध लागत के अलावा अतिरिक्त राशि

¹⁰ रिबेट: काम के दायरे में कमी के कारण एकमुश्त अनुबंध लागत के बिल से विभाग के पक्ष में कटौती करने की राशि

3.2.3.3 विशिष्टियों का उल्लंघन कर कार्यों का निष्पादन

आईआरसी-5 की कंडिका 120.1 के अनुसार एक सेतु के दोनों तरफ एप्रोच रोड की चौड़ाई सेतु की चौड़ाई के बराबर होगा। लेखापरीक्षा ने सात सेतु कार्यों में पाया कि एप्रोच रोड की चौड़ाई को सेतुओं की चौड़ाई के बराबर नहीं रखा गया था। छह सेतुओं में एप्रोच रोड की चौड़ाई 3.75 मीटर थी जबकि सेतुओं की चौड़ाई 7.5 मीटर थी। इसी तरह एक सेतु में, सेतु की 11 मीटर चौड़ाई के विरुद्ध एप्रोच रोड की चौड़ाई सात मीटर थी जैसा कि परिशिष्ट 3.2.3 में वर्णित है। इस प्रकार एप्रोच रोड का निर्माण विशिष्टियों के अनुरूप नहीं था।

निर्गम बैठक (दिसम्बर 2016) में, सचिव ने लेखापरीक्षा अवलोकन स्वीकार किया और कहा कि विशिष्टियों का भविष्य में पालन किया जाएगा। हालांकि, सचिव ने इन सेतु निर्माण कार्यों में इस का पालन नहीं करने के लिए कोई औचित्य नहीं बताया।

3.2.3.4 ठेकेदारों को अधिक भुगतान

छत्तीसगढ़ कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.178 के अनुसार, कार्य पूरा होने के बाद कार्यपालन अभियंता द्वारा कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए। इसके अलावा केन्द्रीय लोक लेखा संहिता की कंडिका 10.5.19 के अनुसार अनुबंध पूरा हो जाने के तुरंत बाद ठेकेदार का खाता बंद किया जाना चाहिए।

तीन¹¹ सेतु संभागों में अभिलेखों की जांच से पता चला कि पुनरीक्षित प्रशासकीय अनुमोदन के लंबित होने, ठेकेदारों को किए गए अतिरिक्त भुगतान के असमायोजित रहने आदि के आधार पर कार्य पूरा होने के तीन माह से तीन वर्ष से अधिक के बाद भी सात मामलों में अनुबंध बंद नहीं किया गया (परिशिष्ट 3.2.4)। इसमें से सेतु संभाग रायपुर में दो कार्यों बंजारी नाला के ऊपर लिमतरा-भाटापारा सड़क के किलोमीटर 13/6 से 14/2 पर सेतु निर्माण और रायपुर-बलौदाबाजार सड़क के ऊपर जोरा-सड़डू-धनेली मार्ग पर फलाई ओवर निर्माण के ठेकेदार के लेखा भुगतानों में से रिबेट¹² की राशि क्रमशः ₹ 96.03 लाख और ₹ 69.22 लाख की गणना नहीं की गई थी (मार्च 2011)। हालांकि मूल्य वृद्धि और रॉयलटी शुल्क के समायोजन के बाद विभाग ने ₹ 84.79 लाख और ₹ 75.21 लाख का ऋणात्मक देयक बनाया (जुलाई 2015 और नवंबर 2014) लेकिन ठेकेदारों से वसूली नहीं की जा सकी। इससे ठेकेदारों को ₹ 1.60 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान हुआ।

निर्गम बैठक (दिसम्बर 2016) में, सचिव ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि दोनों अनुबंधों में ठेकेदार द्वारा अंतिम माप स्वीकार नहीं किया गया और मामला मध्यस्थता न्यायाधिकरण के पास लंबित है तथा मध्यस्थता न्यायाधिकरण के फैसले के बाद वसूली की जाएगी।

तथ्य यह है कि, ठेकेदार को ₹ 1.60 करोड़ के अधिक भुगतान करने के जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी ना ही कार्यवाही करने का विचार किया गया।

3.2.3.5 प्रावधान के उल्लंघन के कारण अतिरिक्त लागत

छत्तीसगढ़ कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.075 के अनुसार ₹ 50,000 और ऊपर के अधिक लागत वाले अनुबंध पर दिये जाने हेतु प्रस्तावित सभी कार्यों के लिए निविदा आमंत्रित किया जाना चाहिए। आगे कंडिका की टिप्पणी (ग) यह निर्धारित करता है कि

¹¹ अभिकापुर, रायपुर और राजनांदगांव

¹² रिबेट: काम के दायरे में कमी के कारण एकमुश्त अनुबंध लागत के बिल से विभाग के पक्ष में कटौती करने की राशि

₹ 10 लाख के उपर के सभी कार्यों के निविदाओं की कार्यवाई ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली का उपयोग कर की जाएगी।

कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु) संभाग, बिलासपुर के अभिलेखों की जांच से पता चला कि राज्य शासन द्वारा बिलासपुर संभाग के अरपा नदी के ऊपर मंगला—कोनी सड़क के किमी 1/4—6 पर उच्च स्तरीय सेतु के मरम्मत कार्य के लिए ₹3.62 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी (सितंबर 2015)। मुख्य अभियंता, सेतु परिक्षेत्र, रायपुर द्वारा ₹ 2.95 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई थी (अक्टूबर 2015)। निविदा आमंत्रित किए बिना पूरक कार्य के रूप में एक ठेकेदार जो एक दूसरे सेतु संभाग राजनांदगांव में काम कर रहा था को एसओआर से 18.90 प्रतिशत अधिक दर पर मरम्मत कार्य सौंपा गया (अक्टूबर 2015)। हालांकि, ठेकेदार ने प्रशासकीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति और कार्य आदेश जारी किये जाने के पूर्व ही कार्य शुरू कर दिया था (मार्च 2015) और ₹ 2.65 करोड़ (₹ 2.23 करोड़ + 18.90 प्रतिशत) की लागत से यह काम पूरा कर लिया (मार्च 2016)। आगे, जांच से पता चला कि वही ठेकेदार सेतु संभाग बिलासपुर में तीन सेतु कार्य का क्रियान्वयन अनुमानित लागत से 5.42 प्रतिशत कम, 5.04 प्रतिशत अधिक और 9.25 प्रतिशत अधिक की दर पर कर रहा था। हालांकि, अनुमानित लागत से 9.25 प्रतिशत अधिकतम प्रीमियम जिस पर ठेकेदार उपरोक्त संभाग में कर रहा था के बजाय 18.90 प्रतिशत अधिक पर मरम्मत का काम देने ₹ 42.14 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत आयी।

निर्गम बैठक (दिसम्बर 2016) में, सचिव ने कहा कि कार्य विशेष प्रकृति का था जिसमें सेतु कार्य के मरम्मत के लिए विशेष बुनियादी ढांचे और यातायात के अवरुद्ध रखने की आवश्यकता थी। आगे, सड़क में भारी यातायात के कारण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना था। इसे देखते हुए, कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.120 के तहत काम की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी और प्रशासकीय स्वीकृति की प्रत्याशा में ठेकेदार की मौखिक सहमति पर कार्य का क्रियान्वयन किया गया था। सचिव ने आगे कहा कि आकस्मिक प्रकृति को देखते हुए बातचीत के आधार पर कार्य निष्पादित किया गया था, इसलिए निविदा आमंत्रित नहीं किया गया था।

हालांकि, विभाग कार्य के आकस्मिक प्रकृति का औचित्य साबित नहीं कर सका, क्योंकि ठेकेदार के माध्यम से कार्य क्रियान्वित करने में 13 महीने का समय लगा। इस प्रकार, आपातकालीन स्थिति पर निविदा के बिना, बातचीत के जरिए अनुमानित लागत 18.90 प्रतिशत अधिक के प्रीमियम पर काम सौंपे जाने को प्रमाण द्वारा समर्थित नहीं किया जा सका।

3.2.3.6 मूल्य समायोजन के कारण ₹ 60.39 लाख का अधिक भुगतान

जांच से पता चला कि तीन संभागों¹³ के तहत चार अनुबंधों में चार ठेकेदारों को कार्यपालन अभियन्ताओं द्वारा मूल्य समायोजन के लिए ₹ 60.39 लाख का अधिक भुगतान किया गया था। अधिक भुगतान का कारण गणना में विसंगति और माप पुस्तिकाओं में ओवरराइट कर कार्य के गलत मूल्य को लिया जाना था जैसा की परिशिष्ट 3.2.5 में वर्णित है।

निर्गम बैठक (दिसंबर 2016) में, सचिव ने मामले को आगे सत्यापित करने के लिए प्रमुख अभियंता और मुख्य अभियंता को निर्देश दिया। तथ्य यह है कि ₹ 60.39 लाख ठेकेदारों से वसूल किया जाना शेष है।

3.2.3.7 ₹ 64.39 लाख का अनाधिकृत व्यय

छत्तीसगढ़ कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.005 के अनुसार, अनुमोदित राशि से 10 प्रतिशत से अधिक व्यय होने या होने की संभावना पर सक्षम प्राधिकारी से पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना चाहिए।

तीन सेतु संभागों¹⁴ के अभिलेखों की जांच (मई 2016) से पता चला कि एक कार्य में प्रशासकीय स्वीकृति के 10 प्रतिशत से अधिक खर्च कर ₹ 64.39 लाख का अनाधिकृत व्यय किया गया था। आगे, पांच सेतु कार्यों में अनुबंधित राशि में वृद्धि के कारण अनुबंधित राशि ₹ 15.40 करोड़ से बढ़ गयी थी (मूल प्रशासकीय स्वीकृति से 10 प्रतिशत से अधिक), लेकिन कार्य सौंपे जाने के 18 से 62 महीने बीत जाने के बाद भी पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी जैसा की परिशिष्ट 3.2.6 में वर्णित है।

निर्गम बैठक (दिसम्बर 2016) में, सचिव ने सूचित किया कि पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

3.2.4 आंतरिक नियंत्रण और निगरानी

3.2.4.1 शास्ति लगाये बिना अनियमित समयवृद्धि दिया जाना

दो संभागों¹⁵ में कार्यपालन अभियंताओं और ठेकेदारों के बीच निष्पादित तीन अनुबंधों की जांच से पता चला ठेकेदारों के द्वारा की गई देरी के लिए अनुबंधों की कंडिका 1.13 के तहत शास्ति लगाने के साथ अधीक्षण अभियंता द्वारा ठेकेदारों को समयवृद्धि दी गयी थी। हालांकि, अधीक्षण अभियंता द्वारा बाद में निर्णय बदल कर शास्ति लगाये बिना समयवृद्धि दे दी गई। अनुबंध की कंडिका 1.13 के अनुसार, निर्णय बदलने के लिए अधीक्षण अभियंता सक्षम नहीं थे जिसके परिणाम में ठेकेदारों को अनुचित लाभ और शासन को समय का नुकसान हुआ।

आगे, कार्यों के निष्पादन में 13 से 30 सप्ताह की देरी के लिए मुआवजे के रूप में तीन ठेकेदारों से ₹ 33.65 लाख की राशि वसूल किया जाना था। बहरहाल, दो सेतु संभागों¹⁶ के कार्यपालन अभियंताओं ने केवल ₹ 11.31 लाख की वसूली की जिसके परिणामस्वरूप तीन¹⁷ सेतु कार्यों में ठेकेदारों को ₹ 22.34 लाख का अनुचित लाभ मिला। इसके अलावा, ठेकेदारों को इस अवधि के लिए ₹ 2.78 लाख की राशि के मूल्य समायोजन का अमान्य भुगतान भी किया गया।

निर्गम बैठक (दिसम्बर 2016) में, सचिव ने लेखापरीक्षा अवलोकन स्वीकार कर लिया और लेखापरीक्षा द्वारा बताये मामलों की समीक्षा करने के लिए विभाग को निर्देश दिया। तथ्य संकेत करते हैं कि इन मामलों पर स्वतंत्र रूप से नजर रखने के लिए विभाग में एक स्थापित तंत्र का अभाव है।

3.2.4.2 निरीक्षण और निगरानी

(i) छत्तीसगढ़ कार्य विभाग नियमावली के अनुसार, अधीक्षण अभियंता के लिए आवश्यक है कि साल में एक बार संभागीय कार्यालय और हर चार वर्ष में कम से कम एक बार उप संभागीय कार्यालय का निरीक्षण करें। अधीक्षण अभियंता के लिए यह भी

¹⁴ अभिकापुर, बिलासपुर और जगदलपुर

¹⁵ रायगढ़ और राजनांदगांव

¹⁶ रायगढ़ और राजनांदगांव

¹⁷ किंकारी नाला सेतु किमी 2/6, तौसीर लेन्धा मार्ग ₹ 6.54 लाख, पथारीनाला सेतु किमी 12/2-नन्देली-चपले मार्ग, ₹ 3.66 लाख और बंजर नदी-उसरवाही-पंडरिया दमोह मार्ग ₹ 1.11 लाख

आवश्यक है कि वह उसके अधिकार क्षेत्र में कार्यों की निगरानी और निरीक्षण करें और आगे मुख्य अभियंता को अपनी रिपोर्ट प्रेषित करें।

मुख्य अभियंता, सेतु परिक्षेत्र, रायपुर और अधीक्षण अभियंता सेतु मण्डल अंबिकापुर और रायपुर के अभिलेखों की जांच से पता चला कि कुछ निरीक्षण टिप्पणियाँ फाइलों में रखी गयी थीं, लेकिन मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता द्वारा किये गए अधीनस्थ कार्यालयों के निरीक्षण के निरीक्षण रिपोर्ट का कोई सार या समेकित डेटा संधारित नहीं किया गया। जो इंगित करता है कि छत्तीसगढ़ कार्य विभाग नियमावली के प्रावधान के तहत आवश्यक नियमित निरीक्षण नहीं किया जा रहा था।

(ii) राज्य शासन के निर्देश (अप्रैल 2012) के अनुसार, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और कार्यपालन अभियंता हर महीने में कम से कम एक बार कार्यों का निरीक्षण करने¹⁸ और राज्य शासन को निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि, मुख्य अभियंता और कार्यपालन अभियंताओं के कार्यालयों में अभिलेखों की जांच में पता चला कि इस तरह का कोई कार्यवार मासिक निरीक्षण प्रतिवेदन नहीं था। जो इंगित करता है कि, राज्य शासन के निर्देशों के अनुसार निरीक्षण नहीं किया जा रहा था।

निर्गम बैठक (दिसम्बर 2016) में, सचिव ने कहा कि मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के आधार पर ऑनलाइन अनुदेशों और निर्देशों जारी किए गए थे। हालांकि, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता या कार्यपालन अभियन्ताओं के कार्यालयों में अभिलेखों के अभाव में उत्तर, निरीक्षण के प्रमाण द्वारा समर्थित नहीं हैं।

3.2.5 लेखापरीक्षा के इंगित किये जाने पर की गयी सुधारात्मक कार्रवाई और वसूली

लेखापरीक्षा के इंगित किये जाने पर 26 सेतु निर्माण कार्यों में विभाग/सरकार ने लेखा परीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार कर लिया और रिबेट, कार्य के देरी से निष्पादन के लिए दंड, मूल्य समायोजन की गलत गणना आदि के लिए ₹ 7.86 करोड़ वसूल करने की सहमति प्रदान की और 20 सेतु कार्यों में ₹ 6.62 करोड़ की वसूली की (परिषिष्ट 3.2.7)। आगे लेखा परीक्षा के इंगित किये जाने पर निम्नलिखित मामलों में विभाग/शासन ने परिवर्तन भी कर दिया या नियमों में परिवर्तन/प्रक्रिया बनाने के लिए आश्वासन दिया।

स. क्र.	लेखापरीक्षा द्वारा किए गए अवलोकन	विभाग द्वारा किए गए परिवर्तन
1	अनुबंध की कंडिका के अनुसार, स्टील और सीमेंट घटक के लिए मूल्य समायोजन की गणना के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित सूचकांक क्रमशः ‘स्टील (बार और छड़ा)’ और ‘सीमेंट’ घटक का विचार किया जाना है। लेकिन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट पर सीमेंट और स्टील (बार और छड़ा) के सूचकांक उपलब्ध नहीं थे। नतीजतन, विभिन्न संभागों में सूचकांक पर कोई एकरूपता नहीं थी और मूल्य समायोजन के भुगतान मनमाने ढंग से किए गए थे।	सीमेंट का सूचकांक ग्रे सीमेंट का साथ और स्टील (बार और छड़ा) के सूचकांक रिवार्स के साथ बदल दिये गये थे।
2	विस्तृत सर्वेक्षण के बिना कार्य सौंपे जाने के परिणामस्वरूप समय और लागत में वृद्धि	विभाग ने विस्तृत सर्वेक्षण के बाद और एकमुश्त अनुबंध की बजाय प्रतिशत दर के आधार पर कार्य सौंपे जाने को स्वीकार कर लिया।
3	अपेक्षित भूमि अधिग्रहण के बिना कार्य सौंपे जाने के परिणामस्वरूप समय और लागत में वृद्धि	विभाग ने कार्य के लिए आवश्यक 90 प्रतिशत भूमि के अधिग्रहण पर ही निविदा आमंत्रित करना स्वीकार कर लिया।

¹⁸ मुख्य अभियंता: कार्य लागत ₹ 7.50 करोड़ से अधिक, अधीक्षण अभियंता: कार्य लागत ₹ 3 करोड़ से ₹ 7.50 करोड़ और कार्यपालन अभियंता: कार्य लागत ₹ 50000 से 3 करोड़ तक

3.2.6 निष्कर्ष

लोनिवि ने केवल वर्ष 2015–16 से सेतुओं के निर्माण के लिए कार्यकारी योजना तैयार की थी, जबकि इस अवधि से पहले, आवश्यकता के आधार पर सेतुओं का निर्माण किया गया। विभाग ने सेतु कार्यों के समयबद्ध ढंग से पूरा होना सुनिश्चित करने के लिये निगरानी ढांचा नहीं बनाया था एवं परिणामस्वरूप, वर्ष 2011–16 के दौरान किये गये 216 सेतु कार्य एक महीने और आठ साल के बीच की देरी के साथ पूर्ण किये गये। इसके अतिरिक्त, मुख्य अभियंता के द्वारा ड्राइंग और डिजाइन के अनुमोदन में देरी और ठेकेदार को सेतु का कार्य सौंपे जाने के बाद कार्यपालन अभियंता के द्वारा भूमि अधिग्रहण प्रारम्भ करने के उदाहरण थे। परिणामतः नमूना जांच किये गये 126 सेतुओं में से 87 सेतुओं में एक माह से लगभग सात वर्ष की देरी, ₹ 9.53 करोड़ की लागत में वृद्धि और काम की प्रकृति व मात्रा में ₹ 44.81 करोड़ मूल्य का बदलाव हुआ।

छ: सेतु 100 साल का डिजाइन लाईफ सहन नहीं कर सके तथा पूर्ण होने के केवल तीन से 10 साल के भीतर या निर्माण के दौरान कार्यों के निम्नस्तरीय निष्पादन के कारण क्षतिग्रस्त हो गए, परिणामस्वरूप ₹ 11.79 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। इसके अलावा ठेकेदार द्वारा अनुबंध की कीमत के भीतर किए जाने वाले सेतु कार्य के ढांचे में संशोधन के लिए ₹ 71.09 लाख का अमान्य भुगतान किया गया था। आगे, दो सेतु निर्माण कार्य में काम के दायरे में कमी के कारण लेखा भुगतान पर रिबेट लागू नहीं किये जाने से ठेकेदारों को ₹ 1.60 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ था।

विभाग में आंतरिक नियंत्रण तंत्र अनुपस्थित था क्योंकि ठेकेदारों के कारण हुये देरी के लिए जुर्माना लगाये बिना ठेकेदारों को दी गई अनियमित समयवृद्धि से विभाग अनभिज्ञ था। इसके परिणामस्वरूप तीन सेतु निर्माण कार्यों में ठेकेदारों को अनुचित लाभ और ₹ 25.12 लाख के मूल्य समायोजन का अमान्य भुगतान हुआ।

3.2.7 अनुशंसाएं

प्रावकलन बनाए जाने और ठेकेदारों को कार्य सौंपे जाने से पहले विभाग को विस्तृत सर्वेक्षण और चयनित कार्यस्थलों की जांच करना चाहिए।

भूमि अधिग्रहण, ड्राइंग और डिजाइन आदि को अंतिम रूप देने जैसे सभी बाधाओं से निपटते हुए सेतुओं के समयबद्ध पूरा होने को सुनिश्चित करने के लिए विभाग को एक रूपरेखा की स्थापना करनी चाहिए। निविदा पश्चात् परिवर्तन और मंजूरी की प्रक्रिया में देरी से बचने के लिए विभाग एकमुश्त अनुबंध के करार के तरीके को प्रतिशत के आधार पर बदलने की संभावना का भी पता लगा सकता है जैसा की अन्य सार्वजनिक कार्यों में किया जाता है।

प्रारंभिक चरण में प्रणालीगत और कार्यान्वयन बाधाओं की पहचान कर समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की सुविधा के लिए विभाग के निगरानी तंत्र को मजबूत बनाते हुए एक सशक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित करना चाहिए।

सेतुओं के समय पूर्व ढहने और सेतुओं के पूर्ण होने में देरी के लिए दोषी ठेकेदारों और इंजीनियरों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू किया जाना चाहिए।

पशुधन विकास विभाग

3.3 पशुधन विकास विभाग द्वारा पशुधन वितरण

3.3.1 परिचय

छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण कृषि क्षेत्र में पशु सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक परिसंपत्ति है। पशुधन विकास विभाग (विभाग) छत्तीसगढ़ शासन पशु स्वास्थ्य-रक्षा, पशु संवर्धन, पशुपालन, उन्नत पशु प्रजनन एवं पशुओं के विकास की सुविधा प्रदान करती है। पशु संगणना 2012 के अनुसार राज्य में पूर्व संगणना 2007 (1.44 करोड़) में 4.32 प्रतिशत वृद्धि के साथ पशुधन आबादी 1.50 करोड़ थी। विभाग द्वारा पशुधन वितरण के उद्देश्य पशुधन के संरक्षण, सुरक्षा एवं वृद्धि, पशुओं के नस्ल सुधार तथा पशुधन उत्पादों (दूध, मांस एवं अंडे) के विक्रय द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए पूरक पारिवारिक आय का सृजन करना है।

इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा सात¹ योजनाओं को लागू किया गया। जिस में पशुधन वितरण के लिए लक्षित हितग्राहियों को 25 प्रतिष्ठत से 100 प्रतिशत के बीच अनुदान प्रदाय किया गया।

अपर मुख्य सचिव (एसीएस) शासन स्तर पर विभाग के क्रियाकलाप की देखरेख करते हैं जबकि समग्र प्रशासनिक एवं तकनीकी नियंत्रण संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं (डीवीएस) में निहित है जो कि संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं (जेडीवीएस) तथा उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं (डीडीवीएस) द्वारा मुख्यालय एवं मैदानी स्तर पर सहयोगित हैं।

सात में से पाँच² योजनाओं का चयन करते हुए 27 में से सात³ जिलों में स्थित संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, रायपुर तथा संयुक्त संचालक/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं के कार्यालयों की वर्ष 2011–16 की अवधि की लेखापरीक्षा अप्रैल से अगस्त 2016 के मध्य सम्पन्न की गयी। जिलों का चयन सिम्पल रैन्डम सैम्प्लिंग विदाउट रिप्लेसमेंट (एसआरएसडब्ल्यूओआर) विधि से किया गया। लेखापरीक्षा के दौरान योजना में शामिल ऋण स्वीकृतकर्ता 15 राष्ट्रीयकृत बैंकों⁴ का दौरा किया गया साथ ही साथ विभागीय अधिकारियों के साथ हितग्राही सर्वेक्षण भी किया गया।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी पशुधन विकास विभाग के साथ एक प्रवेश बैठक (जुलाई 2016) आयोजित की गयी जहां लेखापरीक्षा के उद्देश्य, कार्य-क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली पर चर्चा की गयी। लेखापरीक्षा परिणाम पर चर्चा के लिए विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ निर्गम बैठक (नवम्बर 2016) आयोजित की गयी। अपर मुख्य सचिव द्वारा प्रस्तुत उत्तरों को उपयुक्त रूप से प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

¹ (i) राज्य पोषित डेयरी उद्यमिता विकास योजना, (ii) बैकयार्ड कुक्कुट ईकाई (iii) नर सूकर वितरण (iv) सूकर त्रयी वितरण, (v) सांड वितरण (vi) नबार्ड पोषित डेयरी/बकरी/कुक्कुट उद्यमिता विकास योजना (vii) नर बकरा वितरण

² (i) राज्य पोषित डेयरी उद्यमिता विकास योजना, (ii) नाबार्ड पोषित डेयरी/बकरी/कुक्कुट उद्यमिता विकास योजना, (iii) सूकर त्रयी वितरण (iv) नर सूकर वितरण (v) सांड वितरण योजना।

³ बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरिया, रायगढ़, रायपुर एवं सरगुजा

⁴ इलाहाबाद बैंक, आन्ध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉरपोरेशन बैंक, केनरा बैंक, सेन्ट्रल बैंक, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, देना बैंक, जिला सहकारी बैंक, इंडियन बैंक, ओरियेण्टल बैंक ऑफ कामर्स, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिन्डिकेट बैंक और विजया बैंक

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.3.2 वित्तीय प्रबंधन

राज्य में, अवधि 2011–16 के दौरान पाँच चयनित योजनांतर्गत 10,393 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। इन पाँच योजनांतर्गत राज्य शासन ने अवधि 2011–16 के दौरान ₹ 51.87 करोड़ जारी किया तथा ₹ 37.59 करोड़ का व्यय किया। सात चयनित जिलों में आबंटन, व्यय एवं हितग्राहियों का विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 3.3.1: अवधि 2011–16 के दौरान बजट आबंटन, व्यय तथा हितग्राही

(₹ करोड़ में)

योजनाओं के नाम	राज्य			सात चयनित जिलों में		
	आबंटन	व्यय	हितग्राही (संख्या)	आबंटन	व्यय	हितग्राही (संख्या)
राज्य पोषित डेयरी उद्यमिता विकास योजना	14.97	9.93	1248	5.00	3.22	339
नाबार्ड ⁵ पोषित डेयरी/बकरी/कुकुट उद्यमिता विकास योजना	27.93	19.17	1513	10.96	7.85	732
सूकरत्रयी वितरण	4.33	4.04	3408	1.88	1.53	1369
नर सूकर वितरण	1.18	1.14	2428	0.56	0.45	1020
सांड वितरण	3.46	3.31	1796	1.66	1.42	707
योग	51.87	37.59	10393	20.06	14.47	4159

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

बैंकों से समन्वय में कमी के कारण निधि का उपयोग पूर्ण रूप से नहीं किया गया

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि विभाग राशि ₹ 51.87 करोड़ में से ₹ 37.59 करोड़ ही उपयोग कर सका जबकि राशि ₹ 14.28 करोड़ (28 प्रतिशत) का उपयोग अवधि 2011–16 के दौरान नहीं किया जा सका। यह मुख्यतः बैंक सम्बद्ध योजनाओं, राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना (₹ 5.04 करोड़) तथा नाबार्ड पोषित डेयरी/बकरी/कुकुट उद्यमिता विकास योजना (₹ 8.76 करोड़) के अंतर्गत बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत नहीं किए जाने से निधि के उपयोग में विफलता के कारण हुआ।

शासन ने बताया (नवम्बर 2016) कि विभाग द्वारा ऋण स्वीकृति हेतु 3835 प्रकरण विभिन्न बैंकों को प्रेषित किए गए तथा इनमें से 1176 प्रकरण बैंक स्तर पर लंबित थे। इस कारण से लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पायी तथा योजनाओं पर व्यय नहीं किया जा सका। विभाग ने (जनवरी 2016) बैंकों से अपने स्तर पर लंबित प्रकरणों के निपटान हेतु अनुरोध भी किया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जेडीवीएस/डीडीवीएस द्वारा लम्बित प्रकरणों के निपटान के लिए बैंकों के साथ समन्वय स्थापित किये जाने सम्बंधी किए गए प्रयासों के सम्बंध में कोई अभिलेख नहीं पाये गये। आगे उत्तर से इस बात की पुष्टि होती है कि विभाग ने केवल जनवरी 2016 में बैंक के साथ इस मामले को उठाया था जबकि लक्ष्यों की पूर्ति वर्ष 2011 से नहीं हो पा रही थी।

3.3.3 योजनाओं का क्रियान्वयन

पशुधन विकास विभाग के सांख्यिकी प्रतिवेदन 2014 के अनुसार राज्य में दूध, अण्डे एवं मांस का उत्पादन क्रमशः 1231 मी.ट., 14731 लाख एवं 37764 कि.ग्रा. था जो कि दूध,

⁵ नाबार्ड पोषित डेयरी/बकरी/कुकुट पालन उद्यमिता योजना” एक राज्य शासन योजना है। राज्य शासन, योजना शीर्ष 7471 पर आबंटन प्रदाय करती है तथा हितग्राही, जिनके ऋण बैंक द्वारा स्वीकृत हो, को अनुदान प्रदाय करती है।

अण्डे तथा मांस के राष्ट्रीय उत्पादन का क्रमशः 0.84 प्रतिशत, 1.88 प्रतिशत तथा 0.56 प्रतिशत था। राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति दूध (प्रतिदिन), अण्डे (वार्षिक) तथा मांस (वार्षिक) की उपलब्धता क्रमशः 295 ग्राम, 57 तथा 4.27 कि.ग्रा. थी जबकि राज्य में प्रति व्यक्ति उपलब्धता क्रमशः 130 ग्राम, 56 तथा 1.41 कि.ग्रा. थी। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि विभाग ने राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचने के लिए उत्पादकता बढ़ाने हेतु कोई योजना तैयार नहीं की साथ ही राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे लक्ष्य निर्धारित किया। परिणामस्वरूप, अवधि 2011–16 के दौरान, विभाग द्वारा दूध, अण्डे तथा मांस उत्पादन का लक्ष्य लगभग प्राप्त कर लिया गया जबकि राज्य में प्रति व्यक्ति दूध तथा मांस का उत्पादन एवं उपलब्धता राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा कम रही। इसका विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 3.3.2: दूध, अण्डे तथा मांस की लक्ष्य पूर्ति की स्थिति

वर्ष	दूध (भी.ट.)		अण्डा (सं.)		मांस (कि.ग्रा.)	
	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति
2011–12	960	1119	19109	29601	9980	12998
2012–13	1225	1164	32148	33965	13360	13711
2013–14	1230	1209	34945	36182	13930	14330
2014–15	1235	1231	38666	37764	15150	14732
2015–16	1296	1277	41270	41383	15900	15028

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

योजनाओं के दिशानिर्देश के अनुसार, इच्छुक हितग्राही को योजना लाभ लेने के लिए सम्बंधित ग्राम पंचायत को एक आवेदन देना होगा जो कि आवेदन को विकासखण्ड स्तर पर वीएएस को प्रेषित करेगा। वीएएस, जनपद पंचायत का अनुमोदन प्राप्त करेगा तथा आवेदन को जिले के डी.डी.वी.एस को प्रेषित करेगा। पाँच योजनाओं में से दो योजनाएं राज्य पोषित डेयरी उद्यमिता विकास योजना तथा नाबार्ड पोषित डेयरी/बकरी/कुक्कुट उद्यमिता विकास योजना, बैंक ऋण सम्बद्ध योजनाएं हैं जिसमें जेडीवीएस/डीडीवीएस बैंक मांगपत्र के अनुसार हितग्राही के नाम से अनुदान स्वीकृत करते हैं। तथापि, अन्य तीन योजनाओं (नर सूकर वितरण, सूकर त्रयी वितरण तथा सांड वितरण) में बैंक की कोई भूमिका नहीं है तथा कृषि स्थायी समिति जिला पंचायत का अनुमोदन प्राप्त करते हुए अनुदान जारी करते हैं।

राज्य/नाबार्ड पोषित डेयरी/बकरी/कुक्कुट पालन योजना में विभाग सामान्य तथा अजजा/अजा हितग्राहियों को डेयरी/बकरी/कुक्कुट ईकाई के लागत का क्रमशः 25 प्रतिशत तथा 33.33 प्रतिशत का अनुदान प्रदाय करता है जबकि सांड तथा सूकरत्रयी/नर सूकर वितरण योजनाओं में क्रमशः 100 प्रतिशत तथा 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि हितग्राहियों के अभिलेखों की जांच किए बिना अनुदान जारी किया गया, चयनित हितग्राहियों को पशुधन का वितरण नहीं किया गया, अनुदानों का अधिक संवितरण किया गया तथा लक्ष्यों की पूर्ति नहीं की जा सकी जैसा की आगामी कंडिकाओं में वर्णित है।

3.3.3.1 राज्य पोषित डेयरी उद्यमिता विकास योजना एवं नाबार्ड पोषित डेयरी/बकरी/कुक्कुट उद्यमिता विकास योजना

योजना का मुख्य उद्देश्य आधुनिक डेयरी/बकरी/कुक्कुट फार्मों की स्थापना को बढ़ावा देकर दुर्घट उत्पादन में वृद्धि करना तथा रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। इच्छुक हितग्राही विभागीय अधिकारियों की सहायता से डेयरी ईकाई का प्रोजेक्ट तैयार करेगा

तथा इसे ऋण हेतु राष्ट्रीयकृत/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को प्रस्तुत करेगा। बैंक, प्रोजेक्ट की समीक्षा उपरांत यदि स्वीकार्य हो तो ऋण स्वीकृत करता है। ऋण की प्रथम किस्त जारी किए जाने के उपरांत बैंक सम्बंधित जिलों के जेडीवीएस/डीडीवीएस को अनुदान मांगपत्र प्रेषित करता है जो कि अनुदान जारी करते हैं। ऋण स्वीकृत होने के उपरांत हितग्राही बाजार से पशु क्रय करता है जिसका लागत मूल्य तीन सदस्यी समिति निर्धारित करती है जिसमें बैंक मैनेजर, हितग्राही एवं वीएस होते हैं। तदुपरांत वीएस पशुधन का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कमियां पायी गयीं।

निधि ₹ 4.89 करोड़ अनुपयोगी रहा

सात नमूना जांच किए गए जिलों में, अवधि 2011–16 के दौरान, इन दो योजनाओं के अंतर्गत विभाग ने राशि ₹ 15.96 करोड़ आबंटित किया था जिसके विरुद्ध ₹ 11.07 करोड़ का व्यय 1071 हितग्राहियों पर किया गया तथा ₹ 4.89 करोड़ अनुपयोगी रहा। इस राशि का व्यय उन हितग्राहियों पर अनुदान के रूप में किया जाना था जिनके प्रोजेक्ट के आधार पर बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत किया जाना था परन्तु बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत नहीं किये जाने के कारण अनुदान की राशि का व्यय नहीं किया जा सका।

आगे, सात नमूना जांच जिलों में, जेडीवीएस/डीडीवीएस ने बैंक में वास्तविक रूप से प्रेषित एवं स्वीकृत हितग्राहियों के प्राप्त अवेदन पत्रों की संख्या का रिकार्ड संधारण नहीं किया था। परिणामस्वरूप जेडीवीएस/डीडीवीएस लम्बित प्रकरणों के निपटान के लिए बैंकों से समन्वय स्थापित नहीं कर पाये जो की योजनांतर्गत चिह्नित सम्पूर्ण निधि का उपयोग कर पाने में बाधक हुआ।

शासन ने इस बीच कहा कि निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध हितग्राहियों को कम अनुदान जारी किए जाने के कारण निधि का उपयोग नहीं किया जा सका। शासन ने आगे यह बताया कि विभाग ने बैंकों को उनके स्तर पर लम्बित प्रकरणों के निपटान करवाने जैसी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता।

अभिलेखों का सत्यापन किए बिना अनुदान जारी किया जाना

बैंक को अनुदान जारी किए जाने से पूर्व जिला कार्यालयों को अभिलेखों, जैसे की हितग्राही का अवेदन पत्र, बैंक का ऋण स्वीकृति पत्र, हितग्राही के ऋण खाते में जारी की गयी ऋण राशि, पशुधन के क्रय की समिति का प्रतिवेदन, क्रय वेयक तथा पशुधन का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का सत्यापन तथा संधारण किया जाना था।

सात नमूना जांच जिलों में लेखापरीक्षा ने यह पाया कि जेडीवीएस/डीडीवीएस ने अवधि 2011–15 के दौरान, बैंक मांगपत्र के आधार पर 794 हितग्राही के लिए राशि ₹ 8.30 करोड़ का अनुदान जारी किया। तथापि, हितग्राहियों द्वारा क्रय किए गए पशुधन का पता लगाने हेतु जेडीवीएस/डीडीवीएस द्वारा किए गए सत्यापन सम्बंधी अभिलेख संधारित नहीं थे। इस प्रकार, बैंकों को अनुदान जारी करने के पूर्व हितग्राहियों द्वारा किए गए क्रय के सम्बंध में कोई साक्ष्य कार्यालय में उपलब्ध नहीं था।

आगे, छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता के नियम क्रमांक 11 के अनुसार व्यय उसी प्रयोजन के लिए करना चाहिए जिस उद्देश्य हेतु निधि की प्राप्ति हुई है। आहरण एवं संवितरण

हितग्राहियों द्वारा क्रय की सुनिश्चितता किए बिना अनुदान जारी किए गए

अधिकारी के पास अपेक्षित अभिलेखों के आभाव में लेखापरीक्षा में नियम 11 का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

शासन ने बताया (नवम्बर 2016) कि विभाग ने दिशानिर्देशों में संशोधन करते हुए सभी जेडीवीएस/डीडीवीएस को जिला कार्यालयों में उपर्युक्त अभिलेख रखने हेतु अनुदेश जारी (सितम्बर 2016) कर दिए गए हैं।

उत्तर से यह पुष्टि होती है कि विभाग द्वारा योजना के क्रियान्वयन से पूर्व स्पष्ट दिशानिर्देश जारी नहीं किया गया था जिससे हितग्राहियों द्वारा पशुधन क्रय की सुनिश्चितता किये बिना हितग्राहियों को अनुदान का भुगतान कर दिया गया।

राशि ₹ 27.83 लाख का अधिक अनुदान जारी किया जाना

सात नमूना जाँच जिलों में अवधि 2011–16 के दौरान, 15 बैंकों के 44 शाखाओं से 295 हितग्राहियों के अभिलेखों का परस्पर सत्यापन से यह पाया गया कि बैंकों ने डेयरी/कुक्कुट इकाईयों की स्थापना हेतु 62 हितग्राहियों को राशि ₹ 2.80 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया था। इसके विरुद्ध बैंकों ने केवल ₹ 2.22 करोड़ जारी किया। तथापि, जेडीवीएस/डीडीवीएस ने बैंकों द्वारा जारी ऋण की राशि ₹ 2.22 करोड़ के आधार पर अनुदान की राशि जारी न करते हुए स्वीकृत ऋण राशि ₹ 2.80 करोड़ के आधार पर बैंकों को अनुदान राशि ₹ 85.97 लाख जारी किया। इस प्रकार हितग्राहियों को अनुदान राशि ₹ 27.83 लाख अधिक जारी किया गया, जैसा कि परिशिष्ट 3.3.1 में दर्शित है।

शासन ने बताया (नवम्बर 2016) कि बैंकों को जारी अनुदान के सम्बंध में जानकारी मंगायी जा रही है तथा यदि बैंकों को अतिरिक्त अनुदान जारी किया गया है तो इसे समायोजित किया जाएगा।

नाबार्ड पोषित डेयरी/बकरी/कुक्कुट उद्यमिता योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, ईकाई लागत का 15 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाना है। जेडीवीएस, रायपुर में वर्ष 2011–12 के 13 प्रकरणों की लेखापरीक्षा जाँच में यह पाया गया कि नौ प्रकरणों में अनुदान राशि 15 प्रतिशत के बजाय 25 प्रतिशत की दर से जारी की गयी, परिणामतः बैंक को अधिक अनुदान राशि ₹ 0.90 लाख जारी किया गया।

शासन ने बताया (नवम्बर 2016) कि अधिक भुगतान की गयी अनुदान राशि की वापसी हेतु देना बैंक आरंग को पत्र जारी किया गया है।

जेडीवीएस रायपुर के वर्ष 2013–14 के नाबार्ड पोषित डेयरी ईकाई अंतर्गत दो ऋण स्वीकृत प्रकरणों की पंजाब नेशनल बैंक, अभनपुर से परस्पर सत्यापन के दौरान यह देखा गया कि ऋण की राशि ₹ 10 लाख पर पंजाब नेशनल बैंक, अभनपुर को अनुदान राशि ₹ 2.50 लाख जारी किया गया था। जबकि, हितग्राहियों ने राशि ₹ सात लाख मूल्य के 16 पशु (प्रति हितग्राही आठ पशु) क्रय किये थे जिसपर अनुदान राशि ₹ 1.75 लाख (सात लाख का 25 प्रतिशत) जारी किया जाना था। इस प्रकार, क्रय देयकों का सत्यापन किए बिना स्वीकार्य अनुदान से अधिक राशि ₹ 0.75 लाख बैंक को जारी किया गया।

शासन ने बताया (नवम्बर 2016) कि बैंक को अधिक अनुदान की वापसी हेतु पत्र जारी किया गया था।

छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिक्षण नियम, 2014 का उल्लंघन

छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिक्षण नियम 2014 के अनुसार, वर्ष 2015–16 में गायों का क्रय पंजीकृत संस्थाओं से किया जाना था। सात नमूना जाँच जिलों के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि वर्ष 2015–16 में हितग्राहियों द्वारा पंजीकृत संस्थाओं से गायों के क्रय की सुनिश्चितता किए बिना जेडीवीएस/डीडीवीएस ने डेयरी ईकाई की

स्थापना हेतु 243 हितग्राहियों को राशि ₹ 1.94 करोड़ जारी किया। चूँकि, जेडीवीएस/डीडीवीएस के पास हितग्राहियों के द्वारा क्रय किए जाने की कोई जानकारी नहीं थी, अतः जेडीवीएस/डीडीवीएस कार्यालयों में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं थे जिससे कि यह सिद्ध हो सके कि गायों का क्रय पंजीकृत संस्थाओं से किया गया है। इस प्रकार विभाग ने नियम 2014 का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया।

शासन ने बताया (नवम्बर 2016) कि योजना का क्रियान्वयन दिशानिर्देशों के अनुसार हुआ था तथा योजना के दिशानिर्देशों में नियम 2014 का उल्लेख नहीं था। तथापि, 2016–17 में संशोधित दिशानिर्देश जारी किये गये एवं अनुपालन किया जा रहा है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नियम 2015–16 से अनिवार्य रूप से अनुपालन हेतु राज्य शासन के राजपत्र में अधिसूचित हुआ था (जनवरी 2014)।

हितग्राही सर्वेक्षण के परिणाम

लेखापरीक्षा दल एवं वीएएस/एवीएफओ ने 14 कुक्कुट, 35 डेयरी तथा तीन बकरी इकाईयों के हितग्राही का सर्वेक्षण तथा संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया एवं यह पाया गया कि पाँच कुक्कुट, आठ डेयरी एवं तीन बकरी इकाईयों को आर्थिक हानि होने के कारण हितग्राहीयों के द्वारा बंद कर दिया गया था। आगे, रायगढ़ जिले में यह देखा गया कि एक कुक्कुट तथा एक डेयरी इकाई हितग्राही द्वारा उल्लेखित स्थान पर नहीं पाया गया। परिणामस्वरूप, अनुदान राशि ₹ 26.99 लाख का व्यय निर्थक सिद्ध हुआ, जैसा कि परिशिष्ट 3.3.2 में दर्शित है। इससे यह भी इंगित होता है कि विभाग ने हितग्राही को उनके डेयरी/बकरी/कुक्कुट इकाईयों को कार्यक्षम रूप से चलाने हेतु न तो कोई रूपरेखा विकसित किया और न ही समय समय पर मार्गदर्शन द्वारा हितग्राहीयों के इकाईयों को बंद होने से रोकने के लिए कोई निगरानी किया।

शासन ने बताया (नवम्बर 2016) कि कुछ हितग्राहियों ने चारा के लागत में वृद्धि तथा व्यवसाय में हानि इत्यादि के कारण अपने डेयरी/कुक्कुट/बकरी इकाईयों को बंद कर दिया है। शासन ने आगे बताया (नवम्बर 2016) कि डेयरी/कुक्कुट/बकरी इकाईयों की निगरानी/सत्यापन/निरीक्षण हेतु वीएएस/एवीएफओ को विभागीय निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा वर्ष 2011–16 की अवधि में अनुदान प्राप्त डेयरी/कुक्कुट/बकरी इकाईयों के निगरानी/निरीक्षण रिपोर्ट नस्तियों में नहीं पाये गये तथा उन इकाईयों के बंद होने के कारणों का पता लगाने के प्रयासों से सम्बंधित कोई अभिलेख जेडीवीएस/डीडीवीएस के नस्तियों में नहीं पाये गये।

3.3.3.2 सूकर त्रयी वितरण

योजना का उद्देश्य स्थानीय सूकरों का नस्ल सुधार, मांस उत्पादन में वृद्धि तथा हितग्राहियों के आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। इस योजना में उन्नत नस्ल के सूकर त्रयी (मिडिल व्हाइट यॉर्कशायर नस्ल का एक नर तथा दो मादा) अजजा/अजा हितग्राहियों को दिया जाना था। विभाग ने एक इकाई सूकर त्रयी (एक नर तथा दो मादा) की लागत ₹ 9000 निर्धारित किया था। हितग्राही को अनुदान के रूप में ₹ 9000 या सूकर त्रयी के वास्तविक लागत का 90 प्रतिशत जो भी कम हो, दिया जाना था। अभिलेखों की जाँच के दौरान निम्नलिखित अनियमितता पायी गयी:

हितग्राहियों का योजना के लाभ से वंचित रहना

सात नमूना जाँच जिलों में, अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि अवधि 2011–16 के दौरान, लक्षित 2288 हितग्राहियों को सूकर त्रयी प्रदाय किए जाने के लिए विभाग ने राशि ₹ 1.88 करोड़ का आबंटन किया। इसके विरुद्ध जेडीवीएस/डीडीवीएस द्वारा राशि ₹ 1.53 करोड़ का व्यय कर 1369 हितग्राहियों को सूकर त्रयी इकाई प्रदाय किया

गया। इस प्रकार विभाग, लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर सका जिससे 919 हितग्राही उनके चयन के दो से चार वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत भी योजना के लाभ से वंचित रहे, जैसा कि परिशिष्ट 3.3.3 में दर्शित है।

शासन ने बताया (नवम्बर 2016) कि सूकरत्रयी का वितरण शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र (जीबीएफ) बस्तर एवं अम्बिकापुर से किया गया जाता है। इन दो फार्मों से प्रतिवर्ष सूकरों का औसत उत्पादन 250 से 300 था एवं उनका वितरण किया गया। सूकरों का उत्पादन लक्ष्य से कम था। विभाग इसे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जब लक्ष्य का निर्धारण एवं हितग्राही के चयन उपरांत जीबीएफ, पशुधन का प्रदाय नहीं कर पा रहा था तो हितग्राहियों को पशुधन का प्रदाय बाजार से क्रय कर के भी किया जा सकता था जैसा की अन्य दो बैंक सम्बद्ध योजनाओं के प्रकरणों में था।

हितग्राहियों की पावती उपलब्ध न होना

हितग्राहियों का चयन संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच के सिफारिश के आधार पर किया जाना है। पशुधन वितरण के साक्ष्य के रूप में हितग्राहियों से हस्ताक्षरित पावती प्राप्त कर पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ तथा सरपंच द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।

सात जिलों के नमूना जांच में यह पाया गया कि, अवधि 2011–16 के दौरान, 1369 सूकरत्रयी इकाई का वितरण किया गया। तथापि, संयुक्त संचालक/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं कार्यालयों में केवल 268 पावतियां उपलब्ध थे और शेष 1101 पावतियां उपलब्ध नहीं थे। पावतीयों के अभाव में, लक्षित हितग्राहियों को सूकरत्रयी इकाई के वितरण की प्रमाणिकता का निर्धारण लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका। यह इंगित करता है कि विभाग ने पशुधन के वास्तविक वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं किया।

शासन ने बताया (नवंबर 2016) कि, पावतीयां जिला कार्यालयों में संधारित की गई थीं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि पावतियां न तो लेखापरीक्षा के दौरान उपलब्ध कराये गये और न ही विभाग द्वारा निर्गम बैठक के दौरान प्रस्तुत अथवा विभागीय उत्तर के साथ संलग्न किये गये।

3.3.3.3 नर सूकर का वितरण

यह योजना, स्थानीय सूकरों की नस्ल में सुधार, मांस उत्पादन बढ़ाने और हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रारंभ की गयी है। इस योजनांतर्गत, उन्नत नस्ल के एक नर सूकर (मिडल व्हाईट यॉर्कशायर) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को दिया जाना था जिनके पास पहले से ही कम से कम तीन मादा सूकर उपलब्ध हो। विभाग ने नर सूकर इकाई की लागत राशि ₹ 3500 निर्धारित किया। हितग्राहियों को अनुदान के रूप में ₹ 3500 या नर सूकर की वास्तविक लागत का 90 प्रतिशत जो भी कम हो दिया जाना है। योजना के अभिलेखों की जांच के दौरान निम्नलिखित अनियमितता पायी गयी।

अपात्र हितग्राहियों का चयन

उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं रायगढ़ के अभिलेखों के नमूना जांच (मई 2016) में यह पाया गया कि अवधि 2011–16 के दौरान 35 अपात्र हितग्राहियों (मादा सूकर उपलब्ध नहीं होना) का चयन किया गया तथा राशि ₹ 1.10 लाख मूल्य के नर सूकर प्रदाय किये गये। इस प्रकार उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, रायगढ़ ने अपात्र हितग्राहियों को योजना के उद्देश्य का उल्लंघन करते हुए राशि ₹ 1.10 लाख मूल्य का लाभ दिया।

शासन ने बताया (नवंबर 2016) कि हितग्राहियों द्वारा अधूरा फॉर्म भरा गया जिससे लेखापरीक्षा द्वारा मान लिया गया कि हितग्राहियों के पास मादा सूकर नहीं थे जबकि हितग्राहियों का चयन करते समय पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ द्वारा मादा सूकर उपलब्ध होने का ध्यान रखा गया था।

शासन के उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है क्योंकि हितग्राहियों ने मादा सूकर की उपलब्धता के लिए आवेदन में नियत कॉलम को रिक्त छोड़ दिया। इस प्रकार व्हीएएस के अभिलेखों में मादा सूकर की उपलब्धता का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं था जिससे की योजनांतर्गत उनका हितग्राही के रूप में चयन हो।

हितग्राहियों का योजना के लाभ से वंचित होना

सात जिलों के नमूना जांच में, योजनान्तर्गत नर सूकर वितरण हेतु 1482 हितग्राही लक्षित किए गए। नर सूकर के लागत को पूरा करने हेतु उपसंचालक/संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं ने अवधि 2011–16 के दौरान प्रावधानित राशि ₹ 56 लाख के विरुद्ध ₹ 45.43 लाख का व्यय, चयनित 1482 हितग्राही के विरुद्ध 1020 हितग्राहियों को नर सूकर इकाईयों का क्रय कर वितरण करने में किया जैसा कि परिशिष्ट 3.3.4 में दर्शित है। इस प्रकार निधि उपलब्ध होने तथा हितग्राही चयन के दो से चार वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद 462 हितग्राहियों (31 प्रतिशत) को योजना के लाभ से वंचित किया गया।

शासन ने बताया (नवंबर 2016) कि उन्नत नस्ल के पशु की उपलब्धता में कमी होने के कारण लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकी और विभाग जीबीएफ में पशु के उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रहा है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लक्ष्य का निर्धारण शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र में उन्नत नस्ल के पशु उपलब्धता के अनुसार किया जाना था और यदि उपलब्धता नहीं थी तो लक्ष्य निर्धारण तथा हितग्राहियों के चयन उपरांत इसे बाजार से क्रय कर हितग्राहियों को प्रदाय किया जा सकता था।

3.3.3.4 सांड वितरण

योजना का उद्देश्य प्राकृतिक गर्भाधान के माध्यम से स्थानीय (देशी) गाय की नस्ल में सुधार लाना है। यह योजना अजजा/अजा एवं सामान्य वर्ग के हितग्राही के लिए कियान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत शत-प्रतिशत अनुदान पर, कम से कम दो से चार पक्के दांत वाला एक उन्नत नस्ल का सांड का वितरण प्रत्येक ग्राम पंचायत को किया जाता है। शासकीय फॉर्म से क्रय किए गए सांडों के इकाई लागत में परिवहन व्यय एवं पुस्तक मूल्य को शामिल किया जाएगा अथवा निविदा का न्यूनतम मूल्य परिवहन व्यय सहित, इकाई लागत में शामिल किया जाना है। इस संदर्भ में निम्नलिखित आपत्तियाँ ली गयीं:

सेवा प्रदान करने में अक्षम सांडों का वितरण

सांड वितरण के योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, दो से चार पक्के दांतों वाले सांडों का वितरण हितग्राही को किया जाना है। दो से चार पक्के दांत 18 से 24 महीने में आते हैं।

तीन⁶ नमूना जांच डीडीवीएस कार्यालय में लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि 18 माह से कम आयु वाले 52 सांडों की आपूर्ति जीबीएफ द्वारा हितग्राहियों को किया गया। कम आयु वाले सांड की आपूर्ति किये जाने से, सांडों की प्रजनन अवस्था में पहुंचने तक हितग्राहियों को अवांछित व्यय किये जाने हेतु बाध्य होना पड़ा।

⁶

दुर्ग, कोरिया एवं सरगुजा

शासन ने बताया (नवंबर 2016) कि दो से चार पक्के दांत वाले सांड जीबीएफ में उपलब्ध नहीं थे। इसलिए 18 माह से कम आयु वाले 52 सांडों का वितरण किया गया। उत्तर से यह पुष्टि होती है कि सेवा प्रदान करने में अक्षम करने वाले सांडों का वितरण हितग्राहियों को किया गया जो दिशानिर्देश का उल्लंघन है।

लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होना

सात नमूना जाँच जिलों के अभिलेखों की जांच किये जाने पर यह गया कि विभाग ने अवधि 2011–16 के दौरान 762 हितग्राहियों को सांड वितरण के लिए राशि ₹ 1.66 करोड़ आबंटित किया। जिलों के जेडीवीएस/डीडीवीएस कार्यालयों ने राशि ₹ 1.42 करोड़ व्यय करके 707 हितग्राहियों को योजना से लाभान्वित किया। इस प्रकार जेडीवीएस/डीडीवीएस ने आबंटित निधि का उपयोग एवं लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहे।

शासन ने बताया (नवंबर 2016) कि जीबीएफ में सांडों का उत्पादन, विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कम था। वर्तमान में विभाग द्वारा आगामी वर्षों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए जीबीएफ में सांडों का उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रयास किया जा रहा है।

तथ्य यह है कि जब जीबीएफ पशु प्रदाय करने में विफल रहा तो विभाग को पशु बाजार से पशु क्रय करने संबंधी वैकल्पिक व्यवस्था करनी थी, जैसा की अन्य दो बैंक सम्बद्ध योजनाओं में है, जिसमें विभाग असफल रहा।

योजना दिशानिर्देशों का उल्लंघन

सात नमूना जाँच जिलों में सांड वितरण के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि अवधि 2011–16 में विभाग ने हितग्राहियों को 762 सांड के वितरण हेतु जेडीवीएस/डीडीवीएस को राशि ₹ 1.66 करोड़ आबंटित किया। इसके विरुद्ध जेडीवीएस/डीडीवीएस ने 707 हितग्राहियों का चयन कर उनको सांड प्रदाय किया।

इनमें से, 254 हितग्राहियों की ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/जिला पंचायत/कृषि स्थायी समिति से स्वीकृति ली गयी परन्तु शेष 453 हितग्राहियों की स्वीकृति नहीं ली गयी। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि संबंधित जेडीवीएस/डीडीवीएस ने योजना के दिशानिर्देशों के पालन किये बिना अपने स्तर पर 453 हितग्राहियों का चयन कर सांडों का वितरण किया। आगे योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, हितग्राहियों को सांड वितरण से पहले विभाग द्वारा सांडों का बीमा किया जाना था। तथापि, विभाग ने योजना अधिदेश का उल्लंघन कर 707 सांडों में 659 सांडों का बीमा नहीं किया।

शासन ने बताया (नवंबर 2016) कि बीमा कंपनी को अनुरोध करने के बाद भी कंपनी द्वारा सांडों का बीमा करने में रुचि नहीं ली गयी। इस प्रकार अवधि 2011–13 में बीमा नहीं किया जा सका। परन्तु वर्ष 2014–15 से सांडों का बीमा करवाया जा रहा था। उत्तर से यह पुष्टि होती है कि अवधि 2011–13 तक योजना दिशानिर्देशों का उल्लंघन हुआ है जबकि 453 हितग्राहियों की स्वीकृति नहीं लेने के लिए कोई कारण नहीं बताया गया।

3.3.3.5 योजनाओं की निगरानी तथा मूल्यांकन

निगरानी, एक समयबद्ध तरीके से परिभाषित प्रक्रिया के अनुसार दक्षता और प्रभावशीलता के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है। विभाग द्वारा योजनाओं के निगरानी एवं मूल्यांकन में देखी गयी कमियों की चर्चा नीचे की गयी है।

योजनाओं की निगरानी

प्रबंधन के हाथों में, आवधिक प्रतिवेदन और विवरणी अधीनस्थ इकाईयों द्वारा योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग में आवधिक प्रतिवेदन/विवरणी का कोई तंत्र नहीं था। संचालनालय द्वारा मांगे जाने पर जिलों ने भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों के प्रतिवेदन प्रेषित किए। इसके अलावा, संचालनालय से योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्राप्त होने पर, जेडीवीएस/डीडीवीएस ने प्राप्त अनुदान राशि को आहरित कर बैंक खातों में जमा किया। सूकरत्रयी/नर सूकर/सांड वितरण योजनाओं में हितग्राहियों के चयन के बाद जेडीवीएस/डीडीवीएस शासन के खाते में राशि जमा करते हैं या फिर जी.बी.एफ. को धनादेश जारी करते हैं। वर्ष 2015–16 से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना प्रारंभ होने के बाद अनुदान चयनित लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा किया गया।

प्रतिवेदन तथा विवरणी की जांच किये जाने पर देखा गया की पशुधन वितरण प्रतिवेदन में, जेडीवीएस/डीडीवीएस द्वारा संचालनालय को प्रतिवेदित वास्तविक वितरण एवं लेखापरीक्षा के दौरान प्रदत्त आंकड़ों में विसंगतियां पायी गयी। यह नीचे दी गयी तालिका में वर्णित है:

तालिका: 3.3.3: पशुधन के वितरण की रिपोर्टिंग

योजना के नाम	संचालनालय को जेडीवीएस/डीडीवीएस द्वारा प्रतिवेदित वितरण	वास्तविक वितरण (जेडीवीएस/डीडीवीएस द्वारा लेखापरीक्षा को प्रतिवेदित)
	उपलब्धि (इकाई में)	उपलब्धि (इकाई में)
राज्य डेयरी	385	339
नाबार्ड	586	728
सूकरत्रयी	1574	1369
नर सूकर	1102	1020
सांड	650	707

आगे, योजनाओं के क्रियान्वयन के पश्चात् के परिणामों पर विभाग ने निगरानी नहीं की। इस तरह के त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन और क्रियान्वयन पश्चात् निगरानी में कमी के परिणामस्वरूप विभाग, योजनाओं के क्रियान्वयन में कमी की स्थिति में उचित कार्यवाही नहीं कर सका।

शासन ने बताया (नवंबर 2016) कि, विकासखण्ड/ग्राम में पशु वितरण एक सतत प्रक्रिया होने के कारण आंकड़े अलग हो सकते हैं। पशुधन के वितरण की वेबसाइट तैयार की जा रही है और इसके माध्यम से निगरानी की जाएगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जेडीवीएस/डीडीवीएस द्वारा लेखापरीक्षा और संचालनालय को प्रस्तुत आंकड़े एक ही अवधि के हैं जिसे भिन्न नहीं होना चाहिए था। इससे यह पुष्टि होती है कि विभाग में निगरानी व्यवस्था कमजोर है।

योजनाओं का मूल्यांकन

पशुधन वितरण योजना का क्रियान्वयन, हितग्राहियों को कम लागत पर मानव उपभोग हेतु पौष्टिक पशु प्रोटीन एवं लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदाय करने के उद्देश्य से किया गया। जिलों की नमूना जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि योजनाओं के क्रियान्वयन के बाद हितग्राही सर्वेक्षण के माध्यम से योजना की उपलब्धि और हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार का मूल्यांकन नहीं होना पाया गया।

लेखापरीक्षा दल ने विभागीय अधिकारियों के साथ हितग्राहियों की 52 डेयरी/पॉल्ट्री/बकरी इकाइयों का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया और अनियमितता पाया जो कंडिका 3.3.3.1 में चर्चा की गयी है। तथापि, पशुधन उत्पादन के वृद्धि में

क्रियान्वित योजनाओं के योगदान का मूल्यांकन, हितग्राहियों पर प्रभाव का क्रियान्वयन पश्चात मूल्यांकन के आभाव में, नहीं किया जा सका।

शासन ने बताया (नवंबर 2016) कि ग्राम स्तर पर वीएएस द्वारा नियमित रूप से मूल्यांकन किया जा रहा था। विभाग ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिये (सितम्बर 2016) कि राज्य डेयरी/नाबार्ड डेयरी उद्यमिता विकास योजनांतर्गत पूर्व में स्थापित डेयरी/कुक्कुट/बकरी इकाईयों की स्थापना का सत्यापन करें। भौतिक प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा।

उत्तर से यह पुष्टि होती है कि योजना के उद्देश्य में परिकल्पित, हितग्राहियों के आर्थिक स्थिति में उत्थान का अध्ययन करने हेतु विभाग के पास अनुदान देने के उपरांत, स्थापित डेयरी/कुक्कुट/बकरी ईकाईयों के मूल्यांकन के लिए कोई तंत्र नहीं था।

3.3.4 निष्कर्ष

अवधि 2011–16 के दौरान विभाग ने दूध, अंडे एवं मांस का उत्पादन लक्ष्य राष्ट्रीय औसत से कम निर्धारित किया। परिणामस्वरूप, राज्य में राष्ट्रीय स्तर के सापेक्ष, प्रतिव्यक्ति दूध (प्रतिदिन) तथा मांस (वार्षिक) की उपलब्धता क्रमशः 165 ग्राम एवं 3.86 कि.ग्रा. से कम थी। तथापि, विभाग ने राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचने के लिए उत्पादकता बढ़ाने हेतु एक उपयुक्त रूपरेखा विकसित नहीं किया।

राज्य/नाबार्ड पोषित डेयरी उद्यमिता विकास योजनांतर्गत योजना के उद्देश्य पूर्ति हेतु हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति में सुविधा के लिए बैंकों से समन्वय स्थापित कर पाने में असफलता के कारण विभाग द्वारा अवधि 2011–16 के दौरान आबंटित निधि के विरुद्ध ₹ 14.28 करोड़ (28 प्रतिशत) का उपयोग नहीं किया जा सका। इसके अलावा, इन दो योजनाओं में हितग्राहियों द्वारा पशुधन क्रय के अभिलेखों की पुष्टि किए बिना ₹ 8.30 करोड़ 15 बैंकों को जारी किए गए जिसमें बैंकों को जारी किया गया अधिक अनुदान ₹ 27.83 लाख भी सम्मिलित है जो कि हितग्राहियों को संवितरित वास्तविक ऋण राशि के आधार पर जारी किए जाने के बजाय ऋण स्वीकृति की राशि पर जारी किया गया।

सूकर त्रयी वितरण, नर सूकर एवं सांड वितरण योजनाओं के अंतर्गत निधि उपलब्धता के बावजूद चयनित 1436 हितग्राहियों को पशुधन प्रदाय नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, इन तीन योजनाओं के हितग्राही योजना लाभ से वंचित रहे। तथापि, योजना लाभ के मूल्यांकन के लिए विभाग द्वारा इन योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों के आर्थिक स्थिति में सुधार के संबंध में आकलन नहीं किया गया।

3.3.5 अनुशंसाएं

विभाग को शासन द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के अंतर्गत लक्षित हितग्राही को पशुधन की आपूर्ति करने तथा कम से कम राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचने के लिए अपने प्रजनन फार्मों पर पशुधन उत्पादन बढ़ाने हेतु एक रूपरेखा तैयार करना चाहिए।

शासन को योजना के उद्देश्यों एवं निर्धारित धनराशि का उपयोग करने के लिए राज्य/नाबार्ड पोषित डेयरी उद्यमिता विकास योजनाओं के हितग्राहियों को ऋण की स्वीकृति हेतु बैंकों के साथ समन्वय स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए।

विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हितग्राहियों द्वारा पशुओं के क्रय का सत्यापन किये जाने के बाद ही बैंकों को अनुदान का भुगतान करना चाहिए तथा अनुदान बैंकों द्वारा संवितरित ऋणों पर दी जानी चाहिए न कि बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण पर।


विभाग को योजना उद्देश्यों के पूर्ति के परिमाण तथा उसके प्रभाव का आकलन करने के लिए, क्रियान्वयन पश्चात मूल्यांकन सुनिश्चित करना चाहिए।

कृषि विभाग

3.4 कृषि विभाग के अंतर्गत कृषि प्रकोष्ठ के निष्पादन लेखापरीक्षा की अनुवर्ती लेखापरीक्षा

3.4.1 प्रस्तावना

कृषि विभाग के कृषि प्रकोष्ठ की अवधि 2007–11 की निष्पादन लेखापरीक्षा, छत्तीसगढ़ शासन के 31 मार्च 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (सिविल एवं वाणिज्यिक) लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया था। मार्च 2012 में प्रतिवेदन को राज्य विधान सभा में रखा गया। राज्य शासन द्वारा क्रियान्वयन हेतु लेखापरीक्षा निष्कर्षों/अनुशंसाओं को स्वीकार (नवम्बर 2011) किया गया। लेखापरीक्षा निष्कर्षों के मुख्य अंश निम्नानुसार थे:—



अनुवर्ती लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह ज्ञात करना था कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दी गई अनुशंसाएं जो कि राज्य शासन द्वारा स्वीकार्य थी का क्रियान्वयन किस सीमा तक हुआ है एवं क्या प्रतिवेदन में उल्लेखित कमियों के निराकरण हेतु पर्याप्त उपचारात्मक उपाए किए गए।

अवधि 2011–12 से 2015–16 की अवधि के लिए अनुवर्ती लेखापरीक्षा अप्रैल एवं जुलाई 2016 के मध्य आयोजित किया गया जिसमें बिना प्रतिस्थापना के सरल

यादृच्छिक नमूना के आधार पर निष्पादन लेखापरीक्षा में चयनित छः जिलों में से पाँच जिलों का चयन किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा कार्यालय संचालक कृषि, कार्यालय उप संचालक कृषि (पाँच¹ डीडीए), कार्यालय सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी (पाँच² एएससीओ) के अभिलेखों की जाँच किया गया एवं शासकीय कृषि प्रक्षेत्र, कृषक प्रशिक्षण केंद्र तथा मृदा परीक्षण प्रयोगशाला से जानकारी एकत्रित किया गया। अनुशंसाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा हेतु दिनांक 30 जुलाई 2016 को संचालक, कृषि विभाग के साथ आगम सम्मेलन आयोजित किया गया था। लेखापरीक्षा जांच परिणामों पर चर्चा हेतु दिनांक 04 नवम्बर 2016 को अपर मुख्य सचिव के साथ निर्गम सम्मेलन किया गया। अपर मुख्य सचिव के उत्तरों को प्रतिवेदन में उचित स्थान पर शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.4.2 लक्ष्य एवं पूर्ति का निर्धारण

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2007–11 की अवधि में क्षेत्राच्छादन एवं फसल उत्पादन के लक्ष्य की तुलना में धान के लिए 0.03 प्रतिशत एवं दलहन के लिए तीन प्रतिशत क्षेत्राच्छादन में कमी थी। यद्यपि धान के लिए 15 प्रतिशत एवं दलहन के लिए 24 प्रतिशत उत्पादन में वृद्धि देखी गई जबकि लक्षित क्षेत्राच्छादन ग्यारहवीं योजना (2011–12) के अंत तक हासिल किया जाना था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष के आधार पर लेखापरीक्षा ने अनुशंसा किया था कि अवधि विशेष में वांछित उत्पादन प्राप्त करने हेतु बेहतर निगरानी तथा लक्ष्यों की विशिष्टता हेतु योजना अवधि में लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ–साथ विभिन्न योजनांतर्गत फसलवार उत्पादन के वार्षिक लक्ष्य भी तय किए जाने चाहिए।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि कृषि विभाग विभिन्न प्रकार की योजनाएँ संचालित करता है यथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिसका उद्देश्य दलहन एवं धान का उत्पादन बढ़ाना है, तिलहन, दलहन एवं मक्का की स्वीकृत योजना जिसका उद्देश्य तिलहन, दलहन एवं मक्का का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाना है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जिसका उद्देश्य कृषि के विभिन्न घटकों एवं संबद्ध क्षेत्रों के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाना है, माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर योजना जिसका उद्देश्य वित्तीय सहायता को कृषि के विकास हेतु महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यय किया जाना सुनिश्चित करना है, लघु सिंचाई योजना जिसका उद्देश्य लघु सिंचाई तालाबों के निर्माण द्वारा कृषकों को सिंचाई सुविधा प्रदाय करना तथा कृषि यंत्रीकरण योजना जिसका उद्देश्य कृषि यंत्रों हेतु कृषकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। यद्यपि विभाग द्वारा प्रत्येक योजनांतर्गत पृथक–पृथक लक्ष्यों का निर्धारण नहीं किया गया था एवं अवधि 2011–16 में उत्पादन एवं क्षेत्राच्छादन की फसलवार एवं जिलावार लक्ष्य निर्धारण करने की पुरानी प्रथा को जारी रखा।

आगे, पांच नमूना जांच जिलों में पाया गया कि अवधि 2011–16 में बिलासपुर जिले को छोड़कर शेष सभी जिलों में खरीफ एवं रबी मौसम में क्षेत्राच्छादन एवं फसल उत्पादन की फसलवार³ वार्षिक लक्ष्यों का निर्धारण किया गया था। यद्यपि विभाग लक्ष्यों को पूरी तरह से प्राप्त करने में विफल रहा। क्षेत्राच्छादन में कमी जांजगीर–चांपा जिले में 0.18 से 47 प्रतिशत, मुंगेली जिले में छः से 15 प्रतिशत, बिलासपुर जिले में तीन से 10 प्रतिशत, जगदलपुर जिले में 0.03 से 38 प्रतिशत एवं कोण्डागांव में एक से

¹ बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर–चांपा, जगदलपुर एवं कोण्डागांव

² बिलासपुर, पेंझा रोड, शक्ति, जगदलपुर एवं कोण्डागांव

³ फसल में धान, दलहन एवं तिलहन सम्मिलित हैं।

16 प्रतिशत रहा। उत्पादन में कमी जांजगीर–चांपा जिले में 11 से 22 प्रतिशत, मुंगेली में दो से चार प्रतिशत, जगदलपुर जिले में तीन से 43 प्रतिशत एवं कोंडागांव जिले में 14 से 50 प्रतिशत रहा।

शासन ने अपने उत्तर में बताया (नवम्बर 2016) कि प्रत्येक योजना के अंतर्गत लक्ष्यों का निर्धारण करना संभव नहीं है क्योंकि योजना के अंतर्गत किया गया प्रयास एक वर्ष में नहीं देखा जा सकता। शासन ने आगे बताया कि अवधि 2011–16 में क्षेत्राच्छादन एवं फसल उत्पादन का जिलेवार एवं फसलवार लक्ष्य निर्धारण किया गया। यद्यपि लेखापरीक्षा ने पाया कि खरीफ मौसम में क्षेत्राच्छादन के फसलवार लक्ष्य की प्राप्ति हुई परंतु फसल उत्पादन में कमी थी। इसके अतिरिक्त रबी मौसम में क्षेत्राच्छादन एवं फसल उत्पादन की लक्ष्य प्राप्ति नहीं हुई।

इस प्रकार न तो योजनावार लक्ष्य निर्धारण किए जाने की अनुशंसा का क्रियान्वयन हुआ और न ही विभाग द्वारा क्षेत्राच्छादन एवं फसल उत्पादन के फसलवार एवं जिलेवार लक्ष्यों को पूर्णतया प्राप्त किया गया।

3.4.3 योजनाओं के अंतर्गत निधियों का आवंटन एवं व्यय

लेखापरीक्षा ने पाया (2011) कि 2007–11 की अवधि में, जारी निधियों के उपयोग में कमी का प्रतिशत दो से 19 प्रतिशत रहा। यह भी देखा गया कि मैक्रो मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर (एमएमए) एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाय) दोनों योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न कृषि यंत्रों का वितरण किया गया, जिससे कि गतिविधियों का अतिव्यापन हुआ। इसी प्रकार दलहन, तिलहन एवं मक्का (आईएओपीओएम एवं दलहन) की एकीकृत योजना के घटकों और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम—दलहन) के घटकों के क्रियान्वयन में जिलों का अतिव्यापन हुआ।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर लेखापरीक्षा ने अनुशंसा की थी कि योजना निधि का उपयोग दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए ही उपयोग किया जाना चाहिए था।

नमूना जांच किए गए पांच जिलों के अभिलेखों की समीक्षा के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गतिविधियों की परस्पर व्याप्ति एवं निधियों के व्यपवर्तन के प्रकरण नहीं पाये गये। यद्यपि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 2011–16 की अवधि में ₹ 31.23 करोड़ के निधियों का कम उपयोग हुआ एवं कमी का प्रतिशत 14.42 एवं 64.79 के मध्य रहा, (परिशिष्ट 3.4.1)। राज्य स्तर पर 2011–16 की अवधि में निधियों में कमी 7.11 एवं 23.82 प्रतिशत रही विस्तृत विवरण परिशिष्ट 3.4.2 में है।

इंगित किए जाने पर शासन ने 2011–16 की अवधि में चयनित जिलों के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत व्यय के पुनरीक्षित आंकड़े प्रदान (नवम्बर 2016) किए।

फिर भी निधियों का कम उपयोग राशि ₹ 26.75 करोड़ (परिशिष्ट 3.4.3) रहा जिसके लिए कोई उपयुक्त कारण नहीं दिया गया। इस प्रकार अनुशंसा को आंशिक रूप से लागू किया गया।

3.4.4 कृषक प्रशिक्षण केंद्र एवं मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की कार्य प्रणाली

लेखापरीक्षा ने अवधि 2007–11 के दौरान पाया (2011) कि प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रति वर्ष उपलब्ध 3780⁴ मानक दिवसों में से केवल 990 मानव दिवसों का तीन कृषक प्रशिक्षण केंद्रों (एफटीसी) यथा रायपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर में उपयोग किया गया।

⁴ 3780=270*14

इसके अलावा चार मृदा परीक्षण प्रयोगशाला (एसटीएल) द्वारा 79 प्रतिशत नमूनों का परीक्षण किया (162329 नमूना प्राप्त एवं 128624 नमूना विश्लेषित) गया।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर, लेखापरीक्षा ने अनुशंसा की थी कि एफटीसी एवं मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की समीक्षा की जानी चाहिए एवं इन इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों के अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने हेतु इकाइयों को पुनरीक्षित किया जाना चाहिए।

कृषक प्रशिक्षण केंद्र जगदलपुर के कार्यप्रणाली की अनुवर्ती लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2011–12 की अवधि में प्रशिक्षण कार्यालय हेतु लक्षित 360 मानव दिवसों के विरुद्ध केवल 90 मानव दिवसों (25 प्रतिशत) को प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु उपयोग किया गया। यद्यपि अवधि 2012–16 में लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम के विरुद्ध कोई भी कमी परिलक्षित नहीं हुई।

शासन ने अपने उत्तर में लेख किया कि (नवम्बर 2016) कि अवधि 2011–16 में चार⁵ एफटीसी में औसतन 89 प्रतिशत मानव दिवसों का उपयोग प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु किया गया, इस प्रकार अनुशंसा को लागू किया गया।

आगे, 2011–16 की अवधि में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के क्रियाकलाप तथा मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में नमूनों की जांच की स्थिति निम्नानुसार रही:

तालिका 3.4.1: 2011–16 की अवधि में मृदा परीक्षण की स्थिति का विवरण

जिला	नमूनों की संख्या		जांच किए गए नमूनों का प्रतिष्ठत
	प्राप्त	परीक्षण किया	
बिलासपुर	103220	70041	68
जांगीर चांपा	90197	55132	61
मुंगेली (बिलासपुर से नमूनों का परीक्षण)	10500	3693	35
जगदलपुर	77872	48838	63
कोणडागाव (जगदलपुर से नमूनों का परीक्षण)	11727	7117	61
योग	293516	184821	63

(स्रोत: विभाग द्वारा जानकारी प्रदायित एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि नमूनों की कुल प्रतिशत जांच 2007–11 की अवधि में 79 प्रतिशत के विरुद्ध मात्र 63 प्रतिशत रही। इस प्रकार, यद्यपि पिछले पांच वर्षों में प्राप्त होने वाले नमूनों की संख्या दोगुनी हो गई किंतु नमूनों के परीक्षण के प्रतिशत में गिरावट आई।

शासन ने अपने उत्तर में बताया (नवम्बर 2016) कि 2010–11 तक पांच मृदा परीक्षण प्रयोगशाला कार्यरत थे एवं वर्तमान में 33 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं एवं 111 लघु प्रयोगशालाओं की स्थापना से मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की क्षमता में वृद्धि हुई है। शासन ने उत्तर में आगे बताया कि वर्ष 2015–16 में राज्य में स्थापित सभी सात प्रयोगशालाओं में एकत्रित 293496 मिट्टी के नमूनों में से 162196 मिट्टी में नमूनों का परीक्षण (55.26 प्रतिशत) किया गया।

उत्तर इंगित करता है कि मृदा परीक्षण क्षमताओं में वृद्धि के बावजूद, परीक्षण नमूनों का प्रतिशत 2007–11 अवधि के 79 प्रतिशत की तुलना में घटकर 55.26 प्रतिशत रहा (2015–16)। इस प्रकार शासन ने मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की क्षमता में वृद्धि करने एवं एफटीसी के लिए मानव दिवसों के उपयोग में सुधार करने के लिए प्रयास किए

है। यद्यपि अनुशंसा को लागू किया गया, फिर भी नमूनों के परीक्षण में गिरावट आई है जिसे बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

3.4.5 शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों की कार्य प्रणाली

लेखापरीक्षा ने पाया (2011) कि 2007–11 की अवधि में तीन शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों यथा रायपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर में प्रजनक बीज से आधार बीज के उत्पादन का प्रतिशत 24 और 66 के मध्य रहा।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर लेखापरीक्षा ने अनुशंसा किया था कि शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों की लक्षित बीज उत्पादन सुनिश्चित किए जाने हेतु कार्य प्रणाली की समीक्षा की जानी चाहिए।

नमूना जांच किए गए पांच जिलों की अनुवर्ती लेखापरीक्षा में पाया गया कि बिलासपुर एवं जांगगीर–चांपा दो जिलों में शासकीय कृषि प्रक्षेत्र कार्यरत थे एवं फसलवार आधार बीजों के उत्पादन के वार्षिक लक्ष्यों को तय किया गया था। बिलासपुर में आधार बीजों के उत्पादन की उपलब्धि 20 और 56 प्रतिशत एवं जांगगीर–चांपा में 89 और 94 प्रतिशत के मध्य थी।

शासन ने बताया (नवबंर 2016) कि शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों में प्रजनक बीजों से आधार बीज का उत्पादन किया जाता है। आधार बीज के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था वस्तुतः आधार बीज का उत्पादन बीज श्रृंखला को बनाए रखने के लिए किया जाता है। यह भी उल्लेख किया गया कि जल की पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं की कमी और वर्षा की तीव्र जल निकासी वाली भूमि के कारण आधार बीज के उत्पादन का लक्ष्य पूर्ण रूप से शासकीय कृषि प्रक्षेत्र बिलासपुर में प्राप्त नहीं हो पाया जिसके लिए सुधारात्मक उपाए किये जाएंगे। इस प्रकार अनुशंसा को आंशिक रूप से लागू किया गया।

3.4.6 नवीनतम किस्म के बीजों का वितरण

लेखापरीक्षा ने पाया (2011) कि 2007–11 की अवधि में 10 वर्ष से पुराने 72 प्रतिशत प्रमाणित बीज यथा धान, गेहूँ चना एवं सोयाबीन वितरित किए गए थे (2007 तक)।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर लेखापरीक्षा ने अनुशंसा की थी कि 10 वर्षों से अधिक पुराने बीजों का प्रदर्शन तथा पुराने किस्म के बीज हेतु भारत सरकार से छूट देने की मांग से बचा जाना चाहिए और नवीनतम किस्म के बीजों के वितरण को बढ़ावा देना चाहिए।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2011–16 की अवधि में नमूना जांच किए गए पांच जिलों में से चार जिलों में 10 वर्षों से अधिक पुराने किस्म के बीजों का उपयोग प्रदर्शन एवं वितरण में किया गया (बिलासपुर को छोड़कर) जो निम्नानुसार है:—

तालिका 3.4.2: 2011–16 की अवधि में प्रदर्शन एवं वितरण में उपयोग किए गए 10 वर्ष से अधिक पुराने किस्म के बीजों का विवरण

सं. क्र.	जिला	प्रदर्शन में उपयोग किए गए 10 वर्षों से अधिक पुराने किस्म के बीजों (धान / गेहूँ) की मात्रा (किलोमेटर में)	किसानों को वितरित बीजों की मात्रा (किलोमेटर में)
1	मुंगेली	3298.20	3298.20
2	जांगगीर–चांपा	7640.00	7640.00
3	जगदलपुर	16976.11	136424.46
4	कोणडागांव	8347.37	8347.37

(स्रोत: विभाग द्वारा जानकारी प्रदायित एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

शासन ने उत्तर में बताया (नवबंर 2016) कि 10 वर्षों से कम अवधि के धान बीज यथा इंदिरा बरानी धान-1, इंदिरा माहेश्वरी, स्वर्ण सब-1 एवं आई.आर.-64 स्थानीय जलवायु एवं भूमि में कम उत्पादकता वाली है। इसके अतिरिक्त धान के बीज की ये किस्में पुराने धान के किस्मों के बीज यथा स्वर्णा, एम टी यू-1010, महामाया आदि की तुलना में किसानों में बहुत लोकप्रिय नहीं है। शासन ने आगे बताया कि 10 वर्ष से कम अवधि की किस्मों के बीजों को बढ़ावा देने का क्षेत्र सीमित है क्योंकि कृषि एक ऐसी गतिविधि है जिसमें कृषक की पसंद महत्वपूर्ण है। यद्यपि उपलब्ध नवीनतम किस्म के बीजों को वितरण किए जाने हेतु प्रयास किया जा रहा है।

उत्तर इंगित करता है कि लेखापरीक्षा के अनुशंसाओं को लागू करने के लिए विभाग नवीनतम किस्म के बीजों को प्रोत्साहित करने में सक्षम नहीं रहा। इसके अतिरिक्त, नवीनतम किस्म के उपलब्ध बीजों के वितरण हेतु किए गए प्रयासों के समर्थन में कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं किए गए। इस प्रकार इस अनुशंसा को आंशिक रूप से लागू किया गया।

3.4.7 फसल चक्र प्रणाली एवं शीघ्र पकने वाली धान बीजों को बढ़ावा

लेखापरीक्षा ने पाया (2011) कि 2007-11 की अवधि में विभाग नवीनतम एवं अधिक उपज वाली बीजों के प्रयोग द्वारा फसल प्रदर्शन के माध्यम से फसल चक्र प्रणाली एवं नवीनतम किस्म के बीजों के उपयोग को अपनाने हेतु किसानों को प्रेरित करने में विफल रहा।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर लेखापरीक्षा ने अनुशंसा की थी कि विभाग को धान के अलावा अन्य फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए फसल चक्र प्रणाली एवं नवीनतम किस्म के बीजों के प्रयोग करने हेतु कृषकों को प्रोत्साहित करना चाहिए।

नमूना जांच किए गए पांच जिलों की अनुवर्ती लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2011-16 की अवधि में जगदलपुर जिले में 5398 से 9264 हेक्टेयर में शीघ्र पकने वाली धान बीज की किस्मों का प्रयोग हुआ। शीघ्र पकने वाली धान की फसल लेने के पश्चात् 2644 से 3427 हेक्टेयर तथा 2272 से 6396 हेक्टेयर में क्रमशः रामतिल एवं तोरिया की फसल ली गई। आगे यह देखा गया कि 2011-16 की अवधि में रामतिल तथा तोरिया फसल का उत्पादन 2392 से बढ़कर 5785 मीट्रिक टन हो गया। यद्यपि नमूना जांच किए गए अन्य चार जिलों में फसल चक्र प्रणाली एवं नवीनतम किस्म के बीजों के उपयोग को नहीं अपनाया गया।

शासन ने उत्तर में बताया (नवम्बर 2016) कि फसल सघनता 107 से बढ़कर 138 प्रतिशत हो चुकी है एवं भूमि एवं जलवायु विशिष्टताओं के कारण बस्तर क्षेत्र में फसल चक्र प्रणाली व्यवहार में है किन्तु मैदानी क्षेत्र में किसानों द्वारा विशेष तौर पर धान की फसल ली जाती है।

तथ्य यह है कि विभाग द्वारा केवल बस्तर क्षेत्र में ही फसल चक्र प्रणाली को क्रियान्वित किया गया परन्तु मैदानी क्षेत्रों में फसल चक्र प्रणाली एवं धान की शीघ्र पकने वाली किस्मों को अपनाने हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने में विफल रहा।

इस प्रकार अनुशंसा को पांच में से एक ही जिले में लागू किया गया अतः अनुशंसा आंशिक रूप से लागू की गई।

3.4.8 योजना के दिशानिर्देशों को तैयार कर प्रचार-प्रसार करना

लेखापरीक्षा ने पाया (2011) कि 2007-11 की अवधि में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाय) के अंतर्गत ‘शैलो ट्यूबवेल योजना’ के किसी भी विशिष्ट दिशानिर्देशों के अभाव में जलकूपों का खनन तालाबों, नहरों के किनारे एवं नदी तटों से 100 मीटर

से 1000 मीटर की दूरी पर 60 फीट से 110 फीट की गहराई में किया गया था। विभिन्न जिलों के योजना के क्रियान्वयन में एकरूपता का अभाव था।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर लेखापरीक्षा ने अनुशंसा की थी कि सभी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए दिशानिर्देशों को तैयार एवं जारी किया जाना चाहिए ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित किया जा सके।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा में पाया गया कि “शैलो ट्यूबवेल योजना” के क्रियान्वयन हेतु दिशानिर्देश तैयार किया गया था (मार्च 2012) एवं क्रियान्वयन हेतु समस्त जिला कार्यालयों को वितरित (मार्च 2012) किया गया था। आगे, यह भी पाया गया कि राज्य में संचालित समस्त योजनाओं के दिशानिर्देश तैयार किए गए एवं सभी जिलों को वितरित किए गए। इस प्रकार अनुशंसा को पूरी तरह से लागू किया गया।

3.4.9 उपयोगकर्ता समूहों को लघु सिंचाई तालाब हस्तांतरित किया जाना

लेखापरीक्षा ने पाया (2011) कि 2007–11 की अवधि में 356 स्वीकृत लघु सिंचाई तालाबों में से 343 तालाबों को सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा पूर्ण निर्मित प्रतिवेदित किया गया था। इनमें से ₹ 29.44 करोड़ लागत के 202 लघु सिंचाई तालाबों को एक से पांच वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद भी ग्राम पंचायतों एवं उपयोगकर्ता समूहों को सौंपा नहीं गया था।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर लेखापरीक्षा ने अनुशंसा की थी कि संधारण एवं उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा निर्मित लघु सिंचाई तालाबों को संबंधित उपयोगकर्ता समूहों/ग्राम पंचायतों को सौंपा जाना चाहिए।

नमूना जांच किए गए पांच जिलों के अनुवर्ती लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2011–16 की अवधि में 73⁶ लघु सिंचाई तालाबों का निर्माण किया गया एवं उपयोगकर्ता समूहों/ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया गया। यह भी पाया गया कि 2007–11 की अवधि में 202 लघु सिंचाई तालाब जिन्हें हस्तांतरित नहीं किया गया था को उपयोगकर्ता समूहों/ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित कर दिया गया था। इस प्रकार अनुशंसा को पूर्णतया लागू किया गया।

3.4.10 उर्वरकों एवं कीटनाशकों का परीक्षण एवं वितरण

लेखापरीक्षा ने पाया (2011) कि 2007–11 की अवधि में प्रयोगशाला में परीक्षण किए गए उर्वरकों के 3588 नमूनों में से 212 नमूने (6 प्रतिशत) अमानक पाए गए। इसी प्रकार कीटनाशकों के परीक्षण किए गए 625 नमूनों में से 38 नमूने (6 प्रतिशत) अमानक पाए गए। यद्यपि, प्रयोगशाला परिणाम प्राप्त होने के पूर्व ही उर्वरकों एवं कीटनाशकों की समस्त मात्रा वितरित कर दी गई। इस प्रकार, परीक्षण के परिणाम प्राप्ति के पूर्व ही उर्वरकों की आपूर्ति एवं वितरण के कारण किसानों को गुणवत्ता पूर्ण कृषि आदान सामग्री प्रदान करने के लिए नमूनों का संग्रह एवं विश्लेषण करने का मूल उद्देश्य पूरा नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर लेखापरीक्षा ने अनुशंसा की थी कि अमानक बीजों की आपूर्ति को रोकने के लिए उर्वरकों एवं कीटनाशकों का वितरण परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के पश्चात् ही किया जाना चाहिए।

2011–16 की अवधि में नमूना जांच किए गए पांच जिलों में उर्वरकों एवं कीटनाशकों के परीक्षण एवं वितरण की स्थिति निम्नानुसार हैः—

⁶ बिलासपुर–28, जांजगीर–चांपा–14, मुंगेली–4, जगदलपुर–16, कोणडागाँव–11

तालिका 3.4.3: 2011–16 की अवधि में उर्वरकों एवं कीटनाशकों के परीक्षण एवं वितरण की स्थिति का विवरण

सं. क्र.	जिला	अवधि	नमूनों की संख्या		परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के पश्चात् वितरित मात्रा		परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के पूर्व वितरित कुल मात्रा	
			उर्वरक	कीटनाशक	उर्वरक मीट्रीक टन	कीटनाशक ली./कि.ग्राम	उर्वरक मीट्रीक टन	कीटनाशक ली./कि.ग्राम
1	बिलासपुर	2011–16	32	85	789.90	उपलब्ध नहीं	5.2	उपलब्ध नहीं
2	जांजगीर–चांपा	2011–16	455	245	0	0	6804	5372 लीटर
3	मुंगेली	2012–16	214	40	0	0	7342.55	21290 लीटर और 13759 कि.ग्रा.
4	जगदलपुर	2012–16	80	29	524.20	0	8542.50	3044 लीटर
5	कोणडागांव	2012–16	63	37	0	0	1807.30	16819.35 लीटर और 518 कि.ग्रा.

(स्रोत: विभाग द्वारा जानकारी प्रदायित एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

यद्यपि राज्य शासन ने परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के पश्चात् ही उर्वरकों एवं कीटनाशकों की आपूर्ति किए जाने की अनुशंसा को स्वीकार किया था। अनुवर्ती लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना जांच किए गए पांच जिलों में से तीन⁷ जिलों जांजगीर–चांपा, मुंगेली एवं कोणडागांव में परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के पूर्व ही उर्वरकों का वितरण किया गया जबकि नमूना जांच किए गए सभी पांच जिलों में परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के पूर्व ही कीटनाशकों का वितरण किया गया।

राज्य शासन ने बताया (नवम्बर 2016) कि मुख्यतः शासकीय निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा निर्माण स्थल पर परीक्षण किया जाता है जिसमें से केवल मानक पाए गए सामग्री के पैकिंग की अनुमति है। तदनुसार, उर्वरकों एवं कीटनाशकों को निर्माण स्थल से मुख्य वितरण केंद्रों में भेजा जाता है जहां पुनः परीक्षण किया जाता है एवं मानक पाए जाने पर ही विक्रय केंद्रों में भेजा जाता है। इस प्रकार, यह सुनिश्चित किया जाता है कि केवल मानक गुणवत्ता के उर्वरकों एवं कीटनाशकों को विक्रय केंद्रों में भेजा जाए। शासन ने आगे बताया कि परीक्षण प्रतिवेदन आने तक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के विक्रय एवं वितरण पर प्रतिबंध लगाने संबंधी कोई प्रावधान अधिनियम में नहीं है। यह भी बताया कि अमानक पाए गए स्कंधों के वितरण/विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया। इसलिए, अधिनियम में इस संबंध में प्रावधान के अभाव के कारण लेखापरीक्षा की अनुशंसा का क्रियान्वयन संभव नहीं है।

उत्तर मान्य नहीं क्योंकि, यद्यपि अधिनियम लंबित परीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति में उर्वरकों एवं कीटनाशकों के वितरण की अनुमति देता है तथा शासन को उर्वरकों एवं कीटनाशकों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु इनकी आपूर्ति करने के पूर्व परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त करने की बाध्यता नहीं है। यह बिलासपुर में पूर्णतया एवं जगदलपुर में आंशिक रूप से परिलक्षित हुई। इस प्रकार, को आंशिक रूप से लागू किया गया।

⁷

जांजगीर–चांपा, मुंगेली एवं कोणडागांव

3.4.11 मैदानी अमले की कमी

लेखापरीक्षा ने पाया (2011) कि मार्च 2011 तक केवल 64 प्रतिशत पद भरे हुए थे जिससे कि विस्तार सेवाओं यथा यंत्रों के वितरण, मृदा नमूनों का संकलन, प्रदर्शन के परिणामों का विश्लेषण, प्रशिक्षण एवं निगरानी आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर लेखापरीक्षा ने अनुशंसा की थी कि विभाग द्वारा खेतों में बेहतर विस्तार सेवाएं प्रदान करने हेतु भर्ती के माध्यम से मैदानी अमलों की कमी को दूर करने के लिए आवश्यक प्रयास किया जाना चाहिए।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य में मार्च 2016 की स्थिति में 7746 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 5832 कर्मी तैनात थे जबकि 1914 (25 प्रतिशत) पद रिक्त थे। इस प्रकार विगत पांच वर्षों की अवधि में रिक्त पदों की स्थिति सुधरकर 36 से 25 प्रतिशत हो गई।

आगे नमूना जांच किए गए पांच जिलों के अभिलेखों की जांच में मार्च 2016 की स्थिति में मैदानी अमलों की स्वीकृत संख्या और कार्यरत संख्या की स्थिति निम्नानुसार थीः—
तालिका 3.4.4: नमूना जांच किए गए जिलों में कर्मचारियों की संख्या की स्थिति का वितरण (आंकड़े संख्या में)

जिला	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
बिलासपुर	270	252	18(7)
मुंगेली	143	113	30(21)
जांजगीर-चांपा	332	265	67(20)
जगदलपुर	158	137	21(13)
कोणडागांव	106	83	23(22)
योग	1009	850	159(16)

(स्रोतः विभाग द्वारा जानकारी प्रदायित एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)
कोष्टक में दिए गए आंकड़े रिक्त पदों की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

तालिका से स्पष्ट है कि शासन ने लेखापरीक्षा अनुशंसा पर कार्यवाही की एवं राज्य स्तर पर रिक्तियों की प्रतिशतता वर्ष 2011 में 36 प्रतिशत से घटकर मार्च 2016 में 25 प्रतिशत हो गई तथा नमूना जांच किए गए पांच जिलों में रिक्तियों का प्रतिशत 16 प्रतिशत था जो दर्शाता है कि लेखापरीक्षा अनुशंसा को क्रियान्वित किया गया।

3.4.12 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

राज्य शासन द्वारा 10 लेखापरीक्षा अनुशंसाओं में से चार अनुशंसाओं को पूर्णतया लागू किया गया जिसमें कृषक प्रशिक्षण केंद्र एवं मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की कार्यप्रणाली, योजना के दिशानिर्देश तैयार कर प्रचार प्रसार करना, निर्मित लघु सिंचाई तालाबों को उपयोगकर्ता समूहों/ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किया जाना एवं मैदानी अमले की कमी को कम करना शामिल है।

पांच अनुशंसाओं को आंशिक रूप से लागू किया गया जो कि योजना निधियों के आवंटन एवं व्यय, शासकीय कृषि प्रक्षेत्र की कार्य प्रणाली, नवीनतम किस्म के बीजों का वितरण, फसल चक्र प्रणाली एवं धान बीज के शीघ्र पकने वाली किस्मों को प्रोत्साहन तथा उर्वरकों एवं कीटनाशकों का परीक्षण एवं वितरण से संबंधित है।

योजनावार लक्ष्यों के निर्धारण करने से संबंधित एक अनुशंसा को लागू नहीं किया गया।

सभी अनुशंसाओं को क्रियान्वित किए जाने के आश्वासन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

3.5 लेखापरीक्षा कंडिकाएं

लेखापरीक्षा ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गंभीर कमियां पायी जो कि राज्य शासन की प्रभावशीलता पर असर डालती हैं। प्रतिवेदन में अनुपालन लेखापरीक्षा (सात कंडिकाएं) में दृष्टिगत कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों को शामिल किया गया है। प्रमुख निष्कर्ष, नियमों और विनियमों के अनुपालन के अभाव, औचित्य लेखापरीक्षा, पर्याप्त न्यायसंगतता के बिना व्यय के प्रकरण तथा दूरदर्शिता/प्रशासनिक नियंत्रण की विफलता से संबंधित है। इनका विवरण निम्नानुसार है:

पर्यटन विभाग

3.5.1 निष्फल / निरर्थक व्यय और आधिक्य भुगतान

राशि ₹ 18.90 करोड़ लागत से निर्मित भवन का आठ वर्षों से अधिक समय से अपूर्ण रहना और वसूली योग्य मूल्य वृद्धि भुगतान की राशि ₹ 61.97 लाख और निष्क्रिय कर्मचारियों पर निरर्थक व्यय राशि ₹ 3.72 करोड़

पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने, होटल प्रबंधन के क्षेत्र में पाठ्यक्रमों एवं प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु रायपुर में होटल प्रबंधन संस्थान, कैटरिंग टेक्नालाजी एवं एप्लाईड न्यूट्रीशन संस्थान (आईएचएम) के निर्माण के लिए ₹ 13.09 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की (दिसम्बर 2006)। निर्माण कार्य के लिए राशि ₹ 13.83 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदान की (जुलाई 2008)।

संचालक, पर्यटन विभाग के अभिलेखों की जाँच (फरवरी 2016 एवं आगे जनवरी 2017 में संग्रहित जानकारी) में यह पाया गया कि ठेकेदार को निर्माण कार्य निष्पादित करने के लिए ₹ 16.78 करोड़ का कार्य अप्रैल 2009 एवं बढ़ाई गई अवधि दिसम्बर 2013 तक पूर्ण करने के लिए सौंपा गया (मई 2008) था। ठेकेदार ने ₹ 15.08 करोड़ मूल्य का कार्य सितम्बर 2013 तक सम्पादित किया था एवं भुगतान प्राप्त करने के पश्चात् आगे का कार्य बंद कर दिया (सितम्बर 2013)। प्राचार्य, आईएचएम ने अनुबंध समाप्त करने की सूचना जारी की (मार्च 2014) एवं सुरक्षा जमा को राजसात् करने तथा शेष कार्य को दोषी ठेकेदार के जोखिम एवं लागत पर पूर्ण किये जाने का आदेश दिया।

यद्यपि, अनुबंध के अनुसार निर्णय नहीं लिया गया और ठेकेदार को बिना किसी औचित्य के अभिलिखित किये कार्य सम्पादित करने की अनुमति प्रदान की गई। ठेकेदार द्वारा जनवरी 2017 तक कुल ₹ 16.53 करोड़ मूल्य का कार्य कर इसके लिए भुगतान प्राप्त किया गया। इसके अतिरिक्त ₹ 2.37 करोड़ मूल्य के बाउण्ड्री वाल, पहुँच मार्ग, आन्तरिक मार्ग इत्यादि कार्य भी किया गया था। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण भवन निर्माण और विद्युतीकरण कार्य के लिए ₹ 2.94 करोड़ का एक अन्य प्राक्कलन ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, रायपुर द्वारा तैयार किया गया था (जनवरी 2015) जिसे पर्यटन विभाग द्वारा जनवरी 2017 तक अनुमोदित नहीं किया गया था। इस प्रकार यह भवन ₹ 18.90 करोड़ व्यय करने के बावजूद संपूर्ण परिपेक्ष्य में पूर्ण नहीं किया जा सका (जनवरी 2017) था।

इसी दौरान संस्थान के संचालन हेतु विभाग ने (अप्रैल 2009 से जून 2011) एक प्राचार्य, तीन संकाय सदस्य और 13 संबंधित कर्मचारियों की नियुक्ति की एवं अप्रैल 2009 एवं जनवरी 2017 के मध्य ₹ 3.72 करोड़ का भुगतान वेतन एवं मजदूरी के रूप में किया। इसके अतिरिक्त प्राचार्य ने किये गये कार्य की मात्रा की गणना में ₹ 1.44 करोड़ (परिशिष्ट 3.5.1) की वृद्धि कर मूल्य वृद्धि के रूप में ₹ 61.97 लाख का अधिक भुगतान मई 2013 एवं अक्टूबर 2013 के मध्य ठेकेदार को किया। यह मूल्य वृद्धि की गणना के समय किये गये कार्य के मूल्य ज्ञात करने के लिए सुरक्षा निधि की राशि

₹ 1.44 करोड़ को नहीं घटाने के कारण हुआ था जो अनुबंध की धारा 11(सी) का उल्लंघन था।

लेखापरीक्षा ने तदन्तर में यह भी देखा कि संस्थान को संचालित करने के लिए नेशनल काउन्सिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग टेक्नोलॉजी (एनसीएचएमसीटी) नोएडा से सम्बद्धता प्राप्त किया जाना था। जबकि एनसीएचएमसीटी ने इस आधार पर संस्थान को सम्बद्धता स्वीकृत नहीं की (सितम्बर 2013) कि भवन निर्माण और उपकरणों का प्रतिष्ठापन उचित नहीं था एवं प्राचार्य, आईएचएम द्वारा नियुक्त किये गये संकाय के सदस्यों की योग्यता एनसीएचएमसीटी के मानकों के अनुरूप नहीं थी। तथापि इन कमियों को सुधारा नहीं गया (जनवरी 2017) एवं परिणामस्वरूप संस्थान को क्रियाशील नहीं किया जा सका एवं निष्क्रिय रहा (जनवरी 2017)।



होटल प्रबंधन संस्थान, रायपुर जनवरी 2017 तक निष्क्रिय

इस प्रकार पर्यटन विभाग द्वारा भवन निर्माण पूर्ण करने एवं आवश्यक संबद्धता प्राप्त करने में विफलता के कारण संस्थान आठ से अधिक वर्षों बाद भी संचालित नहीं किया जा सका। जबकि अधूरे भवन निर्माण पर ₹ 18.90 करोड़ का व्यय निष्फल रहा जिसमें ₹ 61.97 लाख का अधिक भुगतान और बिना कार्य के कर्मचारियों पर निरर्थक व्यय ₹ 3.72 करोड़ सम्मिलित था।

सचिव, पर्यटन विभाग ने बताया (दिसम्बर 2016) कि नेशनल काउन्सिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग टेक्नोलॉजी ने सम्बद्धता प्रदान नहीं की क्योंकि आईएचएम द्वारा नियुक्त किए गये संकाय सदस्यों एवं अन्य कर्मचारियों की योग्यता, उनके मानक अनुसार नहीं थी एवं प्रयोगशाला उपकरण की कमी थी। उन्होंने आगे यह भी उल्लेख किया कि संकाय सदस्यों एवं अन्य कर्मचारियों के अनियमित नियुक्ति प्रकरण को जाँच हेतु विधि विभाग को भेज दिया गया है उनके विरुद्ध कार्यवाही शासन स्तर पर की जा रही है। अधिक्य मूल्य वृद्धि के भुगतान के संबंध में प्राचार्य आईएचएम ने अधिक भुगतान राशि को वसूल/समायोजन करने के लिए आशवस्त (अप्रैल 2016) किया है।

तथ्य यह है कि ₹ 22.62 करोड़ व्यय करने के बावजूद होटल प्रबंधन संस्थान को विभाग द्वारा कार्य प्रारम्भ करने के आठ वर्षों से अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त भी क्रियाशील नहीं किया जा सका एवं ठेकेदार से ₹ 61.97 लाख मूल्यवृद्धि की अधिक भुगतान राशि वसूल नहीं की गई (जनवरी 2017) थी।

गृह (पुलिस) विभाग

3.5.2 निष्क्रिय निवेश

पुलिस पब्लिक स्कूल के परिचालन हेतु रूपरेखा को अंतिम रूप देने में विलंब होने से राशि ₹ 6.24 करोड़ का निष्क्रिय निवेश एवं इसके अतिरिक्त पुलिस समुदाय के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का नियत उद्देश्य पूरा नहीं होना

गृह (पुलिस) विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने रायपुर में पुलिस पब्लिक स्कूल (पीपीएस) के निर्माण के लिये ₹ 3.14 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति (प्र.स्वी.) प्रदान (जुलाई 2006) की। स्कूल का उद्देश्य पुलिस विभाग के अधिकारी/कर्मचारी विशेष रूप से वे जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं, के बच्चों को बेहतर शिक्षा सुविधा प्रदान करना था।

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) छत्तीसगढ़ के अभिलेखों की जांच (दिसम्बर 2015) और आगे एकत्र की गई जानकारी (मई-दिसम्बर 2016) में पाया गया कि राशि ₹ 6.24 करोड़ का व्यय करते हुए स्कूल का भवन पूर्ण किया गया और विभाग को जनवरी 2014 में हस्तांतरित किया गया। अधिक व्यय को एक पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति (सितम्बर 2013) के माध्यम से नियमित किया गया था। तथापि आवश्यक रूपरेखा जैसे शिक्षकों की नियुक्ति, उनके सैटअप के अनुमोदन, स्कूल चलाने के लिए बजट प्रावधान आदि को अंतिम रूप नहीं दिया गया था, जिसके कारण पीपीएस को दिसम्बर 2016 की स्थिति में परिचालन में नहीं लाया जा सका।

इसके आगे जाँच में पाया गया कि विभाग ने पीपीएस को डीएवी कॉलेज ट्रस्ट एण्ड मैनेजमेंट सोसायटी, नई दिल्ली के माध्यम से चलाने का प्रयास किया (जनवरी 2014) परन्तु निधि की व्यवस्था के अभाव में यह सफल नहीं हो सका। तत्पश्चात विभाग ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीएस) प्रणाली के तहत पीपीएस की स्थापना के लिए रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित किया (जून 2015)। तथापि राज्य में लागू पीपीपी नीति 2013 की आवश्यकताओं का अनुपालन जैसे पूर्व व्यवहार्यता विश्लेषण, परियोजना के धन विश्लेषण का महत्व, राज्य सरकार की पीपीपी आकलन समिति (पीपीपीएसी) की ओर से परियोजना का अनुमोदन नहीं किये जाने से यह भी सफल नहीं हो सका। परिणामस्वरूप विभाग ने पीपीपी मोड के अंतर्गत पीपीएस के स्थापना हेतु प्रक्रिया को नये सिरे से प्रारंभ किया जो कि जनवरी 2017 तक पूर्ण नहीं की जा सकी थी।



पुलिस पब्लिक स्कूल रायपुर जनवरी 2017 की स्थिति में (निष्क्रिय नहीं)

अतएव पीपीएस को प्रारंभ करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 6.24 करोड़ की लागत से निर्मित भवन के तीन वर्ष से अधिक समय से निष्क्रिय होने के अतिरिक्त नियत उद्देश्य की पूर्ति भी नहीं हो सकी।

प्रमुख सचिव, गृह (पुलिस) विभाग ने अन्य बातों के साथ—साथ कहा (दिसम्बर 2016) कि लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के पश्चात पीपीपी मोड के तहत स्कूल के परिचालन हेतु प्रस्ताव, दिशा निर्देश तथा निविदा आमंत्रण सूचना को अंतिम रूप देने के लिए समिति का पुनर्गठन किया गया है, पुनरीक्षित आरएफपी जारी किया गया तथा निविदा प्रक्रिया एवं कार्यादेश को जनवरी 2017 तक अंतिम रूप दिया जाएगा जबकि स्कूल के परिचालन का प्रारंभ अप्रैल 2017 से किया जाना प्रस्तावित है।

तथापि, पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ से एकत्रित जानकारी से यह ज्ञात हुआ कि निविदा प्रक्रिया एवं कार्यादेश को अंतिम रूप नहीं दिया गया है (10 फरवरी 2017)।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

3.5.3 शासन को हानि

अनुबंध प्रावधानों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप दोषी ठेकेदारों से राष्ट्र ₹ 5.62 करोड़ की वसूली न होना

प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना (प्रमंग्रासयो) के अंतर्गत ग्रामीण सङ्कों के निर्माण एवं संधारण हेतु किये गये अनुबंध की धारा 33.1 (खण्ड 2) के तहत स्वीकृति पत्र की प्राप्ति के 15 दिवसों के भीतर सफल निविदाकर्ता अनुबंधित राशि के पांच प्रतिशत के बराबर निष्पादन सुरक्षा राशि छत्तीसगढ़ ग्रामीण सङ्क विकास प्राधिकरण (सीजीआरआरडीए) के पास कार्य समाप्ति से पाँच वर्षों की अवधि के लिए जमा करेगा। इसके अतिरिक्त असंतुलित निविदा¹ के लिए अतिरिक्त सुरक्षा राशि भी जमा करेगा।

¹ एक निविदा असंतुलित होती है यदि निविदा की राशि कार्य के अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से ज्यादा कम हो।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जांजगीर-चाँपा जिले की ग्रामीण सड़कों के निर्माण, उन्नयन एवं संधारण हेतु सात पैकेजों² की निविदाएँ मुख्य अभियंता, सीजी आरआरडीए द्वारा स्वीकृत (सितम्बर 2008 से अप्रैल 2010) की गई थी। तदनुसार कार्यपालन अभियंता, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पीआईयू), क्रमांक-1, सीजीआर आरडीए जांजगीर-चाँपा द्वारा सात अनुबंध³ कर ठेकेदारों को कार्यादेश (मई 2007, अक्टूबर 2008 तथा दिसम्बर 2010) जारी किया गया। मुख्य अभियंता, सीजीआरआरडीए ने निविदा स्वीकृति पत्र में ठेकेदारों को कार्य हेतु अनुबंध किये जाने से पूर्व राशि ₹ 2.31 करोड़ सुरक्षा निधि के अलावा अनुबंधित राशि के पांच प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त सुरक्षा निधि जमा कराने के निर्देश दिये थे जैसा कि परिशिष्ट-3.5.2 में दर्शाया गया है।

कार्यपालन अभियंता, पीआईयू क्र.-1, सीजीआरआरडीए, जांजगीर-चाँपा के अभिलेखों की जांच (फरवरी 2015) तथा उसके पश्चात् एकत्रित की गई जानकारी (अगस्त-नवम्बर 2016) से ज्ञात हुआ कि ठेकेदारों द्वारा अनुबंधानुसार कार्य निष्पादन करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप सभी सात अनुबंधों को अनुबंध के सामान्य प्रावधानों की धारा 52.2 के तहत जुलाई 2008 तथा मई 2013 के मध्य में निरस्त किया गया। तत्पश्चात् अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार कार्यपालन अभियंता द्वारा दोषी ठेकेदारों से वसूली हेतु राशि ₹ 7.94 करोड़ की गणना की गई। जिसमें से ₹ 2.27 करोड़ की राशि संभाग के पास उपलब्ध सुरक्षा निधि से समायोजित (दिसम्बर 2010, नवंबर 2011 और मई 2013) कर ली गई। जबकि ₹ 5.62 करोड़ की शेष राशि की वसूली के संबंध में कार्यपालन अभियंता ने सूचित किया (जुलाई 2016) कि जिला कलेक्टर, जांजगीर-चाँपा द्वारा राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (आरआरसी) जारी किये गये थे।

यद्यपि कार्यपालन अभियंता द्वारा उपलब्ध कराये गये राजस्व वसूली प्रमाण पत्रों की जांच (अगस्त 2016) में पाया गया कि यह जिला कलेक्टर जांजगीर-चाँपा द्वारा जिला कलेक्टर बिलासपुर, सरगुजा एवं कोलकाता (प. बंगाल) को राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु लिखा गया (जून 2013 तथा अक्टूबर 2015) एक पत्र मात्र था। कलेक्टर बिलासपुर एवं कलेक्टर सरगुजा से जानकारी प्राप्त करने (अगस्त-सितम्बर 2016) पर ज्ञात हुआ कि लेखापरीक्षा द्वारा जानकारी मांगे जाने के पश्चात् कलेक्टर बिलासपुर द्वारा राशि ₹ 3.17 करोड़⁴ की आरआरसी जारी (सितम्बर 2016) की गयी, जबकि कलेक्टर सरगुजा द्वारा राशि ₹ 1.83 करोड़⁵ की आरआरसी जारी नहीं की गयी (नवम्बर 2016)। कलेक्टर कोलकाता से संबंधित राशि ₹ 62.48 लाख की आरआरसी के संबंध में कार्यपालन अभियंता, पीआईयू जांजगीर-चाँपा के पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि अनुबंध के प्रावधानों का प्रयोग करने में विफल रहने के कारण कार्यपालन अभियंता ने दोषी ठेकेदारों से वसूली योग्य ₹ 5.62 करोड़ की राशि में से राशि ₹ 1.62 करोड़ की वसूली का अवसर खो दिया था जैसा कि नीचे वर्णित किया गया है:

² सीजी-06-46, सीजी-06-48, सीजी-06-50, सीजी-06-46, सीजी-06-29, सीजी-06-34 तथा सीजी-06-39

³ 1 /पीएमजीएसवाई 03.10.08, 3 /पीएमजीएसवाई 03.10.08, 2 /पीएमजीएसवाई 03.10.08, 5 /पीएमजीएसवाई 04.12.10, 5 /पीएमजीएसवाई 16.05.07, 9 /पीएमजीएसवाई 13.10.08, तथा 1 /पीएमजीएसवाई 09.05.08

⁴ ₹ 1.90 करोड़ (पैकेज क्र. 06-34 तथा 06-39) + ₹ 1.27 करोड़ (पैकेज क्र. 06-46)

⁵ ₹ 81.44 लाख (पैकेज क्र. 06-50) + ₹ 49.17 लाख (पैकेज क्र. 06-48) + ₹ 52.38 लाख (पैकेज क्र. 06-46)

सात में से छः पैकेजों में आवश्यक अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा जमा राशि ₹ 96.65 लाख के विरुद्ध ठेकेदारों ने दो पैकेजों (सी जी-06-29, सी जी-06-39) में केवल राशि ₹ 1.86 लाख जमा कराये थे, जबकि चार पैकेजों में ठेकेदारों ने अनुबंध निष्पादित करने से पूर्व यह राशि जमा नहीं करायी थी। परिणामस्वरूप कार्यपालन अभियंता द्वारा दोषी ठेकेदारों से ₹ 94.79 लाख की वसूली नहीं की जा सकी।

पैकेज क्रमांक सीजी 06/39/2008 में अनुबंध निरस्त किये जाने (7 जून 2010) के पश्चात् कार्यपालन अभियंता द्वारा राशि ₹ 35 लाख की बैंक गारण्टी की वैधता अवधि समाप्ति (17 जून 2010) के पूर्व नगदीकरण कराये जाने में असफल रहने के कारण शासन को हानि हुई थी।

दो पैकेजों (सी जी 06-46-2010 तथा 06-29-2008) में निष्पादित कार्य की तुलना में कार्यपालन अभियंता द्वारा राशि ₹ 32.18 लाख का अधिक भुगतान किया गया परंतु इसकी वसूली नहीं की जा सकी क्योंकि इसकी जानकारी अनुबंध समाप्त किये जाने के पश्चात् हुई जो कि कार्य की निष्पादित वास्तविक मात्रा से अधिक स्फीतिपूर्ण माप दर्ज किये जाने की तरफ इंगित करता है।

अतः यदि अनुबंध के प्रावधानों का समुचित पालन किया जाता तो दोषी ठेकेदारों से वसूली योग्य राशि ₹ 5.62 करोड़ में से ₹ 1.62 करोड़ की वसूली की जा सकती थी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सीजीआरआरडीए ने बताया (दिसम्बर 2016) कि शेष राशि की वसूली के सभी सम्भव प्रयास किये जायेंगे तथा वसूली के पश्चात् लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा। तथ्य यह है कि दोषी ठेकेदारों से वसूली नहीं की गई थी (जनवरी 2017)।

प्रकरण, अक्टूबर 2016 में शासन के ध्यान में लाया गया तथा 10 फरवरी 2017 को पुनः स्मरण कराया गया। तथापि, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (13 फरवरी 2017)।

लोक निर्माण विभाग

3.5.4 अनियमित और अतिरिक्त भुगतान

कोड के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए माप पुस्तिका में कार्य स्थल पर कार्य के वास्तविक क्रियान्वयन से बढ़ी हुई मात्रा के अभिलेखन के परिणामस्वरूप कार्य पर राशि ₹ 1.67 करोड़ का अधिक भुगतान जबकि दोषी ठेकेदार से राशि ₹ 2.57 करोड़ के अधिक भुगतान/शास्ति की राशि वसूली हेतु शेष।

कार्यपालन अभियंता (ईई) एवं ठेकेदार के बीच निष्पादित अनुबंध की धारा 8 यह प्रावधान करता है कि ठेकेदार द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत देयक के समर्थन में कार्य की सभी क्रियान्वित मदों की मात्रा के विस्तृत माप के अभिलेख सत्यापित प्रतियों सहित होने चाहिए। अभिलेखों के आधार पर, माप देयक तैयार किया जाना चाहिए और ठेकेदार द्वारा माप एवं देयक पर हस्ताक्षर किया जाना चाहिए।

आगे अनुबंध की धारा –2 में यह उल्लेखित है कि निविदा प्रपत्र में कार्य पूर्ण करने हेतु उल्लेखित समय के अनुपालन में ठेकेदार द्वारा असफल होने की दशा में, कार्यपालन अभियंता को ठेकेदार पर प्रत्येक सप्ताह के विलंब के लिए कार्य के मूल्य के 0.5 प्रतिशत के बराबर, जो कि कार्य के मूल्य का अधिकतम छः प्रतिशत तक होगा, क्षतिपूर्ति अधिरोपित करना चाहिए। इसके साथ अनुबंध की धारा–3 कार्यपालन अभियंता को

ठेकेदार द्वारा अनुबंध की आधारभूत उल्लंघन⁶ की दशा में, अनुबंध समाप्त करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुबंध की समाप्ति के बाद, कार्यपालन अभियंता धारा-2 में निहित प्रावधानों के अतिरिक्त अमानत राशि और/या सुरक्षा जमा राजसात करेगा और आगे शेष अपूर्ण कार्य का 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति वसूली/कटौती/समायोजित किया जाएगा।

कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) भवन एवं सड़क (भ./स.) संभाग, जशपुर ने ₹ 17.42 करोड़ के अनुमानित लागत के जशपुर-सन्ना मार्ग (22 किमी) का निर्माण कार्य एक ठेकेदार को राशि ₹ 15.07 करोड़ में मई 2014 तक पूर्ण करने के लिए प्रदाय (नवंबर 2012) किया। हालांकि, कार्यपालन अभियंता ने अनुबंध की धारा-3 के मौलिक उल्लंघन जैसे – कार्य पूर्ण होने में विलम्ब, कार्य का अनधिकृत बंद किया जाना इत्यादि के कारण अनुबंध निरस्त (मई 2015) कर दिया। ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य का माप किए जाने (जून 2015) पर यह राशि ₹ 4.40 करोड़ का पाया गया। इसी बीच ठेकेदार को मार्च 2013 तक राशि ₹ 6.07 करोड़, जो कि किए गए कार्य से ₹ 1.67 करोड़ अधिक था, का भुगतान पहले ही किया जा चुका था। हालांकि, कलेक्टर जशपुर ने प्रमुख सचिव, लोनिवि को सूचित (जुलाई 2014) किया कि ठेकेदार को मार्च 2013 में भुगतान किये गये राशि ₹ 4.29 करोड़ के समर्थन में कार्य के मदों का विस्तृत माप नहीं है एवं इसमें से राशि ₹ 2.04 करोड़ वसूली योग्य है। सचिव, लोक निर्माण विभाग के निर्देश पर कार्यपालन अभियंता ने तत्कालीन कार्यपालन अभियंता संभागीय लेखा अधिकारी, वरिष्ठ लेखा लिपिक और ठेकेदार के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज (मई 2015) कराई। तत्पश्चात् कार्यपालन अभियंता ने ठेकेदार को ₹ 2.85 करोड़ की वसूली का नोटिस जारी (जुलाई 2015) किया। इसके विरुद्ध ₹ 1.51 करोड़ का समायोजन, ₹ 1.18 करोड़ के निष्पादन गारंटी/अतिरिक्त निष्पादन गारंटी, ₹ 26.33 लाख के सुरक्षा जमा राशि और ₹ 6.59 लाख के अमानत जमा राशि (ईएमडी) को राजसात् कर किया गया।

कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग, जशपुर के अभिलेखों की जांच (जुलाई 2015) और मई 2016 में एकत्र की गयी अतिरिक्त जानकारी से ज्ञात हुआ कि अनुबंध की शर्तों के अनुसार एसडी और ईएमडी को छोड़कर ठेकेदार से राशि ₹ 3.75 करोड़⁷ की वसूली की जानी थी। अतः लागू बैंक दरों के अनुसार ब्याज को छोड़कर शेष राशि ₹ 2.57 करोड़ (₹ 3.75 करोड़-₹ 1.18 करोड़) अभी भी वसूल किया जाना शेष (जनवरी 2017) था।

कार्य स्थल पर वास्तविक क्रियान्वयन के स्थान पर कोड के प्रावधानों के उल्लंघन में मापपुस्तिका में क्रियान्वित कार्य का बढ़ा हुआ माप अंकित किये जाने के फलस्वरूप क्रियान्वित कार्य से राशि ₹ 1.67 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ जबकि शास्ति सहित राशि ₹ 2.57 करोड़ की वसूली नहीं की (जनवरी 2017 तक) जा सकी।

सचिव, लोक निर्माण विभाग ने बताया (अक्टूबर 2016) कि राज्य सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच गठित (जून 2016) की गयी है। तथ्य यह है कि ठेकेदार से वसूली एवं दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध आगे की कार्यवाही प्रतीक्षित (जनवरी 2017) है।

⁶ आधारभूत उल्लंघन जैसे कि चार सप्ताह तक ठेकेदार के द्वारा कार्य को रोका जाना, जबकि वर्तमान कार्यक्रम में कार्य का रोका जाना प्रदर्शित नहीं है अथवा कार्यपालन अभियंता के द्वारा रोका जाना प्राधिकृत नहीं है

⁷ क्रियान्वित कार्य पर अतिरिक्त भुगतान – ₹ 1.67 करोड़ + अनुबंध के अनुच्छेद 3 के अनुसार 10 प्रतिशत शेष कार्य – ₹ 1.07 करोड़ + अनुबंध के अनुच्छेद 2 के अनुसार छ: प्रतिशत शास्ति – ₹ 90.44 लाख + रायल्टी – ₹ 10.16 लाख + खराब कार्य – ₹ 1.53 लाख = ₹ 3.75 करोड़

जल संसाधन विभाग

3.5.5 निष्फल व्यय

कठमुण्डा व्यपवर्तन योजना की स्वीकृति के दौरान घोंघा परियोजना के साथ ओवरलैपिंग कमांड क्षेत्र की पहचान में विफलता के कारण निष्क्रिय बांध पर ₹ 1.71 करोड़ का निष्फल व्यय

निर्माण विभाग नियमावली के कंडिका 2.026 में सिंचाई कार्यों के सर्वेक्षण एवं जांच की निर्धारित प्रक्रिया के प्रावधान के अनुसार शासन से प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु परियोजना प्रतिवेदन को विस्तृत सर्वेक्षण के पश्चात् ही तैयार किया जाना चाहिए।

बिलासपुर जिले में कठमुण्डा व्यपवर्तन योजना के निर्माण के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा ₹ 3.57 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति (एए) प्रदान (अगस्त 2012) की गई। इस परियोजना के माध्यम से करुआ नाला में व्यपवर्तन बांध (शीर्ष कार्य) और 5.2 किलोमीटर लम्बाई की एक नहर के निर्माण द्वारा चार गांवों (पोंगरिया, अमने, कठमुण्डा और गाडाघाट) के किसानों के लिए 192 हेक्टेयर (हे.) सिंचाई क्षमता के सृजन की परिकल्पना की गई।

लेखापरीक्षा ने देखा (सितम्बर 2015 और सितंबर 2016 के मध्य) कि यह चार गांव घोंघा परियोजना के दाएं शाखा नहर के कमाण्ड क्षेत्र में पहले से ही स्थित थे जैसा कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा परियोजना लेआउट में वर्णित था। तथापि, जल संसाधन विभाग ने कठमुण्डा व्यपवर्तन योजना के निर्माण की आवश्यकता को सुनिश्चित किए बिना ही आसपास के गांव वालों के मांग का बहाना लेकर उन्हीं गांवों के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी।

घोंघा परियोजना (दाएं शाखा नहर प्रणाली) का परियोजना ले-आउट



घोंघा परियोजना का दाहिना नहर प्रणाली का कमाण्ड क्षेत्र जिसमें वही चार गांव प्रदर्शित हैं जिन्हें कठमुण्डा व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत सिंचित किए जाने की योजना है।

कार्यपालन अभियंता (ईई), जल संसाधन विभाग, कोटा ने इस तथ्य की जांच किये बिना कि कठमुण्डा व्यपवर्तन योजना की स्वीकृति के कारण उसी संभाग के घोंघा परियोजना के दाहिने शाखा नहर के साथ कमाण्ड क्षेत्र का दोहराव होगा, व्यपवर्तन बांध (शीर्ष कार्य) हेतु ₹ 1.80 करोड़ तथा नहर प्रणाली हेतु ₹ 74.34 लाख की तकनीकी स्वीकृति (जनवरी 2013) प्रदान की। इसके अतिरिक्त, अपर कलेक्टर बिलासपुर ने यह तथ्य सरकार को प्रतिवेदित करने के स्थान पर इस बाबत् प्रमाण पत्र जारी किया (जुलाई 2012) कि नहर प्रणाली के लिए ग्रामीणों से भूमि के अधिग्रहण में कोई कठिनाई नहीं होगी। इस प्रकार, कार्य को ₹ 2.17 करोड़ में छः माह में पूर्ण करने हेतु एक ठेकेदार को सौंपा (मार्च 2013) गया।

लेखापरीक्षा ने कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा में आगे यह भी देखा कि ठेकेदार ने शीर्ष कार्य को पूर्ण (फरवरी 2014) किया तथा ₹ 1.71 करोड़ का भुगतान प्राप्त (मार्च 2014) किया। तथापि ठेकेदार नहर का निर्माण नहीं कर सका क्योंकि उन ग्रामीणों जिन्हें घोंघा परियोजना से सिंचाई सुविधा प्राप्त होना बताया गया था, के विरोध के कारण विभाग नहर प्रणाली हेतु भूमि अधिग्रहण करने में विफल रहा। जनवरी 2017 की स्थिति में नहर प्रणाली अनिर्मित रही जिससे कि शीर्ष कार्य अनुपयोगी रहा। इस प्रकार नहर प्रणाली के बिना शीर्ष कार्य पर व्यय ₹ 1.71 करोड़ निष्फल रह गया।

कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा ने बताया (सितंबर 2015) कि "भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित क्षतिपूर्ति तथा पारदर्शिता अधिनियम, 2013" भूमि अधिग्रहण अधिनियम की प्रक्रिया में परिवर्तन के कारण अनुबंध को बंद किया गया। नये अधिनियम के आधार पर अक्टूबर 2013 में भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कठमुण्डा व्यपवर्तन योजना को या तो उसके प्रस्तावित कमाण्ड क्षेत्र के उचित सर्वेक्षण एवं जांच के बिना स्वीकृत किया गया या फिर तथ्यों को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप निष्क्रिय शीर्षकार्य पर ₹ 1.71 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ जिसके लिए न तो कोई कार्रवाई की गई न ही इस पर विचार किया गया।

प्रकरण को मार्च 2016 एवं मई 2016 में राज्य शासन को सूचित किया गया था। इसके अतिरिक्त अक्टूबर 2016 तथा जनवरी 2017 में स्मरण पत्र भी जारी किए गए। तथापि, कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया (13 फरवरी 2017)।

वाणिज्य और उद्योग विभाग

3.5.6 शासन को हानि

पांच उद्योगों के निष्क्रिय हो जाने के पश्चात् उनसे ब्याज पर अनुदान को वसूल करने में विफलता के परिणामस्वरूप राज्य शासन को ₹ 1.14 करोड़ की हानि

राज्य के छोटे और मध्यम—बड़े उद्योगों की उत्पादन लागत को कम करने के लिए, निजी क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने, संतुलित क्षेत्रीय विकास को सुनिश्चित करने और औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्गों की भागीदारी बढ़ाने के लिए, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य और उद्योग विभाग ने औद्योगिक नीति 2004–09 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य ब्याज अनुदान नियम (सीएसआईएसआर) 2004 अधिसूचित (अगस्त 2005) किया था। इसी तरह शासन द्वारा औद्योगिक नीति 2009–14 के तहत सीएसआईएसआर 2009 भी अधिसूचित (अक्टूबर 2010) किया गया था।

सीएसआईएसआर 2004 और 2009 की धारा 8.1 यह प्रावधान करता है कि अनुदान के वितरण के बाद, यदि यह पाया जाता है कि बैंक/वित्तीय संस्था/औद्योगिक इकाई द्वारा अनुदान प्राप्त करने के लिए किसी भी तथ्य का खुलासा नहीं किया गया है या गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है या गलत जानकारी प्रदान किया गया है, ब्याज के साथ अनुदान की राशि औद्योगिक इकाई/बैंक या दोनों से वसूली की जाएगी। वसूली आदेश के जारी होने की तारीख पर भारतीय रिजर्व बैंक की लागू प्राइम लैंडिंग रेट (पीएलआर) से दो प्रतिशत अधिक की दर से साधारण ब्याज का शुल्क लगाया जाएगा। वसूली योग्य राशि भू—राजस्व के बकाया राशि के रूप में वसूल किया जा सकता है।

आगे, सीएसआईएसआर 2004 और 2009 की धारा 9 के अनुसार, मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम), जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश के खिलाफ उप संचालक, उद्योग से औद्योगिक इकाई अपील कर सकते हैं।

मुख्य महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, रायगढ़ के अभिलेखों (मार्च 2016) और जुलाई 2016 और नवंबर 2016 के बीच एकत्र की गयी जानकारी की जाँच में पता चला कि 2008 से 2012 की अवधि के दौरान सीएसआईएसआर 2004 के तहत तीन उद्योगों⁸ को ₹ 69.67 लाख और सीएसआईएसआर 2009 के तहत एक उद्योग⁹ को ₹ 19.14 लाख की ब्याज अनुदान राशि का भुगतान किया गया था।

हालांकि, कलेक्टर रायगढ़ द्वारा निरीक्षण के दौरान (जनवरी 2014) ये उद्योग समाप्त पाए गए थे। इसके अलावा, यह पाया गया कि इन उद्योगों ने जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र को प्रस्तुत किए गए अपने शपथपत्र में तथ्यात्मक गलत जानकारी प्रस्तुत की थी। उद्योगों द्वारा दी गई गलत जानकारी को संज्ञान में लेते हुए, सीएसआईएसआर 2004 और 2009 की धारा 8.1 के तहत मुख्य महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र द्वारा जनवरी 2014 तक ब्याज सहित ₹ 94.46 लाख की वसूली इन उद्योगों से करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। हालांकि, जनवरी 2017 को कुल बकाया राशि ₹ 1.19 करोड़ हो गई थी। इसमें से एक उद्योग द्वारा ₹ पाँच लाख भुगतान किया गया था, जबकि जनवरी 2017 तक ब्याज के साथ ₹ 1.14 करोड़ की राशि अभी भी उद्योगों से वसूली हेतु शेष थी (जनवरी 2017) जैसा की परिषिष्ट 3.5.3 में विस्तृत रूप से वर्णित है। भू—राजस्व के बकाया के रूप में राशि की वसूली के लिए भी प्रयास नहीं किया गया।

⁸ (i) में भगवती एग्रो फूड प्रोसेसिंग, रायगढ़: ₹ 25.69 लाख, (ii) में भगवती पेड़डी पैरा बोइलिंग, रायगढ़ ₹ 25.91 लाख और (iii) में भगवती एग्रो इंडस्ट्रीज, रायगढ़: ₹ 18.07 लाख

⁹ में जिंदल सरिया लिमिटेड, यूनिट-2, रायगढ़: ₹ 19.14 लाख

इन निष्क्रिय उद्योगों से अनुदान की वसूली करने में विफलता के परिणामस्वरूप राज्य शासन को हानि हुई।

शासन ने कहा (जनवरी 2017) कि सीएसआईएसआर 2004 के तहत तीन उद्योगों को किए गए अनुदान भुगतान की वसूली नहीं की गई थी क्योंकि सीएसआईएसआर 2009 की धारा 10.2 जिसमें यह उल्लेख है कि अनुदान प्रदान करने के बाद उद्योगों को पांच वर्ष तक परिचालन में रहना होगा, इन पर लागू नहीं थी। सीएसआईएसआर 2009 के तहत अनुदान भुगतान किए गए एक उद्योग के संबंध में यह कहा गया कि राशि की वसूली हेतु कार्रवाई की जा रही है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मुख्य महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र द्वारा धारा 8.1 के उल्लंघन हेतु उद्योगों द्वारा गलत जानकारी प्रस्तुत करने के कारण उनसे ब्याज अनुदान की वसूली के लिए नोटिस जारी किए गए थे। इसके अलावा, जारी वसूली नोटिस के खिलाफ सीएसआईएसआर की धारा-9 के तहत इन उद्योगों द्वारा की गई आवश्यक अपील भी नहीं मिली।

उद्यानिकी विभाग

3.5.7 सहायता की अतिरिक्त प्रतिपूर्ति

एकीकृत बागवानी विकास मिशन के संचालन संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप पावर स्प्रेयर के क्रय पर 5,646 लाभार्थियों को राशि ₹ 1.46 करोड़ के सहायता की अतिरिक्त प्रतिपूर्ति

एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास में फल, सब्जियों, जड़ और कंद फसलों, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधों, नारियल, काजू, कोको और बांस, नई मशीनों के आयात के अलावा बिजली संचालित मशीनों और उपकरणों की खरीद पर सहायता राशि प्रदान की जानी थी। एमआईडीएच के दिशानिर्देशों के कंडिका 7.43 के साथ अनुलग्नक-पांच के अनुसार, ₹ 7,600 प्रति इकाई के मानक लागत के साथ पावर स्प्रेयर/पावर संचालित ताइवान स्प्रेयर (क्षमता 12 से 16 लीटर) के क्रय हेतु निर्धारित सहायता का पैटर्न सामान्य श्रेणी के किसानों हेतु ₹ 3,000 प्रति इकाई एवं अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) तथा सीमांत किसानों, महिलाओं और पूर्वोत्तर राज्यों के लाभार्थी किसानों हेतु अधिकतम ₹ 3,800 प्रति इकाई था। राज्य शासन ने भी आदेश जारी (मई 2012) किया कि सहायता राशि की प्रतिपूर्ति लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे जमा किया जाए। राज्य शासन द्वारा आगे जारी निर्देश (सितम्बर 2014) के अनुसार, किसान, निर्दिष्ट मानकों के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा या पंजीकृत फर्मों से खुले बाजार से सामग्री खरीद सकता है। खरीदी गई सामग्री के बिल की प्रस्तुति पर और बागवानी विभाग के अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन के बाद अनुदान राशि को लाभार्थी के बैंक खाते में या उसके सहमति से आपूर्तिकर्ता के खातों में स्थानांतरित किया जायेगा।

उप संचालक बागवानी (डीडीएच), अंबिकापुर और सहायक संचालक बागवानी (एडीएच), सूरजपुर और बलौदाबाजार के अभिलेखों (जून और अगस्त 2015) की जांच एवं मई 2016 और सितंबर 2016 के बीच एकत्र की गयी जानकारी से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2014–15 और 2015–16 के दौरान मिशन संचालक, राज्य बागवानी मिशन (एसएचएम), छत्तीसगढ़ के आदेश के तहत स्वीकृत सहायता के रूप में 2,783 सामान्य/ओबीसी किसानों को राशि ₹ 3,000 एवं 2,863 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला किसानों को राशि ₹ 3,800 अनुदान राशि स्वीकृत करने के स्थान पर 5,646 किसानों द्वारा खरीदे गये पावर स्प्रेयर संपूर्ण मूल्य ₹ 6,000 प्रत्येक की दर से 5646 पावर स्प्रेयर क्रय कर (अंबिकापुर में 1667, सूरजपुर में 2,000 एवं बलौदाबाजार में 1,979) राशि

₹ 3.39 करोड़ का भुगतान विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं को किया गया। इस प्रकार, निर्धारित वित्तीय सीमा के विरुद्ध पावर स्प्रेयर के सम्पूर्ण लागत के बराबर अनुदान के भुगतान के परिणामस्वरूप ₹ 1.46 करोड़ (परिशिष्ट-3.5.4) की अधिक प्रतिपूर्ति हुई।

सचिव, कृषि विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार (सितम्बर 2016) किया और कहा कि दिशानिर्देशों के गलत व्याख्या किये जाने के कारण 16 लीटर क्षमता वाले पावर स्प्रेयर के क्रय पर राशि ₹ 6,000 के अनुदान का भुगतान गलती से कर दिया गया और भविष्य में सुधार किया जाएगा।

तथ्य यह है कि एमआईडीएच के संचालन संबंधी दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर पावर स्प्रेयर के सम्पूर्ण लागत के लिए अनुदान दिया गया एवं मिशन संचालक, राज्य बागवानी मिशन जिन्होनें ऐसे भुगतान का आदेश दिया था, के विरुद्ध कोई जवाबदेही तय नहीं की गई।

रायपुर
दिनांक

(बिजय कुमार मोहन्ती)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1
 (संदर्भ : कंडिका क्रं 1.6; पृष्ठ 4)
लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सामान्य क्षेत्र			सामाजिक क्षेत्र			आर्थिक क्षेत्र		
	नि.प्र. की संख्या	कंडिकाओं की संख्या	राशि	नि.प्र. की संख्या	कंडिकाओं की संख्या	राशि	नि.प्र. की संख्या	कंडिकाओं की संख्या	राशि
2005–06 तक	249	733	238.38	940	2566	1718.94	692	2209	774.04
2006–07	4	24	5.57	56	246	345.70	73	319	267.18
2007–08	4	11	3.60	19	139	167.83	20	122	241.72
2008–09	25	58	109.17	68	251	301.84	31	172	235.05
2009–10	15	55	49.63	58	274	655.86	53	234	366.57
2010–11	10	31	42.11	77	369	619.57	45	244	232.77
2011–12	11	30	24.56	85	430	475.04	76	380	611.21
2012–13	30	96	125.77	117	688	4067.24	77	552	1184.44
2013–14	13	45	128.18	117	583	741.76	70	487	1222.49
2014–15	42	238	1209.33	169	962	967.86	74	532	2375.56
2015–16	34	123	567.02	109	701	1982.82	58	406	11113.76
योग	437	1444	2503.31	1815	7209	12044.46	1269	5657	8622.79

(स्त्रोत – इस कार्यालय के विभिन्न क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारियाँ)

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ : कंडिका क्र. 1.6; पृष्ठ 4)

निरीक्षण प्रतिवेदनों की लंबित कंडिकाओं में विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं का विवरण

(I) सामान्य क्षेत्र

वर्ष	नि.प. की संख्या	परिवर्ग / अधिक व्यय	निष्फल / निर्णक व्यय	सक्षम अधिकारी को स्वीकृति के बिना व्यय	एक योजना अथवा आब्जेक्टहेड से दूसरे में निधियों का व्यपवर्तन	वर्ष के अंत में निधियों के व्यपगत होने से बचाने के लिये घन का आहरण	निरेधित मदों अथवा विशेष प्रकृति के वर्तु पर सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृति के बिना व्यय	निधि को व्यपगत होने से बचाने के लिये बिना आवश्यकता के भण्डार का क्रय	निक्षिक्य व्यय / निक्षिक्य निवेष / निधि का अवरोधन	कर्मचारियों को वर्धा वेतन का भुगतान	लक्ष्यों की प्राप्ति में विलब्ध / निष्फल व्यय	विविध अवलोकन	कुल कंडिकाएं
2005–06 तक	249	23	29	3	18	23	28	33	31	13	36	496	733
2006–07	4	4	0	0	1	1	1	0	1	0	2	14	24
2007–08	4	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1	5	11
2008–09	25	2	0	0	1	1	2	1	1	2	4	44	58
2009–10	15	5	0	1	2	1	2	0	2	1	4	37	55
2010–11	10	4	0	0	1	1	1	1	1	0	6	16	31
2011–12	11	2	0	1	0	1	0	1	1	1	2	21	30
2012–13	30	11	2	2	1	2	1	2	3	3	11	58	96
2013–14	13	3	0	1	1	1	1	0	5	2	0	31	45
2014–15	42	28	0	1	6	5	2	8	24	14	6	144	238
2015–16	34	19	5	3	1	1	2	3	21	3	4	61	123
योग	437	103	36	12	32	38	40	50	91	39	76	927	1444

(II) सामाजिक क्षेत्र

वर्ष	नि.प्र. की संखा	परिवर्य / अधिक व्यय	निष्फल / निर्णक व्यय	सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना व्यय	एक योजना अथवा आब्लोकटहेड से दूसरे में निधियों का व्यपवर्तन	वर्ष के अंत में निधियों के व्यपत्त होने से बचाने के लिये घन का आहरण	निरेधित मर्दों अथवा विशेष प्रकृति के वस्तु पर सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृति के बिना व्यय	निधि के व्यपत्त होने से बचाने के लिये बिनाआवश्यकता के भाग्यर का क्षय	निष्क्रिय व्यय / निष्क्रिय निवेश निधि का अवरोधन	कर्मचारियों को वर्ध केतन का भुगतान	लक्ष्यों की प्राप्ति में विलम्ब / निष्फल व्यय	धोखाधड़ी / गलत विनियोजन / गबन / हानि के प्रकरण	लेखापरीक्षा में पाये गये वस्तुओं और अधिक भुगतान	अनुबंध के प्रावधान और ठेकेदार को अनुचित लाभ	अधिक भुगतान	निर्माण कार्य में अतिरिक्त लागत	उपकरणों की स्थापना में विलम्ब / निष्क्रिय उपकरण	वित्तीय अवलोकन	कुल कार्डिकार
2005–06 तक	940	0	250	0	0	500	0	250	166	0	200	0	0	0	0	0	1000	2566	
2006–07	56	36	17	0	0	26	0	28	40	5	40	0	0	0	0	0	4	45	246
2007–08	19	15	11	0	0	17	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	78	139	
2008–09	68	43	26	0	0	19	0	25	38	0	18	0	0	0	0	0	62	251	
2009–10	58	11	6	0	0	23	0	5	29	0	44	0	0	0	0	0	156	274	
2010–11	77	40	8	0	0	26	0	31	2	0	0	0	0	0	0	9	0	263	369
2011–12	85	85	2	0	0	0	0	0	48	0	0	18	32	17	0	0	0	238	430
2012–13	117	129	0	0	0	0	0	0	80	33	33	60	63	50	0	0	0	288	688
2013–14	117	69	65	2	0	52	0	61	83	0	64	8	32	10	0	0	10	127	583
2014–15	169	68	50	35	14	18	3	8	140	49	74	10	50	119	0	9	315	962	
2015–16	109	95	60	55	0	0	0	0	91	0	50	0	0	0	20	30	0	270	701
योग	1815	591	495	92	14	681	3	426	717	87	523	96	177	401	20	39	23	2842	7209

(III) आर्थिक क्षेत्र

वर्ष	नि.प्र. की संख्या	निष्फल / निर्धक व्यय	अधिक भुगतान	निर्माण कार्य में अतिरिक्त लगत	कम वसूली अथवा वसूली न किया जाना	अद्यता लाभ	संदेहापन्न व्यय	नियम / विनियम के पालन नहीं करने से अनियमित भुगतान	अनियमित कार्यादेश जारी करना	निधि का अवरोधन	विविध अवलोकन	कुल कंडिकारं
2005–06 तक	692	197	74	145	280	309	62	313	392	324	113	2209
2006–07	73	26	10	20	41	47	10	45	57	35	28	319
2007–08	20	11	4	9	18	20	4	19	22	11	4	122
2008–09	31	15	6	11	22	25	6	22	29	26	10	172
2009–10	53	20	8	15	30	34	8	32	43	23	21	234
2010–11	45	21	8	16	31	36	8	34	45	24	21	244
2011–12	76	31	10	25	46	55	13	51	76	50	23	380
2012–13	77	49	19	37	73	81	20	76	104	79	14	552
2013–14	70	39	16	30	62	70	16	68	79	65	42	487
2014–15	74	45	17	34	68	79	18	76	98	61	36	532
2015–16	58	34	14	25	51	56	13	56	72	54	31	406
योग	1269	488	186	367	722	812	178	792	1017	752	343	5657

(स्रोत: इस कार्यालय के विभिन्न क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध की गई जानकारियाँ)

परिशिष्ट 2.1.1

(संदर्भ: कंडिका क्र. 2.1.6.2; पृष्ठ 11)

कार्ययोजना में अनुमोदित एवं अतिरिक्त स्वीकृत एनीकटों का विवरण

सरल क्रमांक	भौगोलिक क्षेत्र	जिला	कार्ययोजना के अनुसार एनीकटों की संख्या	595 में से स्वीकृत एनीकटों की संख्या	595 में से स्वीकृत नहीं किये गये एनीकटों की संख्या	अतिरिक्त स्वीकृत एनीकट	2015–16 तक स्वीकृत एनीकटों की संख्या	
1	उत्तरी पहाड़ियाँ	सरगुजा	74	20	54	38	58	
2		कोरिया	13	4	9	6	10	
3		जशपुर	15	2	13	7	9	
योग (उत्तरी पहाड़ियाँ)			102	26	76	51	77	
4	बस्तर का पठार	बस्तर	61	31	30	38	69	
5		बीजापुर	6	2	4	7	9	
6		कांकेर	21	5	16	26	31	
7		दन्तेवाड़ा	21	8	13	12	20	
8		नरायणपुर	10	4	6	3	7	
योग (बस्तर का पठार)			119	50	69	86		
9	छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र	बिलासपुर	79	49	30	105	154	
10		धमतरी	10	6	4	12	18	
11		दुर्ग	46	25	21	90	115	
12		कबीरधाम	15	5	10	29	34	
13		रायपुर	45	20	25	40	60	
14		राजनांदगाँव	33	11	22	65	76	
15		जंजगीर—चांपा	38	12	26	17	29	
16		कोरबा	32	11	21	19	30	
17		महासमुंद	34	10	24	10	20	
18		रायगढ़	42	6	36	14	20	
योग (छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र)			374	155	219	401	556	
महायोग			595	231	364	538	769	

परिशिष्ट 2.1.2

(संदर्भ: कंडिका क्र. 2.1.8.1(अ); पृष्ठ 18)

चयनित अपूर्ण एनीकटों में से पूर्ण एनीकटों का विवरण

(₹ लाख में)

सं. क्र.	एनीकट का नाम/कार्यदेश का दिनांक	पूर्णता की समयावधि/पूर्णता तिथि/ (वास्तविक पूर्णता का दिनांक)	कार्य में विलम्ब	विलम्ब का कारण	एनीकट की लागत (अनुबंधित राशि)/ वास्तविक व्यय	विलम्ब के कारण लागत में वृद्धि
1	कोनी एनीकट (जल संसाधन संभाग, खारंग बिलासपुर) क्र.-9108 / 16.12.2010	आठ माह वर्षा ऋतु सहित नियत तिथि—15.08.2011 (वास्तविक—28.05.2015)	46 माह	अतिरिक्त आइटम की आवश्यकता जैसे कि कार्य के दौरान डायफामवाल जिसे पहले ठेकेदार द्वारा करने से मना किया गया। अन्य ठेकेदार द्वारा अतिरिक्त आइटम तथा शेष कार्य का क्रियान्वयन किये जाने से।	₹ 430.19 ₹ 343.53	अधिक व्यय नहीं
2	अमलडीहा एनीकट (जल संसाधन संभाग, खारंग बिलासपुर) क्र.-1013 / 14.11.2012	छ: माह वर्षा ऋतु सहित नियत तिथि—13.05.2013 (वास्तविक—16.06.2015)	24 माह	नदी में पानी की उपलब्धता एवं पहुँच मार्ग का अभाव तथा सक्षम अधिकारी द्वारा धारा 4.3.2 (अ) के अंतर्गत ठेकेदार को दोषी मानते हुए शास्ति के साथ समयावृद्धि प्रदान की गई।	₹ 1504.79 ₹ 1441.15	अधिक व्यय नहीं
3	कनेरी एनीकट (जल संसाधन संभाग, खारंग बिलासपुर) क्र.-21.01.2013	आठ माह वर्षा ऋतु सहित नियत तिथि—20.09.2013 (वास्तविक—25.05.2016)	32 माह	एनीकट की लम्बाई में 140 से 150 मीटर की वृद्धि तथा सक्षम अधिकारी द्वारा धारा 4.3.2 (अ) के अंतर्गत ठेकेदार को दोषी मानते हुए शास्ति के साथ समयावृद्धि प्रदान की गई।	₹ 686.00 ₹ 683.47	अधिक व्यय नहीं
4	अमेरी एनीकट (जल संसाधन संभाग, खारंग बिलासपुर) क्र.-19.03.2013	छ: माह वर्षा ऋतु सहित नियत तिथि—18.09.2013 (वास्तविक—30.03.2016)	30 माह	स्थल की अनुपलब्धता, स्थानीय लोगों द्वारा विरोध एवं नाले में पानी का अधिक प्रवाह तथा सक्षम अधिकारी द्वारा धारा 4.3.2 (अ) के अंतर्गत ठेकेदार को दोषी मानते हुए शास्ति के साथ समयावृद्धि प्रदान की गई।	₹ 374.35 ₹ 200.10	अधिक व्यय नहीं
5	रानीझाप एनीकट (जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रा रोड बिलासपुर) क्र.-17.05.2013	नौ माह वर्षा ऋतु सहित नियत तिथि—18.09.2013 (वास्तविक—30.03.2016)	10 माह	मजदूरों का अभाव, एनीकट के दोनों तरफ कृषि भूमि होना यद्यपि सक्षम अधिकारी द्वारा धारा 4.3.2 (अ) के अंतर्गत ठेकेदार को दोषी मानते हुए शास्ति के साथ समयावृद्धि प्रदान की गई।	₹ 362.52 ₹ 380.04	कुछ आइटम में अतिरिक्त मात्रा के क्रियान्वयन के कारण ₹ 17.52 लाख (4.83 प्रतिशत) का अधिक व्यय

स. क्र.	एनीकट का नाम/कार्यादेश का दिनांक	पूर्णता की समयावधि/पूर्णता तिथि/ (वास्तविक पूर्णता का दिनांक)	कार्य में विलम्ब	विलम्ब का कारण	एनीकट की लागत (अनुबंधित राशि)/ वास्तविक व्यय	विलम्ब के कारण लागत में वृद्धि
6	जलेश्वर एनीकट (जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रा रोड बिलासपुर) क्र.-03.05.2013	नौ माह वर्षा ऋतु सहित नियत तिथि—02.02.2014 (वास्तविक—12.03.2016)	24 माह	स्थानीय लोगों द्वारा विरोध एवं नाले में पानी का अधिक प्रवाह	₹ 461.65 ₹ 455.11	अधिक व्यय नहीं
7	समडिल एनीकट (जल संसाधन संभाग, कोटा बिलासपुर) क्र.—14.02.2013	छ: माह वर्षा ऋतु सहित नियत तिथि—13.08.2013 (वास्तविक—10.08.2013)	विलम्ब नहीं	आवश्यक नहीं	₹ 369.96 ₹ 349.80	अधिक व्यय नहीं
8	बालूद एनीकट (जल संसाधन संभाग, दन्तेवाडा) क्र.—01.02.2013	दस माह वर्षा ऋतु सहित नियत तिथि—31.12.2013 (वास्तविक—31.03.2015)	15 माह	नवसल समस्या, मजदूरों की समस्या एवं अधिक वर्षा	₹ 310.00 ₹ 285.93	अधिक व्यय नहीं
9	धौरपुर गरुआडीह एनीकट (जल संसाधन संभाग क्र.—1, अम्बिकापुर) क्र.—20.02.2013	12 माह वर्षा ऋतु सहित नियत तिथि—19.02.2014 (वास्तविक—02.2014)	विलम्ब नहीं	आवश्यक नहीं	₹ 395.75 ₹ 420.11	अतिरिक्त आइटम के क्रियान्वयन के कारण ₹ 19.58 लाख (छ: प्रतिशत) का अधिक व्यय
10	नन्देलीभाटा एनीकट (जल संसाधन संभाग क्र.—6, सकती) क्र.—18.03.2011	11 माह वर्षा ऋतु सहित नियत तिथि—17.02.2012 (वास्तविक—15.05.2015)	39 माह	भू-अर्जन के कारण	₹ 221.51 ₹ 284.20	अन्य ठेकेदार द्वारा शेष कार्य का क्रियान्वयन किये जाने से

परिशिष्ट—2.1.3

(संदर्भ: कांडिका क्र. 2.1.9.1(अ); पृष्ठ 27)

चयनित एनीकटों में पानी की उपलब्धता का विवरण

स.क्र.	जिले का नाम	एनीकट का नाम	नदी/नाला का नाम	नदी/नाला	पानी का प्रवाह	एनीकट निर्माण के पूर्व नदी/नाला में पानी की उपलब्धता	एनीकट निर्माण के पश्चात नदी/नाला में पानी की उपलब्धता
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बिलासपुर	भानपुरी एनीकट	गोदमा नाला	नाला	-	8	8
2	बिलासपुर	चुराडीह एनीकट	पतीला नाला	नाला	-	8	8
3	बिलासपुर	हर्राडीह एनीकट	एलान नाला	नाला	-	12	12
4	जांजगीर चांपा	कामता एनीकट	कांजी	नाला	-	12	12
5	बिलासपुर	सिलपहरी एनीकट	गोखे नाला	नाला	-	12	12
6	बिलासपुर	आमागोहन एनीकट	सरगोर नाला	नाला	-	4-6	12
7	बिलासपुर	बेलगहना एनीकट	डोंगा नाला	नाला	-	4-6	8
8	बिलासपुर	हथकेरा एनीकट	टेसुआ नाला	नाला	-	4-6	4-6
9	बिलासपुर	केवेया एनीकट	टेसुआ नाला	नाला	-	4-6	4-6
10	बिलासपुर	खापरखोल एनीकट	गुदगुदा नाला	नाला	-	4-6	8
11	बिलासपुर	कोटखरा एनीकट	सोनरी नाला	नाला	-	4-6	8
12	बिलासपुर	टीपान नाला स्टापडेम	टीपान नाला	नाला	-	4-6	4-6
13	बिलासपुर	आमानारा एनीकट	आमानारा नाला	नाला	-	4-6	12
14	कोण्डागाँव	आंगाबोडा स्टापडेम	नारंगी	नदी	बारहमासी	8	12
15	कोण्डागाँव	बम्हनी स्टापडेम	नारंगी	नदी	बारहमासी	8	8
16	सरगुजा	बुलगा एनीकट	गागर नदी	नदी	बारहमासी	8	8
17	सरगुजा	डडगाँव एनीकट	गागर नदी	नदी	बारहमासी	8	8
18	बिलासपुर	फरहदा एनीकट	खारंग	नदी	बारहमासी	8	8
19	बिलासपुर	खैरा डगनिया एनीकट	खारंग	नदी	बारहमासी	8	12
20	बिलासपुर	खैरखूंटी एनीकट	खारंग	नदी	बारहमासी	8	12

1	2	3	4	5	6	7	8
21	बिलासपुर	लखराम एनीकट	खारंग	नदी	बारहमासी	8	12
22	कोण्डागांव	मालाकोट स्टापडेम	भवरडींग	नदी	बारहमासी	8	8
23	बेमेतरा	नंदघाट लिमतरा एनीकट	शिवनाथ	नदी	बारहमासी	8	12
24	बिलासपुर	परसदा एनीकट	खारंग	नदी	बारहमासी	8	12
25	धमतरी	सिलतरा बोरेण्डा एनीकट	खारून	नदी	बारहमासी	8	12
26	बेमेतरा	तिरैया एनीकट	शिवनाथ	नदी	बारहमासी	8	12
27	बिलासपुर	उर्तुम एनीकट	खारंग	नदी	बारहमासी	8	12
28	बेमेतरा	अमलडीहा सेमरिया एनीकट	शिवनाथ	नदी	बारहमासी	12	12
29	बेमेतरा	अमोरा एनीकट कम काजवे	शिवनाथ	नदी	बारहमासी	12	12
30	कोण्डागांव	बडगाँव स्टापडेम	नारंगी	नदी	बारहमासी	12	12
31	बेमेतरा	बहेरघाट लवतारा एनीकट कम काजवे	शिवनाथ	नदी	बारहमासी	12	12
32	दन्तेवाड़ा	बंगलूर एनीकट	झूमन	नदी	बारहमासी	12	12
33	धमतरी	भेलवाखुदा एनीकट	खारून	नदी	बारहमासी	12	12
34	बेमेतरा	चकवाय तूमा एनीकट	शिवनाथ	नदी	बारहमासी	12	12
35	सरगुजा	चंगोरी एनीकट	गागर नदी	नदी	बारहमासी	12	12
36	कोण्डागांव	चरकई स्टापडेम	भवरडींग	नदी	बारहमासी	12	12
37	बिलासपुर	दगोरी एनीकट	शिवनाथ	नदी	बारहमासी	12	12
38	बेमेतरा	डमईडीह एनीकट	सकरी	नदी	बारहमासी	12	12
39	जांजगीर चांपा	देवरघटटा एनीकट	सेन	नदी	बारहमासी	12	12
40	कोण्डागांव	घोड़ागांव एनीकट	नारंगी	नदी	बारहमासी	12	12
41	जांजगीर चांपा	हरेथीकला एनीकट	सेन	नदी	बारहमासी	12	12
42	कोण्डागांव	खड़कघाट एनीकट	नारंगी	नदी	बारहमासी	12	12
43	कोण्डागांव	कोकोडी स्टापडेम	भवरडींग	नदी	बारहमासी	12	12
44	सरगुजा	लिचिरमा एनीकट	माण्ड नदी	नदी	बारहमासी	12	12
45	बिलासपुर	मातिमपुर एनीकट	शिवनाथ	नदी	बारहमासी	12	12
46	कोण्डागांव	पल्ली स्टापडेम	नारंगी	नदी	बारहमासी	12	12
47	कोण्डागांव	पुसावण्ड स्टापडेम	नारंगी	नदी	बारहमासी	12	12
48	बिलासपुर	रहटाटोर एनीकट	शिवनाथ	नदी	बारहमासी	12	12
49	कोण्डागांव	सिरपुर स्टापडेम	भवरडींग	नदी	बारहमासी	12	12
50	धमतरी	सोनेवारा एनीकट	पनवई	नदी	बारहमासी	12	12

1	2	3	4	5	6	7	8
51	बिलासपुर	भवरडीह एनीकट	लीलागर	नदी	मौसमी	8	12
52	बिलासपुर	बिरकोनी एनीकट	मनियारी	नदी	मौसमी	8	12
53	धमतरी	धौरभाठा एनीकट	सिलयारी	नदी	मौसमी	8	12
54	बिलासपुर	खेरझिटटी एनीकट	घोंघा नदी	नदी	मौसमी	8	8
55	बिलासपुर	मोहदी एनीकट	घोंघा नदी	नदी	मौसमी	8	8
56	बिलासपुर	निरतु बसहा एनीकट	लीलागर	नदी	मौसमी	8	12
57	बिलासपुर	पोडी एनीकट	टरपा	नदी	मौसमी	8	8
58	दन्तेवाडा	मोलसनार एनीकट	कोयार	नदी	मौसमी	8	8
59	बिलासपुर	विद्याडीह एनीकट	लीलागर	नदी	मौसमी	8	12
60	बिलासपुर	बरेला एनीकट	मनियारी	नदी	मौसमी	12	12
61	बिलासपुर	चाटापारा एनीकट	टरपा	नदी	मौसमी	12	12
62	बिलासपुर	डांड डमडी स्टापडेम	जेवास नदी	नदी	मौसमी	12	12
63	बिलासपुर	गोबरीपाट एनीकट	घोंघा नदी	नदी	मौसमी	12	12
64	बिलासपुर	केवटाडीह भूता एनीकट	लीलागर	नदी	मौसमी	12	12
65	बिलासपुर	खूंटीघाट एनीकट	लीलागर	नदी	मौसमी	12	12
66	बिलासपुर	लीलागर एनीकट	लीलागर	नदी	मौसमी	12	12
67	जांजगीर चांपा	बुदगहन एनीकट	लीलागर	नदी	मौसमी	4–6	8
68	बेमेतरा	देवकर एनीकट कम काजवे	सुरही नदी	नदी	मौसमी	4–6	12
69	कोण्डागांव	ओटेण्डा एनीकट	जरण्डी नदी	नदी	मौसमी	4–6	4–6
70	बेमेतरा	रवेली सण्डी एनीकट	हेम्प नदी	नदी	मौसमी	4–6	8
71	बिलासपुर	सरवन देवरी एनीकट	खारंग	नदी	मौसमी	4–6	8
72	बेमेतरा	सावंतपुर एनीकट कम काजवे	डोंटू नदी	नदी	मौसमी	4–6	4–6

परिशिष्ट—2.1.4

(संदर्भ: कंडिका क्र. 2.1.9.2; पृष्ठ 29)

चयनित 72 एनीकटों के समीप स्थित कूपों के भू-जल स्तर का विवरण

संक्र.	जिला	एनीकट का नाम	नजदीक स्थित कूप का नाम	भू-जल स्तर (एमबीजीएल में)					भू-जल स्तर में अंतर (मीटर में)	दूरी किलोमीटर में
				मई 2011	मई 2012	मई 2013	मई-2014	मई-2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (9-5)	11
1	बिलासपुर	खपराखोल एनीकट	बरतोली	5.55	8.35	उपलब्ध नहीं	7.05	9.45	-3.9	10.73
2	बिलासपुर	मोतिमपुर एनीकट	गनियारी 2	1.02	10.4	उपलब्ध नहीं	10.59	3.1	-2.08	33.89
3	बेमेतरा	अमोरा एनीकट कम काजवे	बिटकुली	4.08	2.55	उपलब्ध नहीं	6.62	5.65	-1.57	15.91
4	बेमेतरा	चकवाये एनीकट कम काजवे	बिटकुली	4.08	2.55	उपलब्ध नहीं	6.62	5.65	-1.57	13.37
5	बेमेतरा	रवेली सण्डी एनीकट	बिटकुली	4.08	2.55	उपलब्ध नहीं	6.62	5.61	-1.53	9.84
6	बिलासपुर	लीलागर एनीकट	चिल्हाटी	7.61	9.8	उपलब्ध नहीं	9.7	9.1	-1.49	11.13
7	बिलासपुर	विद्याडीह एनीकट	चिल्हाटी	7.61	9.8	उपलब्ध नहीं	9.7	9.1	-1.49	6.94
8	सरगुजा	लिचिरमा एनीकट	मंगरी	6.36	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	7.52	7.82	-1.46	22.92
9	बिलासपुर	बेलगहना एनीकट	बेलगहना	4.96	6.32	उपलब्ध नहीं	5	5.75	-0.79	10.74
10	सरगुजा	डडगांव एनीकट	धानपुर	7.13	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	7.1	7.9	-0.77	11.39
11	धमतरी	भेलवाखुदा एनीकट	कोसमर्रा	1.47	2.72	उपलब्ध नहीं	1.89	उपलब्ध नहीं	-0.42	9.45
12	धमतरी	सिलतरा बोरेण्डा एनीकट	कोसमर्रा	1.47	2.72	उपलब्ध नहीं	1.89	उपलब्ध नहीं	-0.42	10.14
13	सरगुजा	बुलगा एनीकट	बुलगा	7.01	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	7.2	7.27	-0.26	3.26
14	सरगुजा	चगोरी एनीकट	बुलगा	7.01	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	7.2	7.27	-0.26	8.61
15	बिलासपुर	टीपान नाला स्टापडेम	दानीकुण्डी	19	17.26	उपलब्ध नहीं	13.7	19	0	18.08
16	बेमेतरा	अमलडीहा सेमरिया	नवागढ़	7.62	7.62	उपलब्ध नहीं	7.62	7.62	0	34
17	बेमेतरा	डमियाडीह एनीकट कम काजवे	नवागढ़	7.62	7.62	उपलब्ध नहीं	7.62	7.62	0	9.51
18	बिलासपुर	कोटखरा एनीकट	दानीकुण्डी	19	17.26	उपलब्ध नहीं	13.7	19	0	18.92
19	बेमेतरा	नांदघाट लिमतरा एनीकट	नवागढ़	7.62	7.62	उपलब्ध नहीं	7.62	7.62	0	21.51
20	बिलासपुर	दगोरी एनीकट	दगोरी	4.97	5.74	उपलब्ध नहीं	5.12	4.87	0.1	1.54
21	धमतरी	धौराभाटा एनीकट	केरेगॉव	4.47	4.25	उपलब्ध नहीं	4.44	4.31	0.16	7.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (9-5)	11
22	बिलासपुर	डांड डमड़ी एनीकट	गतोरी	3.15	5	उपलब्ध नहीं	2.75	2.95	0.2	21.76
23	कोण्डागांव	बम्हनी स्टापडेम	जेबा	5.68	6.28	उपलब्ध नहीं	5.56	5.43	0.25	4.74
24	कोण्डागांव	पुसावण्ड एनीकट	जेबा	5.68	6.28	उपलब्ध नहीं	5.56	5.43	0.25	4.74
25	बिलासपुर	हथकेरा एनीकट	बैतलपुर	4.45	4.02	उपलब्ध नहीं	4.4	4	0.45	6.49
26	जांजगीर-चांपा	बुदगहन एनीकट	कोनारागढ़	5.36	5.36	उपलब्ध नहीं	5.36	4.85	0.51	36.2
27	बैमेतरा	तिरिया एनीकट	परपोडा	12.3	12.2	उपलब्ध नहीं	11.44	11.79	0.51	30.9
28	बैमेतरा	बहेरघाट एनीकट	फुण्डा	6.66	4.32	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	5.97	0.69	23.47
29	बिलासपुर	फरहदा एनीकट	हेमुनगर	7.51	7.55	उपलब्ध नहीं	6.82	उपलब्ध नहीं	0.69	4.39
30	बिलासपुर	केवटाडीह भूता एनीकट	मस्तूरी	6.4	8.75	उपलब्ध नहीं	4.44	उपलब्ध नहीं	0.69	26.38
31	बिलासपुर	खेरा डगनिया एनीकट	हेमुनगर	7.51	7.55	उपलब्ध नहीं	6.82	उपलब्ध नहीं	0.69	16.13
32	बिलासपुर	खैरखुण्डी एनीकट	हेमुनगर	7.51	7.55	उपलब्ध नहीं	6.82	उपलब्ध नहीं	0.69	23.98
33	बिलासपुर	लखराम एनीकट	हेमुनगर	7.51	7.55	उपलब्ध नहीं	6.82	उपलब्ध नहीं	0.69	19.75
34	बिलासपुर	परसदा एनीकट	हेमुनगर	7.51	7.55	उपलब्ध नहीं	6.82	उपलब्ध नहीं	0.69	17.78
35	बिलासपुर	पोण्डी एनीकट	हेमुनगर	7.51	7.55	उपलब्ध नहीं	6.82	उपलब्ध नहीं	0.69	26.64
36	कोण्डागांव	ओटेडा एनीकट	लंजोरा	9.05	9.63	उपलब्ध नहीं	8.56	8.25	0.8	32.1
37	कोण्डागांव	बडगाँव एनीकट	लंजोरा	9.05	9.63	उपलब्ध नहीं	8.56	8.25	0.8	14.21
38	कोण्डागांव	भानपुरी एनीकट	लंजोरा	9.05	9.63	उपलब्ध नहीं	8.56	8.25	0.8	31.84
39	कोण्डागांव	चरकई स्टॉपडेम	लंजोरा	9.05	9.63	उपलब्ध नहीं	8.56	8.25	0.8	15.27
40	कोण्डागांव	घोडागांव एनीकट	लंजोरा	9.05	9.63	उपलब्ध नहीं	8.56	8.25	0.8	23.08
41	कोण्डागांव	खड़कघाट स्टॉपडेम	लंजोरा	9.05	9.63	उपलब्ध नहीं	8.56	8.25	0.8	14.76
42	कोण्डागांव	सिरपुर स्टॉपडेम	लंजोरा	9.05	9.63	उपलब्ध नहीं	8.56	8.25	0.8	11.16
43	बिलासपुर	चाटापारा एनीकट	केंदा	8.27	7.33	उपलब्ध नहीं	7.25	7.45	0.82	9.74
44	जांजगीर-चांपा	कमता एनीकट	शिवरीनारायण	10.15	9.8	उपलब्ध नहीं	9.3	9.3	0.85	4.99
45	बैमेतरा	देवकर एनीकट सह कॉसवे	अहिवारा	3.7	2.85	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	2.81	0.89	15.56
46	बिलासपुर	बरेला एनीकट	अचानकमार 1	7.41	6.5	उपलब्ध नहीं	5.6	6.5	0.91	30.8
47	बिलासपुर	हर्डीह एनीकट	अचानकमार 1	7.41	6.5	उपलब्ध नहीं	5.6	6.5	0.91	24.07
48	बिलासपुर	सरवन देवरी एनीकट	रतनपुर	9	9.98	उपलब्ध नहीं	7.4	7.85	1.15	4.1
49	बिलासपुर	उर्तुम एनीकट	बेलतरा	5.31	5.45	उपलब्ध नहीं	3.95	4.15	1.16	16.3
50	बिलासपुर	आमागहन एनीकट	सरायपाली	10.5	9.9	उपलब्ध नहीं	8.32	8.9	1.6	22.74
51	कोण्डागांव	आंगाबोडा स्टॉपडेम	फरसगाँव	4.7	6.24	उपलब्ध नहीं	5.65	2.92	1.78	24.32
52	कोण्डागांव	कोकोडी स्टॉपडेम	फरसगाँव	4.7	6.24	उपलब्ध नहीं	5.65	2.92	1.78	24.34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (9–5)	11
53	कोण्डागांव	मालाकोट स्टापडेम	फरसगाँव	4.7	6.24	उपलब्ध नहीं	5.65	2.92	1.78	19.16
54	कोण्डागांव	पल्ली स्टापडेम	फरसगाँव	4.7	6.24	उपलब्ध नहीं	5.65	2.92	1.78	21.28
55	बिलासपुर	रहटाटोर एनीकट	मस्तूरी	6.4	8.75	उपलब्ध नहीं	4.44	उपलब्ध नहीं	1.96	25.38
56	जांजगीर-चांपा	देवरघटटा एनीकट	केरा	7.35	6.54	उपलब्ध नहीं	6.48	5.35	2	18.65
57	बिलासपुर	खैरझिटी एनीकट	धानपुर	9.22	8.65	उपलब्ध नहीं	5.68	6.3	2.92	5.82
58	बिलासपुर	खूटीघाट एनीकट	धानपुर	9.22	8.65	उपलब्ध नहीं	5.68	6.3	2.92	1.89
59	बिलासपुर	मोहदी एनीकट	खम्हरिया 1	8.61	5.72	उपलब्ध नहीं	1.52	4.52	4.09	17.08
60	बिलासपुर	आमानारा एनीकट	खम्हरिया 1	8.77	8.97	उपलब्ध नहीं	1.52	4.52	4.25	6.08
61	बिलासपुर	भवरडीह एनीकट	खम्हरिया 1	8.77	8.97	उपलब्ध नहीं	1.52	4.52	4.25	4.16
62	बिलासपुर	निरतु एनीकट	खम्हरिया 1	8.77	8.97	उपलब्ध नहीं	1.52	4.52	4.25	6.08
63	बिलासपुर	गोबरीपाट एनीकट	केवची	9.86	8.23	उपलब्ध नहीं	4.44	4.95	4.91	37.35
64	धमतरी	सोनेवारा एनीकट	छाती	6.27	1.72	उपलब्ध नहीं	1.32	0.99	5.28	10.03
65	बेमेतरा	सावंतपुर एनीकट	जामगाँव	9	8.4	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	2.8	6.2	11.44
66	बिलासपुर	चुराडीह एनीकट	—	—	—	उपलब्ध नहीं	—	—	उपलब्ध नहीं	—
67	बिलासपुर	कवैया एनीकट	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
68	बिलासपुर	सिलपहरी एनीकट	—	—	.	उपलब्ध नहीं	—	—	उपलब्ध नहीं	—
69	बिलासपुर	बिरकोनी एनीकट	—	—	—	उपलब्ध नहीं	—	—	उपलब्ध नहीं	—
70	जांजगीर-चांपा	हरेथीकला एनीकट	—	—	—	उपलब्ध नहीं	—	—	उपलब्ध नहीं	—
71	दन्तेवाड़ा	बंगलूर एनीकट	पास में कूप नहीं	—	—	उपलब्ध नहीं	—	—	उपलब्ध नहीं	—
72	दन्तेवाड़ा	मोलसनार एनीकट	पास में कूप नहीं	—	—	उपलब्ध नहीं	—	—	उपलब्ध नहीं	—

परिशिष्ट—2.1.5

(संदर्भ: कंडिका क्र. 2.1.9.3; पृष्ठ 31)

अनुपयोगी एनीकटों के निर्माण पर निष्फल व्यय का विवरण

(₹ लाख में)

स.क्र.	जिला	संभाग का नाम	एनीकट का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि	पूर्णता का वर्ष	वास्तविक व्यय
1	बिलासपुर	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, खारंग	हथकेरा	301.21	अनुपलब्ध	270.61
2	बिलासपुर	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, खारंग	केवैया	361.65	अनुपलब्ध	227.48
3	बिलासपुर	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, खारंग	टीपान नाला स्टापडैम	40.05	2008	42.41
4	बेमेतरा	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा	सावंतपुर	109.27	2008	अनुपलब्ध
5	सरगुजा	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, अम्बिकापुर	बुलगा	31.21	2007	31.75
6	सरगुजा	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, अम्बिकापुर	डडगाँव	35.54	2007	31.34
7	सरगुजा	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, अम्बिकापुर	चंगोरी	60.41	2008	56.05
8	सरगुजा	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, अम्बिकापुर	लिचिरमा	65.21	2008	56.34
9	कोणडागाँव	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक, कोणडागाँव	ओटेंडा	221.93	अनुपलब्ध	152.28
योग				1226.48		868.26

परिशिष्ट 2.2.1

(संदर्भ: कंडिका क्र. 2.2.1 ; पृष्ठ 37)

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का विवरण

(संख्या में)


श्रेणी	वर्ष	शासकीय विद्यालय	शासकीय सहायता प्राप्त	निजी गैर सहायता प्राप्त	योग
प्राथमिक	2011–12	32806	355	3694	36855
	2012–13	33200	314	4021	37535
	2013–14	33208	369	4064	37641
	2014–15	33253	369	4064	37686
	2015–16	33253	460	4564	38277
उच्च प्राथमिक	2011–12	13537	165	2458	16160
	2012–13	13713	167	2213	16093
	2013–14	13743	189	2671	16603
	2014–15	13778	189	2379	16346
	2015–16	13778	183	3881	17842
योग		47031	643	8445	56119

(स्रोत: आरजीएसएम द्वारा प्रदाय की गई जानकारी)

परिशिष्ट 2.2.2

(संदर्भ: कंडिका क्र. 2.2.2 ; पृष्ठ 37)

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन का प्रवाह चार्ट



परिशिष्ट 2.2.3

(संदर्भ: कंडिका क्र. 2.2.4 ; पृष्ठ 38)

चयनित जिलों, विकास खण्डों तथा विद्यालयों का विवरण

(संख्या में)

स.कं.	जिला	क्षेत्र/विकास खण्ड	क्षेत्र/विकासखण्ड की संख्या	शासकीय/विनिर्दिष्ट श्रेणी के विद्यालयों	सहायता प्राप्त विद्यालयों
1	बलौदाबाजार – भाटापारा	ग्रामीण	3 (कसडोल, पलारी, भाटापारा)	21	3
		शहरी	1 (बलौदाबाजार)	6	0
2	बस्तर	ग्रामीण	3 (बस्तर, तोकापाल, लोहण्डीगुड़ा)	23	1
		शहरी	1 (जगदलपुर)	4	2
3	धमतरी	ग्रामीण	3 (कुरुद, मगरलोड, नगरी)	24	0
		शहरी	1 (धमतरी)	4	2
4	मुंगेली	ग्रामीण	2 (पथरिया, लोरमी)	18	2
		शहरी	1 (मुंगेली)	9	1
5	रायपुर	ग्रामीण	3 (अभनपुर, आरंग, तिल्दा)	19	5
		शहरी	1 (धरसींवा)	4	2
6	राजनांदगांव	ग्रामीण	3 (छूझदान, छुरिया, खैरागढ़)	24	0
		शहरी	1 (राजनांदगांव)	4	2
7	सरगुजा	ग्रामीण	3 (लखनपुर, लुण्डा, सीतापुर)	18	6
		शहरी	1 (अम्बिकापुर)	5	1
योग	07		20 + 7 = 27	183	27

(स्रोत : आरजीएसएम द्वारा प्रदाय की गई जानकारी तथा लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

परिशिष्ट 2.2.4

(संदर्भ: कंडिका क्र. 2.2.4 ; पृष्ठ 38)

लेखापरीक्षा को जानकारी प्रदाय नहीं करने वाले विद्यालयों का विवरण

स.कं.	जिले का नाम	विकास खण्ड का नाम	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार
1	मुंगेली	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी लखनपुर	प्राथमिक विद्यालय तिरकेला	केवल प्राथमिक
2		विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, लोरमी	उच्च प्राथमिक विद्यालय केउरा	केवल उच्च प्राथमिक विद्यालय
3			प्राथमिक विद्यालय बोइरपारा	केवल प्राथमिक
4			प्राथमिक विद्यालय सरायपटेरा	केवल प्राथमिक
5			प्राथमिक विद्यालय खुदिया	केवल प्राथमिक
6	रायपुर	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, धरसींवा	आर.के.सिन्धी, रामसागर पारा	केवल प्राथमिक (सहायता प्राप्त)
7	राजनांदगांव	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, राजनांदगांव	अभिलाषा स्कूल	केवल प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय (सहायता प्राप्त)
8	सरगुजा	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, लुण्डा	प्राथमिक विद्यालय, इडियन पब्लिक बटवाही	केवल प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय (सहायता प्राप्त)

परिशिष्ट 2.2.5

(संदर्भ: कांडिका क्र. 2.2.7.3 ; पृष्ठ 42)

समस्त प्रबंधकीय विद्यालयों में नामांकनों का विवरण

वर्ष	समस्त प्रबंधकीय				शासकीय+सहायता प्राप्त			
	प्राथमिक विद्यालयों लाख में	गिरावट का प्रतिशत	उच्च प्राथमिक विद्यालय लाख में	गिरावट का प्रतिशत	प्राथमिक विद्यालयों लाख में	गिरावट का प्रतिशत	उच्च प्राथमिक विद्यालय लाख में	गिरावट का प्रतिशत
2010–11	31.58	—	14.79	—	26.32	—	12.50	—
2011–12	31.21	1.17	16.22	—	25.03	4.90	13.59	—
2012–13	30.57	2.05	16.95	—	24.21	3.29	14.04	—
2013–14	29.23	4.38	16.67	1.65	22.59	6.69	13.68	2.56
2014–15	28.88	1.20	16.61	0.36	21.57	4.52	13.36	2.34
2015–16	27.93	3.29	16.64	—	20.11	6.77	13.06	2.25

(स्रोत : आरजीएसएम द्वारा प्रदाय की गई जानकारी तथा लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

($31.58 - 27.93 \times 100 / 31.58 = 11.56$)

($16.64 - 14.79 \times 100 / 14.79 = 12.51$)

परिशिष्ट 2.2.6

(संदर्भ: कांडिका क्र. 2.2.7.3 ; पृष्ठ 42)

निजी विद्यालयों में नामांकन का विवरण

वर्ष	प्राथमिक विद्यालय में लाख में	वृद्धि का प्रतिशत	उच्च प्राथमिक विद्यालय में लाख में	वृद्धि का प्रतिशत (पूर्व वर्ष के संदर्भ में)
2010–11	5.26	—	2.29	—
2011–12	6.18	17.4	2.63	14.85
2012–13	6.36	2.9	2.91	10.64
2013–14	6.64	4.4	2.99	2.74
2014–15	7.31	10.09	3.25	8.69
2015–16	7.82	6.97	3.58	10.15

(स्रोत : आरजीएसएम द्वारा प्रदाय की गई जानकारी तथा लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

($7.82 - 5.26 \times 100 / 5.26 = 48.67$)

($3.58 - 2.29 \times 100 / 2.29 = 56.33$)

परिशिष्ट 2.2.7

(संदर्भ: कांडिका क्र. 2.2.7.3 (ब) ; पृष्ठ 43)

वर्ष 2015–16 में नामांकन के लक्ष्य में कमी का विवरण

(संख्या में)

स.क्र.	नामांकन के लिए निर्धारित लक्ष्य	वास्तविक नामांकन	कमियां
1	44	42	2
2	92	90	2
3	200	133	67
4	25	10	15
5	100	76	24
6	45	42	3
7	113	111	2
8	80	75	5
9	32	25	7
10	24	21	3
11	140	135	5
12	60	50	10
13	80	78	2
14	80	42	38
15	32	31	1
16	66	62	4
17	22	20	2
18	9	7	2
19	20	14	6
20	22	19	3
21	60	35	25
22	50	38	12
23	50	35	15
24	35	2	33
25	37	33	4
26	120	99	21
27	23	16	7
28	350	320	30
29	220	198	22
30	50	43	7
31	189	169	20
32	153	142	11

(स्रोत : विद्यालयों द्वारा प्रदाय की गई जानकारी तथा लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

परिशिष्ट 2.2.8

(संदर्भ: कांडिका क्र. 2.2.7.5 ; पृष्ठ 46)

विद्यालय से बाहर के बालकों का विवरण

विद्यालय से बाहर बालकों की संख्या						
वर्ष	सर्वे के अनुसार विद्यालय से बाहर रहे बालकों की संख्या	प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण के लिए पीएबी द्वारा अनुमोदित	प्रशिक्षण के लिए पीएबी द्वारा शामिल नहीं किए गए बालक	पीएबी द्वारा प्रशिक्षण के लिए अनुमोदित बालकों की संख्या	वास्तवितक उपलब्धियाँ	अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रतिशत
2010–11	178490	106925	71565	60	34682	32
2011–12	128185	96217	31968	75	77366	80
2012–13	64860	52912	11948	82	34140	65
2013–14	76204	62966	13238	83	31397	50
2014–15	56159	39290	16869	70	25107	64
2015–16	50373	39713	10660	79	27581	69
योग	554271	398023	156248		230273	

(स्रोत : आरजीएसएम द्वारा प्रदाय की गई जानकारी तथा लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

परिशिष्ट 2.2.9

(संदर्भ: कांडिका क्र. 2.2.7.6 ; पृष्ठ 47)

सीडब्ल्यूएसएन बालकों को परिवहन सुविधा का विवरण

दिव्यांग बच्चे							
वर्ष	इकाई लागत	सीडब्ल्यूएसएन की संख्या	लाभार्थी	शामिल नहीं किए सीडब्ल्यूएसएन की संख्या	शामिल नहीं किए गए बालकों का प्रतिशत	कुल स्वीकृत बजट (लाख में)	कुल व्यय (लाख में)
2010–11	100	1110	1110	—	—	11.100	11.1
2011–12	300	1500	1238	262	17	45.000	37.14
2012–13	250	6000	1955	4045	67	180.000	58.65
2013–14	250	4333	2641	1692	39	108.325	66.025
2014–15	250	7231	5304	1927	27	180.775	132.6
2015–16	250	6000	5138	862	14	150.000	128.45

(स्रोत : आरजीएसएम द्वारा प्रदाय की गई जानकारी तथा लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

परिशिष्ट 2.2.10

(संदर्भ: कांडिका क्र. 2.2.7.6 ; पृष्ठ 47)

नेत्रहीन बालकों के लिए अनुरक्षण सुविधा का विवरण

वर्ष	इकाई लागत	नेत्रहीन बालकों की संख्या	लाभार्थी	शामिल नहीं किए गए बालक	शामिल नहीं का प्रतिशत	कुल स्वीकृत बजट (लाख में)	कुल किए गए व्यय (लाख में)
2010–11	100	642	642	—	—	6.42	6.42
2011–12	300	1415	902	513	36	42.45	27.06
2012–13	250	7258	1159	6099	84	217.74	34.77
2013–14	250	4698	1882	2816	60	117.45	47.05
2014–15	250	4992	1930	3062	61	124.8	48.25
2015–16	250	7000	1531	5469	78	175	38.27

(स्रोत : आरजीएसएम द्वारा प्रदाय की गई जानकारी तथा लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

परिशिष्ट 2.2.11

(संदर्भ: कांडिका क्र. 2.2.8.1 ; पृष्ठ 47)

वर्ष 2001–10 के दौरान स्वीकृत कार्यों के अधोसंरचना सुविधा की 31 मार्च 2013 की स्थिति का विवरण

(संख्या में)

स.क्र.	आधारभूत संरचना का प्रकार	मार्च 2013 की स्थिति में		
		स्वीकृत	पूर्ण नहीं किए गए आधारभूत संरचना	प्रतिशतता
1	प्राथमिक विद्यालयों के लिए भवन	10051	831	8
2	उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए भवन	8468	456	5
3	अतिरिक्त कक्ष (प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय)	37111	1190	3
4	शौचालय (बालक एवं बालिकाएँ)	8840	27	0.3
5	पेयजल सुविधाएँ	2228	0	0
6	बीआरसी/सीआरसी भवन	2181	47	2
योग		68879	2551	4

(स्रोत : डीपीआई द्वारा प्रदाय की गई जानकारी तथा लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

परिशिष्ट 2.2.12

(संदर्भ: कांडिका क्र. 2.2.8.1 ; पृष्ठ 47)

वर्ष 2010–16 के दौरान स्वीकृत कार्यों के अधोसंरचना सुविधा की 31 मार्च 2016 की स्थिति का विवरण

(संख्या में)

स. क्र..	आधारभूत संरचना का प्रकार	मार्च 2016 की स्थिति में		
		स्वीकृत	पूर्ण नहीं किए गए आधारभूत संरचना	प्रतिशतता
1	प्राथमिक विद्यालयों के लिए भवन	572	75	13
2	उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए भवन	290	46	16
3	अतिरिक्त कक्ष (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय)	13444	2985	22
4	शौचालय (बालक एवं बालिकाएँ)	36607	3556	10
5	पेयजल सुविधाएँ	1438	69	5
5	दिव्यांगों के लिए विशेष शौचालय	38044	7257	19
6	प्रधान पाठक कक्ष	12131	1871	15
7	बाउण्ड्रीवाल	9130	1713	19
8	बीआरसी/सीआरसी भवन	538	230	43
9	विद्युतीकरण	19570	1399	7
10	रैम्प	28495	1787	6
योग		160259	20988	13

(स्रोत : डीपीआई द्वारा प्रदाय की गई जानकारी तथा लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

परिशिष्ट 2.2.13

(संदर्भ: कंडिका क्र. 2.2.8.4; पृष्ठ 49)

शिक्षकों की स्थिति का विवरण

वर्ष	प्राथमिक विद्यालय						उच्च प्राथमिक विद्यालय					
	कुल विद्यालय	प्रतिकूल पीटीआर वाले विद्यालय	प्रतिकूल पीटीआर वाले विद्यालयों का प्रतिशत	अतिशेष शिक्षकों	अतिशेष शिक्षकों वाले विद्यालयों	अतिशेष शिक्षक वाले विद्यालयों का प्रतिशत	कुल विद्यालय	प्रतिकूल पीटीआर वाले विद्यालय	प्रतिकूल पीटीआर वाले विद्यालयों का प्रतिशत	अतिशेष शिक्षकों	अतिशेष शिक्षकों वाले विद्यालयों	अतिशेष शिक्षक वाले विद्यालय की प्रतिशत
2011–12	33163	8965	27	14831	11450	35	13770	4059	29	12229	6597	48
2012–13	33162	8659	26	15675	12856	39	13837	4714	34	11370	6027	44
2013–14	32960	8504	25	15384	11557	35	12433	3644	29	10993	5973	48
2014–15	32937	2755	8	9236	7191	22	12383	3011	24	8708	5683	46
2015–16	30919	4362	14	17739	13947	45	13408	2112	16	15714	8227	61

(स्रोत : आरजीएसएम द्वारा प्रदाय की गई जानकारी)

परिशिष्ट 2.2.14

(संदर्भ: कंडिका क्र. 2.2.8.8 (ब); पृष्ठ 52)

निजी विद्यालयों को फीस की प्रतिपूर्ति का विवरण

वर्ष	विद्यालयों की कुल संख्या	सीटों की कुल संख्या	25 प्रतिशत श्रेणी के अंतर्गत अपेक्षित कुल बालकों की संख्या	प्रवेश लेने वाले बालकों की संख्या	शेष रिक्त सीटों की संख्या	प्रवेश लेने वाले बालकों की प्रतिशत	आवंटित राशि (करोड़ में)	आवंटन जारी करने का माह	निधि जारी करने में विलंब की अवधि माह में
2010–11	2487	उपलब्ध नहीं	—	7080	—	—	निरंक	—	
2011–12	3694	उपलब्ध नहीं	—	10863	—	—	निरंक	—	
2012–13	4021	147759	36940	10432	26508	7	34.99	12 / 2012 एवं 2 / 2013	20
2013–14	4064	146647	36662	17236	19426	12	31.88	4 / 2013 एवं 2 / 2014	
2014–15	4505	164184	41046	38399	2647	23	33.59	4 / 2014 एवं 2 / 2015	
2015–16	4570	167485	41871	21144	20727	13	35.00	4 एवं 12 / 2015	
योग							135.46		

(स्रोत : डीपीआई द्वारा प्रदाय की गई जानकारी तथा लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

परिशिष्ट 2.2.15

(संदर्भ: कंडिका क्र. 2.2.8.9; पृष्ठ 53)

लाभ के आधार पर संचालित विद्यालयों का विवरण

सं. क्र.	विद्यालय का नाम	वर्ष	अर्जित आधिक आय (रु करोड़ में)
1	राजकुमार कालेज, रायपुर	2012–14	1.54
2	प्रणवनंदा अकादमी, रायपुर	2013–14	0.26
3	कृष्ण पब्लिक स्कूल, रायपुर	2012–13	3.17
4	कृष्ण पब्लिक स्कूल, रायपुर	2013–14	3.43
5	श्री बालाजी विद्यामंदिर, रायपुर	2014–15	0.07
योग			8.47

(स्रोत : डीईओ रायपुर द्वारा प्रदाय की गई जानकारी तथा लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

परिशिष्ट 2.2.16

(संदर्भ: कांडिका क्र. 2.2.10.1; पृष्ठ 57)

गणवेश वितरण में अधिक व्यय का विवरण

(राशि ₹ में)

वर्ष	गणवेश वितरण (साईंज 20" से 26" तथा 28" से 34")	कुल व्यय	सर्वशिक्षा अभियान अनुसार प्रति दो सेट दर ₹ 400	अधिक व्यय
2014–15	1438014 (बालकों—799434, बालिकाओं—638580)	399475600	287602800	11187200
2015–16	2464729 (बालक—1086832, बालिकाओं—1377897)	622959249	492943800	130015449
योग	3902743 (बालकों—1886266, बालिकाओं—2016477)	1022434849	780546600	241888249

(स्रोत : डीपीआई द्वारा प्रदाय की गई जानकारी तथा लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

परिशिष्ट 2.2.17

(संदर्भ: कांडिका क्र. 2.2.10.1; पृष्ठ 58)

गणवेश क्रय में परिहार्य व्यय का विवरण

(राशि ₹ में)

आपूर्ति आदेश / दिनांक	200164 सेट का मूल्य दर (01.07.2010 से प्रभावी)			200164 सेट का मूल्य दर (01.10.2011 से प्रभावी)			परिहार्य व्यय
	प्रति सेट दर ₹ 205.50	प्रति सेट दर ₹ 262 उच्च प्राथमिक शाला हेतु 141080 सेट (साईंज 20" से 26")	200164 सेटों का कुल मूल्य	प्रति सेट दर ₹ 256 प्राथमिक शाला हेतु 141080 सेट (साईंज 20" से 26")	प्रति सेट दर ₹ 328 उच्च प्राथमिक शाला हेतु 59084 सेट (साईंज 28" से 34")	200164 सेटों का कुल मूल्य	
848–849 / 24–08–11	28991948	15472148	44464096	36116480	19379552	55496032	11031936

(स्रोत : डीपीआई द्वारा प्रदाय की गई जानकारी तथा लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

परिशिष्ट 2.2.18

(संदर्भ: कांडिका क्र. 2.2.10.2; पृष्ठ 58)

पाठ्य पुस्तकों पर व्यय का विवरण

वर्ष	कक्षा का नाम	निर्धारित मापदण्ड के अनुसार अधिकतम भुगतान योग्य राशि / इकाई	प्रति युनिट भुगतान (₹ में)	कक्षा में कुल बालकों की संख्या जिसको पाठ्यपुस्तक वितरण किया गया	पाठ्य पुस्तक निगम को भुगतान की गई कुल राशि (₹ में)	मापदंड के अनुसार कुल भुगतान (₹ में)	मापदंड से अतिरिक्त लागत (₹ में)
2012–13	आठवीं	250	258	299119	77172702	74779750	2392952
2013–14	सातवीं	250	256	336858	86235648	84214500	2021148
	आठवीं	250	287	347239	99657593	86809750	12847843
2014–15	छठवीं	250	266	338520	90046320	84630000	5416320
	सातवीं	250	288	333762	95455932	83440500	12015432
	आठवीं	250	317	332535	105413595	83133750	22279845
2015–16	सातवीं	250	264	322520	85145280	80630000	4515280
	आठवीं	250	299	317265	94862235	79316250	15545985
योग			2627818	733989305	656954500	77034805	

(स्रोत : आरजीएसएम द्वारा प्रदाय की गई जानकारी तथा लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

परिशिष्ट 2.2.19
(संदर्भ: कंडिका क्र. 2.2.10.3; पृष्ठ 58)

दस फर्मों को वैट राशि के रूप में किये गये अधिक भुगतान का विवरण

(राशि ₹ में)

सं. क्र.	फर्म का नाम	क्रय आदेश/दिनांक	फर्नीचर की संख्या	क्रय आदेश की राशि	किया गया भुगतान	आधिक्य/वैट की राशि
1	श्री साई इण्डस्ट्रीज, अम्बिकापुर	2160 / 03-03-2011	632	998560	1144349	145789
2	श्री साई इण्डस्ट्रीज, अम्बिकापुर	2075 / 18-02-2011	506	799480	916203	116723
3	सूर्या स्टील एण्ड वूडन इण्डस्ट्रीज अम्बिकापुर	2069 / 18-02-2011	632	998560	1145088	146525
4	सूर्या स्टील एण्ड वूडन इण्डस्ट्रीज अम्बिकापुर	2438 / 18-03-2011	192	151680	173937	22257
5	अम्बिकापुर आलमीरा एंड स्टील फेब्रीकेटर, अम्बिकापुर	2161 / 03-03-2011	632	998560	1145049	146489
6	अम्बिकापुर आलमीरा एंड स्टील फेब्रीकेटर, अम्बिकापुर	2068 / 18-02-2011	1583	2501140	2868057	366917
7	अम्बिकापुर आलमीरा एंड स्टील फेब्रीकेटर, अम्बिकापुर	2079 / 18-02-2011	822	1298760	1498288	199528
8	सलेनो देवगढ़ अम्बिकापुर	2067 / 18-02-2011	2025	3199500	3668867	469367
9	मेसर्स श्याम मेटल प्रोडक्ट केतका, सूरजपुर	2074 / 18-02-2011	822	1298760	1489287	190527
10	मेसर्स श्याम मेटल प्रोडक्ट केतका, सूरजपुर	2070 / 18-02-2011	822	1298760	1489287	190527
11	पंकज फर्नीचर मार्ट, अम्बिकापुर	2065 / 18-02-2011	1580	2496400	2862622	366222
12	पंकज फर्नीचर मार्ट, अम्बिकापुर	2077 / 18-02-2011	1580	2496400	2862622	366222
13	महामाया फेब्रीकेटर, अम्बिकापुर	2076 / 18-02-2011	1265	1998700	2290510	291810
14	दर्शन फेब्रीकेटर, स्टेशन रोड, रायपुर	2071 / 18-02-2011	1265	1998700	2291909	293209
15	महारानी स्टील एण्ड एप्लाइंस, रायपुर	2066 / 18-02-2011	632	998560	1144349	145789
योग			14990	23532520	26990424	3457901

(स्रोत : डीपीसी, सरगुजा द्वारा प्रदाय की गई जानकारी तथा लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

परिशिष्ट 2.2.20
(संदर्भ: कंडिका क्र. 2.2.10.3 ; पृष्ठ 59)

बिना आपुर्ति के फर्म को किये गये भुगतान का विवरण

सं. क्र.	फर्म का नाम	क्रय आदेश/दिनांक	फर्नीचर की संख्या	राशि (₹ में)	वैट सहित भुगतान (₹ में)
1	दर्शन फेब्रीकेटर, स्टेशन रोड, रायपुर	2071 / 18-02-2011	1265	1998700	2291909
2	महारानी स्टील एण्ड एप्लाइंस, रायपुर	2066 / 18-02-2011	632	998560	1144349
3	सलेनो देवगढ़ अम्बिकापुर	2067 / 20-04-2011	559	883220	1012788
4	महामाया फेब्रीकेटर, अम्बिकापुर	2076 / 18-02-2011	76	120080	137695
योग			2532	4000560	4586741

(स्रोत : डीईओ द्वारा प्रदाय की गई जानकारी तथा लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

परिशिष्ट 2.3.1

(संदर्भ : कांडिका क्र. 2.3.5 ; पृष्ठ 69)

लेखापरीक्षा द्वारा चयनित जिलों में चयनित पैकेजों की संख्या का विवरण

जिला	वर्ष 2011–16 के दौरान क्रियान्वित किये गये कुल पैकेजों और सङ्कों का विवरण					योग									
	पैकेजों की संख्या	पैकेज की संख्या	सङ्कों की संख्या	क्रमी लंबाई (मि.)	करोड़ रुपय (₹ मि.)	पैकेजों की संख्या	पैकेज की संख्या	सङ्कों की संख्या	क्रमी लंबाई (मि.)	करोड़ रुपय (₹ मि.)	पैकेजों की संख्या	पैकेज की संख्या	सङ्कों की संख्या	क्रमी लंबाई (मि.)	करोड़ रुपय (₹ मि.)
रायपुर	17	59	285	74.01	105	302	897	254.27	122	361	1182	328.28			
बिलासपुर	12	67	294	91.72	63	212	581	195.47	75	279	875	287.19			
जशपुर	19	50	280	106.95	55	222	714	277.48	74	272	994	384.43			
राजनांदगाँव	36	179	591	119.66	59	171	308	112.47	95	350	899	232.13			
दंतेवाडा	44	73	366	54.49	6	6	0	0.18	50	79	366	54.67			
कांकेर	28	64	234	52.19	54	126	358	27.87	82	190	592	80.06			
योग	156	492	2050	499.02	342	1039	2858	867.74	498	1531	4908	1366.76			

क्रियान्वयन लेखा परीक्षा हेतु 2011–16 के दौरान क्रियान्वित कार्यों में चयनित पैकेजों एवं सङ्कों का विवरण

जिला	01.04.2011 के जारी					2011–16 के दौरान स्थीरूत					योग				
	पैकेजों की संख्या	पैकेज की संख्या	सङ्कों की संख्या	क्रमी लंबाई (मि.)	करोड़ रुपय (₹ मि.)	पैकेजों की संख्या	पैकेज की संख्या	सङ्कों की संख्या	क्रमी लंबाई (मि.)	करोड़ रुपय (₹ मि.)	पैकेजों की संख्या	पैकेज की संख्या	सङ्कों की संख्या	क्रमी लंबाई (मि.)	करोड़ रुपय (₹ मि.)
रायपुर	4	21	96	29.20	29	85	221	72.49	33	106	317	101.69			
बिलासपुर	3	20	109	43.14	18	69	158	53.20	21	89	267	96.34			
जशपुर	6	14	114	45.93	12	55	183	71.36	18	69	297	117.29			
राजनांदगाँव	8	31	143	26.59	16	38	44	16.94	24	69	187	43.53			
दंतेवाडा	11	19	113	19.21	2	2	0	0.18	13	21	113	19.39			
कांकेर	6	16	66	13.51	16	26	76	11.46	22	42	142	24.97			
योग	38	121	641	177.58	93	275	682	225.63	131	396	1323	403.21			

(स्रोत: सीजीआरआरडीए द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचनाएं)

परिशिष्ट 2.3.2

(संदर्भ : कडिका क्र. 2.3.7.3; पृष्ठ 72)

उन्नयन कार्य का नयी संपर्कता पर प्राथमिकता दिये जाने का विवरण

(₹ लाख में)

उन्नयन कार्य								
क्र.	जिला	पैकेज क्रमांक	स्वीकृत वर्ष	सडकों की संख्या	स्वीकृत लागत	पूर्णता तिथि	व्यय	नई संपर्कता /उन्नयन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रायपुर	सीजी 1466	2007–2008	4	1063.39	1.3.2014	990.52	उन्नयन
2	रायपुर	सीजी 1486	2008–2009	2	573.35	1.8.2011	469.19	उन्नयन
योग				6			1459.71	
3	बिलासपुर (मुंगेली)	सीजी 0266	2008–2009	4	1038.46	31.12.2013	1162.14	उन्नयन
योग				4			1162.14	
4	राजनांदगाँव	सीजी 1549	2007–2008	5	1010.65	1.3.2013	620.2	उन्नयन
5	राजनांदगाँव	सीजी 1553	2007–2008	1	696.65	30.01.2015	144.97	उन्नयन
योग				6			765.17	
महायोग				16			3387.02	

परिशिष्ट 2.3.3

(संदर्भ : कांडिक क्र. 2.3.7.4; पृष्ठ 73)

सड़कों के अधिक चौड़ाई के क्रियान्वयन के कारण ₹ 9.09 करोड़ की अतिरिक्त लागत दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹ लाख में)

क्र,	जिला	सड़कों की संख्या	स्वीकृत लागत	प्रति दिन मोटर चालित वाहन की संख्या (एमवीपीडी)	3.75 मीटर की सड़क की चौड़ाई को क्रियान्वित करने के लिए किए गया वास्तविक व्यय (डब्लुबीएम 11, डब्लुबीएम 111, प्राइम कोट, टेक कोट, ओजीपीसी, सील कोट और पीसीसी-एम 30)	3.00 मीटर की सड़क की चौड़ाई के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक राशि (डब्लु बीएम 11, डब्लुबीएम 111, प्राइम कोट, टेक कोट, ओजीपीसी, सील कोट और पीसीसी-एम 30)	अतिरिक्त लागत
1	रायपुर (रायपुर गरियाबंद और बलौदाबाजार)	23	2821.78	48 से 94	1257.81	1007.38	250.43
2	बिलासपुर (बिलासपुर और मुंगेली)	8	1416.79	29 से 92	707.47	567.97	139.50
3	जशपुर	12	3350.17	53 से 78	1270.10	1017.49	252.61
4	राजनांदगाँव	18	2084.59	30 से 72	526.33	421.72	104.60
5	दतेवाड़ा	13	2122.39	32 से 78	320.85	257.15	63.71
6	कांकेर	6	771.00	35 से 44	492.83	394.37	98.46
योग		80	12566.72		4575.39	3666.08	909.31

परिशिष्ट 2.3.4

(संदर्भ कडिका क्र. 2.3.7.6, पुस्त 74)

नवीनीकरण कार्य क्रियान्वयन में भौजूदा बीटी सतह में एमएसएस के स्थान पर ओजीपीसी और सील कोट करने पर ₹ 2.25 करोड़ का अतिरिक्त लागत दर्शाने वाला विवरण पत्रक

सं. क्र.,	जिला	सड़कों की संख्या	कार्य आदेश दिनांक	ओजीपीसी की मात्रा (वर्ग मीटर में)	दर (₹ में)	राशि (₹ लाख में)	सील कोट की मात्रा (वर्ग मीटर में)	दर (₹ में)	राशि (₹ लाख में)	कुल राशि (₹ लाख में)	एमएसएस कि आवश्यक मात्रा (वर्ग मीटर में)	एमएसएस का दर (वर्ग मीटर में)	राशि (₹ लाख में)	अंतर (₹ लाख में)
1	रायपुर (रायपुर गरियाबंद और बलौदाबाजार)	14	अप्रैल 2015 से जून 2015	330561.25	155	512.37	330561.25	56	185.11	697.48	330561.25	180	595.01	102.47
2	बिलासपुर (बिलासपुर और मुंगेती)	12	जुलाई 2015	188651.25	155	292.41	188651.25	56	105.64	398.05	188651.25	180	339.57	58.48
3	राजनांदगाँव	10	मई 2015	97718.34	155	151.46	97718.34	56	54.72	206.19	97718.34	180	175.89	30.29
4	दंतेवाडा	2	जनवरी 2016	26438.76	155	40.98	26438.76	56	14.81	55.79	26438.76	180	47.59	8.20
5	कांकेर	7	मई 2015	80915.35	155	125.42	80915.35	56	45.31	170.73	80915.35	180	145.65	25.08
योग		45		724284.95		1122.64	724284.95		405.59	1528.24	724284.95		1303.71	224.52

परिशिष्ट 2.3.5

(संदर्भ : कांडिका क्र. 2.3.7.7, पृष्ठ 74)

सेतुओं के अभाव के कारण सड़कों पर ₹ 23.29 करोड़ का अनुत्पादक व्यय दर्शाने वाला विवरण पत्रक

क्र	जिला	पैकेज	स्वीकृत वर्ष	सड़क का नाम	व्यय (₹ करोड़ में)	सड़क पूर्ण होने की स्थिति	सेतुओं की स्थिति	लक्षित बसाहट	जनसंख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	रायपुर (गरियाबंद)	सीजी 1429	2005–06	एसएच 2बी((221किमी)–कुमहाडाइकला	6.8	01.01.2014	एसटिए द्वारा अनुमोदित	कुमहाडाइकला	1002
2	रायपुर (गरियाबंद)	सीजी 1469	2007–08	एसएच 2बी (उरतुली)से गरियाबंद	9.84	01.07.2009	एसटिए द्वारा अनुमोदित	उरतुली	385
3	रायपुर (गरियाबंद)	सीजी 1425	2005–06	पलेमा से पंढरीपानी	1.99	01.06.2008	प्रक्रिया के तहत प्रस्ताव	पंढरीपानी	1006
योग					18.63				2393
4	रायपुर	सीजी 1496	2011–12	पकरीडीह–टेकारी	1.76	प्रगति पर	प्रस्तावित	टेकारी	636
योग					1.76				636
5	बिलासपुर	सीजी 0268	2011–12	टि 02 कुलीकुकदा.–बसाह	1.55	मार्च–14	प्रस्तावित	बसहा और उड़ंगी	966
योग					1.55				966
6	राजनांदगाँव	सीजी 1554	2007–08	खडगांव से डोरबा	0.33	मार्च–12	प्रस्तावित	डोरबा	853
7	राजनांदगाँव	सीजी 1509	2004–05	इरगांव से नेडगांव	0.73	अप्रैल–06	प्रस्तावित	नेडगांव	2222
8	राजनांदगाँव	सीजी 1556	2007–08	कोंडे जंक्शन से कोंडे	0.29	मार्च–12	2013–14 में स्वीकृत	कोंडे	565
योग					1.35				3640
महायोग					23.29				7635

परिशिष्ट 2.3.6

(संदर्भ : कंडिका क्र. 2.3.8.2; पृष्ठ 76)

राज्य की अन्य एजेंसियों द्वारा सड़कों के क्रियान्वयन के कारण राज्य सरकार पर ₹ 5.16 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त भार दर्शाने वाला विवरण पत्रक

क्र	जिला	सड़क का नाम	पैकेज क्र.	स्वीकृत लागत (₹ लाख में)	क्रियान्वित करने वाली एजेंसी
1	बिलासपुर	टी 09 से पॉडी (एल 065)	सीजी 0112	119.00	पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क निर्माण
2	बिलासपुर	मुरकुटा से नवांगांव (एल 073)	सीजी 0112	134.00	पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क निर्माण
योग				253.00	
3	राजनांदगाँव	टी 02 –देवरीभाट	सीजी 1549	89.34	पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क निर्माण
योग				89.34	
4	दंतेवाड़ा	नकुलनार –गढ़मीरी सड़क 2.00 किमी से मुंडापारा	सीजी 0391	89.69	पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क निर्माण
योग				89.69	
5	जशपुर	पश्चिमटोला–टि–05 एनएच–78 (एल050)	सीजी 0770	83.53	एमएमजीएसवाई द्वारा सड़क निर्माण
योग				83.53	
महायोग				515.56	

परिशिष्ट 2.3.7

(संदर्भ : कांडिका क्र. 2.3.10.1, पृष्ठ 79)

कार्यों के पूर्ण होने में विलंब को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

सं. क्र	जिला	सङ्को की संख्या	विलंबित पैकेजों की संख्या	विलंब अवधि	विलंब के कारण
1	रायपुर (रायपुर, गरियाबंद और बलौदाबाजार)	33	15	03 माह से 06 माह	जमीन विवाद (04), वन विभाग की अनुमति में विलंब (01), भारी वर्षा (05), नक्सल गतिविधि (02) और अन्य कारण(03)
2	बिलासपुर (बिलासपुर और मुंगेली)	21	18	02 माह से 60 माह	जमीन विवाद (04), वन विभाग की मंजूरी में विलंब (01),भारी वर्षा (13)
3	जशपुर	18	16	01 माह से 87 माह	जमीन विवाद (01), भारी वर्षा (04),नक्सल गतिविधि (03) और अन्य कारण (08)
4	राजनांदगाँव	24	12	05 माह से 83 माह	जमीन विवाद (02),नक्सल गतिविधि (07) और अन्य कारण (03)
5	दतेवाड़ा	13	11	40 माह से 129 माह	नक्सल गतिविधि (11)
6	कांकेर	22	10	01 माह से 113 माह	नक्सल गतिविधि (09) और अन्य कारण (01)
योग		131	82	01 माह से 129 माह	जमीन विवाद (11), वन विभाग की अनुमति में विलंब (02) भारी वर्षा (22),नक्सल गतिविधि (32) और अन्य कारण (15)

परिशिष्ट 2.3.8

(संदर्भ : कांडिका क्र. 2.3.10.1; पृष्ठ 79)

कार्य के क्रियान्वयन में विलंब के कारण ठेकेदारों से ₹ 4.49 करोड़ की शास्ति वसूली नहीं किये जाने का विवरण पत्रक

सं. क्र.	जिला	नया पीआईयू	पैकेजों की संख्या	स्वीकृत वर्ष	कार्य आदेश दिनांक	निविदा राशि (₹लाख में)	पूर्णता की नियत तिथि	वास्तविक पूर्णता दिनांक	विलंब महीनों में	समय वृद्धि	समय वृद्धि का कारण	वसूली योग्य एलडी/ शास्ति (₹ करोड़ में)	आरए बिल से वसूली की गयी एलडी/ शास्ति (₹ करोड़ में)	शेष राशि (₹ करोड़)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=(13– 14)
1	बिलासपर	मुंगेली	सीजी 0251	2006–2007	11.10.2006	1115.00	21.05.2008	28.04.2012 (II ठेकेदार)	47	निरंक	-	2.04	1.42	0.62
2	बिलासपर	मुंगेली	सीजी 0246	2006–2007	25.06.2007	791.00	25.06.2008	04.12.2014 (II ठेकेदार)	76	निरंक	-	1.37	0.56	0.81
3	बिलासपर	मुंगेली	सीजी 0276	2011–12	18.09.2013	524.44	28.09.2014	प्रगतिरत (प्रथम अनुबंध निरस्त)	15	31.12.2014 तक	भारी वर्षा, तैयार फसल, रेत पर प्रतिबंध	1.07	0.43	0.64
4	बिलासपर	मुंगेली	सीजी 0268	2011–2012	18.04.2012	719.38	18.04.2013	31.03.2014	45 दिवस	15.12.2013 तक	भारी वर्षा, नहर का निर्माण, सड़क के दोनों किनारे तैयार फसल	0.50	0.03	0.47
5	राजनांदगांव	राजनांदगांव	सीजी 1556	2007–08	02.04.2008	809.28	01.04.2009	प्रगतिरत	72	निरंक	-	1.37	0.68	0.69
6	जशपुर	जशपुर	सीजी 0729	2007–2008	20.08.2008	988	21.08.2009	31.12.2014 (II ठेकेदार)	62	निरंक	-	2.13	0.87	1.26
योग					4947.10						8.48	3.99	4.49	

परिशिष्ट 2.3.9

(संदर्भ : कांडिका क्र. 2.3.10.2 ; पृष्ठ 80)

लागत के ₹ 21.22 करोड़ से बढ़ जाने का विवरण

₹ करोड़ में

जिला	पैकेज क्रमांक	स्वीकृत वर्ष	ठेकेदारों का नाम (प्रथम)	अनुबंध का मूल्य	देयक की मात्रा (राशि)	शेष मात्रा (राशि)	ठेकेदारों का नाम (द्वितीय)	शेष कार्य के पुनरीक्षित प्राक्कलन अंकित दर के अनुसार	संभावित अतिरिक्त लागत
1	2	3	4	5	6	7=(5-6)	8	9	10=(9-7)
रायपुर (गरियाबांद)	सीजी 1429	2005–06	बाफना कन्स्ट्रक्शन	10.32	8.38	1.93	अर्थव कन्स्ट्रक्शन	4.35	2.42
योग				10.32	8.38	1.93		4.35	2.42
बिलासपुर (मुंगेली)	सीजी 0251	2006 – 07	में.बालाजी कन्स्ट्रक्शन	11.15	1.96	9.19	में. सुनील कुमार अग्रवाल	14.05	4.86
बिलासपुर (मुंगेली)	सीजी 0246	2006 – 07	बी.मुर्ति पिल्लई	7.91	3.29	4.62	में. लैंडमार्क इंजिनियर्स	7.65	3.03
बिलासपुर (मुंगेली)	सीजी 0266	2008 –09	में.विजया कन्स्ट्रक्शन	8.56	4.25	4.31	में. सुनील कुमार अग्रवाल	6.99	2.68
बिलासपुर (मुंगेली)	सीजी 0276	2011 –12	में. जी.सी. जैन	5.24	0.79	4.45	में. अनील बिल्डकॉन	4.67	0.22
योग				32.86	10.29	22.57	0	33.36	10.79
जशपुर	सीजी 0729	2007–08	में. लाल बाबू सिंग	9.88	3.23	6.65	में. विनोद कुमार जैन	14.66	8.01
महायोग				53.06	21.9	31.15		52.37	21.22

परिशिष्ट 2.3.10

(संदर्भ : कंडिका क्र. 2.3.10.4, पृष्ठ 82)

ठेकेदार से वसूल नहीं की गयी परिसमापन क्षति की राशि ₹ 4.99 करोड़ का विवरण

(₹ लाख में)

पैकेज क्रमांक	अनुबंध क्र. /दिनांक	अनुबंध की राशि	पूर्ण करने का निर्धारित दिनांक	पूर्ण होने का वास्तविक दिनांक	सुरक्षा जमा राशि	विविध जमा	निष्पादन सुरक्षा जमा	कुल उपलब्ध निधि	परिसमाप न क्षति की राशि	मोबीलाइजे शन तथा मशिनरी अग्रिम का शेष	मरम्मत कार्य की राशि	वसूली योग्य कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9= (6+7+ 8)	10	11	12	13= (10+11+1 2)
सीजी 1449	डीएल-03 / 07-08, दिनांक 14.06.07	899.96	28.06.2008	30.06.2010	19.92	3.60	0	23.52	90.00	0	52.57	142.57
सीजी 1457	डीएल-11 / 07-08 दिनांक 13.03.08	674.97	27.03.2009	30.06.2014	19.98	117.50	43.75	181.23	67.5	10.07	37.07	114.64
सीजी 1466	डीएल-04 / 07-08 दिनांक 03.03.08	1108.72	18.03.2009	15.06.2014	51.19	55.10	56.57	162.86	110.77	51.69	79.80	242.26
योग		2683.65			119.66	91.09	176.20	367.61	268.27	61.76	169.44	499.47

परिशिष्ट 2.3.11

(संदर्भ : कांडिका क्र. 2.3.10.5 (i); पृष्ठ 82)
भौतिक सत्यापन हेतु चयनित सङ्कों का विवरण

क्र	जिला	सङ्क का नाम
1	रायपुर (रायपुर, गरियाबंद तथा बलौदाबाजार)	एसएच- तुहीयामुडा (पैकेज सीजी 14108)
2		छडिया-मर्डईपुर (पैकेज सीजी 14-95)
3		एल 031-चिंचोली से केओतरा वाया गौरखेडा (पैकेज सीजी 14127)
4		टी 02-धुराबांधा-पौसरी (पैकेज सीजी 1490)
5		टी 01 से बिनौरी (पैकेज सीजी 1466)
6	बिलासपुर (बिलासपुर तथा मुंगेली)	एल033 सिलदाहा-दिघोरा (पैकेज सीजी 0251)
7		टी 033 पड़ीयाइन से रापाझोरी (पैकेज सीजी 0252)
8		एल 045 से बटहा (पैकेज सीजी 0268)
9		टी 02 कुलीकुकुदा -बसहा (पैकेज सीजी 0268)
10		एल 033-उसलापुर से पौंडी रोड़ (पैकेज सीजी 02111)
11	राजनांदगाँव	टी 10-बागदवार (पैकेज सीजी 15104)
12		कारमरी-गोधलवाही-रामामठीया (पैकेज सीजी 15106)
13		पटपर-भरुवाटोला (पैकेज सीजी 15108)
14		मेधा से मेरेगांव (पैकेज सीजी 15108)
15		टी 08-गाडाघाट (पैकेज सीजी 15125)
16	जशपुर	टीआर 03 से हर्रडीपा (पैकेज सीजी 0757)
17		तुरीलोदम-टीआर 01छोटाकोरजा (पैकेज सीजी 0775)
18		कुम्हारढाब से टीआर 02 (पैकेज सीजी 0780)
19		मयुरचंदी-एल 038 (पैकेज सीजी 0782)
20		टी-13-कुरकुरीया (पैकेज सीजी 0761)
21	कांकेर	नथीयानवागांव-बाघापारा (पैकेज सीजी 0848)
22		एसएच 06 पटोद से अंजनीपारा (पैकेज सीजी 0848)
23		अलबेलापारा-सिदेसर (पैकेज सीजी 0823एम 01)
24		एनएच 43(किमी 142 / 4)सिंधारभाट-व्यासकोंगोरा (पैकेज सीजी 0817 एम 01)
25	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा-किरंदुल रोड किमी 31.00-बैंगपाल (पैकेज सीजी 0360)
26		छिदनार से गुटोली (पैकेज सीजी 03701एम 01)
27		बडेपनेडा-मदसे रोड़-कटुलनार (पैकेज सीजी 0325 एम 01)
28		झलियारस से सोनाकुकनार (पैडापारा)(पैकेज सीजी 0310)

परिशिष्ट 2.3.12

(संदर्भ : कांडिका क्र. 2.3.10.5(i), पृष्ठ 82)

कम संख्या में सीडी कार्य के क्रियान्वयन को दर्शाने वाला विवरण

क्र	जिला	सड़क का नाम	डीपीआर में सीडी कार्यों की संख्या	सीडी कार्य क्रियान्वित करना	कम संख्या में सीडी कार्य क्रियान्वित करना
1	2	3	4	5	6=(4-5)
1	रायपुर (रायपुर, गरियाबांद और बलौदाबाजार)	टी 02—धुराबांधा—पौंसरी (पैकेज सीजी 1490)	6	4	2
2		एसएच—तुहीयामुडा (पैकेज सीजी 14108)	6	5	1
3	बिलासपुर	एल 033 सीलदहा—दिघोरा (पैकेज सीजी 0251)	2	1	1
4		एल 045 से बटहा	4	2	2
5	राजनांदगाँव	पटपर—भरुवाटोला (पैकेज सीजी 15108)	3	1	2
6		मेधा से मेरेगांव (पैकेज सीजी 15108)	3	0	3
7	जशपुर	टीआर 03 से हराडीपा (पैकेज सीजी 0757)	2	0	2
8		कुम्हारढाब से टीआर 02 (पैकेज सीजी 0780)	2	0	2
9		मयुरचंदी—एल 038 (पैकेज सीजी 0782)	4	1	3
10	कांकेर	नथीयानवागांव—बाघापारा (पैकेज सीजी 0848)	3	0	3
11		अलबेलापारा—सिदेसर (पैकेज सीजी 0823एम 01)	2	0	2
12		एनएच 43(किमी 142/4) सिंगारभाटा—व्यासकोंगेरा (पैकेज सीजी 0817 एम 01)	8	2	6
13		आमाबेडा—चंगोडी (पैकेज सीजी 0834 iii)	23	13	10
14	दत्तेवाड़ा	दत्तेवाड़ा—किरंदुल रोड़ किमी 31.00—बैंगपाल (पैकेज सीजी0360)	8	7	1
15		छिंदनार से गुटोली (पैकेज सीजी 03701एम01)	3	2	1
16		बडेपनेड़ा—मदसे रोड़—कटुलनार (पैकेज सीजी0325 एम01)	8	4	4
योग			87	42	45

परिशिष्ट 2.3.13

(संदर्भ : कंडिका क्र. 2.3.10.5 (i); पृष्ठ 82)
कम लंबाई की सड़कों के क्रियान्वयन का विवरण

संक्र	जिला	सड़कों के नाम	डीपीआर में सड़क की लंबाई (किमी में)	क्रियान्वित सड़क की लंबाई (किमी में)	कम क्रियान्वित की गयी सड़क की लंबाई (किमी में)
1	2	3	4	5	6=(4-5)
1	रायपुर (रायपुर, गरियाबंद और बलौदाबाजार)	टी 02—धुर्गाबांधा—पौंसरी (पैकेज सीजी 1490)	5	4	1
2		छड़िया से मडाईपुर (पैकेज सीजी 1495)	2.8	2.71	0.07
3		गौरखेड़ा से चिचोली (पैकेज सीजी 14127)	2.25	2.02	0.23
4		एसएच—तुहीयामुड़ा (पैकेज सीजी 14108)	4.05	3.97	0.08
5	बिलासपुर (बिलासपुर और मुंगेली)	एल 045 से बटहा	12.3	12	0.3
6		टी 02 कुलीकुकदा—बसहा (पैकेज सीजी 0268)	5.01	4.91	0.1
7	जशपुर	तुरीलोदम—टीआर 01 छोटाकोरजा (पैकेज सीजी 0775)	1.5	1.35	0.15
8		कुम्हारढाब से टीआर 02 (पैकेज सीजी 0780)	1.5	1.4	0.1
9	कांकेर	नथीयानवागांव—बाघापारा (पैकेज सीजी 0848)	1.02	0.85	0.17
10		एसएच 06 पटौद से अंजनीपारा (पैकेज सीजी 0848)	1.8	1.55	0.25
11		अलबेलापारा—सिदेसर (पैकेज सीजी 0823एम 01)	5.3	5.19	0.11
12		आमाबेड़ा—चंगोड़ी (पैकेज सीजी 0834 iii)	13.2	9.8	3.4
योग			55.73	49.75	5.96

परिशिष्ट 2.3.14

(संदर्भ : कांडिका क्र. 2.3.11.1, पृष्ठ 83)

एसक्यूएम/एनक्यूएम द्वारा निरीक्षणों के किए जाने में कमी का विवरण

स. क्र.	जिला	पूर्ण सड़कों की संख्या	अवधि जिनके दौरान सड़कें पूर्ण हुई	एसक्यूएम द्वारा अपेक्षित निरीक्षण	एसक्यूएम द्वारा किए गए निरीक्षण	कमी	एस	यू	एस आर आई	आवश्यक एटीआर	प्रस्तुत एटीआर	एनक्यूएम द्वारा अपेक्षित निरीक्षण	एनक्यूएम द्वारा किए गए निरीक्षण	कमी	एस	यू	एसआर आई	आवश्यक एटीआर	प्रस्तुत एटीआर
1	रायपुर (रायपुर, गरिहाबंद और बलौदाबाजार)	69	जून 2008 से जनवरी 2016	217	173	44	156	9	8	17	18	67	23	44	16	4	3	7	6
2	बिलासपुर (बिलासपुर और मुंगेली)	66	मई 2012 से मार्च 2016	199	147	52	122	8	17	25	24	63	25	38	17	0	8	8	5
3	जशपुर	55	मार्च 2007 से मार्च 2016	182	155	27	135	6	14	20	20	55	26	29	16	3	7	10	10
4	राजनांदगाँव	49	जून 2009 से फरवरी 2016	127	71	56	54	4	13	17	17	40	18	22	15	3	0	3	3
5	दंतेवाड़ा	6	अप्रैल 2006 से अप्रैल 2015	18	8	10	2	1	5	6	6	6	4	2	1	2	1	3	3
6	कांकेर	10	अप्रैल 2010 से मार्च 2016	30	16	14	12	2	2	4	4	11	7	4	3	2	2	4	4
योग		255		773	570	203	481	30	59	89	89	242	103	139	68	14	21	35	31

परिशिष्ट 2.4.1

(संदर्भ: कंडिका क्र. 2.4.9.2; पृष्ठ 96)

नॉन-एग्रीमेंटेड देयकों के माध्यम से अनियमित भुगतान किए जाने के कारण राजस्व की हानि संबंधी विवरण

संक्र	व्हाउचर क्रमांक	व्हाउचर दिनांक	भुगतान किया गया	विवरण	सकल राशि	भुगतान राशि	वैट एवं आयकर
विद्युत एवं यांत्रिकी संभाग रायपुर							
1	1	01.01.2015	चेतन इंडस्ट्रीज लिमिटेड	जी.आई. पाइप की आपूर्ति	2944019	2944019	206081
2	15	04.11.2015	टाटा मोटर्स लिमिटेड	सूमो गोल्ड एक्स की आपूर्ति	1553738	1553738	248598
3	3	05.05.2014	गौतम प्लास्टिक एंड इंडस्ट्रीज	यूपीवीसी केसिंग पाइप की आपूर्ति	3483201	3483201	243824
4	40	06.11.2015	टाटा मोटर्स लिमिटेड	एसएफसी 709 एक्स बीएस III / 38 सीएलबी की आपूर्ति	984320	984320	157491
5	2	07.10.2013	कृष्णा आयरन स्ट्रिप्स और ट्यूब प्राइवेट लिमिटेड	32 मिमि व्यास जीआई पाइप की आपूर्ति	5602297	5602297	392161
6	218	12.03.2015	वीवर इंजीनियरिंग कारपोरेशन	डिगर हैमर की आपूर्ति	110040	110040	7703
7	219	12.03.2015	वीवर इंजीनियरिंग कारपोरेशन	डिगर बटन बिट की आपूर्ति	109200	109200	7644
8	220	12.03.2015	वीवर इंजीनियरिंग कारपोरेशन	6" डिगर हैमर की आपूर्ति	109200	109200	7644
9	222	12.03.2015	वीवर इंजीनियरिंग कारपोरेशन	डिगर हैमर की आपूर्ति	109200	109200	7644
10	223	12.03.2015	वीवर इंजीनियरिंग कारपोरेशन	डिगर बटन बिट की आपूर्ति	109200	109200	7644
11	224	12.03.2015	वीवर इंजीनियरिंग कारपोरेशन	डिगर बटन बिट की आपूर्ति	109200	109200	7644
12	4	15.02.2013	मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड, रायपुर	टाटा ट्रकों की खरीदारी	3502578	3502578	560412
13	18	17.01.2013	टाटा मोटर्स लिमिटेड	टाटा ट्रकों की खरीदारी	1457169	1457169	233147
14	19	17.01.2013	टाटा मोटर्स लिमिटेड	टाटा ट्रकों की खरीदारी	2836281	2836281	453805
15	29	17.03.2013	टाटा मोटर्स लिमिटेड	एलपीटी 109 टाटा ट्रकों की खरीदारी	2836282	2836282	453805
16	30	17.03.2013	टाटा मोटर्स लिमिटेड	एलपीटी 709 टाटा ट्रकों की खरीदारी	1457169	1457169	233147
17	31	17.03.2013	कृष्णा आयरन स्ट्रिप्स और ट्यूब प्राइवेट लिमिटेड	32 मिमि जीआई पाइप की आपूर्ति	1890343	1890343	132324
18	33	19.03.2013	पी.एस.स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, भिलाई	जीआई केसिंग पाइप की आपूर्ति	4322122	4322122	302549
19	35	20.03.2013	केएलआरआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड,	ड्रिलिंग रिंग मशीन की खरीदारी	33399996	33399996	2338000
20	81	22.03.2016	पी.एस.स्टील ट्यूब्स लिमिटेड	जीआई केसिंग पाइप	5490352	5490352	384325
21	82	22.03.2016	पी.एस.स्टील ट्यूब्स लिमिटेड	जीआई केसिंग पाइप	6547179	6547179	458303
22	339	25.03.2016	वीवर इंजीनियरिंग कारपोरेशन	152 मिमि व्यास बटन बिट की आपूर्ति	124163	124163	8691
23	340	25.03.2016	वीवर इंजीनियरिंग कारपोरेशन	152 मिमि व्यास बटन बिट की आपूर्ति	124163	124163	8691
24	341	25.03.2016	वीवर इंजीनियरिंग कारपोरेशन	152 मिमि व्यास बटन बिट की आपूर्ति	248325	248325	17383
25	358	26.03.2016	टाटा मोटर्स लिमिटेड	टाटा सूमो गोल्ड एक्स बीएस III की आपूर्ति	1075742	1075742	172119
26	32	26.07.2014	टाटा मोटर्स लिमिटेड	टाटा सूमो गोल्ड एक्स (बीएस III) की आपूर्ति	1025006	1025006	164001
27	33	26.07.2014	टाटा मोटर्स लिमिटेड	टाटा इंडिगो इंसीएस एलएक्स सीआर 4 की आपूर्ति	1061758	1061758	169881
28	40	27.01.2016	पी.एस.स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, भिलाई	45 एमटी 125 मिमि जीआई केसिंग पाइप की आपूर्ति	3000000	3000000	210000

सं. क्र	क्षात्रिय क्रमांक	क्षात्रिय दिनांक	भुगतान किया गया	विवरण	सकल राशि	भुगतान राशि	वैट एवं आयकर
विद्युत एवं यांत्रिकी संभाग रायपुर							
29	65	27.02.2016	पी.एस.स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, रायपुर	125 मिमि जीआई केसिंग पाइप की आपूर्ति	2098431	2098431	146890
30	113	30.09.2015	टाटा मोटर्स लिमिटेड	पाँच टाटा सूमो की आपूर्ति	2581140	2581140	412982
31	175	18.02.2015	चेतन इंडस्ट्रीज लिमिटेड	32 मिमि जीआई पाइप की आपूर्ति	3145530	3145530	220187
योग							8374720
पीएचई संभाग बिलासपुर							
32	90	07.03. 2014	गौतम प्लास्टिक इंडस्ट्रीज	केसिंग पाइप	718756	718756	50313
33	27	10.12. 2014	चेतन इंडस्ट्रीज लिमिटेड	जीआई पाइप की आपूर्ति	1441701	1441701	100919
34	27	13.05. 2013	कृष्णा आयरन स्ट्रिप्स और ट्यूब प्राइवेट लिमिटेड	50 मिमि व्यास जीआई पाइप	1056335	1056335	73943
35	26	13.05. 2013	गौतम प्लास्टिक इंडस्ट्रीज	150 मिमि व्यास यूपीवीसी केसिंग पाइप	213704	213704	14959
36	27	14.01. 2013	पी.एस.स्टील ट्यूब्स लिमिटेड	पी.एस.स्टील ट्यूब्स लिमिटेड	450832	450832	31558
37	47	19.03. 2013	पी.एस.स्टील ट्यूब्स लिमिटेड	150 मिमि व्यास जीआई पाइप	1275855	1275855	89310
38	31	20.02. 2013	चेतन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रायपुर	आपूर्ति देयक	1323240	1323240	92627
39	39	21.01. 2016	पी.एस.स्टील ट्यूब्स लिमिटेड	32 मिमि जीआई पाइप की आपूर्ति	1423495	1423495	99645
40	88	22.03. 2016	पी.एस.स्टील ट्यूब्स लिमिटेड	125 और 150 मिमि जीआई पाइप	657204	657204	46004
41	68	28.02. 2013	कृष्णा आयरन स्ट्रिप्स और ट्यूब प्राइवेट लिमिटेड	32 मिमि जीआई पाइप की आपूर्ति	945171	945171	66162
42	53	28.07. 2015	पी.एस.स्टील ट्यूब्स लिमिटेड	125 और 150 मिमि जीआई पाइप	2150482	2150482	150534
43	61	30.09. 2014	चेतन इंडस्ट्रीज लिमिटेड	जीआई पाइप की आपूर्ति	1638297	1638297	114681
44	62	30.09. 2014	अरिहंत इंडस्ट्रीज	इंडिया मार्क हैंडपम्प की आपूर्ति	437558	437558	30629
योग							961284

परिशिष्ट 2.4.2

(संदर्भ: कडिका 2.4.9.3; पृष्ठ 97)

ई-वर्क्स के अन्यत्र धनादेश मुद्रण के द्वारा गबन का विवरण

सं. क्र.	डीडीओ कोड	भुगतान की तिथि (YYYY-MM-DD)	चेक सिरीज़	चेक क्रमांक	चेक की तिथि (YYYY-MM-DD)	चेक की राशि	मासिक लेखे में असमाहित
1.	1434001	2015-08-03	609401-10	609401	2015-08-03	100000	100000
2.	1434001	2015-08-03		609402	2015-08-03	100000	100000
3.	1434001	2015-08-12		609403	2015-08-08	100000	100000
4.	1434001	2015-08-12		609404	2015-08-08	100000	100000
5.	1434001	2015-08-27		609405	2015-08-27	100000	100000
6.	1434001	2015-08-28		609406	2015-08-27	100000	100000
7.	1434001	2015-09-01		609407	2015-08-27	399840	399840
8.	1434001	2015-09-01		609408	2015-08-30	399840	399840
9.	1434001	2015-09-11		609409	2015-09-09	399840	399840
10.	1434001	2015-09-11		609410	2015-09-09	399840	399840
11.	1434001	2014-10-04	597201-300	597201	2014-10-01	100000	100000
12.	1434001	2014-10-04		597202	2014-10-04	100000	100000
13.	1434001	2014-10-08		597203	2014-10-07	100000	100000
14.	1434001	2014-10-08		597204	2014-10-07	100000	100000
15.	1434001	2014-10-08		597205	2014-10-08	100000	100000
16.	1434001	2014-10-08		597206	2014-10-08	100000	100000
17.	1434001	2014-10-08		597207	2014-10-08	100000	100000
18.	1434001	2014-10-13		597208	2014-10-09	100000	100000
19.	1434001	2014-10-13		597209	2014-10-10	100000	100000
20.	1434001	2014-10-13		597210	2014-10-13	100000	100000
21.	1434001	2014-10-14		597211	2014-10-14	100000	100000
22.	1434001	2014-10-14		597212	2014-10-14	398400	398400
23.	1434001	2014-10-20		597213	2014-10-14	100000	100000
24.	1434001	2014-10-20		597214	2014-10-15	100000	100000
25.	1434001	2014-10-20		597215	2014-10-16	100000	100000
26.	1434001	2014-10-20		597216	2014-10-17	397400	397400
27.	1434001	2014-10-27		597217	2014-10-27	100000	100000
28.	1434001	2014-10-27		597218	2014-10-27	100000	100000
29.	1434001	2014-11-07		597219	2014-11-03	100000	100000
30.	1434001	2014-11-07		597220	2014-11-03	100000	100000
31.	1434001	2014-11-07		597221	2014-11-05	100000	100000
32.	1434001	2014-11-13		597222	2014-11-07	398400	398400
33.	1434001	2014-11-13		597223	2014-11-10	100000	100000
34.	1434001	2014-11-13		597224	2014-11-11	100000	100000
35.	1434001	2014-11-26		597225	2014-11-25	100000	100000

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

36.	1434001	2014–11–26		597226	2014–11–25	100000	100000
37	1434001	2014–12–06		597227	2014–12–05	100000	100000
38.	1434001	2014–12–06		597228	2014–12–05	100000	100000
39.	1434001	2014–12–12		597229	2014–12–10	100000	100000
40.	1434001	2014–12–12		597230	2014–12–10	100000	100000
41.	1434001	2014–12–16		597231	2014–12–16	399840	399840
42.	1434001	2014–12–19		597232	2014–12–17	100000	100000
43.	1434001	2014–12–19		597233	2014–12–18	100000	100000
44.	1434001	2014–12–19		597234	2014–12–18	399680	399680
45.	1434001	2014–12–23		597235	2014–12–22	100000	100000
46.	1434001	2014–12–23		597236	2014–12–22	100000	100000
47.	1434001	2014–12–30		597237	2014–12–28	100000	100000
48.	1434001	2014–12–30		597238	2014–12–28	100000	100000
49.	1434001	2015–01–08		597239	2015–01–07	100000	100000
50.	1434001	2015–01–08		597240	2015–01–07	100000	100000
51.	1434001	2015–01–17		597241	2015–01–16	100000	100000
52.	1434001	2015–01–17		597242	2015–01–16	100000	100000
53.	1434001	2015–01–30		597243	2015–01–27	100000	100000
54.	1434001	2015–01–30		597244	2015–01–27	100000	100000
55.	1434001	2015–02–06		597245	2015–02–06	100000	100000
56.	1434001	2015–02–06		597246	2015–02–06	100000	100000
57.	1434001	2015–02–11		597247	2015–02–11	100000	100000
58.	1434001	2015–02–16		597248	2015–02–16	100000	100000
59.	1434001	2015–02–16		597249	2015–02–16	100000	100000
60.	1434001	2015–02–20		597250	2015–02–19	100000	100000
61.	1434001	2015–02–20		597251	2015–02–19	100000	100000
62.	1434001	2015–02–24		597252	2015–02–20	100000	100000
63.	1434001	2015–02–24		597253	2015–02–20	100000	100000
64.	1434001	2015–02–25		597254	2015–02–23	100000	100000
65.	1434001	2015–02–27		597255	2015–02–24	100000	100000
66.	1434001	2015–03–02		597256	2015–02–24	100000	100000
67.	1434001	2015–03–09		597257	2015–03–04	100000	100000
68.	1434001	2015–03–09		597258	2015–03–04	100000	100000
69.	1434001	2015–03–10		597259	2015–03–07	100000	100000
70.	1434001	2015–03–11		597260	2015–03–07	100000	100000
71.	1434001	2015–03–12		597261	2015–03–09	100000	100000
72.	1434001	2015–03–12		597262	2015–03–09	100000	100000
73.	1434001	2015–03–12		597263	2015–03–11	100000	100000
74.	1434001	2015–03–18		597264	2015–03–11	100000	100000
75.	1434001	2015–03–13		597265	2015–03–12	100000	100000
76.	1434001	2015–03–13		597266	2015–03–12	100000	100000

77.	1434001	2015-03-18		597267	2015-03-12	100000	100000
78.	1434001	2015-03-17		597268	2015-03-13	100000	100000
79.	1434001	2015-03-18		597269	2015-03-13	100000	100000
80.	1434001	2015-03-20		597270	2015-03-13	100000	100000
81.	1434001	2015-03-23		597271	2015-03-13	100000	100000
82.	1434001	2015-03-21		597272	2015-03-20	399680	399680
83.	1434001	2015-03-24		597273	2015-03-23	100000	100000
84.	1434001	2015-03-24		597274	2015-03-24	399680	399680
85.	1434001	2015-05-13		597275	2015-05-12	100000	100000
86.	1434001	2015-05-14		597276	2015-05-13	100000	100000
87.	1434001	2015-05-15		597277	2015-05-14	100000	100000
88.	1434001	2015-05-16		597278	2015-05-15	100000	100000
89.	1434001	2015-05-16		597279	2015-05-10	100000	100000
90.	1434001	2015-05-20		597280	2015-05-19	100000	100000
91.	1434001	2015-05-23		597281	2015-05-21	100000	100000
92.	1434001	2015-05-23		597282	2015-05-22	100000	100000
93.	1434001	2015-05-28		597283	2015-05-27	100000	100000
94.	1434001	2015-05-28		597284	2015-05-27	100000	100000
95.	1434001	2015-06-01		597285	2015-06-01	100000	100000
96.	1434001	2015-06-01		597286	2015-06-01	399840	399840
97.	1434001	2015-06-03		597287	2015-06-03	399840	399840
98.	1434001	2015-06-04		597288	2015-06-04	399840	399840
99.	1434001	2015-06-06		597290	2015-06-05	399840	399840
100.	1434001	2015-06-05		597291	2015-06-05	100000	100000
101.	1434001	2015-06-09		597292	2015-06-09	100000	100000
102.	1434001	2015-06-09		597293	2015-06-09	100000	100000
103.	1434001	2015-06-16		597294	2015-06-15	100000	100000
104.	1434001	2015-06-18		597295	2015-06-16	100000	100000
105.	1434001	2015-07-02		597296	2015-07-01	100000	100000
106.	1434001	2015-07-02		597297	2015-07-02	399840	399840
107.	1434001	2015-07-02		597298	2015-07-02	100000	100000
108.	1434001	2015-07-21		597299	2015-07-21	100000	100000
109.	1434001	2015-07-22		597300	2015-07-22	100000	100000
110.	1434005	2014-05-13	600001-100	600043	2014-05-12	100000	100000
111.	1434005	2014-05-13		600044	2014-05-13	100000	100000
112.	1434005	2014-05-16		600045	2014-05-13	100000	100000
113.	1434005	2014-05-16		600046	2014-05-16	100000	100000
114.	1434005	2014-05-24		600047	2014-05-23	100000	100000
115.	1434005	2014-05-24		600048	2014-05-23	100000	100000
116.	1434005	2014-05-24		600049	2014-05-24	100000	100000
117.	1434005	2014-06-02		600050	2014-06-02	100000	100000

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

118.	1434005	2014–06–02	600051	2014–06–02	100000	100000
119.	1434005	2014–06–07	600052	2014–06–06	100000	100000
120.	1434005	2014–06–07	600053	2014–06–06	100000	100000
121.	1434005	2014–06–09	600054	2014–06–09	100000	100000
122.	1434005	2014–06–16	600055	2014–06–16	100000	100000
123.	1434005	2014–06–20	600056	2014–06–20	100000	100000
124.	1434005	2014–06–20	600057	2014–06–20	100000	100000
125.	1434005	2014–06–23	600058	2014–06–23	100000	100000
126.	1434005	2014–06–24	600059	2014–06–24	100000	100000
127.	1434005	2014–07–02	600060	2014–07–01	100000	100000
128.	1434005	2014–07–02	600061	2014–07–01	100000	100000
129.	1434005	2014–07–08	600062	2014–07–08	100000	100000
130.	1434005	2014–07–08	600063	2014–07–08	100000	100000
131.	1434005	2014–07–11	600064	2014–07–08	100000	100000
132.	1434005	2014–07–11	600065	2014–07–08	100000	100000
133.	1434005	2014–07–11	600066	2014–07–10	100000	100000
134.	1434005	2014–07–11	600067	2014–07–10	100000	100000
135.	1434005	2014–07–11	600068	2014–07–11	100000	100000
136.	1434005	2014–07–11	600069	2014–07–11	100000	100000
137.	1434005	2014–07–15	600070	2014–07–15	100000	100000
138.	1434005	2014–07–16	600071	2014–07–16	100000	100000
139.	1434005	2014–07–25	600072	2014–07–24	100000	100000
140.	1434005	2014–07–25	600073	2014–07–24	100000	100000
141.	1434005	2014–07–28	600074	2014–07–28	100000	100000
142.	1434005	2014–08–01	600075	2014–07–31	100000	100000
143.	1434005	2014–08–01	600076	2014–07–31	100000	100000
144.	1434005	2014–08–08	600077	2014–08–07	100000	100000
145.	1434005	2014–08–09	600078	2014–08–08	100000	100000
146.	1434005	2014–08–13	600079	2014–08–11	100000	100000
147.	1434005	2014–08–13	600080	2014–08–12	100000	100000
148.	1434005	2014–08–19	600081	2014–08–19	100000	100000
149.	1434005	2014–08–23	600082	2014–08–21	100000	100000
150.	1434005	2014–08–26	600083	2014–08–22	100000	100000
151.	1434005	2014–08–30	600084	2014–08–29	100000	100000
152.	1434005	2014–09–02	600085	2014–09–01	100000	100000
153.	1434005	2014–09–03	600086	2014–09–02	100000	100000
154.	1434005	2014–09–04	600087	2014–09–02	100000	100000
155.	1434005	2014–09–09	600088	2014–09–08	100000	100000
156.	1434005	2014–09–09	600089	2014–09–09	100000	100000
157.	1434005	2014–09–12	600090	2014–09–10	100000	100000
158.	1434005	2014–09–12	600091	2014–09–11	100000	100000

159.	1434005	2014-09-16	576401-500	600092	2014-09-12	100000	100000
160.	1434005	2014-09-22		600093	2014-09-12	100000	100000
161.	1434005	2014-09-24		600094	2014-08-23	100000	100000
162.	1434005	2014-09-24		600095	2014-08-23	100000	100000
163.	1434005	2014-09-26		600096	2014-08-23	100000	100000
164.	1434005	2014-09-26		600097	2014-09-24	100000	100000
165.	1434005	2014-09-26		600098	2014-09-24	100000	100000
166.	1434005	2014-09-26		600099	2014-09-25	148400	148400
167.	1434005	2014-09-26		600100	2014-09-25	149560	149560
168.	1434001	2013-02-22		576401	2013-02-21	150000	150000
169.	1434001	2013-03-18		576403	2013-03-15	300000	300000
170.	1434001	2013-03-22		576404	2013-03-21	200000	200000
योग					22239600	22239600	

परिशिष्ट 2.4.3

(संदर्भ: कांडिका क्र. 2.4.9.4; पृष्ठ 98)

समय विस्तार हेतु अर्थदण्ड गणना संबंधी विवरण

सं. क्र.	संभाग का नाम	अनुबंध क्रमांक	अनुबंध की राशि	शास्ति के साथ समय विस्तार की अवधि		सप्ताह	शास्ति की दर/ सप्ताह	शास्ति की गणना			अधीक्षण अभियंता द्वारा अधिरोपित शास्ति	वसूल किया गया शास्ति (ई-वर्कर्स के अनुसार)	शास्ति की कम वसूली (अधीक्षण अभियंता द्वारा अधिरोपित — वसूला गया शास्ति)	कम वसूला गया शास्ति (वसूली योग्य शास्ति — वसूला गया शास्ति)
				से	तक			विलंब के अनुसार दर्ड	नियमानुसार शास्ति 6% तक सीमित	वसूली योग्य शास्ति				
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13 (<=13)	14	15	16 (14–15)	17 (13–14)
1	राजनांदगांव	121/डीएल/13-14	988200	08.09.2013	24.04.2015	85	0.0025000	209993	59292	59292	1976	0	1976	57316
2	राजनांदगांव	34/ डीएल /12-13	1039194	18.07.2012	15.01.2013	26	0.0012500	33774	62352	33774	10392	10392	0	23382
3	गरियाबंद	25/डीएल /12-13	773309	12.09.2013	20.01.2014	19	0.0025000	36732	46399	36732	35904	0	35904	828
4	गरियाबंद	26/डीएल /11-12	1757301	23.12.2011	26.03.2012	14	0.0012500	30753	105438	30753	29498	0	29498	1255
5	गरियाबंद	30/डीएल /13-14	880000	16.03.2014	25.02.2015	50	0.0025000	110000	52800	52800	2000	0	2000	50800
6	गरियाबंद	31/डीएल /13-14	660000	16.03.2014	25.02.2015	50	0.0025000	82500	39600	39600	2000	0	2000	37600
7	गरियाबंद	46/डीएल /12-13	777500	13.11.2014	18.04.2015	23	0.0025000	44706	46650	44706	43318	0	43318	1388
8	रायपुर	334/डीएल /08-09	16982000	29.08.2010	02.06.2012	92	0.0006250	976465	1018920	976465	84910	0	84910	891555
9	रायपुर	113/डीएल /07-08	36957000	15.11.2008	26.05.2012	184	0.0006250	4250055	2217420	2217420	369570	0	369570	1847850
10	रायपुर	101/डीएल /10-11	1254000	20.03.2011	25.06.2011	14	0.0012500	21945	75240	21945	6270	0	6270	15675
11	रायपुर	01/डीएल /13-14	337000	01.03.2014	05.07.2014	18	0.0037500	22748	20220	20220	2500	0	2500	17720
योग									3533707	588338	10392	577946	2945369	

परिशिष्ट 2.4.4

(संदर्भ: कांडिका क्र. 24.9.6; पृष्ठ 99)

प्रणाली जनित धनादेश एवं प्रणाली जनित रोकड़बही की राशि में असमानता संबंधी विवरण

संभाग	चेक क्रमांक	माह	ई-वर्क्स जनित चेक की राशि	ई-वर्क्स के रोकड़ बही में परिलक्षित राशि	अंतर की राशि (प्रणाली जनित चेक के विरुद्ध रोकड़ बही में परिलक्षित)
पीएचईजी संभाग द्वारा	29517	01.10.2015	125433	126701	1268
	29520	06.10.2015	32076	32400	324
	29521	06.10.2015	30888	31200	312
	29531	06.10.2015	370700	404235	33535
	29533	07.10.2015	49509	50010	501
	29534	07.10.2015	21805	22025	220
	29540	09.10.2015	48114	48600	486
	29541	09.10.2015	3459767	743651	-2716116
	29556	16.10.2015	259101	275198	16097
	29569	23.10.2015	710890	753138	42248
	29570	26.10.2015	44803	47043	2240
	29572	26.10.2015	27882	29276	1394
	29582	30.10.2015	356998	357298	300
	29583	30.10.2015	28892	29760	868
योग			5566858	2950535	0
पीएचईजी संभाग धमतरी	646727	04.03.2016	1033981	1035981	2000
	646744	16.03.2016	28714	29300	586
	647455	26.03.2016	21609	22050	441
	647457	26.03.2016	170559	191000	20441
	647475	30.03.2016	12740	13377	637
	647476	31.03.2016	412659	437395	24736
	647477	31.03.2016	8053782	8440076	386294
योग			9734044	10169179	0
पीएचईजी परियोजना संभाग बेमतरा	829571	11.03.2015	50000	47656	-2344
	829573	12.03.2015	50000	47814	-2186
	829575	13.03.2015	195435	217158	21723
	829583	20.03.2015	229500	255000	25500
	829584	20.03.2015	8730	9166	436
	829588	20.03.2015	17460	19904	2444
	829589	24.03.2015	30940	32954	2014
योग			582065	629652	0
पीएचईजी संभाग राजनांदगांव	93763	11.03.2016	232742	244296	11554
	93764	11.03.2016	194099	203738	9639
	93765	11.03.2016	827450	871000	43550
	93767	11.03.2016	89000	100953	11953
	93780	11.03.2016	313621	220374	-93247
	98339	22.03.2016	112241	117815	5574
	98340	22.03.2016	4895	5140	245
	98342	22.03.2016	172190	180741	8551
	98343	22.03.2016	279998	257689	-22309
	98345	23.03.2016	19360575	18667895	-692680
	98902	25.03.2016	658166	690839	32673
	98909	26.03.2016	10620	11148	528
	98927	26.03.2016	1016269	1066744	50475
	98928	26.03.2016	8614239	9041879	427640
योग			35041195	34909478	0

सं. क्र.	संभाग	चेक क्रमांक	माह	ई—वर्क्स जनित चेक की राशि	ई—वर्क्स के रोकड़ बही में परिलक्षित राशि	अंतर की राशि (प्रणाली जनित चेक के विरुद्ध रोकड़ बही में परिलक्षित)
43	पीएचईडी विद्युत एवं गांत्रिकी संभाग रायपुर	341525	19.03.2013	1960148	2057503	97355
44		98929	26.03.2016	375598	394279	18681
45		98930	26.03.2016	2779492	2834948	55456
46		341533	22.03.2013	552265	600981	48716
47		341534	22.03.2013	21750	22837	1087
48		341537	22.03.2013	51603	55073	3470
49		341540	22.03.2013	8100	8505	405
50		341541	22.03.2013	2731624	2867291	135667
51		341547	22.03.2013	682155	716059	33904
52		341548	22.03.2013	1840743	1932137	91394
योग				7848388	8260386	0

परिशिष्ट 3.1.1

(संदर्भ: कोडिका क्र. 3.1.8.2, पृष्ठ 120)

सिविल निर्माण कार्यों की स्थिति का विवरण

(₹ करोड़ में)

संस्था / कॉलेज का नाम	कार्य का नाम	प्रशासनिक लागत / दिनांक	कार्य आदेश की दिनांक	स्वीकृत लागत	कार्य पूर्णता: हेतु निर्धारित तिथि	अद्यतन व्यय	कार्य की स्थिति
पं. जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज रायपुर (जीएमसी रायपुर)	पंडित जेएनएमएमसी, 60 बिस्तरों वाले कन्या पीजी छात्रावास	543.18 / 17.09.2013	10.11.2014	5.45	11.19.2015	2.03	काम पूर्ण है, परन्तु हस्तांतरण नहीं किया है
	जेएनएमएमसी रायपुर के चतुर्थ मजिल का निर्माण	866.62 / 21.10.2011	26.04.2013	9.26	02.10.2015	8.26	काम पूर्ण है, परन्तु हस्तांतरण नहीं किया है
	पीजी छात्रावास द्वितीय चरण का निर्माण (12 क्वार्टर्स)	318.59 / 2013–14	16.01.2014	3.7	15.01.2015	1.7	काम पूर्ण है, परन्तु हस्तांतरण नहीं किया है
पं. जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज रायपुर (जीएमसी रायपुर) के साथ संलग्न अस्पताल	स्त्री रोग विभाग के लिए ईएमओसी हॉल का निर्माण भीमराव अंबेडकर अस्पताल, रायपुर	171.86 / 20.05.2013	13.08.13	1.81	14.06.2014	1.67	काम पूर्ण है, परन्तु हस्तांतरण नहीं किया है
	भीमराव अंबेडकर अस्पताल रायपुर के सभागार में संशोधन और परिवर्तन	2630.28 / 14.02.2014	03.06.2014	17.23	02.10.2015	7.37	काम पूर्ण है, परन्तु हस्तांतरण नहीं किया है
	भीमराव अंबेडकर अस्पताल रायपुर में 700 बिस्तरों की वृद्धि हेतु निर्माण कार्य	1047.36 / 17.03.2010	10.11.2014	10.05	07.09.14	9.33	काम पूर्ण है, परन्तु हस्तांतरण नहीं किया है
योग		(अ)		47.50		30.36	
स्वर्गीय श्री लखीराम अग्रवाल मेमोरियल शासकीय मेडिकल कॉलेज रायगढ़ (जीएमसी रायगढ़)	रायगढ़ में अस्पताल के साथ आवासीय परिसर सहित मेडिकल कॉलेज का निर्माण	88 / 2009–10	106.35	233.02 (संशोधित)		144	अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है
स्वर्गीय श्री बलीराम कश्यप मेमोरियल शासकीय मेडिकल कॉलेज जगदलपुर (जीएमसी जगदलपुर)	जगदलपुर में अस्पताल के साथ आवासीय परिसर सहित मेडिकल कॉलेज का निर्माण	जनवरी–10	68	248.16 (संशोधित)		178.25	अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है।
योग		(ब)	174.35	481.18		322.25	
महायोग		(अ)+(ब)		528.68		352.61	